Thursday, 20 February, 1975

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

Fifth Lok Sabha

८

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

तेहरवां सत्र

Thirteenth Session

Preservation Unit
Fumigated 28-8-91
Parliament Library

खंड 48 में अंक 1 से 10 तक हैं।

Vol. XLVIII contains Nos. 1 to 10

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

न्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

पंचम माला, खण्ड 48, अंक 4, गुरुवार, 20 फरवरी, 1975/1 फाल्गुन, 1896 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनुदित संस्करण

का

शुद्धि-पत्र

1. पृष्ठ XV में "श्री हारी सिंह" के स्थान पर "श्री हरि सिंह" पढ़िये ।
2. पृष्ठ 51 में "श्रीमती थार्गदी तनकप्पन" के स्थान पर "श्रीमती भार्गवी तनकप्पन" पढ़िये ।
3. पृष्ठ 137 में " Shri Maneshwar Mishra" के स्थान पर "Shri Janeshwar Mishra" पढ़िये ।

विषय सूची/CONTENTS

अंक 4—गुरुवार, 20 फरवरी, 1975/1 फाल्गुन, 1896 (शक)

No. 4—Thursday, February 20, 1975/*Phalguna* 1, 1896 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
42.	कोकण स्टोमर यात्री सेवा के किराये में वृद्धि	Rise in Fares of Konkan Steamer Passenger Service	1–3
43.	नागपुर में आयोजीत विश्व हिन्दी सम्मेलन	World Hindi Convention at Nagpur	4–9
44.	डा० डोरेस द्वारा प्लेग के खतरे की चेतावनी	Plague Risk as cautioned by Dr. Deoras	9–13
45.	दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें	Road Mishaps in Delhi	13–16

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.			
41.	सीरपुर-कागजनगर पुनर्वास परियोजना (आंध्र प्रदेश) के शरणार्थियों की शिकायतें	Grievances of refugees in Sirpur-Kaghaznagar Rehabilitation Project (A.P.)	16–17
47.	जालंधर-जहू-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए प्रस्ताव	Proposal for Jullundur-Jahu-Mandi National Highway	17
48.	पुर्तगाल के विदेश मंत्री की भारत यात्रा	Visit by Foreign Minister of Portugal	17–18
49.	नौवहन उद्योग के योजना-लक्ष्य की प्राप्ति	Achievement of Planned Target of Shipping Industry	18
50.	बड़े इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा आरंभ किया गया संभाव्यता अध्ययन	SAIL Commissioned Feasibility Studies for Giant Steel Plants	18–19
51.	हनोई के साथ सम्बन्ध	Relations with Hanoi	19
52.	कानपुर में विशेष मिश्र इस्पात संयंत्र स्थापित करना	Setting up Special Alloy Steel Plant at Kanpur	19

---

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1—1 L.S.S./75

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
53.	चेचक उन्मूलन	Eradication of Smallpox . .	19–20
54.	दिल्ली में मकान गिर जाने के कारण मृतकों तथा घायलों को दिया गया मुआवजा	Compensation given to Deceased and Injured in House Collapse in Delhi	20
55.	भारतीयों में दास व्यापार	Slave Trade in Indians . .	21
56.	राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण हेतु बिहार के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Bihar for Construction of National Highway Projects . . .	21
57.	कराची में तीसरे विश्व देशों का सम्मेलन	Conference of Third World Countries at Karachi . .	21–22
58.	जाम्बिया के राष्ट्रपति का दौरा	Visit by President of Zambia .	22
59.	दिल्ली के अस्पतालों में जीवन रक्षक औषधियों की कमी	Shortage of Life Saving Drugs in Hospitals of Delhi. . .	22–23
60.	बढ़ती हुई जीवन निर्वाह लागत को देखते हुए न्यूनतम मजूरी का पुनरीक्षण	Revision of minimum wages in view of Rising Cost. . .	23

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
401.	अहमदाबाद स्थित कैंसर अस्पताल को दी गई वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Cancer Hospital at Ahmedabad .	23–24
402.	पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत	Talks with Pakistani Delegation	24
403.	उत्पादकों के स्टाकयार्डों में इस्पात जमा हो जाना	Piling up of Steel in Producers' Stockyards	24–25
404.	सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में जनदिवसों की हानि	Man-days lost in Public and Private Sectors . . .	25
405.	मध्य प्रदेश में नवीन राष्ट्रीय राजपथ	New National Highways in Madhya Pradesh . .	25
406.	नेपाल में बांध का ढह जाना	Collapse of Dam in Nepal .	25–26
407.	सरकारी और निजी क्षेत्रों में इस्पात उत्पादन की लागत	Cost of Steel production in Public and Private Sectors . .	26–27
408.	नेशनल केडट कोर योजना सम्बन्धी मूल्यांकन समिति की सिफारिशें	Recommendations of Evaluation Committee on N.C.C. Scheme	27–28
409.	दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के "स्क्वेड" द्वारा मिलावटी सूखी लाल मिर्च का पकड़ा जाना	Seizure of adulterated dried chillies by D.G.H.S. Squad in Delhi	28

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
410.	शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त अधिकारियों को नियमित किया जाना	Regularisation of Short Service Commissioned Officers .	28–29
411.	बंगाल इम्युनिटी कम्पनी लिमिटेड, देहरादून द्वारा औषध अधिनियम का उल्लंघन	Violation of Drugs Act by Bengal Immunity Company Ltd., Dehradun	29–30
412.	राष्ट्रपति को नकली दवाई की सप्लाई	Supply of a Fake Drug to President	30
413.	आसाम शूगर मिल्स-लिमिटेड	Assam Sugar Mills Ltd. . . .	30
414.	तेल उत्पादक देशों के साथ हुए समझौते	Agreements with Oil producing countries	31
415.	खेतड़ी तांबा परियोजना के प्रद्रावक संयंत्र द्वारा कापर कंसंट्रेट का उत्पादन	Production of Copper Concentrates at Khetri Copper Project	31
416.	देश में कुष्ट रोगियों की सहायता और सुविधाएं	Assistance and facilities to people suffering from Leprosy in the country	31–32
417.	प्रधान मंत्री की विदेश यात्राएं	Foreign visits by Prime Minister	32–33
418.	बंगला देश के साथ द्विपक्षीय वार्ता	Bilateral talks with Bangladesh	33
419.	नकली औषधियों से मृत्यु-दर में वृद्धि	Spurious Drugs leading to increased Mortality . .	33
420.	संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषा के रूप में हिन्दी को मान्यता देने संबंधी मांगें	Demand for making Hindi as Official Language of U.N.O.	33–34
421.	वर्ष 1974–75 और 1975–76 के दौरान इस्पात उत्पादन के लक्ष्यों की प्राप्ति	Achievement of Steel Production target during 1974-75 and 1975-76	34
422.	मेजर रमेश चन्द्र धवन की नजरबन्दी	Detention of Major Ramesh Chander Dhawan . .	35
423.	तंजानियां के प्रधान मंत्री का दौरा	Visit by Prime Minister of Tanzania	36
424.	बी० ए० सी० कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, कोरबा के प्रबंधकों तथा कर्मचारियों के बीच विवाद	Dispute between management and workmen of B.A.C. Company (P) Ltd., Korba .	36
425.	टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Tisco	36–37
426.	पश्चिमी बंगाल के कृषि श्रमिकों के लिये बोइल्ड व्हीट एण्ड पिंच आफ साल्ट (उबला गेहूं और नमक)	"Boiled wheat and pinch of salt" for Agricultural Labourers in West Bengal	37–38

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
427.	कोचीन शिपयार्ड की लागत का पुनरीक्षण	Revision of cost of Cochin Shipyard	38-39
428.	बोनस आयोग प्रतिवेदन की सिफारिशों पर निर्णय	Decision on recommendations of Bonus Commission Report .	39
429.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पटना के कार्यालय में तदर्थ पदोन्नतियों का नियमित किया जाना	Regularisation of Ad hoc promotions in office of R.P.F. Commissioner, Patna . .	39-40
430.	तेल उत्पादन करने वाले अरब देशों को अमरीका की कथित धमकी	Alleged U.S. threat to oil producing Arab countries . .	40
431.	घोघराघाट में सभी मौसमों में काम आने वाले सड़क पुलों का निर्माण	Construction of All-weather Road Bridge at Ghogragat . .	40-41
432.	संयुक्त अरब एमिरात राष्ट्रपति की भारत यात्रा	Visit by President of UAE	41
433.	विदेशी मछुआ पोतों द्वारा भारतीय समुद्री सीमा में घुसपैठ	Intrusion of Foreign Fishing Vessels in Indian Territorial Waters	41
436.	पश्चिम बंगाल में मलेरिया के रोगियों में वृद्धि	Increase in Malaria Cases in West Bengal	42
437.	देश में औषधियों की कमी	Shortage of Medicines in the country	42-43
438.	फ्रांसीसी युद्ध पोतों द्वारा हिन्द महासागर में गश्त लगाना	Patrolling by French Warships in Indian Ocean . .	43
439.	मारीशस के प्रधान मंत्री का दौरा	Visit by Prime Minister of Mauritius	43
440.	विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना	Vishakhapatnam Steel Project .	44
441.	गुजरात और राजस्थान में बसाये गये 1971 के भारत-पाक संघर्ष के विस्थापित व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता	Indian Citizenship to Displaced Persons of 1971 Indo-Pak Conflict Rehabilitated in Gujarat and Rajasthan .	44
442.	रोजगार कार्यालयों द्वारा जनवरी से दिसम्बर, 1974 के बीच दिलाया गया रोजगार	Employment provided during January to December, 1974 by Employment Exchanges .	45
443.	इस्पात और तांबे के तैयार माल की कुल खरीद	Off-take of Finished Steel and Copper . . .	45-46
444.	विदेशों में चीनी दूतावासों द्वारा विरोधी प्रचार	Anti-Indian Propaganda by Chinese Embassies abroad .	46
445.	कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी	Minimum Wages for Agricultural Labourers	46

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
446.	राज्यों में शीत लहर से हुई मौतें	Deaths due to Cold Wave in States	47
447.	सेलेम इस्पात संयंत्र के लिए परियोजना प्रतिवेदन	Project Report for Salem Steel Plan	47
448.	मुख्य पत्तन परियोजनाओं पर व्यय की गयी राशि	Expenditure on Main Port Projects	47–48
450.	संयुक्त राष्ट्र सघ में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं	Languages used in U.N.O.	48–49
451.	संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा स्वेज नहर का खोला जाना	Opening of Suez Canal by U.A.R.	49–50
452.	मर्चेन्ट एसोसिएशन आफ करीमगंज से स्टीमर सेवा के बारे में ज्ञापन	Memorandum from Merchant Association of Karimgange for Steamer Service	50
453.	नियंत्रित प्रक्षेपणास्त्रों का निर्माण तथा आयात	Manufacture and Import of Guided Missiles	50
454.	रायपुर (मध्य प्रदेश) में सोहागपुर–नवगांव शिबिर में राहत सुविधायें	Relief benefits in Sohagpur-Nowgang Camp in Raipur (M.P.)	50–51
455.	सरकारी क्षेत्र में जन-दिवसों की हानि	Loss of Mandays in Public Sector	51
456.	नए मंगलौर बन्दरगाह में तलकर्षन कार्य के लिए चट्टानों का हटाया जाना	Dredging Operations in New Mangalore Harbour	51–52
457.	कनाडा के प्रतिनिधि-मंडल का दौरा	Visit by Canadian Delegation	52
459.	वाणिज्यिक तथा औद्योगिक संस्थाओं के सभी कर्मचारियों पर बोनस योजना लागू करना	Extension of Bonus Scheme to all Employees of Commercial and Industrial Establishments	52–53
460.	पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Refugees from East Pakistan	53
461.	राष्ट्रीय मजूरी नीति का बनाया जाना	Evolution of National Wage Polio	54
462.	शिक्षित बेरोजगारों के लिये स्वनियोजन योजना	Self - employment Scheme for Educated Unemployed	54
463.	सोवियत रूस स्थित भारतीय दूतावासों में संचार व्यवस्था और सवारी संबंधी व्यय	Expenditure on Communication and Conveyance in Indian Embassy in U.S.S.R.	54–55
464.	ग्रामीण क्षेत्रों के लिये रोजगार गारन्टी योजना	Employment Guarantee Scheme for Rural Areas	55

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
465.	उत्तर पूर्व भारत में चीन, अमरीका तथा पाकिस्तान का षड्यंत्र	Conspiracy by China, U.S. and Pakistan in North-Eastern India	56
466.	इस्पात की सप्लाई बन्द करना	Suspension of Steel Supplies .	56
467.	विभिन्न औषधियों के लिये निर्धारित मात्रा से कई गुना अधिक औषधियां मिलाकर खुराकें बनाना	Mixing of doses several fold of recommended allowance for various Drugs . . .	57
468.	दिल्ली परिवहन निगम द्वारा 1 रुपये 25 पैसे की पास टिकट व्यवस्था समाप्त किया जाना	Withdrawal of Rs. 1.25 Pass Ticket by D.T.C. . .	57
469.	नौकाएं खरीदने के लिये केरल को धन देना	Release of amount to Kerala for purchase of Boats . .	58
470.	केरल सरकार द्वारा एजेंसी शुल्क में वृद्धि करने का अनुरोध	Request of Kerala for increase of Agency Charges . . .	58
471.	परमाणु अस्त्रों पर प्रतिबंध	Ban on Nuclear Weapons	58–59
472.	ईरान में भारतीय डाक्टर	Indian Doctors in Iran .	59
473.	मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त धनराशि	Amount received by Madhya Pradesh from Central Road Fund	59–60
474.	महाराष्ट्र में उल्हास नगर कैम्प की भूमि और सम्पत्ति का अतिक्रमण	Encroachment on Land and Property of Ulhasnagar Camp in Maharashtra . .	60–61
475.	बोकारो स्टील लिमिटेड का उत्पादन लक्ष्य	Target of Production of Bokaro Steel Ltd.	61
476.	नसबन्दी और बन्धकरण आपरेशन	Vasectomy and Tubectomy Operations	61
477.	अभ्रक श्रमिकों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Mica Workers	61–62
478.	चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान और स्वास्थ्य रक्षा को सुदृढ़ बनाना, नया रूप देना और उनमें समन्वय स्थापित करना	Stream-lining re-orienting and co-ordinating Medical Education Research and Health care	62
479.	विलिंगडन अस्पताल में बेकार "पड़ा मोबाइल डेंटल वैन"	Mobile Dental Van lying idle at Wilingdon Hospital .	62–63
480.	सैनिक स्कूलों के कार्यकरण के बारे में उच्च अधिकार प्राप्त समिति का प्रतिवेदन	Report of High Power Committee on Working on Sainik Schools	63
481.	नई दिल्ली के कनाट प्लेस क्षेत्र में औषध विक्रेताओं की दुकानों का 24 घण्टे खुला रखना	Opening of Chemist Shops for 24 Hours in Connaught Place area of New Delhi .	63–64

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
482.	भारतीय सेना में हिमाचल रेजिमेंट बनाना	Creating of Himachal Regiment in Indian Army	64
483.	गणतंत्र दिवस परेड तथा समापन समारोह (बीटिंग दी रिट्रीट) की टिकटों से एकत्र धन	Amount Collected by Sale of Republic Day Parade and Beating Retreat Tickets .	64-65
484.	पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम का उल्लंघन	Cease Fire violations committed by Pakistan. . . .	65
485.	छात्रों में त्रिकोमा तथा अन्य नेत्र रोगों को रोकथाम की योजना	Scheme to Check Trachoma and other Eye-diseases among students	65
486.	एक जापानो दल द्वारा शहीद हुए सैनिकों के अवशेषों की खोज	Search of Remains of Fallen Solders by a Japanese Team	66
487.	विशाखापत्तनम में जिन्क प्रदावक कारखाना	Zinc Smelter Factory at Visakhapatnam	66
488.	परमाणु प्रणाली के विकास के लिये चीन द्वारा पाकिस्तान को सहायता	China to help Pakistan for Developing Nuclear Device .	66-67
489.	आसाम में चेचक के मामलों में वृद्धि	Increase in Small Pox Cases in Assam	67-68
490.	उत्तर प्रदेश के प्रधान मंत्री के चुनाव दौरों के दौरान किया गया खर्च	Expenses incurred during Election Tours of Prime Minister in U.P.	68
491.	कथित तस्करों का पासपोर्ट जारी किया जाना	Insurance of passports to alleged smugglers	68
492.	पंजीकृत श्रमिक संघों के पदाधिकारियों को संरक्षण	Protection to office bearers of registered Trade Unions .	69
493.	विदेशी मेहमानों की भारत यात्रा	Visit to India by Foreign Dignataries	69
494.	देश से कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता	W.H.O. Assistance for Eradication of Leprosy from the Country	69
495.	"नेपाल लाइकली टू डिक्लेयर प्राइस वार" शीर्षक से समाचार	Press report regarding "Nepal likely to declare price war".	70
496.	स्थायी राष्ट्रीय आय, मजूरी और मूल्य आयोग की स्थापना करना	Setting up of Standing National Income Wages and Price Commission. . . .	70
497.	"जर्नलिस्ट वेज बोर्ड इन पेनल्टीमेट स्टेट" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार	Journalist Wage Board in Penultimate State . . .	70
498.	टनभार अधिग्रहण हेतु विशेष समिति	Special Committee for tonnage acquisition . . .	70-71

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
499.	व्यापारिक नौसैनिक अधिकारियों का भारत के स्थान पर विदेशी ध्वजवाले जहाजों में सेवा के लिए आकृष्ठ होना	Merchant Navy officials drifting from Indian to foreign flag vessels	71
500.	बन्दरगाहों पर जहाजों द्वारा लिया जाने वाला समय	Time taken by ships at Ports . .	72
501.	डिएगों गर्सिया द्वीप में सैन्य सुविधाओं का विस्तार करने के कार्य में सहायता करने का ब्रिटिश निर्णय	British decision to help U.S. in expanding military faculties on Diego Garcia Island .	72–73
502.	युवा डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आकर्षित करने की योजना	Plan to attract young doctors to rural areas	73
503.	दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता	Recognition of P.R.G. of South Vietnam	73–74
504.	मध्य प्रदेश के वस्तर जिले में टिन के निक्षेप	Tin deposits in Bastar District of Madhya Pradesh . .	74
505.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बोनस की अदायगी	Payment of Bonus to Central Government Employees .	74
506.	हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड कानपुर में मालवाहन विमान बनाने का निर्णय	Decision to manufacture of Freighter Aircraft in H.A.L. Kanpur	74–75
507.	परम्परागत शस्त्रों के मामलों में आत्म-निर्भर होना	Achievement of Self-sufficiency in Conventional Weapons .	75
508.	दिल्ली परिवहन निगम द्वारा मासिक आल रुट पासों का बंद किया जाना	Withdrawal of monthly all-route passes by D.T.C. . . .	75–76
509.	हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा के रूप में मान्यता	Acceptance of Hindi as a language of U.N. . . .	76
510.	बिहार में चेचक के नये मामले	Fresh Small Pox cases in Bihar .	76–77
511.	राउरकेला इस्पात संयंत्र के अमोनिया संयंत्र में हुई दुर्घटनाएं	Accident in Ammonia Plant of Rourkela Steel Plant . .	77
512.	न्यूयार्क में आतंकवादी यहूदियों द्वारा इण्डिया हाउस पर आक्रमण	Attack by Jewist terrorists on India House at New York .	78
513.	पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की हड़ताल से हुआ 'घाटा'	Loss suffered due to Port and Dock Workers' Strike . .	78–79
514.	हड़ताल के दौरान माल उतारने के लिए नौसेना और स्थल सेना की सेवाओं का उपयोग	Utilisation of services of Navy and Army for Unloading of Goods during Strike period . .	79

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
515.	सरकारी क्षेत्र के कारखानों के प्रबन्ध में श्रमिक प्रतिनिधियों का सहयोग लेना	Association of Labour Representatives with management in Public Sector . . .	79–80
516.	भारत पर विस्तारवादी प्रवृत्ति अपनाने का आरोप लगाने सम्बन्धी पाकिस्तानी प्रधान मंत्री का कथित वक्तव्य	Reported statement of Pakistani Prime Minister alleging India of Expansionist Mood. .	80
517.	आयातित अनाज उतारने के कार्य पर हड़ताल का प्रभाव	Effect of strike on Unloading of Imported Foodgrains and Fertilizers	80–81
518.	नकली दवाइयां बनाने वाले गिरोहों का पता लगाना	Unearthing of Spurious Drugs Rackets	81
519.	कर्नाटक में खनिज पदार्थों का निकाला जाना	Exploitation of Mineral Wealth in Karnataka . . .	81–82
520.	भारत में शिपयार्डों के लिये अग्रिम आर्डर	Advance orders to shipyards in India	82
521.	इस्पात संयंत्रों में कोयले का स्टाक	Coal Stocks with Steel Plants .	82–83
522.	अमरीकी आण्विक शक्ति युक्त विमान वाहक "इन्टरप्राइज" का हिन्द महासागर में प्रवेश	Aircraft Carrier Enterprise in Indian Ocean	83
523.	यमुना पार की बस्तियों में विस्थापित व्यक्तियों की सम्पत्ति का कथित हरण	Alleged grabbing of evacuee property in Trans-Jamua Colonies	84
524.	बच्चों का कुपोषण	Malnutrition among Children	84–85
525.	इंडिया सीमेंटस, संकारी तमिलनाडु के प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच विवाद	Dispute between Management and Workers of India Cements, Sankari Tamil Nadu . .	85
526.	रक्षा कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की मंजूरी के बारे में इच्छापुर आर्डिनेन्स फैक्टरी मजदूर यूनियन, इच्छापुर से प्राप्त ज्ञापन	Memorandum received from Ichapore Ordnance Factory Mazdoor Union re : Grant of Overtime Allowance to Defence Employees . .	85–86
527.	प्रूफ रीडरों तथा सम्पादकों का कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत लिया जाना	Coverage of Proof Readers and Editors under E.S.I. Act. .	86
528.	बिहार क्षेत्र के कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी संघ	Employees Provident Fund Staff Union, Bihar Region . .	86
529.	मैसर्स गया टैक्सटाइल्स का कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाया जाना	Default of Employees Provident Fund Act by M/s. Gaya Textiles	86–87

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
530.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में लेखा अधिकारी की प्रशासन प्रभारी के रूप में नियुक्ति	Posting of Accounts Officer as incharge in Employees Provident Fund Organisation .	87
531.	सोवियत संघ के साथ नौवहन संधि (शिपिंग प्रोटोकोल)	Shipping Protocol with Soviet Union	87–88
532.	सोवियत नौवहन शिष्टमंडल का दौरा	Visit of Soviet Shipping Delegation	88
533.	अहमदाबाद में प्रादेशिक प्रारपत्न कार्यालय	Regional Passport Office at Ahmedabad . . .	88–89
534.	कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अधीन क्षतिपूर्ति की वृद्धि	Increased Compensation under Workmens Compensation Act	89
535.	मजूरी नीति के संबंध में चक्रवर्ती समिति के प्रतिवेदन का क्रियान्वयन	Implementation of Chakravarty Report on Wage policy .	89
536.	भारत-अमरीकी सम्बन्ध	Indo-U.S. Relations . .	90
537.	भारत की प्रधान मंत्री द्वारा सोवियत संघ की प्रस्तावित यात्रा	Proposed visit to USSR by Prime Minister of India . .	90–91
538.	आयुर्वेदिक दवाइयों की शुद्धता, स्तर और किस्म की जांच के लिए प्रयोगशालायें	Laboratories for checking purity standard and quality of Ayurvedic Medicines . . .	91–92
539.	स्टाक यार्डों और इस्पात संयंत्रों से चुराया गया इस्पात	Steel stolen from stock yards and Steel Plants. . . .	92
540.	विदेश मंत्रालय के खर्च में मितव्ययिता की दृष्टि से कटौती	Economy cut in expenditure of External Affairs Ministry .	92
541.	राज्यों में विमान द्वारा भू-भौतिकीय सर्वेक्षण	Airborne Geophysical survey in States	92–93
542.	बहराइच जिले में बसे हुए तत्कालीन शरणार्थियों को सिंचाई सुविधाएं देने की व्यवस्था	Provision of irrigation facilities to Erstwhile Refugees settled in Bahraich District . .	93
543.	जोखाल शूगर मिल्स, बहराइच के श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि की अदायगी न करना	Non-payment of Employees Provident Fund to labourers of Jorwal Sugar Mills, Bahraich	93
544.	बर्मा द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र में सीमा स्तम्भों का लगाया जाना	Erection of boundary pillars in Indian Territory by Burma	94
545.	"डियागो गार्शिया" द्वीप अमरीकी सैनिक अड्डे का विस्तार	Expansion of U.S. military base on Diego Garcia Island . .	94–95

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
546.	एशिया की भलाई के लिए कार्य करने हेतु चीन को आमंत्रण	China invited to work for betterment of Asia	95
547.	भारत-चीन सम्बन्धी	Sino-Indian relations . .	95
548.	दिल्ली परिवहन निगम द्वारा सफदरजंग उपरिपुल से यात्रा करने के लिए पांच पैसे किराया अधिक वसूल करना	Charging of Five paise extra by D.T.C. for travelling via Safdarjang Flyover . . .	95–96
549.	फन्डामेंटल रुल्स के अन्तर्गत न आने वाले कर्मचारियों का वर्ग	Employees not Governed by Fundamental Rules . . .	96
550.	राष्ट्रीय मजूरी नीति के संबंध में केन्द्र तथा राज्यों में वार्ता	Dialogue Between Centre and States over National Wage policy	96–97
551.	भारतीय संसद में सिक्किम के प्रतिनिधित्व के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ को अपील	Appeal to U.N. regarding Sikkim representation in Indian Parliament	97
552.	हृदयरोग से ग्रस्त लोगों पर नयी आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग	Experiments on new Ayurvedic drug for heart patients .	97–98
553.	विदेशों में स्थित मिशनों में भारतीय उत्पादकों को लोकप्रिय बनाना	Popularising Indian products in Missions abroad . .	98
554.	दुर्घटनाओं के कारण दिल्ली परिवहन निगम को हुई हानि	Loss suffered by D.T.C. on account of accidents . .	99
555.	भारतीय तकनीशियन प्राप्त करने के लिए ईरानी दल का भारत दौरा	Visit to India by Iranian Team for getting Indian Technicians	99–100
556.	श्रीनगर-रावलपिन्डी सड़क को पुनः खोलने का प्रस्ताव	Proposal for reopening Srinagar Rawal Pindi road . .	100
557.	संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी का प्रयोग करने के लिये विदेशी सरकारों का समर्थन	Support of foreign Governments for Hindi in U.N.O. . .	100
558.	खाद्य अपमिश्रण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में साहित्य का प्रकाशन और समाचार चित्र तैयार करना	Bringing out literature and newsreels on health hazards or food adulteration . . .	101
559.	मिलावट रोकने के लिए और अधिक प्रयोगशालायें स्थापित करना	Setting up of more laboratories for checking adulteration .	101
560.	कोचीन के निकट ईडायर में एक लघु इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposed mini steel plant at Edayar near Cochin . . .	101–102
561.	भूमि तथा समुद्री सीमा के रेखांकन के बारे में भारत बंगलादेश वार्ता	Indo - Bangladesh talks for demarcation of land and martime boundaries . . .	102

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
563.	बंगला देश से विस्थापितों का आना	Flow of Refugees from Bangladesh	102–103
564.	दण्डकारण्य में शरणार्थी परिवारों को दी गयी सहायता	Help given to refugee families in Dandakaranya	103
565.	भारत-पोलैण्ड संयुक्त आयोग	Indo Polish Joint Commission	103–104
566.	अमरीकी प्रेस द्वारा भारत विरोधी प्रचार	Anti Indian propaganda by American Press	104
568.	देश में बेरोजगार व्यक्ति	Unemployed persons in the country	104–106
569.	औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक	Industrial Relation Bill	107
570.	बोनस पुनरीक्षण समिति की सिफारिशें	Recommendations of Bonus Review Committee	107
571.	कोचीन सुपर टैंकर बर्थ परियोजना का निर्माण पूरा होना	Completion of Cochin Super Tankar Berth Project	107–108
572.	हिन्द महासागर के राष्ट्रों की बैठक के बारे में प्रस्ताव	Proposal for a meeting of Indian Ocean Nations	108
573.	अरब देशों के तेल क्षेत्रों पर कब्जा करने की अमरीका की कथित धमकी	Reported US Threat to Capture Oil Fields in Arab Countries	108
574.	लंगर शुल्क को भाड़े के साथ मिलाने सम्बन्धी अमरीकी नौवहन सम्मेलन का प्रस्ताव	Proposal of U.S. Shipping conference to merge Bunker charge with Freight	109
575.	बर्नपुर इस्पात संयंत्र की पुनस्थापना	Rehabilitation of Burnpur Steel Plant	109
576.	पत्तन और गोदी कर्मचारियों की हड़ताल टालने के लिये किये गये प्रयत्न	Efforts made to avert Port and Dock Workers Strike	109–10
577.	समाचार भारती, नई दिल्ली के कर्मचारियों को तंग किये जाने का आरोप	Alleged victimisation of Employees Samachar Bharati, New Delhi	110–11
578.	समाचार भारती द्वारा भविष्य निधि की राशि जमा न करना	Non-deposit of Provident Fund by Samachar Bharati	111
579.	पश्चिम एशिया में हथियारों का आगमन	Influx of Arms into West Asia	111–12
580.	रायपुर (मध्य प्रदेश) के सोहागपुर-नवगांव शिविर पर कथित अत्याचार	Alleged Torture of Refugees in Sohagpur Nowgong Camp in Raipur (M.P.)	112
581.	वर्ष 1975–76 के लिए इस्पात की संभावित कमी	Probable shortage of Steel for 1975-76	112
582.	बिहार में शीत लहर के कारण हुई मौते	Deaths due to Cold Wave in Bihar	112–13

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
583.	बोकारो इस्पात कारखाने की बेकार पड़ी कोक भट्टी बैटरियां	Coke Oven Batteries of Bokaro Steel Plant lying idle . . .	113
584.	नया मंगलौर बंदरगाह न्यास	New Mangalore Port Trust	113
585.	इस्पात संयंत्रों में उच्च किस्म के उष्म-सहों की कमी	Shortage of Quality Refractories in Steel Plants . . .	113–114
586.	समुद्री तथा थल सीमाओं के बारे में बंगला देश के साथ करार	Agreement with Bangladesh on Offshore and land Boundaries	114
587.	भारतीय वायु सेना के पुराने परिवाहन बेड़े को बदलना	Replacement of obsolete Indian Air Force Transport Fleet . .	114–115
588.	पुर्तगाल के विदेश मंत्री के साथ हुई बातचीत	Discussions with Foreign Minister of Portugal	115
589.	अमरीका-भारत संयुक्त आयोग	Joint U.S.-India Commission	116
590.	पटसन कर्मचारियों की हड़ताल	Jute Workers Strike	116
591.	पाकिस्तान के साथ सामान्य राजनयिक संबंधों का पुनःस्थापित किया जाना	Restoration of normal diplomatic Relations with Pakistan	116–117
592.	हल्दिया पोत-निर्माण कारखाना	Ship Building yard at Haldia .	117
593.	फरक्का से गंगा नदी के पानी की निकासी	Release of Ganga Waters through Farakha . . .	117–118
594.	अमरीकी खान व्यापार मिशन का भारत दौरा	Visit of U.S. Mine Trade Mission to India	118
596.	मैसर्स जे० बी० मंघाराम अेंड संस, मै० जीवन फूडस बोम्बे, मैसर्स मंघाराम एण्ड संस, ओम्बे और इन्टरनेशनल फूड्स बोम्बे में कर्मचारी	Employees in M/s. J. B. Mangharam and Company, M/s. Jeewan Foods Bombay, M/s. Mangharam and Sons Bombay and M/s. International Foods Bombay .	118
597.	शाहजहांपुर आयुद्ध कारखाने में लाखों रुपये का गबन	Embazzlement of lakhs of rupees in Shahjhanpur Ordnance Factory	118
598.	हिमाचल प्रदेश में चाय बागानों के मजदुरों को भविष्य निधि, बोनस तथा आवास सुविधा में	Facilities of Provident Fund Bonus and Housing to Workers of Tea Plantations in Himachal Pradesh . . .	119
599.	कर्मचारी भविष्य निधि की राशि जमा न करने के कारण मैसर्स जे० बी० मंघाराम एण्ड कम्पनी ग्वालियर के विरुद्ध कार्यवाही	Action against M/s. J.B. Manharam and Co. Gwalior for non-Deposit of E.P.F. . .	119

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
600.	कर्नाटक बिजली बोर्ड को ई० सी० ग्रेड एल्युमीनियम	E. C. Grade Aluminium to Karnataka Electricity Board	119
	5 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3326 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	Statement Correcting answer of U.S.Q. No. 3326, dated 5-12-1974	120
	सभा के कार्य के बारे में	Re. Business of the House .	120–23, 127
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	123–25
	मातृवंश परम्परा विधेयक—	Mother's Lineage Bill —	
	राज सभा पटल पर रखी गई	Opinion Laid	125
	समिति के लिए निर्वाचन—	Election to Committee —	
	लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति	Joint Committee on offices of Profit	125
	सीमा शुल्क टैरिफ विधेयक—	Customs Tariff Bill—	
	संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय बढ़ाना	Extension of Time for Presentation of Report of the Joint Committee	126
	संविधान (बत्तिसवां संशोधन) विधेयक—	Constitution (Thirty-second Amendment) Bill—	
	संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय बढ़ाना	Extension of time for presentation of Report of the Joint Committee	126
	नियम 377 के अधिन मामला—	Matter Under Rule 377—	
	विश्व कप टूर्नामेंट के लिए भारतीय हाकी टीम के सदस्यों द्वारा दिये गये नोटिस का समाचार	Reported Notice by Members of Indian Hockey Team for World Cup Tournament .	127–28
	राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—	Motion of Thanks on the President's Address—	
	श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen . .	128–33
	श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur . .	133–34
	श्री ए० के० गोपालन	Shri A. K. Gopalan . .	134–37
	डा० कैलास	Dr. Kailas . . .	192–93
	श्री रुद्र प्रताप सिंह	Shri Rudra Pratap Singh .	194
	रेल बजट 1975–76	Railway Budget, 1975-76—	
	श्री कमलापति त्रिपाठी	Shri Kamlapati Tripathi .	194–203

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
विश्व हाकी टूर्नामेंट के लिए भारतीय हाकी टीम के सदस्यों द्वारा दी गई सूचना के बारे में वक्तव्य—	Statement Re. Notice by Members of Indian Hockey Team for World Hockey Tournament—	
श्री अरविंद नेताम	Shri Arvind Netam	203
पश्चिम बंगाल में पटसन मजदूरों की हड़ताल के सम्बन्ध में चर्चा—	Discussion Re. Jute Workers' strike in West Bengal—	
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta . .	204–206
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya	206–208
श्री हारी सिंह	Shri Hari Singh .	208
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa . .	208–209
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Parvathi Krishnan	210
श्री समर गुह	Shri Samar Guha . .	210–211
श्री राम सिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai .	211–212
श्री हुकुम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	212
श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी	Shri Priya Ranjan Das Munshi . .	212–213
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee .	213
प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D. P. Chattopadhyaya	213–215
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy .	215–216
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee —	
51 वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत किया गया ।	Fifty First Report—presented.	216

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 20 फरवरी, 1975/1 फाल्गुन, 1896 (शक)
Thursday, February 20, 197/Phalguna 1, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कोंकण स्टीमर यात्री सेवा के किराये में वृद्धि

*42. **श्री मधु दण्डवते** : क्या नौवहन और परिवहन में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब से कोंकण स्टीमर यात्री सेवा का राष्ट्रीयकरण किया गया है तब से उसके किराय में कुल 120 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोंकण के पिछड़े क्षेत्र के विभिन्न संगठनों द्वारा कियायों में कमी करने की निरन्तर मांग की जाती रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क), (ख) और (ग) मुगल लाईन लिमिटेड ने कोंकण यात्री सेवा नवम्बर, 1973 में यह समझकर अपने हाथ में लेने के बाद "न हानि व लाभ" के आधार पर चलाई जायगी, यात्री भाड़ में लगभग 120% की वृद्धि की गई है। इसका मुख्य कारण इस सेवा के परिचालन पर वास्तविक घाट को कम करने की आवश्यकता थी। यात्री भाड़े में वृद्धि करके भी सेवा में हुई घाटे को पुरी तरह से दूर करने की संभावना नहीं है। यात्री भाड़े को कम करने के लिये कोंकण परिषद् द्वारा नवम्बर, 1974 में मांग की गई थी। इस मांग पर विचार करने के लिय सभी सम्बन्धित पहलुओं को ध्यान में रखना होगा।

श्री मधु दण्डवते : मुझे आशा है कि नये मंत्री महोदय सोच समझ कर अच्छा उत्तर देंगे। ऐसा मेरा प्रथम पूरक प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि मैसर्स कोंकण यात्री सेवा मैसर्स चौगुले स्टीमशिप कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चलाई जा रही थी और इस कम्पनी द्वारा स्टीमर भाड़े में 42 प्रतिशत की वृद्धि करने की मांग की गई जब कि सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति 20 प्रतिशत वृद्धि देने को तैयार थी और क्या सरकार के मैसर्स चौगुले स्टीमशिप कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड को 42 प्रतिशत की वृद्धि की मांग के लिए राजी न होने के कारण

2—1 L.S.S/75

की सरकार को इसे अपने हाथ में लेकर मुगल लाइन सेवा को देना पड़ा ? इस सन्दर्भ में क्या राष्ट्रीयकरण के बाद भाड़े में 120 प्रतिशत की वृद्धि न्यायोचित है ? क्या कोंकण के पिछड़े क्षेत्र की जनता की भाड़ा कम करने की निरन्तर और पुरजोर मांग को स्वीकार कर लिया जायेगा और भाड़े घटा दिये जायेंगे ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : यह ठीक है कि चौगुले द्वारा की गई मांग और तब से बढ़ाये गये किराये की प्रतिशतता के बीच समय का लम्बा अन्तराल है। चौगुले द्वारा जुलाई 1972 में भाड़े में वद्धि करने की मांग की गई थी। मुगल लाईन द्वारा नवम्बर 1973 में से सेवा अपने हाथ में ली गई जिसका तात्पर्य है कि व्यावहारिक रूप से डेढ़ वर्ष बाद और इस दौरान में सेवा चलाने की लागत में और वृद्धि हो गई। जब मुगल लाइन द्वारा यह सेवा अपने हाथ में ली गई थी तो उस समय उन्होंने भी सेवा में 39 प्रतिशत की वृद्धि करने की मांग की थी परन्तु सरकार द्वारा नवम्बर 1973 में ही केवल 31 प्रतिशत की वृद्धि की मंजूरी दी गई। माननीय सदस्य को यह जानने में दिलचस्पी होगी कि तब से प्रति जहाज पर प्रतिदिन खर्च होने वाले ईंधन के मूल्य में काफ़ी वृद्धि हो गई है। मई 1973 में यह लागत 3,462 रुपये प्रतिदिन थी और नवम्बर 1973 में यह बढ़ कर 5,493 रुपये प्रतिदिन प्रति जहाज और नवम्बर 1974 में यह 8,183 रूपये प्रति जहाज प्रतिदिन हो गई। भाड़े की इस वृद्धि का मुख्य कारण ईंधन के मूल्य में हुई वृद्धि ही है। अन्य वस्तुओं के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है परन्तु भाड़े की वृद्धि का मुख्य कारण ईंधन के मूल्य में हुई वृद्धि ही है। अतः यह सब कुछ अवधि में ही हुआ है।

श्री मधु दण्डवते : अपने मूल लिखित उतर में तो मंत्री महोदय ने "न हानि व लाभ" के सिद्धान्त का उल्लेख किया है। अतः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि "न हानि व लाभ" के सिद्धान्त को गलत ढंग से लागू किया गया है क्योंकि लाभ निकालते समय आपने यात्री सेवा से होने वाली हानि को, माल-वाहक सेवा से होने वाले लाभ से अलग कर दिया है और ऐसा मुगल लाईन और नौवहन निगम दोनों के मामलों में ही किया गया है। मुझे मालूम है क्यों कि एक प्रश्न के उत्तर में मुझ यह आंकड़ दिय गये थे। अतः एक प्रकार से आपने सतही तौर पर हानि दिखा कर, भाड़ में की गई 120 प्रतिशत की वृद्धि को न्यायोचित ठहराया है। मैं यह भी जानना चाहता हूं यद्यपि ईंधन के मूल्य में वृद्धि हो गई है तो भी क्या यह सच नहीं है कि अन्दमान और निकोबार के पिछड़े क्षेत्रोंमें, स्टीमर सेवा उपलब्ध करवाने समय, लाभ को नहीं अपितु राज्य के कल्याण के पहलू को दृष्टिगत रखा जाता है और इसीलिए वहां बिना भाड़े में वृद्धि किये सरकार ने स्टीमर सेवा जारी रखी हुई है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कल्याण सम्बन्धी इस सिद्धांत को कोंकण स्टीमर सेवा के बारे में भी लागू किया जायगा क्योंकि कोंकण भी पिछड़ा क्षेत्र है और वहां रेल सेवा उपलब्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो काफी लम्बा प्रश्न है।

श्री मधु दण्डवते : समस्या भी काफी बड़ी है। इसलिए, संक्षेप में, मैं केवल यह जानना चाहता हूं जिस प्रकार अण्डमान और निकोबार के पिछड़े क्षेत्रों के बारे में, व्यय और लाभ के पहलू की अपेक्षा, आपने कल्याण के पहलू को अधिक महत्व दिया है, उसी प्रकार क्या यह सिद्धान्त कोंकण के पिछड़े क्षेत्रों, जहां रेल सेवा नहीं है, पर भी लागू किया जायेगा और भाड़ों में हुई अत्यधिक वृद्धि को कम किया जायेगा।

श्री एच० एम० त्रिवेदी : जहां तक किसी वाणिज्यिक नौवहन संस्थान का सम्बन्ध है उसके बारे में यह एक स्वीकृत लेखा सिद्धान्त है कि निगम द्वारा चलाई जा रही प्रत्येक सेवा के लिए अलग अलग लेखे तैयार किये जाये। उस सीमा तक तो यह ठीक ही है कि

कोंकण यात्री सेवा के सम्बन्ध में मुगल लाईन लिमिटेड द्वारा अलग अलग लेखे तयार किये जाए और हानि को उस सेवा में शामिल कर लिया जाये। माननीय सदस्य को यह जानने में भी दिलचस्पी होगी कि मुगल लाईन्ज़ द्वारा चलाई जा रही इज यात्री सेवा नामक सेवा में भी हानि हो रही है। यह ठीक है कि वर्ष 1973-74 तक मालवाहक सेवाओं में लाभ हुआ है परन्तु यह लाभ भी अब कम हो जाने की संभावना है क्योंकि माल भाड़े में कमी के कारण भाड़े के मूल्य कम हो रहे है। अतः अब हमारे समक्ष ऐसा समय है जबकि हमें वास्तव में मुगल लाईन सेवा की समग्र कार्यकरण को दृष्टिगत रखना पड़ेगा। कोंकण यात्री सेवा में हुये घाटे का अनुमान देने के लिये मैं बताना चाहता हूं कि मुगल लाइन्स और कोंकण सेवा में हुये घाटे का समायोजन करके वर्ष 1973-74 में मुगल लाइन्स की औसत लाभ 90 लाख हुआ और अब इसमें कमी होने की सम्भावना है। अक्तूबर-नवम्बर, 1973 से मई, 1974 में अनुमानित हानि 21 लाख रुपये हुई तथा सितम्बर, 1974 से मई, 1975 के बीच लगभग 31 लाख रुपये हानि होने की संभावना है इस प्रकार कुल घाटा 52 लाख रुपये है। इसी संदर्भ में दिसम्बर, 1973 से यात्री किराये में 60 प्रतिशत वृद्धि करने की स्वीकृति देनी पड़ी।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने अंदमान और निकोबार सेवाओं के बारे में एक आवश्यक प्रश्न पूछा था।

श्री एच० एम० त्रिवेदी : यह सच है कि अंदमान और निकोबार सेवा चलाने वाले भारतीय नौवहन निगम को उस सेवा में घाटा होता है लेकिन अब तक घाटे को पूरा करने के लिये सेवाओं को युक्ति संगत बनाने और यात्री सेवा तथा माल सेवा में घाटे को कम करने के लिये किराये का समायोजन करने के लिये बातचीत चल रही है।

श्री मधु दण्डवते : मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि यदि हमें सदन में न्याय न मिला तो कोंकण समुद्र-तट पर व्यापक आन्दोलन छिड़ जायेगा।

श्री पी० आर० शिनाय : क्या यह सच है कि इस समय देश में एक भी स्टीमर यात्री सेवा लाभ पर नहीं चल रही है? चुंकि समुद्रतटीय नौवहन कम्पनियों का होना आवश्यक है, क्या सरकार इन कम्पनियों को चलते रहने देने के लिए अधिक राजसहायता देगी ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : यह सच है कि यात्री सेवाएं लाभ नहीं कमा रही हैं। देश में दो ही मुख्य यात्री सेवाएं हैं--कोंकण सेवा और हज यात्री सेवा। जहां तक राजसहायता का सम्बन्ध है, मुझे यह समझ नहीं आता कि मुगल लाइन्स जैसी वाणिज्यिक सार्वजनिक उपक्रम घाटे पर कैसे चल सकता है।

Shri Jagannathrao Joshi : Mr. Speaker, Sir, at the time when Konkan Steamer Service was being operated by Chowgule Limited, it had demanded 39 per cent increase in the Steamer fares but Bhave Commission had recommended 20 per cent increase. That is why Government took over the Company and increased the fare by 30 per cent and till now it has been increased by 130 percent. In such a situtation, how can we support the contention that it has been increased due to increase in the price of oil or due to mismanagement ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : इंधन लागत में मई, 1973 से दिसम्बर, 1974 के बीच हुई वद्धि के बारे में बताते हुये मैंने पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

World Hindi Convention At Nagpur

*43. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of the delegates, and the names of the countries they belonged to, who visited India to participate in the World Hindi Convention organised in Nagpur during January, 1975;

(b) whether the delegates from various countries to the World Hindi Convention at Nagpur demanded that India should take initiative to get a place for Hindi in the UNO; and

(c) if so, the reaction of the Government of India in this regard?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) विश्व हिन्दी सम्मेलन में भाग लेने के लिये 30 देशों से 75 प्रतिनिधि भारत आये। देशों की सूची की मेज़ पर रख दी गई है।

(ख) और (ग) हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की अधिकारिक भाषाओं में स्वीकृत करने का एक प्रस्ताव सम्मेलन द्वारा करतल ध्वनि से पारित हुआ। सरकार इस बात को स्वागत योग्य मानती है। इस विषय पर सदन में जो भाव व्यक्त किये गये हैं उन पर भी सरकार ने ध्यान दिया है। तदनुसार न्यूयार्क स्थित अपने स्थायी प्रतिनिधि को अन्य प्रतिनिधि मण्डलों से सम्पर्क स्थापित करने के लिये निर्देश दिये गये हैं। उनकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर तथा संभावनाओं का जायज़ा लेकर यथावश्यक, आगे की कार्रवाई की जायेगी।

विवरण

विश्व हिन्दी सम्मेलन, नागपुर में भाग लेने वाले देश

1. बंगला देश
2. बेल्जियम
3. बर्मा
4. कनाडा
5. चकोस्लोवाकिया
6. डेनमार्क
7. फिजी
8. फ्राँस
9. जर्मन जनवादी गणतंत्र
10. जर्मन संघीय गणराज्य
11. गुयाना
12. हंगरी
13. ईरान
14. इटाली
15. जपान
16. श्रीलंका
17. मारिशस
18. मंगोलिया
19. नीदर लैण्डस
20. पोलैंड
21. स्वीडन
22. थाईलैंड
23. त्रिनिडाड
24. यू० के०
25. अमरीका
26. सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ
27. युगोस्लाविया
28. दक्षिण अफ्रीका
29. सुरीनाम
30. नेपाल

Shrimati T. Lakshmi Kanthamma : Mr. Speaker, Sir, at least this question should have been replied in Hindi.

Shri Shankar Dayal Singh : It is evident from the reply of the hon. Minister that 75 representatives of 30 countries participated in the World Hindi Conference. According to newspapers the number of representatives was more than 200. However, I agree with the number stated in the reply. I would like to know whether assistance would be sought from the countries, whose representatives were present at the World Hindi Conference held in Nagpur, because representatives of all those countries, where Hindi is spoken and understood, had demanded that India should take the lead for the acceptance of Hindi as one of the Official languages of the U.N.O. because Hindi is the third largest Spoken language in the World. I would like to know what initiative has been taken by the Government in this regard and whether assistance would be sought from those countries which are prepred to support the proposal for the acceptance of Hindi as one of the official languages of the U.N.O.

An hon. Member : The hon. Minister should reply in Hindi. He knows Hindi very well. He had made a speech in Urdu language in Hyderabad.

Shri Bipin Pal Das : Cerainly I can speak in Hindi but sometimes my pronounciation is wrong. However I shall try to speakin Hindi. Among all the delaegations, only Mauritius delegation was official and the rest were non-official. This Conference was also held on non-official basis. So, representatives, who attended the conference.did not have Government's authority, and their speeches did not represent their Governments.

We have asked our representatives at New York to talk with the represntatives of other countries. We shall take steps only after the report regarding response given by those countries is received.

Shri Shankar Dayal Singh : I did not say that the representatives came there on official basis. I had simply given the number of representatives who attended the Conference. Our Prime Minister inaugurated the conference and Prime Minister of Mauritius Shri Shiv Sagar Ram Gulam presided over the Conference. Three or Four cabinet Ministers were also present. The Chief Minister of Maharashtra Shri Naik was the Chairman of the reception Committee. 20 Members of Parliament had also gone and Shri R. S. Pandey must be one of them.

Dr. Karn Singh, who was present there as a Chief Guest, has sent me a slip just now which says that he was the first man who raised the demand for acceptance of Hindi in U.N.O. I would request him to ask one supplementary question as a Member.

I would like to know from the Government as to whom the letter was sent to our permanent represntatives in the U.N.O. and what wer e the contents of the letter? That letter should be read out here. Have the Government given them any dead-line for sending the reply? May I know whether the reply would be placed on the Table of the House for information of the Members?

Shri Bipin Pal Das : We have conveyed the views expressed by Members in the last session to our permanent representatives. This was done prior to World Hindi Conference. We have sent them proceedings of the House along with the report on World Hindi Conference held in Nagpur. We have not fixed any time limit for sending the reply. They shall certainly send us reply as soon as the assessment is over. I do not have copy of the letter sent to them.

Shri Shankar Dayal Singh : May I know wehether the representative, to whom the letter has been sent, knows Hindi or not?

Shri Bipin Pal Das : We have sent it to our representative.

Shri Shankar Dayal Singh : That is what I am asking, whether the representative, to whom the letter has been sent, knows Hindi or not?

Shri Atal Bihari Vajpayee : After making the Hindi language as National language of India, we absolved ourselves of the responsibility of makin g it an official languguage. Now it seems to me that by asking U.N.O. to include Hindi as one of the official languages, we want to withdraw from our responsibility of according Hindi its peroper place in India. May I know whether we have advised our embassies in foreign Countries to negotiate with the respective countries for acceptance of Hindi as one of the languages in U.N.O. May I know whether efforts would be made to solicit Cooperation from Mauritius, Nepal and such other countries where Hindi is spoken by large number of people, so that usage of Hindi can be promoted?

Shri Bipin Pal Das : We have certainly issued instructions regardind use of Hindi, but it is not esesential that whole of the work should be done in Hindi. It should be used as far as possible.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, my question was not that. I know to what extent Hindi is being used in our embassies. By discussing it here, I do not want to mutilate my question. Representatives from the world were speaking in Hindi and they taunted us after seeing the domain of English language in India. I had asked whether our embassies in foreign countries would make efforts to negotiate with the respective countries.

Shri Bipin Pal Das : This is in our mind. As soon as assessment is received from New York, we shall make efforts in every Capital.

Shrimati T. Lakshmi Kanthamma : The hon. Deputy Ministre has told us about official or non-official character of the convention. It is not right because Soviet Union is staunch supporter of Hindi. When the Indians to go Soviet Union they speak in English and Soviet Union dislikes it. In my view Government has not taken sufficient steps in the past for the recognition of Hindi in the last U.N.O. Keeping in view the fact that representatives from respective countries have supported the proposal asking for the acceptance of Hindi in the U.N.O. whether adequate steps will be taken by the Government in this regard?

Shri Bipin Pal Das : We have given instructions to our representative at New York to make an assessment on that basis of that assessment we will take steps.

Shri Ram Sahai Pandey : World Hindi Conference, which was in Nagpur, was an historical event and we welcome it. Perhaps this conference was first of its type which was held at International level, and represntatives of 30 Countries participated, out of which 50 per cent belonged to Europe. They spoke in Chaste Hindi and said that representatives of 30 countries should take inspiration from Churchil, who desired for setting up of a forum for English language and Constiture a forum for Hindi language alse for stabilisation of the language.

Shrimati Kala Jagmohan of Surinam Stated in the World Hindi Conference that had our ancentors not taken book of Ramayana with them, Indian culture would have perished there. While saying so tears rolled on in her eyes. We have supported the proposal for acceptance of Hindi as one of the official languages of the U.N.O. When Germany, France, U.K. and Soviet Union are with us, shall we take this matter seriously and make more and more efforts for acceptance of Hindi in the U.N.O.?

श्री बिपिन पाल दास : यह मामला मैं सरकारी आधार के स्थान पर गैर-सरकारी आधार पर आगे बढ़ाए तो ज्यादा बेहतर होगा ।

Shri S. M. Banerjee : Mr. Speaker, Sir, the reply given by the hon. Minister is not satisfactory, because he says that representatives came there on non-official basis and not on official basis. Is it a fact that our representatives make their speeches in the General Assembly of U.N.O. in the English language even if it may be wrong? It gives an impression that educated peeple speak only in English. It is a slur on us. If our representatives start making speeches in Hindi, it can be accepted as one of the official languages in the U.N.O. Would the hon. Minister give an assurance that in future delegation will consist of Hindi knowing representatives and in U.N.O. also speeches will be make in Hindi for the promotion of Hindi language?

Shri Bipin Pal Das : As far as I know speeches are made in the language which has been accepted in U.N.O.

Hindi language has not been accepted yet, so, speeches cannot be made in it. When Hindi is accepted as official language of the U.N., speeches could be delivered in it..

Shri Bhagwat Jha Azad : May I know whether it is a fact that the language which has been recognised last by U.N. *i.e.*, Arabic language, is spoken ony by 10 crores people. Was it also a fact that the first three languages of the world, Chinese, English and Hindi are spoken by the maximum people of the world and two out of these three has been recognised? If so there should not be any difficulty in recognising Hindi as official language of U.N. and whether our Government have any knowledge about the ideas expressed by the representatives of the various countries especially representatives from U.S.S.R. in the World Hindi Convention and whether their views were not the same as of their respective Governments ? May I know whether they were representing their countries as Government representatives or as private representatives? How our Prime Minister and Mr. Karan Singh were representing in that Convention? Were they Government representatives or private representatives? I want to know whether the Hon. Minister is enhancing or reducing the importance of this convention by saying that they were not Government representatives? Now on the basis of the figures and the assurances given by the representatives from Soviat Union Fiji and Mauritius, what is the difficulty in getting Hindi recognised in U.N.O. These a ll are of the view that Hindi should immediately be recognised by U.N.O.

Shri Bipin Pal Das : I want to make it clear, firstly, recognition to any language is not given on the plea that that language is spoken by a large number of people. Acceptance to any language is given on the basis that how many countries out of total member states use that language. So it should be kept in mind.

Shri Bhagwat Jha Azad : You are wrong. I want to know whether the Hon. ministe knows that Chiense language is spoken by only one country?

श्री बिपिन पाल दास : मुझे पूरा उत्तर देने दीजिए। मैं कभी भी गलत वक्तव्य नहीं देता।

श्री भागवत झा आजाद : आप कहते हैं कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसी विशेष भाषा को बोलने वाले कितने देश हैं। चीनी भाषा केवल एक ही देश द्वारा बोली जाती है। फिर चीनी भाषा को मान्यता क्यों दी गई है?

श्री बिपिन पाल दास : राष्ट्र संघ द्वारा किसी भाषा को मान्यता देने के लिए प्रक्रिया नियमों में संशोधन करना होता है और प्रक्रिया नियमों में संशोधन करवाने के लिए राष्ट्रसंघ के सदस्यों का बहुमत उसके पक्ष में होना आवश्यक है। अतः कम से कम 70 सदस्यों को हमारे पक्ष में अपना मत देना चाहिए।

चीनी भाषा बहुत पहले ही ऐतिहासिक कारणों से स्वीकृत कर ली गई थी न कि बाद में। अतः हमारी मांग के समर्थन में कम से कम 70 सदस्य देशों का मत होना चाहिए। आज कल राष्ट्र संघ में 138 सदस्य हैं। अतः कम से कम 70 सदस्य देशों का हम समर्थन मिलना चाहिए यही मेरा कहने का मतलब था न कि यह कि ऐसा हिन्दी बोलने वाले लोगों को संख्या पर निर्भर करता है।

जब मैंने यह कहा कि नागपुर सम्मेलन में गैर सरकारी आधार पर बाहर से 30 प्रतिनिधि मंडल थे तो मेरा ध्येय केवल अभिप्राय उन्हीं के बारे में था जो बाहर से आये थे। मारिशस के सिवाय शेष सभी गैर-सरकारी आधार पर थे।

श्री भागवत झा आजाद : इस तरह् आप किस बात पर बल देना चाहते हैं ?

श्री बिपिन पाल दास : मैंने तो केवल तथ्य सामने रखे हैं।

श्री भागवत झा आजाद : तथ्य नहीं। इससे आपके रवैये का पता चलता है।

श्री बिपिन पाल दास : मुख्य बात यह है कि नागपुर सम्मेलन से पहले भी इस मंत्रालय तथा सरकार ने सभा में व्यक्त की गई भावनाओं को ध्यान में रखकर सदस्य देशों की राय जानने के लिए कदम उठाये थे। हमने ठोस कदम उठाये हैं। किन्तु जब तक हमें 70 सदस्य देशों का समर्थन नहीं मिलता तब तक हम इस कार्य में सफल नहीं हो पायेंगे और यदि हम असफल रहते हैं तो इससे हमारे सम्मान पर ठेस लगती है।

Shri Bhagwat Jha Azad : I have been there thrise so, I know the rules.

Shri Sharad Yadao : Mr. Speaker, the talk is going on about the Hindi Convention. I haid from a Hindi speaiking tate. Hindi is my mother tongue, but in your secretariat every thing is done in English. Notices are issued in English. It shows that no imporance is being given to Hindi language. There should be a rule that the different papers to the members should be issued in his mother tongue. These papers should not be issued in English. I belong to Hindi speaking state and so all the papers to be issued to me should be in Hindi.

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : यह कार्य लोक सभा सचिवालय का है न कि विदेश मंत्री का।

Mr. Speaker : You ask about the question under discussion.

Shri Sharad Yadao : Do not issue any paper to me in English.

Shri Jagannath Mishra : Mr. speaker, the World Hindi Convtntion, which was held in Nagpur was cent-per cent successful. So I want to know from the Hon. Minister whether Government of India have prepared any programme or Scheme to implement the decisions taken in the Hindi Convention?

श्री बिपिन पाल दास : मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया।

Shri Jagannath Mishra : Some factual decisions were taken in Nagpur Hindi Convention. I want to know from the Hon. Ministers as to what Scheme they have formulated to implement those decisions.

Shri Bipin Pal Das : So far as Ministry of External Affairs is concerned,

वहां जो प्रस्ताव पास हुआ है हम उसका स्वागत करते हैं और न्यूयार्क में हमने अपने स्थायी प्रतिनिधि को अनुदेश दिया है कि वह स्थिति का मूल्यांकन करे।

Shri Priya Ranjan Das Munshi : Mr. speaker I want to know from the Hon. Minister as to whether it is a fact that when the issue to give recognition to Bangla Desh in United Nations ? Organisation was taken up, their demand to use Bangla language in U.N. was also accepted ? My Second question is whether it is necessary for the Heads of the Indian Missions abroad to have Hindi knowledge; if not whether a Hindi paper would be made compulsory in I.F.S. examination by the commission?

Shri Bipin Pal Das : Those who are working in Embassies, should have knowledge of Hindi and those who have not such knowledge, are given special training to learn this language.

So far as recognition to Bangla language in U.N.O. is concerned, we do not know whether this language has been accepted or not.

Mr. Speaker : This question has taken so much time.

Shri Krishan Chandra Halder : I want to know from the Hon. Minister as to how many times attempts have been made by India to get Hindi language recognised in U.N.O. before the World Hindi Convention was held at Nagpur and whether some positive steps have been taken by the Government for the recognition of Hindi after the proposal passed in that convention. I want a categorical reply to this question from the minister.

Shri Bipin Pal Das : I have already replied to this question. During the winter Session of this house, we noted the sentiments of the Hon. members and on the 8th January, we despatched this letter. We took this step before the Nagpur Convention and when the response to this is received, we will take other steps.

Mr. Speaker : I request the Hindi loving members that much time has been spent on this question and so let us take up another question. We appreciate your love for Hindi. Next question, Shri Vasant Sathe.

डा० डोरेस द्वारा प्लेग के खतरे की चेतावनी

*44. **श्री वसंत साठे :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन को प्लेग संबंधी विशेषज्ञ समिति के सदस्य डा० पी० जे० डोरेस ने मेंढक की टांगों के निर्यात के विरुद्ध चेतावनी दी है क्योंकि इससे अधिक कीटनाशी दवाइयों का आयात होगा और दूषण और बढ़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या डा० डोरेस की चेतावनी के अनुसार बम्बई के नगरीय क्षेत्र को प्लेग का खतरा है ; और

(घ) बढ़ते नगरीयकरण और स्वास्थ्य को खतरे में निहित खतरे का निराकरण करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख), (ग) और (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

समाचार पत्र की खबरों के अनुसार डा0 पी० जे० डोरेस ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस में दिए गये अपने अभिभाषण में इस प्रकार कहा बताते हैं कि :—

> (क) मैंढक कीडों को खाते हैं और यदि उनको टांगों का निर्यात बढाने के लिए उन्हें मार दिया जाए तो कीटनाशक दवाइयों का अधिक आयात करना पड़ेगा जिसके फलस्वरूप दूषण और बढेगा; और
>
> (ख) बम्बई के तीव्र नगरीकरण के कारण शहर में खेती में पैदा होने वाले चूहों की प्रतिशतता में वृद्धि हो गई है जिसके फलस्वरूप प्लेग फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है।

2. कीडों की रोकथाम करने में मेंढक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस बातका अभी तक कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जन्तु कीडों को खा जाते हैं इसलिए उनकी रोकथाम होती रहती है। मेंढकों में भी केवल उनकी कुछ विशेष जातियों की टांगों का

ही निर्यात किया जाता है। अतः मेंढकों की कमी को पूरा करने के लिए कीटनाशी दवाइयों के अधिक आयात करने का प्रश्न नहीं उठता।

3. बम्बई में प्लेग के फैलने का कोई खतरा नहीं है। डा० डोरेस की इस आशंका को कि बम्बई में खेतों में पाये जाने वाले चूहों की वृद्धि 45 प्रतिशत तक बढ़ गई है, इसकी पुष्टि का कोई प्रमान नहीं है। बम्बई नगर निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1971-73 में बेंडीकोटा बेंगलसिस की वार्षिक प्रतिशतता 39.92 थी जबकि वर्ष 1966-69 में यह 44.31 थी। महाराष्ट्र सरकार और हैफकिन संस्थान, बम्बई के अधीन एक प्लेग नियंत्रण सेल बम्बई क्षेत्र में प्लेग के सारम विज्ञान संबंधी वार्षिक निगरानी कार्य करता है। इसके अलावा नगर निगम प्राधिकरण भी चूहों के मारने के लिए अभियान चलाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि 1952 के बाद देश में प्लेग होने के किसी भी मामले की सूचना नहीं मिली है।

श्री वसंत साठे : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अकेले बम्बई शहर में चूहों की संख्या में 1 प्रतिशत से बढ़कर 45 प्रतिशत की वृद्धि के कारण जो समस्या उत्पन्न हो गई है क्या सरकार उसकी गंभीरता के प्रति सजग है ? प्लेग फैलाने में चूहों का ही मुख्य हाथ रहता है क्योंकि वे खेतों से आते हैं। हमें पता है कि मलेरिया फिर जोर पकड़ रहा है। किन्तु यदि बम्बई जैसे शहर में प्लेग फैल जाये तो इस बात की कल्पना की जा सकती है कि इससे कितना विनाश होगा। इसके अतिरिक्त एक भारतीय वैज्ञानिक डा० डोरेस ने जो विश्व स्वास्थ्य संगठन विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी हैं, भी चेतावनी दी है कि विदेशियों को खाने के लिए मेंढ़कों की टांगों का निर्यात करने से हमारे खेतों को क्षति पहुंच रही है क्योंकि धान की फसलों के लिए मेंढ़क उपयोगी होते हैं। वे धान के खेतों में कीड़े मकोड़ों को मार देते हैं। उन्होंने नदियों में डाले जाने वाले पारे से उत्पन्न प्रदूषण के बारे में भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में यमुना नहाने और मछली पकड़ने के योग्य न रहेगी। और यदि मथुरा शोधनशाला का निर्माण हो गया तो इससे ताजमहल नष्ट हो जायेगा और यह काला पड़ जायेगा।

अतः मेरा यही प्रश्न है। यह सही है कि अस्थायी लाभ के लिए हम नदियों में तथा पृथ्वी पर तथा वातावरण में प्रदूषण पैदा करके पृथ्वी की शक्ति को स्थायी रूप से हानि पहुंचा रहे हैं ? साथ ही यमुना नदी में प्रदूषण करके ताजमहल जैसे स्मारक को क्षति पहुंचा रहे हैं।

डा० कर्ण सिंह : इस प्रश्न में तीन विभिन्न समस्याएं अन्तर्ग्रस्त हैं। एक का संबंध चूहों से, दूसरे का सम्बन्ध मेंढ़कों से तथा तीसरे का सम्बन्ध सामान्य वातावरण तथा प्रदूषण से है। जहां तक चूहों का सम्बन्ध है प्लेग होने की कोई सूचना नहीं मिली है। सौभाग्य से 1952 से महाराष्ट्र सरकार तथा हैफकिन संस्थान, बम्बई में एक प्लेग नियंत्रण सेल चला रही है। यह संस्थान प्लेग-निरोधी टीके का विकास करता है। वे स्थिति पर पूर्ण निगरानी रखता है।

डा० डोरेस के वक्तव्य के पश्चात् हैफकिन संस्थान की कई बैठकें हुई और हमें बताया गया कि प्लेग का कोई खतरा नहीं है। इसके अतिरिक्त हम बम्बई में इस पर पूरी निगरानी रख रहे हैं। कर्नाटक के कोलार क्षेत्र में भी इस पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इस समस्या पर निगरानी रखने के लिए वहां एक विशेष एकक है।

दूसरी बात डा० डोरेस ने मेंढ़कों की टांगों के निर्यात के बारे में कही। इसका अर्थ यह है कि मेंढ़कों को मारा जा रहा है। मेंढ़क कुछ कीड़े-मकोड़ों को खा लेते हैं जिससे परिस्थिति विज्ञान में संतुलन बना रहता है। इस और ध्यान दिया जा रहा है। हमारी

रिपोर्टों के अनुसार मेंढ़कों की टांगों के निर्यात से परिस्थिति विज्ञान का संतुलन नहीं बिगड़ रहा है। फिर भी इस मामले पर नियंत्रण रखना होगा।

श्रीमान जी, मुझे हर्ष है कि माननीय सदस्य ने वातावरण सम्बन्धी प्रदूषण के व्यापक प्रश्न को उठाया है। यह एक ऐसा मामला है जिसका हम सबसे गहरा सम्बन्ध है। हाल ही में मैं मानव वातावरण सम्बन्धी महान अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्टाकहोल्म गया था। मैं भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष भी हूं। मैं इस बारे में पूरी तरह जानता हूं कि देश में औद्योगिकीकरण, शहरीकरण तथा वन काटने से कई परिवर्तन आ जाते हैं और इनसे परिस्थिति विज्ञान संतुलन में कुप्रभाव पड़ता है। सरकार ने वातावरण आयोजन के लिए एक राष्ट्रीय समिति की स्थापना की है और अन्य निकाय भी इसकी जांच कर रहे हैं। फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि यह समस्या नियंत्रण में केवल तभी आ सकती है जबकि सरकार, राज्य सरकार तथा जनता में यह जागरूकता हो कि वातावरण को बिगाड़ना और प्रकृति के नाजुक संतुलन को अस्तव्यस्त करना बहुत आसान है किन्तु उसे सुधारना अत्यधिक कठिन है।

मथुरा शोधनशाला की बात समय-समय पर उठाई जाती है। यह सच है कि वातावरण विदों ने इसके बारे में चेतावनी दी है। किसी निर्णय पर पहुंचते समय सभी मामलों को ध्यान में रखा गया है। मैं नहीं समझता कि यमुना नदी इतनी प्रदूषित हो जायेगी जितनी माननीय सदस्य ने बताई है किन्तु इसमें संदेह नहीं है कि जहां कहीं शोधनशालाएं और बड़ी-बड़ी मिलें स्थापित की गई हैं वहां, वातावरण में कुछ अव्यवस्था फैली है। ताजमहल के अतिरिक्त मथुरा स्वयं एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। अतः अंतिम निर्णय लेते हुए इन सब बातों को ध्यान में रखा जायेगा।

श्री वसंत साठे : डा० डोरेस ने स्पष्ट रूप से कहा :—

> "कि कीटनाशी दवाइयां न केवल जन्तुओं को ही मारती है अपितु जमीन के कीड़े मकोड़ों को भी मार देती है, जो कि भूमि के लिए उर्वरक कारखाने का काम करते हैं। भूमि के कीड़े मकोड़े एक एकड़ भूमि में 15 टन खाद-मिट्टी पैदा करते हैं जो कि एक बहुत ही बढ़िया खाद होती है। दुर्भाग्य से हम कीटनाशी दवाइयों का प्रयोग करते हैं जिससे जमीन के कीड़े मकोड़े मर जाते हैं . . ."

यदि गांधीजी ने ऐसे कहा था गांधीजी वास्तव में यह कहा करते थे तो आप इसे हास्यास्पद मान सकते थे किन्तु जब डा० डोरेस का यह कथन है तो फिर हमें इस महत्व-पूर्ण मामले पर विचार करना होगा।

डा० कर्ण सिंह : कीटनाशी दवाइयों का यह प्रश्न बड़ा रोचक है। जैसा कि आप जानते हैं पश्चिमी देशों में कीटनाशी दवाइयों के अधिकतम प्रयोग के कारण अब वे इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि इससे भूमि को बहुत हानि हुई है। मुझे पता नहीं कि रैकल कार्सन द्वारा लिखित पुस्तक "साइलेंट स्प्रिंग" कितने माननीय सदस्यों ने पढ़ी है। इसमें लेखिका ने बताया है कि अमरिका में अब ऐसे क्षेत्र हैं जहां कोई पक्षी नजर नहीं आते क्योंकि कीड़-मकोड़े मारे जा रहे हैं। यहां कठिनाई यह है कि खाद्यान्नों के उत्पा-दन में वृद्धि करना बहुत महत्वपूर्ण है।

कीटनाशक दवाइयों का हरित क्रान्ति और लोगों के पोषण में थोड़े समय के लिए तो काफ़ी महत्व है। तथापि इसमें कुछ खतरे भी हैं। यद्यपि यह मामला कृषि मंत्रालय के क्षेत्रा-धिकार में है फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि हम इसमें संतुलन लाना चाहेंगे। एक ओर हम इन दवाइयों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते क्योंकि इनके बिना कृषि उत्पादन

संभव नहीं है । साथ ही कीटनाशी पर्यावरण प्रदूषण सलाहकार समिति और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद इस मामले पर विचार कर रहे हैं । पर्यावरण संबंधी ये पहलू और मूल्य हमारे आयोजन में आरंभ में ही समाविष्ट करने होंगे ताकि पश्चिमी विकास से स्पष्ट त्रुटियों में से कुछ को तो हम दूर कर सकें ।

Shri Nar Singh Narain Pandey : It has been stated that the waters of Jamna River will get polluted when Mathura Refinery will start. I therefore want to know whether attention would be paid towards rural industrialisation instead of constructing big factories on river-banks in cities so as to avoid such a situation ?

Dr. Karan Singh : It is a major issue as to how and where to stop such industrial development. Water and power are essential for big industries. In view of health and pollution, I can only say that indsustries should not be located there as far as possible.

Regarding the question of marring the natural beauty, I am happy to say that the Goa Government agreed to our request not to set up a refinery on the beaches as it would have marred their beauty. It is a very big question and I also realise that it is very essential to pay attention thereto.

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know whether the Health Ministry is consulted before industries are set up in cities and on river-banks and whether the State Government have been directed to get prior advice of the Ministry before doing so ?

Dr. Karan Singh : There is no such practice at present. However, the Ministry of Industrial Development is concerned with Industrial Development and they are consulted not my Ministry.

Shri Hukam Chand Kachwai : Whether you have written to the State Governments to consult your Ministry in this regard ?

Dr. Karan Singh : That is not so. But there is definitely a point of view in the Planning Commission that environmental aspects must be kept in mind whenever big projects are set-up.

Shri M. Ram Gopal Reddy : May I know whether Government can not devise means to release factory effluents in rivers after cleaning it ?

Dr. Karan Singh : It is a good question. Special attention is now being paid towards anti-pollution technology and it is possible to separate polluting elements by recycling but it invoves increased expenditure. But if I am allowed to express my personal opinion the increase in the expenditure would be worthwhile for the country's future and it would be vital for people's health to adopt anti-pollution technology.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : खेद है कि उद्योग नगरों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थापित होने दिए गए हैं जिनका पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है । हमारा देश विशाल और लम्बा-चौड़ा है अतः प्राकृतिक सौंदर्य बिगाड़ने और लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करने का कोई कारण नहीं है । तो क्या उनका मंत्रालय कम से कम भविष्य में ध्यान रखेगा कि ऐसे उद्योग नगरीय क्षेत्रों में स्थापित न किए जाएं ? दूसरा प्रश्न गंदे जल का है और इसे शुद्ध करने को प्रविधि का काफी विकास हो चुका है । साथ ही विशेषकर बिजली उद्योग की चिमनियों से गिरने वाला राख, विशेषकर दिल्ली में और मेरे निर्वाचन क्षेत्र बेतूल में, से आसपास के लोगों के स्वास्थ्य को काफी खतरा है । अतः इस दूषित जल को शुद्ध करना क्यों न अनिवार्य बना दिया जाए ? अतः क्या कम से कम दिल्ली में क्या यह अनिवार्य बनाया जाएगा कि व्यय चाहे कितना भी हो राख समेटने वाले यंत्र लगाए जाएंगे । मानव जीवन से तो कुछ भी अधिक मूल्यवान नहीं है । यदि वह एसा

मानते हैं तो दूषित जल को शुद्ध करने और राख समेटने के यंत्र लगाना उन्हें अनिवार्य बना देना चाहिये ।

डा० कर्ण सिंह : पर्यावरण आयोजन संबंधी राष्ट्रीय समिति इस विचार से बनाई गई है और इसी मूल प्रश्न पर ऐसी परियोजनाओं की स्थापना पर सलाह भी ली जाती है । हमारा मंत्रालय भी इसमें कुछ सीमा तक संबंधित है । परन्तु, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का यह प्रश्न बहुत ही संगत है कि जहांतक नई परियोजनाओं का संबंध है, दूषित जल और धुएं तथा धूल आदि को शुद्ध किया जाना चाहिये जो हमारे नगरों को कुरूप बना रहे हैं ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : लगे हुए कारखाने क्यों नहीं ?

डा० कर्ण सिंह : व भी, जहांतक संभव हो । जहांतक स्वास्थ्य के पक्ष का संबंध है, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं ;

श्री नरेन्द्रकुमार साल्वे : मंत्री महोदय केवल शुभेच्छा ही क्यों व्यक्त कर रहे हैं । वह तो उन्हें ऐसा करने पर बाध्य भी कर सकते हैं ।

डा० कर्ण सिंह : खेद है मैं ऐसा नहीं कर सकता परन्तु मेरी सलाह और प्रभाव पर्यावरण संबंधी आयोजन और स्वास्थ्य नियंत्रण उपायों के पक्ष में ही होगा ।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें

*45. †**श्री वरके जार्ज :**

श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेज रफ्तार से मोटर गाड़ियां चलाने, यातायात नियमों का पालन न करने तथा ट्रक चालकों के जागरुक न रहने अथवा शराब पीकर गाड़ियां चलाने के कारण राजधानी में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग तीन व्यक्ति प्रतिदिन मर जाते हैं ;

(ख) यातायात पुलिस इन अभ्यस्त अपराधियों को पकड़ने में अब तक क्यों असफल रही है ; और

(ग) सरकार का विचार इस मामले में क्या कारगर कदम उठाने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क), (ख) तथा (ग) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) 1972, 1973 और 1974 के दौरान राजधानी में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 503, 474 और 482 थी ।

(ख) यातायात के नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने वाले गाड़ी चालकों और सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध दिल्ली यातायात पुलिस उचित कार्रवाई करती है । 1972, 1973 और 1974 वर्ष के दौरान ऐसे अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 1,70,201, 188,266 और 165,722 थी ।

(ग) इस बारे में दिल्ली प्रशासन निम्नलिखित उपाय करती रही/कर रही है :--

(1) केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा दिल्ली के यातायात और परिवहन का एक विस्तृत सर्वेक्षण किया गया। दिल्ली के लिए सड़कों और सड़क परिवहन क्षेत्रों से संबंधित पांचवीं योजना के निर्माण में, संस्थान की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है। यातायात की भीड़भाड़ को कम करने के लिए सड़कों को चौड़ा करने, सड़क कटावों में सुधार, फुटपाथों और साइकल मार्गों की व्यवस्था तथा पैदल चलने वालों के लिए ऊपरीगामी और ऊपरी पुलों के निर्माण जैसी कई योजनाएं चालू की गई हैं या उनके चालू करने का प्रस्ताव है।

(2) दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई अन्तखंडों पर स्वचल बिजली संकेतक और जलती बुझती रोशनी की व्यवस्था की गई है। 1972 से 1974 तक के तीन वर्षों के दौरान तैंतीस नये यातायात संकेतक और बहत्तर बालिकर लगाये गए तथा इस तरह कुल संकेतकों और बालिकरों की कुल संख्या क्रमश: 106 और 184 हो गई।

(3) व्याख्यानों और प्रदर्शनों द्वारा स्कूली बच्चों के सड़क सुरक्षा संबंधी हिदायतें दी जाती हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने कई स्कूलों में स्कूल सड़क सुरक्षा कोरों का भी संगठन किया है। इस प्रबन्ध के अन्तर्गत केडेटों को प्रारम्भिक यातायात नियंत्रण और सड़क सुरक्षा नियमों के पालन के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यातायात अधिकारी द्वारा विद्यार्थियों, अध्यापकों वाणिज्यिक और निजी गाड़ियों के चालकों और अन्य सड़क प्रयोक्ताओं को व्याख्यान दिये जाते हैं, ताकि उनमें सड़क सुरक्षा के लिए हिदायते जारी की जाएं। इसके अलावा, सार्वजनिक प्रसारण पद्धति द्वारा सड़क सुरक्षा संबंधी हिदायतें भी प्रसारित की जाती हैं। तखतों, सिनेमा, सलाइडों, चलचित्रों, दस्ती पुर्जी, पफ्लटों, कागजों और पोस्टरों जैसे सड़क सुरक्षा साहित्य के वितरण द्वारा भी सड़क सुरक्षा प्रचार किया जाता है। सड़क सुरक्षा के विभिन्न पक्षों पर सड़क प्रयोक्ताओं का ध्यान केन्द्रित करने हेतु यातायात पुलिस समय समय पर सड़क सुरक्षा सप्ताहों का आयोजन करती है। पिछली बार ऐसे सप्ताह का आयोजन अक्तूबर, 1974 में किया गया।

दिल्ली प्रशासन ने हाल ही में यातायात पुलिस के अन्तर्गत एक विशेष सड़क सुरक्षा शिक्षा और प्रचार सेल बनाने की स्वीकृति दी है। दृश्य श्रव्य साधनों द्वारा सड़क सुरक्षा शिक्षा प्रचार के लिए इस सेल में प्रशिक्षित लोग भर्ती किए जाएंगे। इसी प्रकार पुलिस की इस शाखा के आने जाने और संचार में सुधार लाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया है।

(4) यातायात के सुप्रवाह को सुनिश्चित करने हेतु और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को पकड़ने के लिए यातायात पुलिस अधिकारी अपने अपने इलाकों में मोटर साइकिलों पर गश्त करते रहते हैं। वे दुर्घटना स्थलों का भी निरीक्षण करते हैं और सड़क तथा सड़क कटावों में सुधार का भी सुझाव देते हैं। यातायात पुलिस विशेष छापे मार कर बहुत तेज चालन, रात को प्रकाश बिना चालन, लाइसेंस बिना चालन, गाड़ी खड़े करने में रुकावट पैदा करने, अंधाधुंध चालन आदि जसे गलत चालन के मामलों में दोषी व्यक्तियों का चालान करती है। इसके अलावा यातायात संबंधी अपराधियों का मौके पर ही फैसला करने के लिए तीन चलते फिरते न्यायालय कार्य कर रहे है।

(5) दिल्ली प्रशासन ने एक यातायात सलाहकार समिति का गठन किया है, जिसमें अध्यक्ष के रुप में उपायुक्त, दिल्ली यातायात पुलिस, नगर निगम, दिल्ली, नई

दिल्ली, नगर पालिका, सार्वजनिक निर्माण विभाग (दिल्ली प्रशासन) दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि और अन्य संबंधित एजेन्सियां शामिल की गई हैं। यातायात में सुधार हेतु प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए यह समिति महीने में एक बार बैठक करती है। चूंकि संबंधित एजेंसियों अधिकारियों को इस समिति में प्रतिनिधित्व दिया गया है, अतएव इससे विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वियन में समन्वय को सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है।

श्री वरके जार्ज : दुर्घटनाएं कम करने के लिय दिल्ली प्रशासन द्वारा उठाये जाने वाले कदमों की लम्बी सूची विवरण में दी गई है। दिल्ली में यातायात सम्बन्धी गंभीर स्थिति को देखते हुए क्या सरकार कम से कम भीड़-भाड़ के समय (पीक अवर्स) ट्रैफ़िक पुलिस की सहायता के लिए रक्षा सेना की सेवाएं प्राप्त करेगी ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : ट्रैफिक पुलीस की सहायता के लिए रक्षा सेनाओं की सेवाएं प्राप्त करने का कोई इरादा नहीं है। तथापि माननीय सदस्य के इस डर को दूर करने के लिए कि दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है, मैं बता दूं कि दिल्ली में 1972 में कुल 5143 दुर्घटनाएं हुई जो 1973 में घटकर और 1974 में 3756 हो गई। साथ ही अन्य आंकड़े भी उल्लेखनीय हैं। मशीनी वाहनों की संख्या में भी 234,000 से लगभग 306,000 तक की वृद्धि हुई है परन्तु दिल्ली में सड़क दुघटनाओं की प्रति एक हजार वाहन संख्या 1972 में 21.8 से घट कर 1973 में 18.1 और 1974 में 12.3 रह गई है। वास्तव में ट्रैफिक पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है।

श्री वरके जार्ज : क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में घायलों और मृतकों के संबंधियों द्वारा भेजे जानेवाले मुआवजा-दावों के भुगतान में बहुत कठिनाई होती है ? यदि हां, तो ये दावे शीघ्र निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ? मैं तीसरे पक्ष के दावों (थर्ड पार्टी क्लेमों) की बात कह रहा हूं।

श्री एच० एम० त्रिवेदी : जहां तक एसे दावों का संबंध है, अनिवार्य बीमें की व्यवस्था है।

श्री वरके जार्ज : इन्हीं दावों के निपटान में काफ़ी विलम्ब होता हैं।

श्री एच० एम० त्रिवेदी : मैं कठिनाइयां कानूनी मुद्दों, जैसे दुर्घटना के उत्तरदायी और उत्तराधिकारी आदिके के बारे में हो सकती है।

Shri Achal Singh : Whether the hon. Minister is aware that most of the accidents are caused due to drunkenness of drivers? If so, whether a provision would be made to prohibit such persons from drivining?

Smt. T. Laxmi Kantamma : This is very true that maximum member of accident occur due to drunkenness all over the World. Will Government therefore, reconsider to introduce prohibition?

श्री एच० एम० त्रिवदी : सरकार का विचार मोटर-गाड़ी अधिनियम में कतिपय संशोधन कर के शराब के नशे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के लिए जुर्माने की राशिं बढ़ाने का है।

श्री पी० जी० मावलंकर : जहां मैं मंत्री महोदय द्वारा दिए गए ब्यौरे की प्रशंसा करता हूं और यह भी समझता हूं कि यह समस्या काफ़ी बड़ी है, क्या मैं प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के संबंध पूछ सकता हूं कि ट्रैफिक पुलिस कुछ बहुत भयंकर दुर्घटनाओं में दोषियों

को पकड़ने में क्यों असफल रही है, विशेषकर अनिल चोपड़ा के मामले में जिनकी हाल में घातक दुर्घटना हुई थी जब वह स्कूटर पर जा रहे थे ? अब तक दिल्ली पुलिस और भारत सरकार दोषियों का पता नहीं लगा पाई है । क्या इसलिए कि दोषी लोग सरकार के ही अंग है और सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है ? दूसरे क्या बहुत से प्रत्यक्षदर्शी जो अच्छ गवाह कहे जा सकते हैं, गवाही देने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि कानूनी कार्यवाही में परेशानी और लम्बा विलम्ब अन्तर्ग्रस्त है ? मामले के इस पहलू पर सरकार क्या कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसे प्रश्नों के लिए तो सूचना साकार है ।

श्री एच० एम० त्रिवेदी : मुझे इसके लिए पृथक् सूचना चाहिये ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं आप से सहमत हूं, परन्तु वह घटना तो उदाहरण के रूप में बताई गई है, मैंने पूछा था कि प्रत्यक्षदशी लोगों के गवाही देने के लिए आगे आने में कठिनाई क्यों होती है ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : इसका मैं क्या उत्तर दे सकता हूं, कानूनी-प्रक्रिया से सभी विदित हैं ।

श्री पी० जी० मावलंकर : उसमें विलम्ब होते हैं और गवाहों को परेशान किया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : तर्क-वितर्क बेकार है । प्रश्नकाल समाप्त होता है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सीरपुर कागजनगर पुनर्वास परियोजना (आन्ध्र प्रदश) के शरणार्थियों की शिकायतें

*41. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें सीरपुर-कागजनगर पुनर्वास परियोजना, आन्ध्र प्रदश के एस्गोर्जं के शिविर संवासियों से वहां पर अमानवीय रहन-सहन की स्थितियों तथा राजसहायता के भुगतान न करने के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) इन शरणार्थियों की शिकायत दूर करने और उनकी रहन-सहन की स्थितियों को सुधारने के लिय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) इसागांव मार्गस्थ शिविर में रहने वालों से जनवरी, 1975 के मास में, नकद अनुदान के भुगतान में विलम्ब, सस्ते राशन में घटिया किस्म के चावल का दिया जाना, 1974 के वर्ष के लिए शिविर के कुछ लोगों को कपड़ों का न दिया जाना और अध्यापकों तथा डाक्टरों की स्कूलों और औषधालयों में अनियमित उपस्थिति के संबंध में एक शिकायत मिली थी ।

(ख) और (ग) :आन्ध्र प्रदेश सरकार को मामले की छानबीन करने तथा प्रवासियों की वास्तविक शिकायतो के निवारण के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया था ।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि दिसम्बर, 1974 के महीने की तीन किश्तों में से पहली किश्त का भुकतान जिसकी अदायगी 1-12-1974 से 3-12-1974 के बीच की जानी थी, दूसरी किश्त के साथ 12-12-1974 को कर दिया गया था। एसा कुछ औपचारिकताओं के पूरा करने में विलम्ब के कारण हुआ। सस्ते राशन में जो चावल दिया जाता है, उसे भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से लाया जाता है और इस संबंध में विक्रेता के विरुद्ध पहले कभी शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। फिर भी इस संबंध में कड़ी निगरानी रखने की हिदायतें जारी कर दी गई हैं। 180 परिवारों के अलावा, जिन्हें इस शिविर में सितम्बर/अक्तूबर, 1974 में भेजा गया था, सभी परिवारों को कपड़े दे दिए गए हैं। इन परिवारों को शिघ्र कपड़ देने की व्यवस्था की जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी, आदिलाबाद की देख रेख के अधीन स्कूल उचित रूप से चलाए जा रहे हैं। डाक्टर जो परियोजना में ही रहता है, नियमित रुप से औषधालय में भी जाता है और दिसम्बर, 1974 के दौरान उपचार किए गए रोगियों की दैनिक औसत 208 थी।

जालंधर-जहू मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग के लिये प्रस्ताव

***47. श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जालन्धर–होशियारपुर–अम्ब–हमीरपुर–भुरंज–जहू मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रस्ताव को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने की स्वीकृति मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में कितनी लागत आयेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इसको प्राथमिकता दी जायगी क्योंकि यह सड़क मुख्यत: उत्तरी पंजाब और हिमाचल प्रदश के पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में है तथा प्रतिरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) से (ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में नई सड़कों को शामिल करने के बारे में कोई अंतिम निर्णय अभी नहीं किया गया है। अत: यह बताना संभव नहीं है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कौन सी सड़क या सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में ली जायेगी।

पुर्तगाल के विदेशी मंत्री की भारत यात्रा

***48. श्री सरजू पांडे :**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में पुर्तगाल के विदेश मंत्री ने भारत की यात्रा की थी और वह प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री से मिले थे ;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई बातचीत का सार क्या है ; और

(ग) क्या भारत और पुर्तगाल के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय हित के विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श हुआ ; 31 दिसम्बर, 1974 को जिस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, उसकी प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में रख दी गई हैं। संधि की अभिपुष्टि अभी होनी है। संधी की मुख्य बातें हैं : गोआ, दमन, दीव दादरा तथा नगर हवली पर भारत की प्रमुख सत्ता की, उन तारीखों से पुर्तगाल द्वारा औपचारिक मान्यता, जबसे वे भारतीय संविधान के अधीन भारत के अंग बने, पुर्तगाल और भारत के बीच अविलम्ब राजनयिक संबंध स्थापित करना ; दोनों देशों के बीच सम्पत्तियों, आस्तियों और दावों सहित अन्य सभी मामलों की द्विपक्षीय बातचीत के जरिये तय करने पर सहमति ; और शीघ्र ही एक सांस्कृतिक करार करने की व्यवस्था।

नौवहन उद्योग के योजना-लक्ष्य की प्राप्ति

***49 श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नौवहन एक अत्यधिक पूंजी प्रधान उद्योग है; क्या सरकार ने योजना, लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से नौवहन उद्योग के विस्तार और प्रगति के लिए कोई कदम उठाया है ;

(ख) क्या इसके लिए कम ब्याज दर पर उदार वित्तीय सहायता दी जायगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बार में अन्य क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) से (ग) अव्ययगत निधि जिसे नौवहन विकास निधि कहा जाता है, की स्थापना भारतीय नौवहन टनभार में वृद्धि को सुविधाजनक बनाने हेतु नौवहन कम्पनियों को रुपये मुद्रा में ऋण देने के लिए 1959 में की गई निधि में से अक्तूबर, 1974 तक 596.34 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किये गये जिसमें से 368.44 करोड़ रुपए वितरित किय जा चुके हैं।

बड़े बड़े इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिये स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा आरंभ किया गया संभाव्यता अध्ययन

***50. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

श्री अनादि चरण दास :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया ने दो और बड़े इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए संभाव्यता अध्ययन आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के पुरा होने में कितना समय लगेगा ; और

(ग) इसकी मुख्य बातें क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) से (ग) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० ने दो सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने एक मध्यप्रदेश के बेलाडिला क्षेत्र में तथा दूसरा महाराष्ट्र में सुरजगढ़ के निकट लगाने के लिए शक्यता प्रतिवेदन तैयार करने का काम मेटालर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कांस्टेंट (इंडिया) लि० को सौपा है। आशा है कि ये प्रतिवेदन 6 मास में तैयार हो जायेंगें। इन दो स्थानों में प्रत्येक स्टाक स्थान पर लगभग 20 से 30 लाख टन इस्पात क्षमता के लिए शक्यता प्रतिवेदन तैयार किए जायेगें। य अध्ययन दीर्घकालीन इस्पात विकास

कार्यक्रम के रूप में किए जायेंगे तथा इन का उपयोग भावी पंचवर्षीय योजनाओं के लिये प्रस्ताव तैयार करते समय ही लिया जाएगा।

हनोई के साथ संबंध

***51. श्री योगेन्द्र झा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हनोई सरकार ने भारत सरकार के साथ अधिक निकट संबंध स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या हनोई और भारत के बीच संबंधों को सुदढ़ बनाने के लिए कोई और कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) भारत सरकार और वियतनाम लोकगणराज्य अपने संबंधों को सुदढ़ बनाने के लिए एक दूसरे के साथ निकट सम्पर्क बनाये हुए हैं।

(ख) इस वक्त दोनों सरकारों के बीच एक व्यापार करार विद्यमान है। भारत सरकारने वियतनाम लोक गणराज्य के अनेक क्षेत्रों को प्रशिक्षण सुविधाएं भी दी हैं।

कानपुर में विशेष मिश्र इस्पात संयंत्र स्थापित करना

***52. श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में एक विशेष मिश्र इस्पात संयंत्र स्थापित करने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें इतना असाधारण विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) अभी नहीं श्रीमन्।

(ख) सरकार ने 5 नवम्बर, 1971 को विशेष मिश्र इस्पात परियोजना, कानपुर को मंजूर किया था। बाद में इस परियोजना की लागत काफी बढ़ गई है। स्रोतों पर दबाव के कारण और परियोजना को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए, प्रस्ताव को असैनिक आवश्यकता के साथ जोड़ते हुए अब दुबारा बनाया गया है। यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो सरकार की मंजूरी लेने के लिए परियोजना को संशोधित लागत और आकार को तैयार करना होगा।

(ग) इस अवस्था में कोई पक्की तारीख नहीं बताई जा सकती।

चेचक उन्मूलन

***53. श्री शशि भूषण :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चेचक उन्मूलन के लिए सरकार ने क्या ठोस कार्यवाही की है;

(ख) कब तक इसके उन्मूलन की आशा है; और

(ग) राष्ट्रीय स्तर पर चेचक के उमून्लन के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है तथा क्या कार्यक्रम बनाया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) आशा है कि 1975 समाप्त होते होते भारत चचक से मुक्त हो जाएगा।

विवरण

1973 में जब चेचक का प्रकोप बढ़ने का पता चला तो केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर चेचक को फैलने न देने के लिए देशभर में एक तीव्र अभियान चालू किया। इस अभियान के अन्तर्गत चेचक के मामलों का पता लगाने और रोग को फैलने न देने के लिए अनेक स्वास्थ्य कार्मिकों और गाड़ियों को लगाया गया। देशभर में इस समय वरिष्ठ महामारी विज्ञानियों की देख रेख में 89 विशेष निगरानी दल कार्य कर रहे हैं। इस रोगग्रसित ग्रसित जिलों में 155 विशेष गस्ती नियंत्रण दल कार्य कर रहे हैं। जिनमें एक चिकित्सा अधिकारी और पराचिकित्सा तथा अन्य कर्मचारी होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन इन गाडियों के पेट्रोल तैल आदि के खर्चको वहन कर रहा है। सभी राज्यों और संघ शाशित क्षेत्रों को वैक्सीन, उपकरण और शिक्षा संबंधी सामग्री पर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से सप्लाई की जा रही है। समय समय पर रोग के मामलों को खोज के अलावा दोबारा निगरानी की एक पद्धति भी आरम्भ की गई है। लोगों को रोग के बारे में जानकारी देने के लिए प्रचार के सभी साधनों का उपयोग किया जा रहा है। जो लोग एसे मामलों के बारे में सूचना देते हैं जिसकी पहले जानकारी न रही हो, उन्हें 100 रुपये का नकद पुरस्कार भी दिया जाता है।

केन्द्रीय और राज्य सरकार के अधिकारियों तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्टाफ द्वारा चलाये गये तीव्र अभियान के फलस्वरुप अब सभी संघ शासित क्षेत्र और 14 राज्य चेचक से मुक्त हो गए हैं। असम, मेघालय, उड़ीसा, गुजरात और पश्चिम बंगाल में चेचक के कुछेक सक्रिय गढ़ मौजुद हैं जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में क्रमशः 45 और 102 गढ़ हैं। यदि यही प्रवृत्ति चलती रही तो इस वर्ष के अन्त तक देश को चेचक से मुक्त करना संभव हो जाएगा।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में चेचक के उन्मूलन के लिए 17.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

दिल्ली में मकान गिर जाने के कारण मृतकों तथा घायलों को दिया गया मुआवजा

*54. **श्री अजीत कुमार राहा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 11 जनवरी, 1975 को अर्जुन नगर, कोटला मुबारकपुर, दिल्ली में एक नए दो मंजिले मकान की छत गिर जाने से मरने वाल तथा घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति को कितना मुआवजा दिया गया;

(ख) इस दुर्घटना में कुल कितने मज़दूर मरे और घायल हुए;

(ग) क्या घायल मजदूरों का उपयुक्त इलाज किया गया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) प्रत्येक मृत व्यक्ति के परिवार को जिला सहायता निधि से 500/- रुपये दिए गए थे और गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को ढाई-ढाई सौ रुपए दिए गए थे।

(ख) 7 व्यक्ति मर गए थे और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

(ग) और (घ) घायल व्यक्तियों का सफदरजंग अस्पताल और आल इंडिया इनस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसज नई दिल्ली में आवश्यक इलाज किया गया।

भारतीयों में दास व्यापार

*55. श्री हरी सिंह :

श्री राम सहाय पांडे :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जनवरी, 1975 के एक अंग्रेजी दैनिक में 'इंडियन स्लैव ट्रेडरिंग स्मेशड' संबंधी छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार के सामने यह समस्या रही है और उसने देशों में 'भारतीय के अवैध आप्रवास को रोकने के लिए कदम उठाए हैं जहां आप्रवास के प्रतिबंध है । भारत में सभी पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारियों, विदेश स्थित भारतीय मिशनों और राज्य सरकारों को निदेश दिए गए हैं कि वे उन देशों को जानेवाले लोगों की अर्जियों के मामले में अधिक सतर्कता बरतें ।

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण हेतु बिहार के लिये केन्द्रीय सहायता

*56 सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धन के अभाव के कारण बिहार में निर्माणाधीन कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएँ लगभग अधुरी रह गयी हैं ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने तुरन्त मंजूरी के लिए केन्द्र से बारबार प्रार्थना की है ताकि राज्य के विभिन्न भागों में कुछ पुलों सहित इस समय निर्माणाधीन परियोजनाओं को अधुरी ही पड़ी रहने से बचाया जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो इनके शीघ्र निर्माण के लिये सरकार का तुरन्त क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौरवहन और परिहन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) से (ग) चूंकि (क) के अन्तर्गत उठाई गई विशेष बातों के बारे में राज्य सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं है, वे अधिक राशि के लिए जोर दे रहे हैं। परन्तु सीमित संसाधनों के अन्तर्गत, 1974-75 के दौरान बिहार के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों (मूल) के लिए आबंटन 390.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 490.00 लाख रुपए कर दिया गया है।

कराची में तीसरे विश्व देशों का सम्मेलन

*57. श्री एम० कतामुत्तु : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में कराची में तीसरे विश्व दशों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) क्या सम्मेलन में भारत ने भी भाग लिया था ; और

(ग) यदि हां, तो सम्मेलन की मुख्य बातें क्या हैं तथा उसके क्या निष्कर्ष निकलें ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) सरकार ने इस आशय की अखबारी खबरें देखी हैं कि तृतीय विश्व मैच का एक सम्मेलन 5 से 10 जनवरी 1975 तक कराची में हुआ था।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जाम्बिया के राष्ट्रपति का दौरा

*58. **श्री झारखंडे राय** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाम्बिया के राष्ट्रपति हाल ही में नई दिली आये थे ; और

(ख) यदि हां, तो वह किस उद्देश्य से नई दिल्ली आये और इसके क्या परिणाम निकलें ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) जी हां।

(ख) महामहिम, राष्ट्रपति डा० कैनाथ डविड कोंडा, बहुत पहले के एक निमंत्रण पर राजकीय यात्रा पर आए थे। इस यात्रा के दौरान उन्हें 1970 वर्ष के लिए अंतराष्ट्रीय सझबूझ के लिए जवाहर लाल नेहरु पुरस्कार दिया गया। हमार गणराज्य की 25 वीं वर्ष गांठ के अवसर पर नई दिल्ली में मनाये गये गणराज्य दिवस में वह सम्माननीय अतिथि थ।

महामहिम डा० कोंडा और हमारी प्रधानमंत्री ने आपसी हित के मामलों पर बातचीत की जिसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं एवं द्विपक्षीय सहयोग भी शामिल है। यह बातचीत पर्ण समझबूझ के वातावरण में की गई जिसमें, सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय आधार पर सहयोग देन की हार्दिक इच्छा व्यक्त की गई। उनकी बातचीत में दक्षिण अफ्रीका के देशों की स्वतंत्रता का प्रश्न और पृथग्वासन एवं जातियतावाद के विरुद्ध संघर्ष पर विशेष जोर दिया गया।

आर्थिक एवं तकनीकी, वैज्ञानिक एवं प्रोद्योगिकीय और संस्कृतिक सहयोग के तीन समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। जाम्बिया और भारत के बीच सहयोग को मजबूत बनाने और बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के एक प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किये गये।

इस यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति का मूल पाठ संसद के पुस्तकालय में रख दिया गया है।

दिल्ली के अस्पतालों में जीवन रक्षक औषधियों की कमी

*59. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** :

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **स्वस्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के अधिकांश सरकारी अस्पतालों में जीवन रक्षक औषधियों तक की कमी हैं; और

(ख) क्या सरकार ने इस के कारणों पर विचार किया है और यदि हां तो इस का क्या परिणाम निकला है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली के कुछ अस्पताल सप्लाई की जटिल स्थिति के कारण कुछेक दवाइयोंकी कमी होने की बात सरकार के ध्यान में लाये हैं। इस कमी को दूर करने के उपाय बरतने के लिए इस मामले को पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के साथ उठाया गया है। इनके बदले समान चिकित्सिय गुणों वाली दूसरी दवाइयों देकर इस कमी को कुछ हद तक पूरा किया गया है।

बढ़ती हुई जीवन निर्वाह लागत को देखते हुए न्यूनतम मजूरी का पुनरीक्षण

***60. श्री धामनकर** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ती हुई जीवन निर्वाह लागत को देखते हुए राज्य सरकारों को न्यूनतम मजूरी का पुनरीक्षण करने की सलाह दी गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो जारी किए गए निदेशों पर विभिन्न राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है और श्रमिकों की वास्तविक मजूरी में कमी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का विचार है?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) न्यूनतम मजदूरियों के संशोधन में आवश्यकता से संबंधित प्रश्न पर सितम्बर, 1974 में हुए श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श हुआ और वे अधिनियम के अधीन, उसके उपबन्धों और राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए उचित समय पर संशोधनों की आवश्यकता से सहमत हुए।

अहमदाबाद स्थित कैंसर अस्पताल को दी गई वित्तीय सहायता

401. श्री वेकारिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) गुजरात और केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान अहमदाबाद स्थित **कैंसर अस्पताल** को कितनी वित्तीय सहायता दी ; और

(ख) उक्त अस्पताल में क्या सुधार किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) **पीछले** तीन वर्षों के दौरान दिए गए अनुदान।

वर्ष	राज्य सरकार (रुपये)	केन्द्र सरकार (रुपये)
1972-73	25,56,737	5,00,000
1973-74	67,70,000	96,975
1974-75	60,00,000	..

(ख) इस अस्पताल में अब निम्नलिखित प्रमुख आधुनिक उपकरण सुलभ कर दिए गए हैं:—

1. रेडियो आइसोटोप
2. इटेंसिव थेरापी

3. किडनी रेडट्रोन यूनिट सहित मेडिकल स्कैनर

4. गामा केमरा

5. कोबाल्ट 780

6. डीप एक्स रे–यूनिट

7. केसियम बाम्ब

8. सिमुलेटर और कोली मीटर

II. परमाणु विभाग को पूर्णतः सुदृढ़ बना दिया गया है। टोनोग्राफ एटचमेंट लगा एक नवीन एक्स–रे यूनिट खरीद लिया गया है।

III. तीन नई शल्य चिकित्सीय यूनिट अर्थात् परमाणु चिकित्सा यूनिट, टेलीथेरापी यूनिट और शाखी थेरापी यूनिट चालू कर दी गई हैं और आइसोटोप भवन की मंजिलों का निर्माण हो गया है।

पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत

402. **श्री डी० पी० जडेजा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 11 जनवरी 1975 को पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल के साथ नई दिल्ली में हुई बातचीत का व्यौरा क्या है और उसका क्या परिणाम निकला है?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : शिमला समझौता और 'व्यापार को पुनः आरम्भ करने से सबद्ध प्रोतोकोल' के अनुसरण में, नई दिल्ली में 11 से 15 जनवरी 1975 तक भारत और पाकिस्तान के नौपरिवहन शिष्ट मंडल की बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच नौपरिवहन सेवाओं को पुनः आरम्भ करने के लिये एक प्रोतोकाल पर हस्ताक्षर किये गये। 15 जनवरी 1975 से नौपरिवहन सेवाओं की पुनर्स्थापना से जो आरम्भ में एक–दूसरे देश को जाने वाले भारतीय और पाकिस्तानी माल उठाने के लिए शुरु की गई है, दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ने की आशा है।

उत्पादकों के स्टाकयार्डों में इस्पात जमा हो जाना

403. **श्री एन० ई० होरो** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी क्षेत्र में उत्पादकों के स्टाकयार्डों और लघु उद्योग निगमों में इस्पात जमा हो रहा है और लघु एकक इस्पात की उन वस्तुओं को उठाने में अनाकानी कर रहे हैं जिनसे अब उतना अधिक लाभ नहीं हो रहा है जितना कुछ महीने पूर्व होता था;

(ख) क्या ये एकक केवल वे हीं थोड़ी सी वस्तुएं उठा रहे है जिन्हें काले बाजार की दरों पर बेचा जा सकता है;

(ग) क्या ऐसे मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (घ) मुख्य उत्पादकों के स्टाकयार्डों में स्टाक एक महीने की बिक्री से कुछ अधिक हैं जो अधिक नहीं समझा जाता। कुछ मामलों में मांग-कर्ताओं ने जिनमें कुछ लघु उद्योग एकक भी शामिल है वह माल नहीं

उठाया है जिसकी खरीद में पहले उन्होंने रुचि दिखाई थी। स्थिति का समय समय पर पुनर्विलोकन किया जा रहा है।

जहां तक लघु उद्योग नियमों का संबंध है, जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में जन दिवसों की हानि

404. **श्री मानसिंह भौरा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972, 1973 और 1974 में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में विभिन्न कारणों से कुल कितने जन-दिवसों की हानि हुई ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : संलग्न विवरण में 1972, 1973 और 1974 (अनंतिम) के दौरान औद्योगिक विवादों (हड़तालों और तालाबन्दियों) के कारण नष्ट हुए श्रम दिनों के संबंध में, क्षेत्रवार और कारणवार उपलब्ध सूचना का संक्षेप दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए अनुपत्र संख्या एल० टी० 8932/75]**

New National Highways in Madhya Pradesh

405. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether new national highways are proposed to be declared in country ;

(b) whether Govt. have received proposals from the Government of Madhya Pradesh regarding new National Highways; and

(c) when the aforesaid proposal is likely to be implemented?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri H. M. Trivedi) : (a) to (c) Proposals received from various States for new additions to the existing, National Highways system during the 5th Plan period include schemes submitted by Madhya Pradesh Government also. However, no final decision about new additions to be made in the existing National Highways System during the 5th Plan period has yet been taken. It is, therefore, not possible to indicate at this stage the position about any road or roads in any particular State, including Madhya Pradesh, which would be taken over as a National Highway during the 5th Plan period.

नेपाल में बांध का ढह जाना

406. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार के सूत्रों और समाचार-पत्रों ने नेपाल बांध ढह जाने के लिये भारत पर दोष लगया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) और (ख) 2 जनवरी, 1975 को जो पारडी बांध टूट गया था, उसके लिए नेपाल सरकार ने भारत पर दोष लगाने का कोई प्रयत्न नहीं किया और न ही किसी उत्तरदायी अखबार ने ऐसा आरोप लगाया है। तथापि

सीमित प्रसारण संख्या वाले तीन नेपाली प्रकाशनों ने, जो भारत–विरोधी प्रवृत्ति के लिए सर्वविदित हैं, इस दुर्घटना में भारत को घसीटने का प्रयत्न किया है। ऐसे शरारतपूर्ण एवं पूरी तरह बेबुनियाद आरोपों का प्रतिरोध करने के लिए सरकार समुचित कार्यवाही कर रही है।

सरकारी और निजी क्षेत्रों में इस्पात उत्पादन की लागत

407. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में सरकारी और निजी क्षेत्रों में इस्पात का अलग-अलग उत्पादन कितना हुआ;

(ख) सरकारी तथा निजी क्षेत्र में उत्पादित इस्पात का उत्पादन मूल्य अलग-अलग कितना है; और

(ग) उत्पादन मूल्य में अन्तर के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों का गत दो वर्षों का इस्पात पिण्ड तथा विक्रेय इस्पात का उत्पादन निम्नलिखित है :–

(हजार टन)

कारखाना	इस्पात पिण्ड		विक्रेय इस्पात	
	1972–73	1973–74	1972–73	1973–74
सरकारी क्षेत्र				
भिलाई .	2108	1894	1746	1682
दुर्गापुर . . .	723	776	477	377
राउरकेला . . .	1177	1081	765	736
बोकारो . . .	..	18	..	..
कुल . . .	4008	3769	2988	2795
निजी क्षेत्र				
टिस्को .	1690	1514	1558	1200
इस्को . . .	431	439	347	358
कुल . . .	2121	1953	1805	1558

(ख) वर्ष 1973–74 में प्रत्येक इस्पात कारखाने की इस्पात पिण्ड की उत्पादन लागत नीचे दी गई है :–

कारखाना	वर्ष 1973–74 में इस्पात पिण्ड की उत्पादन लागत
	प्रति टन
1 भीलाई इस्पात कारखाना . . .	616
2 दुर्गापुर इस्पात कारखाना . .	819
3 राउरकेला इस्पात कारखाना . . .	717
4 टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी . . .	679
5 इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी .	863

(ग) इस्पात पिण्ड की उत्पादन लागत में यह अन्तर मुख्यतः अधिष्ठापित क्षमता के उपयोग की सीमा तथा पूंजीगत प्रभारों के आपसी अंतर के कारण हैं।

नेशनल केडट कोर योजना सम्बन्धी मूल्यांकन समिति की सिफारिशें

408. **श्री के० एम० मधुकर :** क्या **रक्षा** मंत्री कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को एन० सी० सी० के प्रशिक्षण के बारे में 19 दिसम्बर 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3247 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल केडेट कोर योजना संबंधी मूल्यांकन समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ख) उन पर क्या निर्णय लिया गया है?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) एन० सी० सी० समिति की मुख्य सिफारिशें संक्षेप में इस प्रकार हैं :—

(1) राष्ट्रीय सेवा योजना और राष्ट्रीय क्रीडा संगठन के अतिरिक्त राष्ट्रीय कैडेट कोर को एक अलग संगठन के रूप में रहना चाहिये।

(2) कैडेटों की भर्ती स्वैच्छिक तथा चयनात्मक होनी चाहिये। सीनियर डिवीजन की शक्ति घटाकर 6 लाख से 4 लाख कर देनी चाहियें ताकि यह डिवीजन चयनात्मक तथा अधिक गहन प्रशिक्षण वाली हो। तथापि, लड़कियों की डिवीजन की संख्या थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिये और जूनियर डिवीजन की वर्तमान संख्या ही रखी जानी चाहिये।

(3) संस्थाओं के मुख्याध्यापक तथा प्रिंसिपल का राष्ट्रीय कैडेट कोर की गतिविधियों के साथ नजदीकी सहयोग करना चाहिये। राष्ट्रीय कैडेट कोर के साथ किसी गतिविधि में सम्मिलित होना उनका शैक्षणिक कार्य में सम्मिलित होना माना जाना चाहिये।

(4) पूर्णकालिक राष्ट्रीय केडेट कोर के कमीशन प्राप्त अफसरों को धीरे-धीरे विघटित कर देना चाहिए। राष्ट्रीय कैडेट कोर में केवल चुने हुये नियमित सर्विस अफसरों को ही नियुक्त करना चाहिए। तीन वर्ष के अनुभव वाले उपयुक्त प्राध्यापकों को कमीशन देने से पूर्व अंश-कालिक कमीशन और गहन प्रशिक्षण देने के लिये चुना जाना चाहिए। अफसरों की 15 वर्ष की सेवा अथवा 45 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, के पश्चात सेवा निवृत्त हो जाना चाहिये।

(5) प्रशिक्षण कार्यक्रम और अधिक गहन तथा वास्तविक होना चाहिये। यह सामान्यतः दो वर्ष तक ही सीमित रहना चाहिये।

(6) बढ़े हुये मूल्यों को ध्यान में रखते हुये शिविर भत्ता बढ़ा देना चाहिए ताकि कैडटों को पर्याप्त तथा पुष्टिकर भोजन दिया जा सके।

(7) शैक्षिक संस्थाओं में शैक्षणिक अनुदेशों को सक्षिप्त करके एक सप्ताह में पांच दिन का कर देना चाहिए। सप्ताह के छटे दिन का राष्ट्रीय कैडेट कोर का प्रशिक्षण देने के लिये उपयोग किया जाना चाहिए। इस दिन को क्षेत्र दिवस (फील्ड डे) कहा जाना चाहिये। क्षेत्र दिवस एक घंटे के देशभक्ति प्रशिक्षण से प्रारम्भ हो सकता है। उसके पश्चात् राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना तथा राष्ट्रीय क्रीड़ा संगठन का अलग अलग प्रशिक्षण हो सकता है।

एन० सी० सी० मूल्यांकन समिति की यह सिफारिश कि एन० सी० सी० सीनियर डिवीजन की कैडेट संख्या 6 लाख से 4 लाख कर दी जाय मान ली गई है। अन्य सिफारिशों पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है।

दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के 'स्क्वैड' द्वारा मिलावटी सूखी लाल मिर्च का पकड़ा जाना

409. **सरदार महेन्दर सिंह गिल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वाथ्य सेवा महानिदेशालय के 'सैन्ट्रल फुड स्क्वैड' ने दिल्ली में लाहौरी गेट रेलवे "गुड्शेड्स' से काफी मिलावट की हुई सूखी लाल मिर्च भारी मात्रा में पकड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और अपराधी को क्या सजा दी गई है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री ((श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी, हां।

(ख) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को किसी ने यह सूचित किया कि लाहौरी गेट माल गोदाम में लगभग 55 क्विटल सूखी मिर्चों के 172 बोरे पड़े हुए हैं और यह बोरे हरियाणा के भिवानी जिले के लाहारु गांव से यहां के किसी व्यापारी के लिए भेजे गए हैं। केन्द्रीय खाद्य दस्ते ने तुरन्त इस माल गोदाम का निरीक्षण किया और इन मिर्चों के चार नमूने लेने के साथ साथ सारे माल को भी पकड़ लिया। ये चारों नमूने मिलावट पाए गए हैं। संबंधित लागों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त अधिकारियों को नियमित किया जाना

410. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त अधिकारियों की संख्या क्या है जिन्होंने 1971 के युद्ध में भाग लिया और जिन्हें अब तक उसके अनुभव और युद्ध सेवाओं के आधार पर नियमित करने पर विचार नहीं किया गया; और

(ख) क्या सरकार उनके मामलों पर पुनर्विचार करेगी?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त सभी अफसरों के मामलों पर स्थायी कमीशन देने के लिए विचार किया जाता है।

2 भारत-पाकिस्तान युद्ध 1971 (3-12-71) के समय सेवा में शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त अफसरों को स्थायी कमीशन देने में के बारे स्थिति निम्नलिखीत है:—

(क) सेना

(1) 3-12-71 को शार्ट सर्विस कमीशन अफसरों की संख्या . .	4717
(2) इस संख्या में से —	
(क) स्थायी कमीशन के लिए अनुपयुक्त पाया गया . . .	460
(ख) स्थायी कमीशन के लिए अभी विचार किया जाना है . .	1474
(ग) स्थायी कमीशन के लिए विचार किया गया . . .	2526
(घ) स्थायी कमीशन मना किया गया/बरखवास्त किया गया/मर गए और इसी प्रकार से।	257

(ख) नौसेना

(1) 3-12-71 को सेवा में शार्ट सर्विस कमीशन अफसरों की संख्या . .	549
(2) इस संख्या में से —	
(क) स्थायी कमीशन के लिए अनुपयुक्त पाया गाया . . .	23
(ख) स्थायी कमीशन के लिए अभी विचार किया जाना है। पुनरीक्षण किया जाना है ।	81
(ग) स्थायी कमीशन के लिए विचार किया गया	398
(घ) स्थायी कमीशन मना किया गया / मर गए	47

(ग) वायु सेना

शून्य

3 स्थायी कमीशन के मंजूर किए जाने के लिए जिन अफसरों के मामलों पर विचार किया गया था और उन्हे अनुपयुक्त पाया गया उनपर सेना में पुन: विचार नहीं किया जाता परन्तु किनारे पर के मामलों के संबंध में नौसेना में पुनरीक्षण किया जाता है।

बंगाल इम्युनिटी कम्पनी लिमिटेड, देहरादून द्वारा औषध अधिनियम का उल्लंघन

411. श्री जगदीश भट्टाचार्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान बंगाल इम्युनिटी कम्पनी लिमिटेड, देहरादुन द्वारा औषध अधिनियम का उल्लंघन किये जाने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) औषध अधिनियम का उल्लंघन किये जाने पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) जी हां। इस कम्पनी द्वारा औषधि अधिनियम का उल्लंघन किये जाने के बारे में पुलिस अधीक्षक देहरादून के पास एक शिकायत दर्ज की गई थी।

(ग) अपेक्षित सूचना भेज देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है और इसके प्राप्त होने पर इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा?

राष्ट्रपति को नकली दवाई की सप्लाई

412. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 जनवरी, 1975 को "फेक ड्रग "पामड आफ टु प्रेजीडेंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की और दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) नकली दवाई बनाने और उसकी सप्लाई करने के लिये जिम्मेदार] व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रपति ने "खमीर अब्रशानी" नामक एक यूनानी टानिक की एक बोतल में जिसमें आमतौर पर चांदी के वर्क के छोटे छोटे अंश रहते हैं, धातु का एक बड़ा टुकड़ा पाया। यह चांदी का न लग कर किसी और धातु का लग रहा था। दवा और धातु के टुकड़े वाली इस बोतल को सील कल दिया गया है।

(ग) और (घ) पुलिस ने पूछताछ की है और इस निर्माता से इस दवा के विभिन्न बेंचों के स्टाक को जब्त कर लिया है।

आसाम शूगर मिल्स लिमिटेड

413. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या इस्पात और खान मंत्री आसाम शुगर मिल्स लिमिटेड के बारे में 19 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5146 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले की इस बीच जाँच कर ली गई है और कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो कम्पनी का "प्रोमोटर" कौन था उस जाँच की मुख्य बातें क्या हैं?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चंद्रजीत यादव) : दिनांक 29 अगस्त, 1974 के प्रश्न संख्या 3966 और दिनांक 19 दिसम्बर, 1974 के प्रश्न संख्या 5146 के बारे में दिए गये आश्वासनों की पूर्ति के विवरण की एक एक प्रति संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8932/75]**

तेल उत्पादक देशों के साथ हुए समझौते

414. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल का उत्पादन करने वालों देशों ने हमारे प्रधान मंत्री की हाल की उन देशों की यात्रा के दौरान भारत को पैट्रोल, डीजल फर्नेस तथा अन्य प्रकार के तेलों की उदारता पूर्वक सप्लाई करने के समझौते पर हस्ताक्षर किये थे ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे देश कौन से हैं तथा उनके साथ किये गये समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) और (ख) हमारी प्रधान मंत्री ने हाल में अर्थात् जनवरी 1975 में ईराक की यात्रा की। ईराक से भारत को तेल सप्लाई किये जाने के बारे में विचार–विमर्श हुआ था और एक समझौता हो गया था। इस समझौते का ब्यौरा अभी तैयार होना है ।

खेतड़ी तांबा परियोजना के प्रद्रावक संयंत्र द्वारा कापर कंसंट्रेट का उत्पादन

415. **श्री राज देव सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी तांबा परियोजना के प्रद्रावक संयंत्र ने तांबे का उत्पादन आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस उत्पादन का समूचे देश के औद्योगिक विकास में क्या प्रभाव पड़ा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) खेतड़ी तांबा परियोजना के प्रद्रावक संयंत्र में तांबा धातु का उत्पादन नवम्बर, 1974 में शुरु हुआ।

(ख) किसी राष्ट्र की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में, विशेषतया बिजली और रक्षा संबंधी उद्यागों में उसके उपयोग के कारण तांबे की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में देशी रूप से तांबा धातु की उपलब्धि बहुत कम है और इस लिए लगातार बढ़ती हुई जरुरतों को पूरा करने के लिए उसे बड़ी मात्रा में आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। खेतड़ी में तांबे के उत्पादन से इस धातु की देशी रूप से उपलब्धि में वृद्धि होगी। आयात में उतनी ही कमी होगी और इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी, जिसे देश के औद्योगिक विकास हेतु अन्य जरुरी निवेश सामग्री के आयात में उपयोग किया जा सकेगा।

Assistance and Facilities to People Suffering from Leprosy in the Country

416. **Shri Mulki Raj Saini** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of persons suffering from Leprosy in the country ;

(b) their State-wise number; and

(c) the assistance and facilities provided to them by the Government?

The Deputy Minister of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque) : (a) & (b) The number of persons suffering from Leprosy in the country is about 32 lakhs. Their State-wise distribution is as follows:—

States	No. of estimated Leprosy patients. (in Lakhs)
Andhra Pradesh	6.28
Tamil Nadu	7.83
Bihar	3.39
Maharashtra	2.80
Karnataka	1.74
Orissa	2.37
West Bengal	3.68
U. P.	1.68
Other States/U.Ts.	2.23
TOTAL	32.00

(c) With a view to controlling the spread of Leprosy and to provide domiciliary—ambulatory method of treatment through sulphone group of drugs, the National Leprosy Control Programme was launched in India in 1954-55. The following control services are functioning in India under the framework of the National Leprosy Control Programme.

1. Leprosy Control Units	251
2. Survey, Education and Treatment Centres	1500

Besides the above mentioned efforts in the Government Sector, 40 voluntary organisations are also doing the Leprosy Control work. They are assisted by the Government of India under the Programme. Three Leprosy Control projects by international leprosy organisations have also been established. There are about 28,000 in-door beds for hospitalisation of leprosy patients. The Programme is proposed to be intensified during the Fifth Five Year Plan by increasing the number of control units, Survey, Education and Teaching Centres and supply of free drugs for treatment of patients.

प्रधान मंत्री की विदेश यात्राएं

417. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने दिसम्बर, 1974 और जनवरी, 1975 में कुछ विदेशों की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन दशों की यात्रा की और विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों के साथ उनकी क्या बातचीत हुई ; और

(ग) विभिन्न विषयों पर क्या क्या समझौते हुए और उनका क्या परिणाम रहा?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) से (ग) प्रधान मंत्री ने जनवरी 1975 में मालदीव और ईराक की यात्रा की। उन्होंने इन दोनों देशों के नेताओं के साथ द्वि-

पक्षीय और आपसी हित के अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर बातचीत की। उनकी बातचीत से इन देशों और भारत के बीच नजदीकी समान विचारों का पता चला । इन यात्राओं के अवसर पर जारी की गई संयुक्त विज्ञप्तियों की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में रख दी गई है।

बंगला देश के साथ द्विपक्षीय वार्ता

418. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में बंगला देश प्रतिनिधि मंडल के साथ द्विपक्षीय मामलों पर वार्ता की है ; और

(ख) यदि हां, तो उनमें किन विषयों पर चर्चा की गई तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) जी हां।

(ख) द्विपक्षीय संबंधो के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श हुए जिनमें व्यापार तथा आर्थिक सहयोग, तस्कर व्यापार विरोधी उपाय, भूमि सीमा करार का क्रियान्वयन, तथा समुद्री सीमा के परिसीमन का प्रश्न सम्मिलित था। यह वार्ता दोनों देशों के बीच परामर्श एवं सहयोग की नियमित प्रक्रिया का एक अंग थी।

नकली औषधियों से मृत्यु दर में वृद्धि

419. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है कि नकली औषधियों के उत्पादन और विक्री से देश में मृत्यु दर में वृद्धि हुई है ;

(ख) इस बुराई को रोकने के लिए क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है ;

(ग) वर्ष 1974-75 में (31 जनवरी, 1975 तक) देश में, राज्यवार, नकली औषधियों के प्रयोग से कितनी मौतें हुई ; और

(घ) उक्त अवधि में जिन नकली औषधियों निर्माताओं को गिरफ्तार किया गया और जिन पर मुकदमें चलाये गए उनका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी नहीं। इसका कोई सबूत नहीं है।

(ख) नकली और घटिया किस्म की दवाइयों का निर्माण और विक्री रोकने के लिए जो कदम उठाए गए है उनके बारे में एक नोट संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 8933/75**]

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिकृत भाषा के रूप में हिन्दी को मान्यता देने संबंधी मांगे

420. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नागपुर में आयोजित विश्व हिन्दी सम्मेलन में पारित किये गए संकल्प के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिकृत भाषाओं में से एक भाषा के रूप में हिन्दी को मान्यता देने सम्बन्धी मांग को ठोस रूप देने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : संयुक्त राष्ट्र की कार्यालयी और कामकाजी भाषाओं की सूची में किसी वृद्धि के लिए महासभा की नियमावली और प्रक्रिया में संशोधन करना होगा जो कि उपस्थित तथा वोट देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा समर्थित होगा। सरकार हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की भाषाओं में एक भाषा के रूप में स्वीकृत किए जाने का संभावना का यसाजा लेने की कार्यवाही कर रही है। न्यूयार्क में हमारे स्थायी प्रतिनिधि की अन्य प्रतिनिधिमण्डलों के साथ सलाह-मशविरा करने का आदश दे दिया गया है। इस जायजे के आधार पर, जैसा भी आवश्यक होगा, आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

वर्ष 1974-75 और 1975-76 के दौरान इस्पात उत्पादन के लक्ष्यों की प्राप्ति

421. **श्री श्रीकृष्ण मोदी :**
श्री डी० डी० देसाई :
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :
श्री पी० गंगा देव :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अद्यतन रूप को देखते हुए उनके मंत्रालय को वर्ष 1974-75 और 1975-76 में इस्पात के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने की आशा है ;

(ख) यदि हां, तो यह आशा किन तथ्यों पर आधारित है ; और

(ग) क्या इस्पात उत्पादन में हुई कुल प्रगति उत्साह जनक है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) अप्रैल, 1974 से जनवरी 1975 के महीनों में वास्तविक उत्पादन और फरवरी और मार्च, 1975 के महीनों में अनुमानित उत्पादन को देखते हुए यह आशा की जाती है कि वर्ष 1974-75 में पांचों पर्वतोमुखी इस्पात कारखानों का विक्रेय इस्पात का कुल उत्पादन इस वर्ष के लिए निर्धारित किये गए लक्ष्य का लगभग 97 % होगा। पांच वर्ष 1973-74 के उत्पादन के मुकाबले में वर्ष 1974-75 में विक्रय इस्पात का उत्पादन लाख टन से अधिक होने की सम्भावना है। इस प्रकार वर्ष 1974-75 के उत्पादन में गत वर्ष के उत्पादन से लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी।

इस समय वर्ष 1975-76 के उत्पादन के लक्ष्यों का सम्बन्धित अभिकरणों से परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जा रहा है। ऐसी परिकल्पना है कि वर्ष 1975-76 का उत्पादन वर्ष 1974-75 के उत्पादन से काफी अधिक होगा।

(ख) वर्ष 1974-75 में अधिक उत्पादन होने और वर्ष 1975-76 में उत्पादन में जिस वृद्धि होने की आशा निम्नलिखित मुख्य बातों पर आधारित है :—

(1) आवश्यक आदानों विशेष रूप से बिजली और कोककर कोयले की आपूर्ति में सुधार।

(2) इस्ताप 'कारखानों को कच्चा माल पहुंचाने तथा स्टाकयार्डों और उपभोक्ताओं को तैयार इस्पात ले जाने के लिए रेल परिवहन मे सुधार।

(3) मालिक-मजदूर सम्बन्ध अपेक्षाकृत अच्छे होना।

(4) इस्पात कारखानों में विषेश रूप से रख-रखाव के क्षेत्र में किये गए कई महत्वपूर्ण उपाय।

(5) जी हां, इस्पात के उत्पादन में हुई कुल प्रगति उत्साह वर्धक है।

मेजर रमेश चन्द्र धवन की नजरन्दी

422. **श्री ज्योतिमय बसु** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेजर रमेशचन्द्र धवन, जो आसाम में पर्वतीय रेजिमन्ट से सम्बद्ध एक भूतपूर्व सैनिक अधिकारी हैं, मार्च 1974 से नजरबन्द है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अधिकारी को कोर्ट मार्शल द्वारा जुलाई 1974 में नौकरी से बर्खास्ती का दण्ड दिया गया था ; यदि हां, तो उसके विरूद्ध क्या आरोप हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि मेजर धवन के केन्द्रीय सरकार से कानूनन एक शिकायत की थी जिसमें उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर भ्रष्ट होने तथा सैनिक साधन के दुरुपयोग का आरोप लगाया था ;

(घ) यदि हां, तो जिन वरिष्ठ अधिकारियों के विरूद्ध ये आरोप लगाये गए थे, उनके नाम और पद नाम क्या ह ; और

(ङ) ये आरोप किस प्रकार के थे और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : (क) जी हां, श्रीमन । मेजर रमेश चन्द्र धवन मार्च 1974 से समय समय पर नजरबन्द रहे हैं ; और भी सैनिक हिरासत में हैं ।

(ख) (1) जी हां, श्रीमन । जनरल सैनिक अदालत द्वारा अफसर को सेवा से बरखास्ती की सजा दी गई थी, जो 22 आक्तूबर, 1974 (जुलाई 1974 में नहीं) को निर्णय दिया गया था । तथापि नियमों के अधिन अदालत के निष्कर्ष और सजा की सक्षम प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की जाने की आवश्यकता है । अतः वह अफसर अभी सेवा में हैं और एक की पुष्टि तथा उसे लागू करने तक वह सवा में रहेगा ।

(2) अफसर पर सेना अधिनियम 1950 की धारा 63 के अधीन अच्छे चरित्र और सैनिक अनुशासन के विपरित कार्य और चूक के दो आरोप थे ।

(ग) जी, हां श्रीमन । सांवधिक और अन्य शिकायतों में उसके चार वरिष्ठ अफसरों के विरुद्ध आरोप थे ।

(घ) इन अफसरों के नाम तथा पद बताना लोक हित अथवा सेवाओं के मनोबल के हितों में नहीं होगा ।

(ङ) (1) आरोप सक्रियात्मक कार्यों के कार्यान्वियन के लिए आबन्टित धन को अन्य कार्य पर खर्च करने और उसके दुरुपयोग तथा स्टोर्स को उच्च मूल्य पर खरीदने के रूप में थे ।

(2) मामले में जांच पड़ताल की गई थी और अफसरों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी । आरोप में सम्मिलित चार अफसरों में से :—

(क) एक अफसर को सेनाध्यक्ष का "सिविअ डिस्क्लोजर" दिया गया ;

(ख) दूसरे को जनरल सैनिक अदालत द्वारा न्यायिक जांच की गई और उसे दोषमुक्त किया गया; और

(ग) शेष दो अफसरों को भी जनरल सैनिक अदालत द्वारा न्यायिक जांच की गई थी । इनमें से एक को बरखास्तगी की सजा दी गई और छः मास का कठोर कारावास दिया गया । तथापि, इन दोनों मामलों से सजा की सक्षम प्राधिकरण द्वारा अभी तुष्टि की जानी है ।

तंजानिया के प्रधान मंत्री का दौरा

423. श्री अरविन्द एम० पटेल :
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1975 में नई दिल्ली का दौरा करने वाले संयुक्त गणराज्य तंजानिया के प्रधान मंत्री के साथ हुई वार्ता का सार क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : संयुक्त तंजानिया गणराज्य के प्रधान मंत्री और द्वितीय उप-राष्ट्रपति, महामान्य श्री रशीदीम्फाओे कवावा ने 14 से 22 जनवरी तक भारत की राजकीय यात्रा की थी ।

महामान्य श्री कवावा और हमारे प्रधान मंत्री ने आपसी हित के मामलों पर, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय मामले भी शामिल है, बातचीत की। इन बातचीत में दोनों देशों के बीच विचारों की समानता का पता चला ।

आर्थिक विकास की समीक्षा करने और उसका विस्तार करने के उद्देश्य से एक संयुक्त कमिशन की स्थापना के लिए एक समझौते पर और सांस्कृतिक सहयोग से सम्बद्ध एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये । इस यात्रा की समाप्ति पर जारि की गई संयुक्त विज्ञप्ति की मूल प्रति संसद के पुस्तकालय में रख दी गई है ।

बी० ए० सी० कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, कोरवा के प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के बीच विवाद

424. श्री समर मुखर्जी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें भारत अल्यूमीनियम कांट्रक्टर्स वकर्स युनियन द्वारा पी० ओ० कोरवा (मध्य देश) की ओर से बी० ए० सी० कम्पनी (प्राईवेट) लिमिटेड, कोरवा के प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के बीच विवाद के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन का स्वरूप क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का राष्ट्रीयकरण

425. श्री मौलाना इसहाक सम्भली : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय साम्यवादी दल का उत्तर प्रदेश राज्य शाखाओं ने टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के राष्ट्रीय करण की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस कम्पनी की वर्तमान वित्तीय स्थिति क्या है और इसकी पूंजी में सरकार का कितना लाभ है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) सरकार के पास काई जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। इस समय टिस्को के राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) 31-3-74 को कम्पनी की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित थी :—

	रुपय
(1) अंशपूंजी	49,99,61,369
(2) रक्षित तथा अधिशेष	63,15,17,365
	1,13,14,78,734
(3) ऋण	49,48,71,082
(4) वर्ष 1973-74 में टैक्स देने के पश्चात लाभ . .	9,77,16,572
(5) शेअर :	

	साधारण	अधिमान शेयर	द्वितीय अधिमान शेयर	'क' द्वितीय अधिमान शेयर
जारी किये गये कुल शेयर	5,165,283	50,000	700,000	3,71,909
राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और बैंका के हिस्से :				
(1) राज्य सरकारें	3,526	165	36,454	541
(2) भारतीय जीवन बीमा निगम	953,162	16,686	60,442	87,484
(3) यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया	599,827	1,681	39,226	27,237
(4) राष्ट्रीयकृत बैंक .	468,493	1,760	30,805	22,131
(5) बीमा कम्पनियाँ .	221,559	15	9,811	5,487
(6) महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक तथा पुंजी निवेश निगम।	21,800		..	..

पश्चिमी बंगाल के कृषि श्रमिको के लिये बोइल्ड व्हीट एण्ड पिंच आफ साल्ट (उबला गेहूं और नमक)

426. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जनवरी, 1975 को स्थानीय दैनिक में 'बोइल्ड व्हीट, एण्ड पिंच आफ साल्ट' (उबला गहूं और नमक) शीर्षक से प्रकाशित पश्चिम बंगला राज्य श्रम विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में, नई जमीन सौंपे जाने वालों को, जिनमें अधिकृत: भूमिहीन श्रमिक होंगे, अधिकार सम्बन्धी स्थिति को दोष रहित करने और निवेश सम्बन्धी सहायता के लिये कार्यान्वयन तन्त्र को सुदृढ करने के वास्ते एक योजना की परिकल्पना की गई है।

लघु कृषक विकास अभिकरण और सीमान्त कृषक और खेतीहर श्रमिक विकास अधिकरण की केन्द्रीय क्षेत्र की चालू योजनाओं के अन्तर्गत, खेतिहर श्रमिक, दुग्धशाला, मुर्गी-पालन, सुअर पालन आदि जैसे साहयक व्यवसाय कार्यक्रमों के अन्तर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे खेतिहर मजदूरों, जिन्हें प्राय: केवल मौसिमी रोजगार मिलता है, को खाली मौसमों के दौरान, सीमान्त कृषक और खेतिहर श्रमिक परियोजनाओं में ग्रामीण कार्यक्रमों के अन्तर्गत रोजगार के अवसर प्रदान किये जाते है। इसके लिए 1975–76 को समाप्त होने वाली पंच वर्षीय परियोजना के लिए 20.00 लाख रुपये तक की व्यवस्था की गई है। यह पता चला है कि पश्चिम बंगाल में सीमान्त कृषकों और खेतिहर श्रमिकों को दो परि-योजनाओं से क्रमश: 2486 और 481 खेतिहर श्रमिकों को विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन लाभ मिलता है। उन खेतिहर श्रमिकों के तत्सम्बन्धी आंकड़े, जिन्हें ग्रामीण कार्यक्रम के अन्तर्गत दो परियोजनाओं में गैर-मौसमी रोजगार प्रदान किया गया था, क्रमश: 738 और 400 थी।

कृषि क्षेत्र में चौथी योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यथा सम्भव रूप से ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण जन संख्या को, जिसमें छोटे काश्तकार, सूखे क्षेत्रों के किसान और खेतिहर श्रमिक शामिल है, विकास में भाग लेने और उसके लाभों में सहभागी बनने योग्य बनाना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लि 1970–71 में ग्रामीण कार्यक्रम (गैर योजना केन्द्रीय क्षेत्र में) आरम्भ किया गया था और बाद में उसका नाम सूखा उनमुख क्षेत्र कार्यक्रम रखा गया जो कि पश्चिम बंगाल राज्य पर भी लागू होता है।

खेतिहर श्रमिकों के सम्बन्ध में एक स्थायी समिति गठित की गई है जिसमें अर्थ-शास्त्री, विशेषज्ञ राज्य सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों के पदाधिकारी सम्मिलित हैं जो अन्य बातों के साथ साथ वर्तमान वैधानिक और खेतिहर श्रमिकों के कल्याण के लिए अन्य उपबन्धों की पुनरीक्षा करेगी।

कृषि, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन एक अनुसूचित रोजगार है। इस अधिनियम के अधीन समुचित सरकार खेतिहर श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के लिए समय समय पर मजदूरी दरें निर्धारित करती है।

कोचीन शिपयार्ड की लागत का पुनरीक्षण

427. श्री सी० जनार्दनन : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड की अनुमानित लागत पुनरीक्षित करके 47 करोड़ रुपय से 75 करोड़ रुपये कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और कारण क्या है ; और

(ग) कोचीन शिपयार्ड के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से 45.42 करोड़ रुपये की ल मूलागत से 74.29 करोड़ रुपये तक संशोधन करने के प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधिन है।

(ख) अनुमानित लागत में वृद्धि के मूल कारण निम्न प्रकार से हैं :—

(1) 1968 से सामग्री और श्रम की कीमत में वृद्धि, जब मूल अनुमान तैयार किया गया था।

(2) विस्तृत डिजाइन-निर्माण के दौरान आवश्यक पाए गए संशोधनों के कारण वृद्धि।

(3) सरकार से कम्पनी की परियोजना के अन्तरण के फलस्वरूप बिक्री करके के कारण वृद्धि।

(4) सीमा शुल्क में वृद्धि।

(5) विभिन्न सहायक तत्वों के फलस्वरूप कार्य की बड़ी-बड़ी मदों के लिए करारों के मूल्य में वृद्धि।

(ग) भूमि अधिग्रहण, भूमि सुधार परियोजना सड़कों (प्रथम क्रम) गेट स्टोर, तेल स्टोर, प्रशिक्षण स्कूल कम्लेक्स, कम्पलेक्स रूम, मुख्य संग्राही केन्द्र, प्रयोगशाला व पुल और गेट हाऊस जैसे सिविल कार्य पूरे हो गए है। सामन्य स्टोर, ेख ेख शाप, हल शाप, और असेंब्ली शाप, लाकर रूम, स्थायी बिजली प्रदाय पद्धति (प्रथम क्रम), स्थायी जल प्रदाय पद्धति (क्रम 2), मशीन और इन्जन शाप तथा प्रशासनिक ब्लाक से सम्बन्धित सिविल कार्य प्रगति में है। मोल्ड लीपट और आउटफिटिंग मालगोदाम तैयार हो रहे हैं। भवन गोदी सम्बन्धी खोदन का काम पूरा हो गया है और उसके इर्दगिर्द शीट लगा दी गई हैं तथा गोदी तल के आर०सी० सी० फाइलिंग का काम प्रगति में है। मरम्मत गोदी और की संख्या 2 की गोदी ीवार की शीट पाइलिंग का काम, लंगर दीवारों का निर्माण और भूमि की खुदाई का कार्य प्रगति में है। की 1 और 3 की शीट पाइलिंग पूरी हो गयी है। परियोजना के लिए आवश्यक मशीनरी और उपकरण की कुल लगभग 332 मदों में से लगाई जाने वाली 64 मदों सहित 261 मदों के आर्डर दे दिये गए है। जिन मदों का आर्डर दिया गया है, उन में से 162 मदें पहले ही प्राप्त हो चुकी है और जिनमें विदेश से प्राप्त 53 मदें शामिल हैं। शेष उपकरण अधिकतर शार्ट लीड मदें हैं।

बोनस आयोग प्रतिवेदन की सिफारिशों पर निर्णय

428. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या बोनस आयोग प्रतिवेदन की सिफारिशों पर सरकार ने अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) बोनस पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर अभी तक निर्णय लिए जाने है।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पटना के कार्यालय में तदर्थ पदोन्नतियों का नियमित किया जाना

429. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार, पटना के कार्यालय में काम करने वाले बहुत से उच्च, श्रेणी/मुख्य लिपिक पर्याप्त समय से अभी भी तदर्थ पदोन्नति पर हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त तदर्थ पदोन्नतियों को नियमित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविद वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) 31-12-1974 को क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार, पटना में 6 मुख्य लिपिक और 21 उच्च श्रेणी लिपिक तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे थे।

(ख) (i) मुख्य लिपिकों के संवर्ग में नियमित रिक्तियों की गैर-उपलब्धि और तीन मामलों में अनुशासनिक कार्यवाहियों का लम्बन भी।

(ii) उच्च श्रेणी लिपिकों के संवर्ग में परीक्षा द्वारा अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की सुमेल संख्या की गैर-उपलब्धि, क्योंकि उस संवर्ग में नियमितकरण. वरिष्ठता कोटे और परीक्षा कोटे के कर्मचारियों के बीच 50:50 के अनुपात पर किया जाता है।

Alleged U. S. Threat to Oil Producing Arab Countries

430. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether U.S.A. has threatened oil producing Arab countries with military action on the question of oil;

(b) whether the Iraq Government have aprised the Prime Minister of India of the entire matter; and

(c) if so, the reaction of Government of India in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Pal Das) (a) Government have seen press reports attributed to high officials of the U.S. Administration according to which military action on the question of oil in certain circumstances of grave emergency is not excluded.

(b) & (c) In the course of the discussions between our Prime Minister and the Vice Chairman of the Iraqi Revolutionary Command Council it was agreed that the Gulf Region should be free from any tension or interference by outside powers so that countries of the region could devote their efforts to economic development.

घोघराघाट में सभी मौसमों में काम आने वाले सडक पुलों का निर्माण

431. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धोतराघाट में सभी मौसम में काम आने वाले सड़क पुल का निर्माण करने सम्बन्धी योजना को अन्तिम रूप देने की दृष्टि से धोधराघाट (उत्तर प्रदेश) में धोधरा नदी के ऊपर अस्थायी पुल और नौका सेवा के सम्बन्ध में कोई यातायात सम्बन्धी अध्ययन किया गया है;

(ख) क्या जनता तथा उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा वहां पर एक ऐसा पुल बनाने की मांग लगातार की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना को शामिल न किये जाने के क्या कारण हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) से (ग) धोधराघाट (उत्तरप्रदेश) में धोधरा के ऊपर प्रस्तावित पुल तैयार हो जाने पर, राज्य सड़क कर पड़ेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार यातायात अध्ययन आदि सहित इस परियोजना के सभी मामलों से सम्बन्धित है इस पुल के बारे में कुछ अभ्यावेदन मिले हैं और राज्य सरकार ने पांचवीं योजना के अन्तर्गत/राज्य सड़कए के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम/अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्वों के पुलों के अधीन ऋण सहायता के लिये अपने प्रस्तावों में इसे शामिल किया है। समस्त रूप से, उत्तर प्रदेश सरकार ने 31.98 करोड़ रुपये की कुल लागत की 23 परियोजनायें भेजी हैं, जिनमें सं० 13 वाला प्रस्तावित पुल शामिल है। अन्य राज्यों ने भी ऐसी मांग भेजी हैं। उत्तर प्रदेश की मांगों सहित इन सभी प्रस्तावों की कुल लागत 387 करोड़ रुपये है' जबकि पांचवीं योजना के मसौदे में केवल 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। इस नितान्त सीमित व्यवस्था में से केवल पारस्परिक प्राथमिकता के क्रम में उच्चतम योजनाओं को ही अन्तिम रूप

से लिए जाने की सम्भावना है । परन्तु चूंकि केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । अत:इस समय यह कहना सम्भव नहीं है किसी योजना के अन्तिम रूप से लिए जाने की सम्भावना है ।

संयुक्त अरब एमिरात् के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

432. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब एमिरात के राष्ट्रपति शेख जईद बिन सुलतान अलनहयान ने जनवरी 1975 में भारत की यात्रा की थी ; **और**

(ख) यदि हां, तो उनके साथ किन विषयों पर चर्चा की गई और उसमें क्या निर्णय लिये गये ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) जी हां, संयुक्त अरब अमीरराज्य के राजकुल मान्य शेख जाईद बिन सुलतान अल-नयान ने 1 से 5 जनवरी 1975 तक भारत की सरकारी यात्रा की ।

(ख) राजकुल मान्य शेख जईद बिन सुलतान अल-नयान ने अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों तथा द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुहों सहित अनेक मामलों पर भारत की प्रधान मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया । इस विचार-विमर्श से विचारों में निकट साम्य प्रकट हुआ । दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता में एक संयुक्त आयोग गठित किया गया है । संयुक्त अरब अमीर राज्य के विदेश मंत्री और हमारे शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री ने एक सांस्कृतिक करार पर भी हस्ताक्षर किए। यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति की प्रतियां संसद पुस्तकालय में रखी गई है ।

विदेशी मछुआ पोतों द्वारा भारतीय समुद्री सीमा में घुस पैठ

435. श्रीमती रोजा देशपांडे : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह की पास वर्ती भारतीय समुद्री सीमा में शस्त्रों से लदे विदेशी मछुआ पोतों द्वारा घुसपैठ की गई ; **और**

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस प्रकार की घुस पैठ को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां श्रीमन ।

(ख) अण्डमान और निकोबार द्वीपों के आस-पास विदेशी जहाजों विशेषत: मछली पकड़ने वाले जहाजों द्वारा भारतीय समुद्री सीमा के उल्लंघन की कई घटनाएं हुई हैं । कुछ मामलों में यह देखा गया है कि नौकाएं शस्त्र लिए हुए थी । जब कभी उनको देखा गया है तो उनका पिछा किया गया और कुछ मामलों में उन्हें पकड़ लिया गया था । पकड़ी गई नौकाओं पर स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है । इस प्रयोजन के लिये जितने गश्ती जहाजों को उपलब्ध किया जा सकता है उन्हें तैनात कर हमारी समुद्री सीमा में घुसपठ को निरुत्साहित करने के लिए सभी प्रयत्न किए जाते हैं ।

पश्चिम बंगाल में मलेरिया के रोगियों में वृद्धि

436. **श्री आर० एन० बर्मन :**

श्री निम्बालकर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल म, 1972 से मलेरिया के रोगियों की संख्या में 400 प्रतिशत की वृद्धि रिकार्ड की गई है ;

(ख) क्या इस रोग के बार-बार फैलने के बारे में अब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई, राज्यवार. मूल्यांकन किया गया है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारत सरकार द्वारा मलेरिया उन्मूलन सम्बन्धी किसी राष्ट्रीय नीति पर विचार किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो मलेरिया उन्मूलन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को तत्काल किस प्रकार की सहायता दी जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) मलेरिया रोगियों की संख्या में वृद्धि तो हुई है किन्तु 400 प्रतिशत तक नहीं ।

(ख) राज्यों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्यक्रम का निदेशालय नियमित रूप से विभिन्न राज्यों में मलेरिया की स्थिति का जायजा लेता रहता है । 1974 में अधिकांश राज्यों में पिछले वर्षों की तुलना में मलेरिया रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है ।

(ग) और (घ) मलेरिया उन्मूलन का राष्ट्रीय कार्यक्रम पहले से ही चल रहा है । जो एक केन्द्र पोषित योजना है भारत सरकार इस कार्यक्रम के आक्रमक और समेकित चरण वाले क्षेत्रों के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता देती है । पश्चिम बंगाल सरकार ने 1974–75 में इसके संचालन के लिए 24. 95 लाख रुपये और सामान तथा उपकरण के लिए 11.90 लाख रुपये रखे है ।

देश में औषधियों की कमी

437. **श्री पी० ए० सामीनाथन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या देश में औषधियों की भी भारी कमी है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ख) क्या समूचे देश में बड़े अस्पतालों ने निशुल्क चिकित्सा सहायता बन्द करदी है जो कि निर्धन व्यक्तियों को दी जाती है थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या एक निर्धन व्यक्ति को भी, जिसकी आय 50 रुपये प्रति मास है, उस समय भी अस्पताल में पूरा चिकित्सा शुल्क तथा औषधियों का मूल्य देना पड़ता है जब रोगी मारणासन्न होता है ;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ङ) क्या देश में अनेक मौतें औषधियों के उपलब्ध न होने तथा अस्पतालों द्वारा मारणासन्न रोगी को औषधि न देने के कारण हुई हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) देश में औषधियों की कोई भारी कमी नहीं है, वैसी राज्य औषधि नियंत्रकों से पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

को कुछ औषधियां खासकर प्रोप्रायटरी ब्राण्ड वाले औषध-योगों की यदा-कदा कमी हो जाने के बारे में रिपोर्ट मिलती हैं। इनके लिए ऐसे ही औषधयोग दूसरे निर्माताओं से आमतौर पर मिल जाते हैं इस सम्बन्ध में 28 नवम्बर. 1974 की लोक सभा प्रश्न सं० 2572 के, जो इसी प्रकार का प्रश्न था उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ख) से (ङ) सूचना उपलब्ध नहीं है।

फ्रांसीसी युद्ध पोतों द्वारा हिन्द महासागर में गश्त लगाना

438. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री एम० एस० पुरती :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो फ्रांसीसी युद्धपोतों को चार महीनों के लिए हिन्द महासागर में गस्त लगाने का निदेश दिया गया है ; और

(ख) यदि हां. तो अन्य ऐसे देशों सम्बन्धी तथ्य क्या है जिन्हों ने हिन्द महासागर में पहले ही अपनी नौसैनिक गतिविधियां आरम्भ कर दी हैं।

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, मार्च से अगस्त 1975 तक एक फ्रांसीसी नौसैनिक बेड़े के हिन्द महासागर में होने की सम्भावना हैं।

(ख) हिन्द महासागर में मुख्य विदेशी नौसैनिक उपस्थिति बड़ी नौसैनिक शक्तियों की है ; उनकी गतिविधियों के कुछ ब्यौरे संयुक्त राष्ट्र के महा सचिव की रिपोर्ट सं० ए/एसी० 159/1/रैव० 1 दिनांक 11 जुलाई 1974 में दिए गए हैं।, जिसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय में रख दी गई है।

मारीशस के प्रधान मंत्री का दौरा

439. **एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या मारिशस के प्रधान मन्त्री ने हाल में भारत का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां. तो उनके साथ किम किन विषयों पर बातचीत हुई और उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) जी हां।

(ख) महामान्य प्रधान मंत्री, सम्माननीय डॉ० सर शिवसागर रामगुलाम ने 5 से 14 जनवरी तक भारत की राजकीय यात्रा की थीं। महामान्य रामगुलाम और हमारी प्रधान मंत्री ने आपसी हित के मामलों पर विचार विमर्श किया था जिसमें आन्तर्राष्ट्रीय मामले भी शामिल हैं। इस विचार विमर्श में सभी विषयों पर निकट विचार साम्य प्रकट हुआ। भारत द्वारा मारशिस को 5 करोड़ रुपये का ऋण दिए जानेसे सम्बन्धित करार पर हस्ताक्षर हुए। महात्मा गांधी संस्था को भारत का अंशदान 30 लाख रुपये से बढ़ा कर 74 लाख रुपया कर दिया गया है। वर्ष 1975 और 1976 में सांस्कृतिक विनिमय का भी कार्यक्रम तैयार किया गया है।

यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति का मूल पाठ संसद के पुस्तकालय में रख दिया गया है।

विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना

440. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना के कार्य को तीव्रगति से चलाने के सम्बन्ध में 30 संसद सदस्यों ने उन्हें कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो, क्या केन्द्रीय सरकार ने सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना के कार्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ।

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) इस विषय पर कुछ संसद सदस्यों से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था ।

(ख) जी, हां ।

(ग) विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :--

(1) कारखाने के लिए आवश्यक भूमि में से अधिकांश भूमि प्राप्त की जा चुकी है और शेष भूमि शीघ्र ही प्राप्त करने का विचार है ।

(2) आशा है कि विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करवाने के लिए भी आदेश शीघ्र ही दे दिए जाएंगे ।

(3) अगले महीने के मध्य तक महाप्रबन्धक का प्रायोजन कार्यालय विशाखापत्तनम में खोल दिया जाएगा ।

गुजरात और राजस्थान में बसाये गये 1971 के भारत-पाक संघर्ष के विस्थापित व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता

441. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 के संघर्ष के दौरान राजस्थान और गुजराथ में पाकिस्तान से आये विस्थापितों का अब तक पुनर्वास कर दिया है ;

(ख) क्या इन विस्थापियों ने भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए सरकार से अभिवेदन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा किस प्रकार का निर्णय लिया गया है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडीलकर) : (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा उन पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को अस्थायी राहत सहायता दी जा रही है जो 1971 के संघर्ष के फलस्वरूप भारत आए थे और जिन्होंने अभी पाकिस्तान वापस जाना है । जब कि इन व्यक्तियों में से कुछ व्यक्तियों ने भारत में स्थायी पुनर्वास के लिए सरकार की अनुमति मांगी है, तथापि, भारत सरकार की यह नीति है कि चूंकि ये व्यक्ति पाकिस्तानी राष्ट्रिक हैं अत: उन्हें सुरक्षा एवं सम्मानपूर्वक अपने देश में वापस जाना चाहिए । इस स्थिति को पाकिस्तान सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है ।

रोजगार कार्यालयों द्वारा जनवरी से दिसम्बर, 1974 के बीच दिलाया गया रोजगार

442. **श्री दिनेश जोरदर :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार कार्यालयों द्वारा जनवरी से दिसम्बर, 1974 के बीच कितने व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में कितने नए व्यक्तियों के नाम दर्ज किए गए ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविद वर्मा) : (क) 3.97 लाख ।

(ख) इस अवधि के दौरान नए पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या 43.99 लाख थी ।

(ग) सरकार विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों द्वारा बेरोजगार व्यक्तियों के लिए अधिकाधिक संख्या में रोजगार अवसर जुटाने के हर प्रयास करती आ रही है । इसके अतिरिक्त, सरकार ने हाल के वर्षों में सभी वर्गों के नौकरी चाहने वालों के लिए रोजगार अवसर सृजित करने वाली अनेक विशिष्ट स्कीमें भी कार्यान्वित की है ।

1971-72 के दौरान प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 1000 व्यक्तियों को काम दिलाने के लिए ग्रामीण रोजगार सम्बन्धी त्वरित स्कीम आरम्भ की गई । उसी वर्ष के दौरान, शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लाभ के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित एक विशेष योजना भी शुरू की गई । 1972-73 में एक अन्य कार्यक्रम अर्थात राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम बनाया गया, जिसके लिए इस आशा से 27 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई कि राज्य भी समान राशि के अतिरिक्त साधनों की व्यवस्था करेंगे । इनके अलावा, 1973-74 में सरकार ने शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार और स्वरोजगार अवसरों का सृजन करने की दृष्टि से पांच लाख रोजगार कार्यक्रम तैयार किया ।

पांचवीं योजना में क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के साथ उपयुक्त रूप से समेकित एवं संगत रोजगार गहन स्कीमों को बनाते समय यह ध्यान दिया गया है कि समग्र नीति के अनुरूप अधिक सुव्यवस्थित तथा लगातार कार्य किया जा सके ।

1974-75 में स्वरोजगार पर बल देने वाला रोजगार वर्धन कार्यक्रम चलाया गया है । इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण पर और सीड पूंजी/सामान्त धन आदि के लिए सरकार द्वारा कम से कम निवेश के साथ उत्पादक एवं स्व-सृजित रोजगारों का सृजन करना है । जनवरी, 1975 के अन्त तक 40 करोड़ रुपये के कुल विनिधान में से 1,499.57 लाख रुपये की औपचारिक स्वीकृतियां जारी की गई है, जिनमें 68,159 रोजगार की क्षमता है ।

अत: इससे प्रतित होगा कि सरकार नौकरी चाहने वालों के विभिन्न वर्गों के लिए रोजगार/स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध स्त्रोतों के अनुरूप हर सम्भव कार्यवाही कर रही है ।

इस्पात और तांबे के तैयार माल की कुल खरीद

443. **श्री त्रिदिब चौधरी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष (1974-75) विशेषकर हाल के महीनों के दौरान इस्पात और तांबे के तैयार माल की कुल खरीद में गिरावट आयी हैं और हिन्दुस्तान स्टील तथा खनिज और धातु व्यापार निगम के मुख्य स्टाक यार्डों में अत्यधिक स्टाक जमा है; और

(ख) क्या स्थिति का कोई मूल्यांकन किया गया है और उपचारात्मक कार्यवाही की गयी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) अप्रैल, 1974 जनवरी 1975 की अवधि में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों का उत्पादन पिछले वर्ष के इसी अवधि के उत्पादन की तुलना में 3.5 लाख टन अधिक हुआ है। इस्पात कारखानों से इस्पात के अपक्रय में भी वृद्धि हुई है। माल सूचियों को सक्रिय बनाने के लिये किये गए विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप अप्रैल 1974, जनवरी, 1975 की अवधि में मुख्य इस्पात कारखानों से देश की अर्थव्यवस्था के लिए इस्पात की सप्लाई 6.34 लाख टन अधिक हुई है जो पिछले वर्ष के दस महीनों में की गई सप्लाई के मुकाबले में 18% अधिक है। मुख्य उत्पादकों के स्टाक यार्डों के पास स्टाक उनकी एक महीने की बिक्री से कुछ अधिक है और इतना स्टाक अधिक नहीं समझा जाता।

जहां तक तांबे का सम्बन्ध है, तैयार तांबे के अपक्रय में कमी हुई है और हिन्दुस्तान कापर लि० के पास तैयार तांबे का लगभग 2000 टन स्टाक इकट्ठा हो गया है। खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पास भी काफी स्टाक जमा हो गया है जहां तक स्टाक को निकालने का सम्बन्ध है इस मामले पर पुनर्विचार किया गया है और खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा तांबे के आयात में कमी करने के बारे में भी विचार किया जा रहा है। खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने वास्तविक उपयोक्ताओं के लिए तांबे के विक्रय मूल्य भी घटा दिए हैं।

विदशों में चीनी दूतावासों द्वारा भारत विरोधी प्रचार

444. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विरोध के बावजूद भी विदेशों में चीनी दूतावासों द्वारा सिक्किम में हुई घटनाओं के मामल में भारत विरोधी प्रचार जारी है ; और

(ख) इस प्रचार के प्रचार का खण्डन करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

विदश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) कुछ देशों में इस प्रकार के प्रचार के मामले हुए हैं। दिसम्बर 1974 के बाद सरकार के ध्यान में कोई मामला नहीं आया है।

(ख) सम्बद्ध भारतीय मिशनों ने सूचना बुलैटिन, जबानी सूचना द्वारा और स्थानीय सरकारों से संपर्क करके समुचित ढंग से इस प्रकार से इस प्रकार के प्रचार का जबाब दिया है।

कृषि श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजूरी

445. श्री एस० एम० सिद्दय्या : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी नियत कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) उपलब्ध सूचना भारतीय श्रम आंकड़े 1974, (पृष्ठ 68–69) की तालिका 4.8 में छापी गयी है, जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय को भेजी गई है।

राज्यों में शीत लहर से हुई मौतें

446. **श्री गजाधर मांझी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ राज्यों में शीत लहर के कारण होने वाली मौतों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इस प्रकार की कितनी मौतें हुई हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप-मंत्री (श्री ए० च० एम० इसहाक) : (क) और (ख) मौतों की अधिसूचना नहीं दी जाती, इसलिए शीत लहर के कारण कितने व्यक्तियों की मौत हुई इसके बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

सलेम इस्पात संयंत्र के लिये परियोजना प्रतिवेदन

447. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सलेम-इस्पात संयंत्र के लिये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) मैसर्स एम० एन० दस्तूर एण्ड कम्पनी प्रा० लि० सलाहकार इंजीनियरी द्वारा 30-12-74 को सलेम स्टील लि० को प्रस्तुत किए गए विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन की एक प्रति सरकार को प्राप्त हो गई है ।

(ख) इस प्रायोजना के सलाहकार इन्जीनियरों ने सिफारिश की है कि इस प्रायोजना की तैयार इस्पात की चादरों/स्ट्रिप की वार्षिक क्षमता 2,20,000 टन होनी चाहिए, जिसमें 75,000 टन विद्युत इस्पात, 70,000 टन बेदाग इस्पात 55,000 टन अन्य विशेष इस्पात और 20,000 टन साधारण इस्पात होगा । अनुमान है कि वर्तमान लागत के आधार पर इस प्रायोजना पर लगभग 518.10 करोड़ रुपये खर्च होंगें जिससे लगभग 93.18 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में होंगे ।

(ग) विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन की इस समय एक तकनीकी समिति द्वारा जांच की जा रही है और इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

मुख्य पत्तन परियोजनाओं पर व्यय की गयी राशि

448. **श्री वयालार रवि :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के अन्दर कौन-कौन सी पत्तन परियोजनाएं चलाई गई और अब तक प्रत्येक परियोजना पर कितनी राशि व्यय की गई ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : मुख्य चालू बड़ी पत्तन परियोजनाओं और चौथी योजना काल में ली जाने वाली परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि नीचे प्रत्येक

परियोजना के सामने दी गई है :—

पत्तन	परियोजना	राशि (रु० करोड़ों में)
कलकत्ता	हल्दिया गोदी परियोजना	85.62
	हल्दिया को जाने वाले नौवहन जल मार्ग निकर्षण ।	7.80
	भागीरथी-हुगली नदी साध कार्य	5.66
पारादीप	सामान्य मालघाट निर्माण	3.11
	पारादीप पत्तन के लिये लोकोमोटिव सहित पत्तन रेलवे का निर्माण	3.14
विशाखापत्तनम	विशाखापत्तनम बाह्य बन्दरगाह परियोजना	65.34
मद्रास	बाह्य बन्दरगाह में तेल गोदी का निर्माण	15.71
	बाह्य बन्दरगाह में खनिज घाट पर यंत्रीकृत खनिज धरा उठाई संयंत्र लगाना ।	14.04
तुतीकोरिन	तूतीकोरिन बंद रगाह परियोजना	21.39
कोचीन	सुपर टैंकर तेल टर्मिनल परियोजना	1.96
	हापर सेक्शन निकर्षक की खरीद	2.09
मंगलोर	मंगलौर बन्दरगाह परियोजना	37.36
मारमुगाओ	पत्तन विकास परियोजना	26.88
बम्बई	डाग सक्शन निकर्षक 'विशाल' की खरीद	1.67
	गोदी विस्तार योजना और बलार्ड पीयर विस्तार	21.40
कांडला	2500 घ० मी० के डीजल ड्रिवन टिवन स्क्रू ट्रेलिंग सक्शन की खरीद ।	3.15
	सामने की डायफराम दीवार के निर्माण सहित 5 वें घाट का निर्माण ।	2.12
केन्द्रीय निकर्षण संगठन	निकर्षक और उनके सहायक पूर्जों की प्राप्ति	19.61

Languages used in U.N.O.

450. **Shri R. V. Bade :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Madhavrao Scindia :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the countries having Hindi-knowing population and of those where Hindi is a minority languages as also the total Hindi-speaking population in the world;

(b) the similar information about the languages which are recognised languages of the U.N.O. ;

(c) the criterion of giving recognition to a language in the U.N.O. and the comparative position of Hindi in that context vis-a-vis other languages of U.N.O. ; and

(d) the number of member-countries of U.N.O. which do not regard Hindi as worthy of being recognised as a language of the U.N.O.?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das) : (a) & (b) No authentic information is available; estimated figures are given in Annexure.

(c) & (d) There are no criteria laid down in the Charter of the United Nations. Any addition to the list of languages of the U.N. would require an amendment of the Rules of Procedure supported by a majority of the members present and voting. Acceptance would depend on the importance of the language, the number of countries using it and the support of the majority of members, having regard also to the financial implications.

Government is in the process of making an assessment regarding the possibility of Hindi being accepted as one of the languages of the U.N. Further action, as necessary, will be taken on the basis of this assessment.

STATEMENT

HINDI	Hindi is spoken by 162 million people in India. Figures about the total Hindi speaking popultation of the world are not available. However, it may be mentioned that there are substantial Hindi speaking populations in the following foreign countries. Nepal, Mauritius, Fiji, Surinam, Trinidad, Guyana, Malaysia, Thailand, Kenya and Burma.
ENGLISH	Spoken by over 300 million people spread over the Continent of North America, the United Kingdom, Australia, New Zealand etc. It is also spoken in a number of countries in Asia and Africa which were formerly British colonies.
FRENCH	Information regarding the number of people speaking French is not readily available. French is the Official language in France and is one of the official languages in Belgium, Switzerland and Canada. It is spoken in former French possessions in West and North Africa, Indo China and elsewhere.
RUSSIAN	Spoken by nearly 200 million people spread over the USSR and Eastern Europe.
SPANISH	Spoken by over 175 million people in Spain and Latin America.
CHINESE	Spoken by about 700 million people in China.
ARABIC	It is currently spoken by more than 120 million people. It is the official language of 19 member States of the U.N.

NOTE : (Figures in respect of Hindi are taken from the Pocket Book of Population & Statistics brought out by the Registrar General of India. No official figures are available in respect of other languages. The estimated figures given above have been collected from Year Books and encyclopaedias).

संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा स्वेज नहर का खोला जाना

451. **श्री निंबालकर :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त अरब गणराज्य सरकार को स्वेज नहर को यथाशीघ्र खोलने की आवश्यकता के सम्बन्ध में राजी करने के लिए कोई कदम उठाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में संयुक्त अरब गणराज्य ने क्या विचार रखे हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) जी नहीं । सरकार को इस बात में संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि मिस्र के अरब गणराज्य को, जिसकी प्रभुसत्ता के अन्तर्गत यह मामला आता है, नहर खालने के लाभों की पूरी जानकारी है । इसलिए, सरकार को इस मामले में मिस्र की मित्र सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव करने का कोई कारण अथवा अवसर नहीं हुआ ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मर्चेंट एसोसिएशन आफ करीमगंज से स्टीमर सेवा के बारे में ज्ञापन

452. **श्री शक्ति कुमार सरकार :**
श्री शंकर नारायण सिंह देव :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल परिवहन निगम को मर्चेंट एसोसिएशन आफ करीमगंज से बंगलादेश से होते हुए स्टीमर सेवा चलाने के बार में ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं तथा यह कब प्राप्त हुआ था ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी हां ।

(ख) ज्ञापन जो 9-8-1974 को मिला उसकी मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :—

(1) जुग्गरनाथ घाट और करीमगंज में गोदाम सुविधाओं की व्यवस्था करना ;

(2) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड द्वारा भाड़ा दरों का युक्तिकरण ;

(3) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम नदी सेवाओं से जहाज का माल नहीं दे सका ।

नियंत्रित प्रक्षेपणास्त्रों का निर्माण तथा आयात

453. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन सी नियंत्रित प्रक्षेपणास्त्र भारत में बनाये तथा तैयार किए जा रह हैं और कौन से प्रेक्षपणास्त्र भारत में आयात किए जाते हैं और किन देशों से ; और

(ख) इन में से प्रत्येक प्रक्षेपणास्त्र की रेंज तथा घातक क्षमता कितनी है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना को प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा और राष्ट्रीय हित के लिए हानिकर होगा ।

रायपुर (मध्य प्रदेश) में सोहागपुर-नवगांव शिबिर में राहत सुविधायों

454. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि मध्य प्रदेश में रायपूर के सोहागपुर-नवगांव शिबिर में राहत सुविधा को बन्द कर दिया गया था और सारे शिबिर को पुलिस (केन्द्रीय आरक्षण पुलिस) के अन्तर्गत रखा गया था ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि मिशनरी राहत को भी पुलिस (केन्द्रीय आरक्षण पुलिस) द्वारा अनुमति नहीं दी गयी थी ; और

(ग) यदि हां, तो वहां की स्थिति और शरणार्थियों को रहने की दशा को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर०के० खाडिलकर) : (क) (i) सिंचाई परियोजना में नहर कार्य पर रोजगार दिलाने के उद्देश से लगभग 3,000 प्रवासी परिवारों को माना से तावा के कार्य स्थल शिबीरों में भेजा गया है । किन्तु उन्हे दिए गए काम को करने से उन्होंने इन्कार कर दिया है । प्रवासी परिवारों को काम करने के लिए राजी करने के सभी प्रयत्न किए गए थे । वर्तमान हिदायतों के अनुसार यदि कोई कुशल पुरुष सदस्य दिए गए काम को करने से इन्कार करते हैं तो उनकी राहत सुविधाएं बंद कर दी जाती है और परिवारों को शिबिर से बाहर निकाल दिया जाता है । इन परिवारों को नोटिस भी जारी किए गए थे जिन में यह स्पष्ट किया गया था कि काम करने से इन्कार करने के क्या परिणाम होंगे । ऐसे परिवारों की राहत सुविधाएं जिन्होंमे इसके बाद भी काम करना शुरु दहीं किया अन्ततः 21-12-1174 से बन्द कर दी गई थी ।

(ii) कानून तथा व्यवस्था सम्बन्धी उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पुलिस व्यवस्था की गई थी । तथापि, इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय आरक्षण पुलिस को नहीं लगाया गया था ।

(ख) प्रवासियों को मिशनरी राहत दिए जाने की कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) इन कार्यस्थल शिबिरों पर लौटने वाले प्राय: सभी परिवारों के कुशल पुरुष सदस्यों ने जनवरी 1975 के प्रथम सप्ताह से काम करना शुरू कर दिया है और उन परिवारों को मानवीय आधार पर पुनः शिबिरों में प्रवेश दे दिया गया है और जिस तारीख से उन्होंने काम करना प्रारम्भ किया है, उस तारीख से उन्हें फिर से राहत सुविधाएं दनी चालू कर दी गयी हैं । यह बताया गया है कि शिबिरों में स्थिति शान्तिपूर्ण है ।

सरकारी क्षेत्र में जन-दिवसों की हनि

455. **श्रीमती भार्गवी तमकप्पन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 की तुलना में वर्ष 1974 में हड़ताल, ताला बन्दी तथा अन्य औद्योगिक विवादों तथा गड़बड़ियों के कारण सरकारी क्षेत्र में अधिक जन-दिवसों की हानि हुई ;

(ख) गैर सरकारी क्षेत्र में जन दिवसों की हानि की तुलना में माह-वार, आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) उत्पादन में लगभग कितनी कमी हुई और इससे राजकोश को कितनी हानि हुई है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) संलग्न विवरण 1973 और 1974 (अनन्तिम) के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्रों में औद्योगिक विवादों (हड़तालों और हडतालों और तालाबन्दियों) के कारण नष्ट हुए श्रम दिनों की महीनेवार संख्या दर्शाता है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8934/75]** उपलब्ध सूचनानुसार, 1,227 मामलों (2,514 में स) के संबंध में, जिन के बारे में श्रम ब्यूरों, शिमला के पास सूचना तत्काल उपलब्ध है, उत्पादन की हानि का मूल्य 72.18 करोड़ रुपये था ।

नए मंगलौर बन्दरगाह में तलकर्षण कार्य के लिये चट्टानों का हटाया जाना

456. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए मंगलौर बन्दरगाह तलकर्षण में कार्य के दौरान चट्टानें पाई गई थी;

(ख) इन चट्टानों को हटावे के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या और अधिक चट्टाने न होने से तलकर्षण 55 फीट गहराई से भी अधिक गहराई पर किया जा सकता है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) तथा (ख) जी, हां, डाक आर्म में तथा लगून की भीतरी जलमार्ग में कुछ चट्टाने सामने आई।

डाक आर्म के चट्टान वाले भाग को लगभग डिजाइन की गई गहराई तक हटा दिया गया है। जल मार्ग के चट्टानी भाग को जहां तक उपलब्ध संयंत्रों द्वारा सम्भव हो सका यथा सम्भव साफ कर दिया गया है तथा बाकी बची को साफ करने के लिए ठेके की एजेंन्सियां से विचार विमर्श किए जा रहे हैं।

(ग) भूकम्प यंत्रों द्वारा की गई जांच से विभिन्न सतहों पर चट्टानों का पता चलता है। वर्तमान स्वीकृत 33 फूट की गहराई के बाद चट्टानी भागों का और निकर्षण आवश्यक होगा।

कनाडा के प्रतिनिधि मंडल का दौरा

457. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

श्री राम सहाय पांडे :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1975 के महीने में कनाडा के एक प्रतिनिधि मण्डल ने अपने विदेशकार्य लाहकार की अध्यक्षता में आणविक सहायता के बारे बातचीत के लिए हमारे देश का दौरा किया सथा ; औंर

(ख) यदि हां, तो उनकी बातचीत के विषय क्या है और क्या क्या निर्णय लिए गए ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) कनडा के प्रधान मंत्री विषेश सहायक के नेतृत्व में कनाडा के एक प्रतिनिधि मण्डल ने द्विपक्षोय वार्ता के लिए 4-6 जनवरी, 1975 तक भारत की यात्रा की।

(ख) बातचीत के दौरान परमाणु मामलों सहित भारत-कनाडा संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। बातचीत का स्वरूप खोजकारी था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे से संपर्क बनाया रखने पर सहमति की।

वाणिज्यिक तथा औद्योगिक संस्थाओं के सभी कर्मचारियों पर बोनस योजना लागू करना

459. श्री मधु लिमये :

श्री रानेन सेन :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रमिक संघ केन्द्रों तथा संघ की सलाह से बोनस पुनरिक्षण समिति के प्रतिवेदन पर कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के केन्द्र तथा राज्य सरकारों के अन्तर्गत वाणिज्यिक तथा औद्योगिक संस्थाओं के सभी कर्मचारियों पर बोनस योजना लागू करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) बोनस पुनरिक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों से परामर्श लेकर विचार किया जा रहा है और अभी निर्णय लिए जाने बाकी हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का पुनर्वास

460. **श्री समरगुह** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1975 तक पूर्वि पाकिस्तान से आए कुल ऐसे कितने शरणार्थी हैं जिनका अभी पुनर्वास किया जाना शेष है ;

(ख) वे कौन कौन से शिबिर तथा स्थान हैं जहां उन्हें अस्थायी रूप से शरण दी गयी है ;

(ग) प्रत्येक शिबिर तथा अन्य स्थानों में उनकी पृथक पृथक संख्या क्या है ; और उनकी देखरेख के हेतु उन्हें क्या क्या सुविधायें प्रदान की गयी हैं ;

(घ) क्या इन में से कुछ शरणार्थी गत पांच से पन्द्रह वर्षों से इन शिबिरों में रह रहे हैं, यदि हां, तो उनके पुनर्वास के सम्बन्ध में अनावश्यक विलम्ब के कारण क्या हैं ;

(ङ) अन्य वर्गों के शरणार्थियों की संख्या तथा अन्य विवरण क्या हैं जिन्हें अभी भी भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तान से आये शरणार्थीयों के रूप में मान्यता मिलनी है ; और

(च) पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थीयों के सभी वर्गों के पुनर्वास की समय अनुसूची सहित योजनाओं की रूप रेखा क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खडिलकर) : (क) 31 जनवरी, 1975 तक भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए पुनर्वास की प्रतीक्षा में शिबिरों में रह रहे प्रवासियों की कुल संख्या लगभग 25,300 परिवार है ।

(ख) और (ग) जानकारी अनुबन्ध I और II में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8935/75]**

(घ) इनमें से अधिकांश प्रवासी 1-1-1970 से 25-3-1971 के मध्य से शिबिरों में रह रहे हैं। तथापि उनमें से कुछ 1-1-1964 से 31-12-1969 की अवधि के दौरान आए थे।

परिवारों के पुनर्वास का कार्यक्रम उपयुक्त भूमि एवं पर्याप्त निधि की उपलब्धता पर निर्भर करता है। तथापि, विभिन्न राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से उपयुक्त भूमि खोजने का प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है ।

(ङ) सरकार की नीति के अनुसार, वे समस्त प्रवासी राहत और पुनर्वास सहायता पाने के पात्र हैं जो 1-1-1964 से 25-3-1971 के बीच भारत आए और जिन्होंने पश्चिमी बंगाल से बाहर किसी राहत शिबिर में प्रवेश पा लिया हो।

(च) पांचवीं योजनावधि के दौरान 21,300 परिवारों के पुनर्वास के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं। इनमें से 15,600 परिवारों को कृषि भूमि और 5,700 परिवारों को गैर-कृषक व्यवसायों में बसाने की योजना है जो उपयुक्त भूमि एव पर्याप्त निधि की उपलब्धता पर निर्भर होगा ।

राष्ट्रीय मजूरी नीति का बनाया जाना

461. **श्री पी० वेंकटा सुब्बया :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अध्यापकों, डाक्टरों, रेल-कर्मचारियों, एयरलाईन कर्मचारियों तथा दूसरे कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हड़तालें बढ़ती हुए दबावों के प्रत्यक्ष परिणाम हैं ;

(ख) क्या सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में व्याप्त इतने अधिक असन्तोष से एक राष्ट्रीय मजूरी नीति के बनाने में उसकी असफलता का द्योतक है ;

(ग) क्या इस समय व्याप्त मजूरी ढांचा अस्तव्यस्त स्थिति में है, क्योंकि इसमें कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों द्वारा किये गये कार्य की तुलनात्मक किस्म तथा महत्व की ओर ध्यान नहीं दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (घ) औद्योगिक विवाद और हड़ताले औद्योगिक प्रजातंत्र का अक सामान्य लक्षण है; जिस सीमा तक वे मजदूरी की मांग पर कर्मचारियों और नियोजकों के बीच असहमतियों के परिणाम स्वरूप है, राष्ट्रीय मजदूरी नीति का निर्माण इस प्रकार की मांगों के कारण होने वाली हड़तालों की घटनाओं को कम करने में सहायक हो सकता है। सरकार इस प्रकार की नीति उद्भूत करने के आवश्यकता के संबंध में पूर्णतया सचेत है ।

शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वनियोजन योजना

462. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : कि

(क) तिमाही, छमाही तथा वार्षिक समयावधिवों में बेरोजगारों की स्थिति जानने के लिए क्या पद्धतियां अपनाई जाती हैं ;

(ख) 31-12-74 को तकनीकियों सहित, श्रेणीवार, सभी शिक्षित बेरोजगारों की स्थिति क्या थी ; और

(ग) उनके लाभार्थ बनाई गई स्वनियाजन याजनाओं के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

श्रम मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) देश में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़ों के तीन मुख्य स्रोत हैं: (i) दशवार्षिक जनगणना, (ii) विभिन्न राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एन० एस० एस०), (iii) रोजगार बाजार सूचना (ई० एम० आई०) और रोजगार कार्यालयों के आंकड़े। तिमाही, छमाही तथा वार्षिक अन्तरालों पर एकत्रित आंकड़े रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों की संख्या के संबंध में हैं।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना विवरण I और II (संलग्न) में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8936/75]**

Expenditure on Communication and Conveyance in Indian Embassy in U.S.S.R.

463. Shri Hukam Chand Kachawai : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3901 on the 29th August, 1974 regarding Indian and Foreign Nationals working in Indian Embassy in U.S. S. R. and state :

(a) the expenditure incurred by Government on communication system in Indian Embassy in U.S.S.R. during 1972-73 and 1973-74 ;

(b) whether the staff of the Indian Embassy in U. S. S. R. is given Conveyance charges for performing official work; and

(c) if so, she expenditure incurred on conveyance charges during 1972-73 and 1973-74?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das) : (a) A statement is placed on the table of the House.

(b) Yes, Sir.

(c) A statement is placed on the table of the House.

STATEMENT

Expenditure incurred on Communication System and Conveyance Charges in Indian Embassy in U.S.S.R. during 1972-73 and 1973-74

Sl. No.	Name of Mission	Expenditure on communication during		Expenditure on Conveyance Charges durring	
		1972-73	1973-74	1972-73	1973-74
1	2	3	4	5	6
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1	Embassy of India, Moscow	2,74,767	2,99,986	7,712	10,176
2	Consulate General, Odessa . .	..	..	97	71

ग्रामीण क्षेत्रों के लिये रोजगार गारन्टी योजना

464. **श्री के० लकप्पा :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोज़गार गारन्टी योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या यह योजना केन्द्र प्रायोजित है अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी ऐसी ही योजना आरम्भ करने की है और यदि हां, तो कब ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) इस संबंध में लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 373, दिनांक 19-2-1975 के भाग (ख) के दिए गए उत्तर (प्रतिलिपि संलग्न है) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ग) जी नहीं ।

प्रतिलिपी

महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी योजना

373. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा योजना आयोग को 50 करोड रुपए की रोज़गार गारंटी योजना भेजी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या है और उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) राज्य की वार्षिक योजना 1975–76 में, 50 करोड़ रुपए की रोज़गार गारंटी स्कीम बनाई गई है। यह राज्य सरकार के द्वारा तैयार की गई है। स्कीम का लक्ष्य रोजगार के ऐसे अवसर सुलभ करना है जिसके फलस्वरुप उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण होगा। इस अर्थ में योजन आयोग ने स्कीम का बुनियादी ढांचा स्वीकार किया है।

उत्तर पूर्व भारत में चीन, अमरीका तथा पाकिस्तान का षड्यंत्र

465. **श्री पी० के० देव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में गड़बड़ी कराने के लिए चीन, अमरीका तथा पाकिस्तान के संयुक्त षड़यंत्र का समाचार मिला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास संयुक्त षड़यंत्र के प्रति कोई ठोस प्रमाण है ; और

(ग) क्या संयुक्त षड़यंत्र के प्रति उपलब्ध ठोस प्रमाणों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मामला सम्बद्ध देशों के साथ उठाया है ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या ौर सम्बद्ध देशों की प्रतिक्रिया क्या है ?

वदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) सरकार का ऐसे षड़यंत्र के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

इस्पात की सप्लाई बन्द करना

466. **श्री बक्शी नायक** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में देश पर्यन्त कितने मामलों में विभिन्न फर्मों का इस्पात की सप्लाई बंद की गई है ;

(ख) कितनी फर्मों पर विभिन्न कारणों से रोक लगा दी गई है ; और

(ग) क्या इस्पात की सप्लाई की मांग करने वाली जाली फर्मों की संख्या बढ़ रहीम है, और यदि हां, तो देश में ऐसी फर्मों का पता लगाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विभिन्न औषधियों के लिये निर्धारित मात्रा से कई गुना अधिक औषधियों मिलाकर खुराकें बनाना

467. **श्री पी० के० देव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस तथ्य पर ध्यान दिया है कि कुछ विदेशी औषध फर्में अभी भी विभिन्न औषधियों के लिये निर्धारित मात्रा से कई गुना अधिक औषधियां मिलाकर खुराकें बनाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रकार का कार्य करने वाली कम्पनियों का पता लगाने के लिये कोई अध्ययन किया है ; और

(ग) क्या सरकार ने उन कम्पनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): (क) से (ग) विटामिनवाली दवाइयां विशेषकर मल्टी विटामिन वाली दवाइयां ही केवल ऐसी दवाइयां है जिनमें यह देखा गया है कि निर्माता सामान्यत: निर्धारित मात्रा से अधिक संघटक मिलाते हैं। आम तौर पर दूसरी प्रकार को दवाइयों में भेषज कोशों में निर्धारित सीमा से अधिक मात्राओं का उपयोग नहीं किया जाता है।

विटामिनवाली दवाइयां विदेशी फर्में भी बनाती हैं और स्वदेशी फर्मेंभी तथा मल्टी विटामिनवाली दवाइयां में अधिक मात्रा में विटामिन मिलाने का काम भी ये दोनों ही करती है। यह भी उल्लेखनीय है कि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबंधोके अधीन अधिक मात्रा में व टामिन मिलाना तब तक अपराध नहीं है जब तक बेची जा रही दवाई लाइसेंस राज्य औषधि नियंत्रक ने दिया हों और उसका नुक्खा बाहर लगे लेबल पर दिया गया हो। अत : ऐसे औषधि निर्माताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा 1 रुपये 25.25 पैसे की पास टिकट व्यवस्था समाप्त किया जाना

468. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम ने 1 रुपये 25 पैसे के पास टिकट की व्यवस्था समाप्त कर दी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ख) दिल्ली परिवहन निगम को इस निर्णय के कारण कितनी दैनिक हानि हो रही है; और

(ग) क्या दिल्ली परिवहन निगम जनता के लिये 1 रूपये 25 पैसे के पास की सुविधा पुन : आरम्भ करने पर विचार कर रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां, । दिल्ली परिवहन निगम बोर्ड ने 15-1-1975 से 1.25 रुपये के दैनिक भ्रमण टिकट का बंद करने का फैसला किया क्योंकि ये अलाभप्रद थे और इस समय अधिक यातायात जिसे टाला जा सकता है, को बढ़ावा मिलता है। जब निगम के पास फालतु वहन क्षमता नहीं होती है ।

(ख) इन टिकटों का वापिस लेने से दैनिक आय पर कोई प्रभाव नहीं पडा ।

(ग) चूंकि इन टिकटों के समाप्ति के विरूद्ध कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए है, अत : दिल्ली परविहन नियम ने पुनर्विचार के लिए मामले को निगम बोर्ड के सामने पेश करने का प्रस्ताव किया है।

नौकाए खरीदने के लिये केरल को धन देना

469. **श्री वयालार रवि :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने चौथी पंचवार्षिय योजना अवधि में 20 यात्री नौकाएं और 5 मालवाहक नौकाएं खरीदने संबंधि राज्य सरकारी योजना के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा मन्जुर की गई धनराशि का बकाया भाग देने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस अनुरोध क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) 20 यात्री और 5 माल नौकाओं की खरीद के लिए केरल सरकार की योजना चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 30 लाख रुपये की लागत की केन्द्रीय प्रायोजित योजन के रूप में स्वीकृत की गयी थी। पहले ही किये गये वास्तविक व्यय अथवा किये जाने वाले सम्भाव्य व्यय और केन्द्रीय बजट में धन राशि की उपलब्धता के आधार पर चौथी योजना अवधि के दौरान 18.50 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गयी थी और 11.50 लाख रूपये की बकाया राशि भी अब द दी गई है।

केरल सरकार द्वारा एजेंसी शुल्क में वृद्धि करने का अनुरोध

470. **श्री वयालार रवि :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि उसके द्वारा राष्ट्रीय राजपथों के विकास तथा रखरखाव संबंधी किये जाने वाले कार्य के लिये राज्य के एजेंसी शुल्क में वृद्धि की जाए; और

(ख) यदि हां, ता तत्सम्बन्धी सारांश क्या है और उक्त अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां।

(ख) केरल सरकार ने एजेन्सी प्रभारों को 7/1/2% से बढ़ाकर 15% करने के लिए कहा है। कुछ अन्य राज्य सरकारों ने भी एजेन्सी प्रभारों, जो इस समय उन्हें दिये जा रहे हैं, में वृद्धि करने के लिये कहा है। उनकी प्रार्थना का सही रूप से वित्त मंत्रालय के परामर्श से जांच करने के लिए राज्य सरकारों से कुछ ब्यौरा मांगा गया है। राज्य सरकारों से इन ब्यौरों की प्राप्ति की प्रतिक्षा की जा रही है।

परमाणू अस्त्रों पर प्रतिबन्ध

471. **श्री बेकारिया :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और मारिशिस परमाणु अस्त्रों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने पर सहमत हो गये है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) : मारिशस के प्रधान मन्त्री की भारत यात्रा की समाप्ति पर, 14 जनवरी, 1975 को जारी की गई संयुक्त विज्ञापन में अन्य बातों के अलावा कहा गया "दोनों प्रधानमंत्रियों ने विश्व निरस्त्रीकरण के लिए कहा जिसमें नाम-कीय हाथियारों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध और इस प्रकार के हाथियारों में वर्तमान भंडार को नष्ट करना

भी शामिल है। परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण प्रयोग के प्रश्न का पुनरीक्षण करते हुए दोनों प्रधानमंत्रियों ने परमाणु शक्ति को आर्थिक विकास एवं मानव कल्याण के लिए प्रयोग में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया और आश्वासन दिया कि परमाणु प्रौद्योगीकीय के लाभ केवल कुछ देशों तक ही सिमित नहीं रहते हैं।"

ईरान में भारतीय डाक्टर

472. **श्री बेकारिया :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ भारतीय डाक्टरों को ईरान भेजने का है :

(ख) यदि हां, तो ईरान भेजे जाने वाले डाक्टरों की संख्या क्या है ; और

(ग) कितने भारतीय डाक्टर ईरान भेजे जा चुके है ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) ईरान की सरकार ने लगभग 450 भारतीय डाक्टरों की भर्ती करने की इच्छा प्रकट की है। एक ईरान भर्ती दल इन्टरव्हुव लेने के लिए जल्दी ही भारत आने वाला है।

(ग) दस भारतीय डाक्टर ईरान के जुन्डीशाहपुर विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं।

Amount received by Madhya Pradesh from Central Road Fund

473. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the amount received by Madhya Pradesh from Central Road Fund during the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 under the Fourth Plan ;

(b) the amount allotted to other States during these years ; and

(c) whether the allotment of funds to Madhya Pradesh was made in proportion to petrol ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri H. M. Trivedi) : (a) The required information is given below :

Year	Amount (Rs. in lakhs)
1970-71	32.00
1971-72	43.27
1972-73	49.99

(b) A statement is attached.

(c) Accrual to the State Governments as their share in the Central Road Fund is assessed in porportion to the sale of petrol (taxed motor spirit) in the respective States. However, allotments out of the Central Road Fund are dependent on a number of factors, *e.g.*, requirements of various State Governments, cost of works sanctioned and amount of provision voted by Parliament for a particular year.

STATEMENT

Sl. No.	Name of State	1970-71	1971-72	1972-73
				(Rupees in lakhs)
1	Andhra Pradesh	17.00	23.67	43.74
2	Assam	11.00	8.22	4.10
3	Bihar	25.00	23.80	40.04
4	Gujarat	25.00	34.97	44.00
5	Haryana	17.00	9.17	20.44
6.	Jammu & Kashmir	10.00	2.56	1.25
7	Kerala	17.00	21.05	40.47
8	Madhya Pradesh	32.00	43.27	49.99
9	Maharashtra	85.00	103.73	147.01
10	Karnataka (Mysore)	37.00	28.21	22.71
11	Orissa	10.00	4.65	15.00
12	Punjab	16.00	16.25	15.50
13	Rajasthan	20.00	24.70	24.00
14	Tamil Nadu	42.00	44.85	75.22
15	Uttar Pradesh	26.10	32.37	39.70
16	West Bengal	75.00	47.78	57.68
17	Himachal Pradesh	9.60	5.45	4.00
18	Manipur	0.10	..	..
19	Tripura	0.20	0.30	0.15
20	Chandigarh	..	..	5.00
	TOTAL	475.00	475.00	650.00

महाराष्ट्र में उल्लहास नगर कैम्प की भूमि और सम्पत्ति का अतिक्रमण

474. श्री मधु दन्डवते : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीमती गौरी शाह ने महाराष्ट्र के थाना जिले में उल्हास नगर कैम्प की भूमि और सम्पत्ति का, जो कि पहले केन्द्रीय सरकार की थी, अतिक्रमण किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों और सरकारी अधिकारियों की जांच समिति ने श्रीमती गौरी शाह द्वारा, अवैध रूप से अधिकृत 'अधिक सम्पत्ति' को नियमित करने से इंकार कर दिया था।

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया था और जांच समिति को अपना निर्णय स्थगीत करने के लिये कहा था ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खडिलकर) : (क) से (घ) इस मामले में महाराष्ट्र सरकार से मांगी गई रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। इसके प्राप्त होने पर, जानकारी सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

Target of Production of Bokaro Steel Ltd.

475. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the target of production of the Bokaro Steel Limited and the progrees achieved so far in this regard; and

(b) total amount of investment made so far in the Bokaro Steel Plant and the amount out of it received from foreign countries?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) Against the target of production of 552,000 tonnes of pig iron and 100,000 tonnes of ingot steel for the period April, 1974 to January, 1975, the actual production has been 485,000 tonnes and 88,000 tonnes respectively.

(b) Government have invested Rs. 1,017.46 crores on Bokaro Steel Plant till the end of December, 1974. There is no foreign investment in the Plant. The Government of U.S.S.R. are extending credit for the plant repayable in twelve annual instalments. Upto 31st Dec. 1974, Rs. 176.93 crores of credit has been utilised by the plant.

Vasectomy and Tubectomy Operations

476. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state the number of vasectomy and tubectomy operations conducted in the country during the last three years?

The Deputy Minister of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque) : The number of vasectomy and tubectomy operations done in the country during the last three years are as under :—

Years	Vasectomy operations	Tubectomy operations
1971-72	1,620,076	567,260
1972-73*	2,612,744	508,682
1973-74*	400,396	535,574

Wage Board for Mica Workers

477. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) the difference between wages and othre benefits of the coal mine workers and mica workers;

(b) whether Government propose to set up a wage-board for mica workers; and

(c) whether Government agree that there should be uniform pay scales for the workers working in coal mines and mica mines?

*Figures for these years are provisional.

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) ; (a) The wages of coal mine workers which were regualated till recently under the Wage Board recommendations and are now payable under the agreement dated the 11th December, 1974, are considerably higher than those of mica workers which have been fixed under Minimum Wages Act.

(b) There is no such proposal.

(c) The circumstances of the two industries are different.

चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान और स्वास्थ्य रक्षा को सुदृढ बनाना नया रूप देना और उनमे सन्वनय स्थापित करना

478. **श्री धामनकर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को समुचित रूप से पूरा करने के लिए चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान और स्वास्थ्य रक्षा को सुदृढ बनाने, नया रूप देने, उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) चिकित्सा शिक्षा और सहायक जनशक्ति के बारे में एक दल गठित किया गया है जिसके विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :—

(1) स्वास्थ्य सहायकों के एक काडर के प्रशिक्षण के लिए एक ऐसा उपयुक्त पाठ्यचर्या तैयार करना जिससे इन लोगों को बेसिक चिकित्सा निवारण और पोषण संबंधी सेवाओं परिवार कल्याण, प्रसूति और शिशु कल्याण सम्बन्धी बातों का ज्ञान हो जाएँ ताकि वे चिकित्सकों और बहुद्देशीय कार्यकर्ताओं के बीच की कड़ी काम कर सकें और इस प्रकार लोगों को और विशेषकर देहातीं क्षेत्रों में स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण सेवाएं प्रदान करने की एक प्रभावकारी योजना तैयार हो सकें ;

(2) चिकित्सा शिक्षा के बारे में पूर्व समितियों , विशेषकर चिकित्सा शिक्षा समिति (1968) और चिकित्सा शिक्षा सम्मेलन (1970) द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए उपयुक्त तरीके सुझाना और विद्यमान चिकित्सा शिक्षा प्रणालियों के सुधारने के लिए उपाय सुझाना ताकि उन समस्याओं पर उचित बल दिया जाए जो विशेषकर राष्ट्रीय आवश्यकताओं से संबंधित हैं ; और

(3) अन्य कोई ऐसे सुझाव देना जिनके उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने और तत्संबंधी प्रासंगिक मसलों को हल करने में सफलता मिल सके। इस दल ने अभी तक अपनी सिफारिशें नहीं भेजी हैं ।

विलिंगढन अस्पताल में बेकार पड़ा 'मोबाइल डैंटल वैन'

479. **श्री के० एम० मधुकर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री विलिंगडन अस्पताल में बेकार पड़े, "मोबाइल डेंटल वेन" के बारे में 19 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5240 में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोबाइल डेंटल वैन जब से बेकार पडा है तब से फालतू पुर्जे प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या यूगोस्लाविया से फालतू पुर्जे प्राप्त करने के लिए कोई कार्यवाही की गई थी ; और

(ग) फालतू पुर्जे प्राप्त करने हेतु और मोबाइल वैन को सेवा योग्य बनाने के लिए अन्य क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम इसहाक) : (क) मोबाइल डेंटल वैन 1965 से बेकार पड़ा है। इस गाड़ी का मेक बसिंग है। भारत में मैसर्स एसकार्टस लिमिटेड इस मेक के एकमात्र एजेन्ट हैं। अतः गाड़ी के फालतू पुर्जे प्राप्त करने के लिए उनसे अनुरोध किया गया था। किन्तु उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट की है। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवहन संगठन, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली परिवहन निगम वर्कशाप तथा अन्य प्रमुख फर्मों को भी इसकी मरम्मत करने के लिए कहा गया था। लेकिन उनमें से कोई भी सहायता के लिए तैयार नहीं हुआ।

(ख) चूंकि इस मोबाइल डेन्टल वैन को जर्मन संघीय गणराज्य ने दान में दिया था, अतः भारत में जर्मन संघीय गणराज्य के प्रथम सचिव को संघीय गणराज्य जर्मनी से फालतू पुर्जे मंगाने के लिये अनुरोध किया गया था किन्तु वे सहायता नहीं कर सके।

(ग) क्योंकि फालतू पुर्जे उपलब्ध नहीं हैं अतः सरकारी हित में इस गाड़ी को बेचने का विचार है।

सैनिक स्कूलों के कार्य करण के बारे में उच्च अधिकार प्राप्त समिति का प्रतिवेदन

480. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक स्कूल सम्बन्धी उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सिफारिशें की गयी हैं ; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं श्रीमन्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

नई दिल्ली के कनाट प्लेस क्षेत्र में औषध विक्रेताओं की दुकानों को 24 घंटे खुले रखना

481. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को पता है कि कनाट प्लेस और नई दिल्ली में उसके आसपास के क्षेत्रों में 24 घंटे खुली रहने वाली कोई औषध विक्रेता की दुकान नहीं है और लोगों को रात के समय तथा रविवार को औषधियों खरीदने में कठिनाई होती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय मे उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) दो कैमिस्टों की दुकानें नामतः मैसर्स केम्प एण्ड कम्पनी, कनाट प्लेस और सुपर बाजार, कनाट प्लेस, रविवार को छोड़कर सभी दिनों 24 घंटे खुली रहती हैं। रविवार को दिन के समय औषधियों अन्य आस पास के बाजारों में मिलती हैं, उदाहरणार्थ पहाड़गंज, करोल बाग में। तथापि रविवार को रात के समय आई० एन० ए० कालोनी में अपना बाजार (सुपर बाजार) का औषध भण्डार ही खुला होता है।

(ख) दिल्ली प्रशासन की औषध सलाहकार समिति की 30 जनवरी, 1975 की हुई बैठक के दौरान दिल्ली राज्य कैमिस्ट संघ ने सूचना दी कि नई दिल्ली क्षेत्र के सात सदस्य अपनी दुकानें रात को खुली रखने के लिए सहमत हो गए हैं। और उनके नामों का शीघ्र ही प्रचार किया जा रहा है। इन फर्मों में कनाट प्लेस की उपर्युक्त एक फर्म भी शामिल है जिसका नाम है मैसर्स केम्प एण्ड कम्पनी।

भारतीय सेना में हिमाचल रेजीमेंट बनाना

482. **श्री नारायण चंद पराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारतीय सेना में हिमाचल रेजिमेंट बनाने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) इस अनुरोध को मान लेना सम्भव नहीं पाया गया था क्योंकि सरकार की नीति किसी नई रेजिमेंट को किसी विशेष क्षेत्र अथवा राज्य के नाम पर खड़ा करने की नहीं है।

गणतंत्र दिवस परेड तथा समापन समारोह (बोटिंग दि रिट्रीट) की टिकटों से एकत्र धन

483. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 और 1975 के दौरान (i) गणतन्त्र दिवस परेड (ii) समापन सामारोह के टिकटों की बिक्री से कुल कितना धन एकत्र हुआ तथा दोनों वर्षों में से प्रत्येक में कुल कितनी टिकटें बेची गई ; और

(ख) क्या टिकटों की बिक्री चालू किए जाने के परिणामस्वरूप वित्तिय लाभ के अतिरिक्त कोई और सुधार भी हुआ है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) अपेक्षित सूचना निम्नलिखित है :—

समारोह	1974		1975	
	एकत्रित कुल धन	बेचे गए कुल टिकटों की संख्या	एकत्रित कुल धन	बेचे गए टिकटों की कुल संख्या
	रु०		रु०	
गणतन्त्र दिवस परेड . .	148,914	14,361	166,045	17,973
समापन समारोह विशेष शो . (28 जनवरी)	25,230	8,028	32,216	10,517ल

(ख) बैठने के स्थानों में प्रवेश पहले निमन्त्रण पत्र द्वारा विनियमित किया जाता था और यह केवा पात्र व्यक्तियों को ही उपलब्ध नहीं हुआ करता था बल्कि उनको भी उपलब्ध होता था जो पात्र व के अतिथि अथवा मित्र के रूप में कार्ड प्राप्त कर सकते थे। आम जनता बैठने के स्थान में नहीं ज सकती थी और केवल वही व्यक्ति जा सकते थे जो विशिष्ठ व्यक्तियों के माध्यम से कार्ड प्राप्त कर

लेते थे। अतः यह निर्णय किया गया कि उन स्थानों को जिनकी विधिवत पात्र वर्गों के लिए आवश्यकता नहीं है उन्हें टिकटों के माध्यम से जनता के लिए छोड़ दिया जाए। इस प्रकार से टिकटों की योजना वित्तीय लाभ के लिए नहीं बल्कि राजपथ पर गणतन्त्र दिवस परेड और समापन समारोह को देखने के लिए बैठने के स्थानों में आम जनता की संख्या को नियमित करने के लिए चालू की गई थी। इस योजना से कुल मिलाकर जनता को संतोष मिला है।

पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम का उल्लंघन

484. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गत छः महीनों के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम उल्लंघन की कोई घटना हुई है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की ओर किन-किन स्थानों पर तथा कब ; और

(ग) इन घटनाओं के परिणामस्वरूप दोनों ओर से कितने-कितने व्यक्ति हताहत हुए ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) 11-8-74 और 10-2-75 के बीच गत छः मास के दौरान पाकिस्तानी सेना ने 42 बार भूमि सीमा का उल्लंघन किया। इनमें से 19 घटनाएं घुसपैठ के रूप में थी जिनमें तीन घटनाएं पशु उठाने की भी सम्मिलित हैं। इस अवधि के दौरान, पाकिस्तानी कार्मिकों ने 23 अवसरों पर सीमा के पार गोली चलाई जिनका कुछ अवसरों पर हमारी सेनाओं ने प्रतिकार किया। संघर्ष की किस्म की कोई घटनाएं नहीं हुई।

(ग) इस अवधि के दौरान, हमारी सेना का एक कार्मिक पाकिस्तानी गोली-बारी के परिणाम स्वरूप जख्मी हो गया। यह अनुमान है कि पाकिस्तानी सेना के दो कार्मिक या तो जख्मी हो गए अथवा मारे गए थे।

छात्रों में त्रिकोमा तथा अन्य नेत्र रोगों के रोकथाम की योजना

485. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों में त्रिकोमा तथा अन्य नेत्र रोगों को रोकने के लिए कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना पर कुल कितना व्यय हुआ अथवा व्यय किये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) जहां मात्र छात्रों के लिए रोहे और आंखों की अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए अलग से कोई योजना नहीं है, वहां अरुणाचल प्रदेश, लक्षदीप, नागालैण्ड, उड़ीसा, तमिलनाडु और त्रिपुरा को छोड़कर सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में केन्द्र घोषित योजना के रूप में राष्ट्रीय रोहे नियंत्रण कार्यक्रम पहले से ही चलाया जा रहा है। प्राइमेरी स्कूल के बच्चों को इस का लाभ देने के लिए इस कार्यक्रम के अधीन विशेष बल दिया जाता है। केन्द्रीय सरकार इस कार्यक्रम के अधीन राज्य और संघ शासित क्षेत्र की सरकारों को अस्पतालों, औषधालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों में रोहे और नेत्र श्लेष्मला शौथ के रोगियों के इलाज के लिए प्रतिजीवी-नेत्र मरहम ट्यूब देती है। पैरा मेडिकल कर्मचारी जब फील्ड-एरिया में रोगियों को देखने उनके घरों पर जाते हैं तो वे ऐसे रोगियों को देखते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी सामग्री भी दी जाती है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में इस कार्यक्रम के लिए 20 लाख रुपये का नियतन किया गया है।

एक जापानी दल द्वारा शहीद हुए सैनिकों के अवशेषों की खोज

486. **श्री मान सिंह भौरा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 30 जापानियों को, जिन्हों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिन्द फौज के साथ मिलकर युद्ध में भाग लिया था, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के अवशेषों की खोज के लिए उन क्षेत्रों की यात्रा करने की अनुमति दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी, हां ।

(ख) इस दल को कोहिमा तथा इम्फाल के कुछ ऐसे स्थानों को जाने की अनुमति दी जाएगी जह बड़ी संख्या में जापानी सैनिकों की कब्रें हैं ।

विशाखापत्तनम जिन्क प्रद्रावक कारखाना

487. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने बच्चों को नौकरी देने सम्बन्धी सरकार के आश्वासन को क्रियान्वित करने की मांग के समर्थन में उन किसानों द्वारा बारी-बारी से भूख-हड़ताल करने की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है, जिनकी जमीन का विशाखापत्तनम जिन्क प्रद्रावक कारखाने के निर्माण के लिए सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त आश्वासन को पूरा न करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : क और (ख) जी, हां । हिन्दुस्तान जिन्क लिमिटेड के विशाखापत्तनम स्थित जस्ता प्रद्रावक कारखाने के निर्माण के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार ने जिन किसानों की जमीन ली थी, उनके द्वारा क्रमिक भूक-हड़ताल की गई थी । किसानों के बच्चों को रोजगार देने के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा कोई खास आश्वासन नहीं दिया गया है । तथापि, सामान्य नीति को ध्यान में रख कर, हिन्दुस्तान जिन्क लिमिटेड परियोजना से विस्थापित हुए लोगों को रोजगार के मामलों में प्राथमिकता दे रहा है । इस ममय प्रद्रावक के जो अभी भी निर्माणाधीन है, कर्मचारियों में 10% विस्थापित लोग हैं ।

परमाणु प्रणाली के विकास के लिये चीन द्वारा पाकिस्तान की सहायता

488. **श्री वरके जार्ज** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन अब परमाणु अस्त्रों के बनाने की दिशा में सम्भव पग के रूप में एक परमाणु अस्त्र के विकास तथा परीक्षण के हेतु पाकिस्तान को सहायता देने के लिए मान लिया होगा जैसा कि 6 जनवरी, 1975 के एक अंग्रेजी दैनिक में समाचार प्रकाशित हुआ ;

(ख) क्या पाकिस्तानी नेता इस बात का प्रचार कर रहे है कि भारत ने परमाणु विस्फोट इस लिए किया है ताकि उनके देश पर आक्रमण करने के लिए परमाणु बमों के बनाने का प्रयास किया जा सके ।

(ग) क्या पाकिस्तान ने नई दिल्ली द्वारा बार-बार दिये गये इन सरकारी आश्वासनों को अस्वीकृत कर दिया है कि परमाणु सम्बन्धी जानकारी का उपयोग केवल शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही किया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो पाकिस्तान की गलतफहमी को दूर करने के लिए सरकार का आगे क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) सरकार ने अखबार की रिपोर्ट देखी है लेकिन उसे ऐसी सूचना नहीं है कि चीन ने पाकिस्तान को परमाणु अस्त्रों के निर्माण की दिशा में सम्भावित कदम के रूप में परमाणु साधनों के विकास और परिक्षण के लिए सहायता देना स्वीकार कर लिया है ।

(ख) पाकिस्तान ने भारत के शान्तिपूर्ण परमाणु विस्फोट परिक्षण का उपयोग अपने उस प्रचार में किया है जो वह हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के शान्तिमय स्वरूप के विरूद्ध बराबर कर रहा है ।

(ग) पाकिस्तानी घोषणाएं परस्पर विरोधी रही है । एक तरफ तो उसने हमें सूचित किया है कि इन आश्वासनों पर गौर किया गया है और दूसरी ओर वह हमारे कायक्रमों के शान्तिमय उद्देश्यों पर शक व्यक्त करते हुए बराबर वक्तव्य जारी करता रहा ।

(घ) सरकार द्विपक्षीय सम्पर्कों में तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से शांतिमय प्रयोजनों के लिए परमाणु ऊर्जा के प्रयोग की अपनी नीति को दुहराती रही है ।

असम में चेचक के मामलों में वृद्धी

48६. **श्री मोहम्मद इस्माइल : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में विशेषकर शिव सागर जिले में चेचक फैलाने की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है, जिसमें भारी संख्या में जाने चली गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो बिमारी को पूर्णत: समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): (क) 1974 में असम में चेचक का प्रकोप बढ़ जरूर गया था किन्तु इस समय वहां पर चेचक के केवल चार मामले हुए हैं। इस समय शिव सागर जिले में चेचक की ऐसी कोई घटना नहीं हुई जो जानकारी में आई हो ।

(ख) इस रोग का उन्मूलन करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :--

(1) चेचक रोधी तीव्र अभियान के अन्तर्गत निगरानी कार्यों को तेज करने और इसके प्रकोप को फैलने न देने के लिए राज्य में चार महामारी वैज्ञानिक के विशेष निगरानी दल के साथ-साथ दो राज्य निगरानी दल भी कार्य कर रहे हैं इन राज्य निगरानी दलों में एक चिकित्सा अधिकारी, एक पराचिकित्सा सहायक और गाड़ी सहित एक चालक होता है ।

(2) इस चेचक रोधी तीव्र अभियान की त्रुटियों का पता लगाने और उन्हें तुरन्त दूर करने के उपाय करने के लिए इसके कार्य संचालन की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है । गति समीक्षा सम्बन्धी पिछली बैठक 24 जनवरी, 1975 को गोहाटी में हुई थी ।

(3) असम और अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इस अभियान के कार्यान्विन की देखरेख एक केन्द्रीय कार्यक्रम मूल्यांकन अधिकारी करता है ।

(4) देखरेख बड़े ठीक ढ़ग से हो इसके लिए असम राज्य को 1974-75 में पांच गाड़ियां और चार मोटर साइकिल दी गई ।

(5) बीमारी के सभी गुप्त गड़ों का पता लगाने के लिए उस व्यक्ति को 100 रु० नकद पुरस्कार दिये जाने की घोषणा की गई जो चेचक के ऐसे सक्रिय मामले की सूचना दे जिसके बारे में

स्वास्थ्य अधिकारी को अभी तक जानकारी न रही हो । इस नकद पुरस्कार के बारे में तथा चेचक का टीका लगवाने के सम्बन्ध में लोगों को सूचना देने के लिए प्रचार के सभी साधनों को उपयोग में लाया जा रहा है ।

(6) गुणकारी सूखी चेचक वैक्सीन और दुमुही सूइयां पर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से सप्लाई की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री के चुनाव दौरों के दौरान किया गया खर्च

490. **श्री मधु दंडवते :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के उत्तर प्रदेश चुनाव दौरों के दौरान किया गया सम्पूर्ण व्यय वायु सेना लेखे में डाल दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि इस प्रकार उक्त लेखे में डाली गई

(ग) उक्त राशि किस प्रकार वसूल की गई और वह किससे तथा कब वसूल की गई ; और

(घ) भुगतान, चैक नं० , नकद राशि अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) फरवरी, 1974 के दौरान प्रधान मंत्री के उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों के चुनाव दौरे के सम्बन्ध में भारतीय वायुसेना के वायुयान का प्रयोग करने के कारण प्रधान मंत्री द्वारा देय 1,69,55,474 की राशि वसूल कर ली गई है और उसे वायुसेना के खाते में डाल दिया गया है ।

(ग) और (घ) धन प्रधान मंत्री सचिवालय से दिनांक 17-5-74 और 9-9-74 के ट्रेजरी चालानों के माध्यम से प्राप्त हुआ था ।

कथित तस्करों को पासपोर्ट जारी किया जाना

491. **श्री मधु दंडवते :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाजि मस्तान मिर्जा सहित इस समय आन्तरिक सुरक्षा कानून के अन्तर्गत नजरबन्द अनेक तस्करों को भारी संख्या में पासपोर्ट जारी किए गए थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन पासपोर्टों को जारी करने के लिए हसरकार के पास क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्रीः (श्री बिपिनपाल दास) : (क) से (ग) आवेदकों को आमतौर से पुलिस जांच के बाद पासपोर्ट जारी किये जाते हैं । कुछ मामलों में पासपोर्ट विशेष सर्टिफिकेट के आधार पर भी जारी किये जाते हैं और इस प्रकार के मामलों में, जांच पासपोर्ट जारी करने के बाद की जाती है । यदि इस प्रकार की जांच से यह पता चले कि सम्बद्ध व्यक्ति को हमारे नियम एंवम विनियमों के अधीन पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता, तो इस प्रकार के पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाता है ।

हाजी मस्तान मिर्जा को पासपोर्ट संख्या 1–400714 गुजरात के तत्कालीन गवर्नर श्री नित्यानन्द कानूनगो द्वारा जारी किये गए सर्टिफिकेट के आधार पर, दिनांक 7 नवम्बर, 1966 को क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, बम्बई द्वारा जारी किया गया था । 28 नवम्बर, 1974 को लोक सभा में, हाजी मस्तान मिर्जा को पासपोर्ट जारी करने के सम्बन्ध में एक प्रश्न का उत्तर पहल दिया जा चुका है ।

पंजीकृत श्रमिक संघों के पदाधिकारियों को संरक्षण

492. **श्री मधु दंडवते : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजीकृत श्रमिक संघों के कुछ पदाधिकारियों को संघ सम्बन्धी गतिविधियों के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही से संरक्षण दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रेसीडेन्ट, श्री एस० बी० कोल्पे को श्रमिक संघ गतिविधियां के कारण मुअत्तल कर दिया गया है ; और

(ग) सरकार ने गतिशील श्रमिक संघ कार्यकर्ताओं को संरक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) से (ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम के शब्दों में, किसी प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में 'संरक्षित श्रमिक' वह श्रमिक है जिसे प्रतिष्ठान से सम्बन्धित किसी पंजीकृत श्रमिक संघ की कार्यकारिणी का सदस्य या अन्य पदाधिकारी होने पर इस प्रयोजन के लिए उचित सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार उसी रूप में मान्यता दी जाती है। उन की कथित मुअत्तली से उत्पन्न इस सम्बन्ध में शिकायत/विपत्ति महाराष्ट्र सरकार को भेजी जा सकती है जो इस मामले में उचित सरकार है ।

Visit to India by Foreign Dignitaries

493. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) how many dignitaries from foreign countries visited India during 1974 and with how many countries out of them India entered into trade and other agreements; and

(b) the countries whose heads of the State were amongst the visiting dignitaries?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das) : (a) 98 dignitaries from foreign countries visited India during the year 1974. India entered into trade and other agreements with 22 countries.

(b) Yugoslavia, Egypt, Burma, Senegal, Iran, Gabon, Sudan, Malaysia, and Bhutan.

देश से कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता

494. **श्री बसंत साठे :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने के लिए सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से सहायता देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से किस प्रकार का प्रस्ताव किया गया है और कितनी विदेशी सहायता तथा तकनीकी सहायता का अनुरोध किया गया है ;

(ग) उक्त प्रस्ताव के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) उक्त प्रस्ताव किस स्थिति में है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) से (घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन से अनौपचारिक रूप से यह अनुरोध किया गया है कि वे देश में कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए सहायता देने को सम्भावना पर विचार करें। सहायता आदि के लिए विस्तृत प्रस्ताव अभी तयार किये जाने हैं। मई 1975 में जब विश्व स्वास्थ्य सभा होगी उस समय विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों के साथ इस विषय पर विचार विमर्ष करने का विचार है ।

"नेपाल लाइकली टु डिक्लेयर प्राइज वार" शीर्षक से समाचार

495 **श्री वसंत साठे : क्या विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नेपाल लाइकली टु डिक्लेयर प्राइस वार" शीर्षक से 24 जनवरी, 1975 के समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें व्यक्त विचारों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपीन पाल दास) : (क) जी, हां।

(ख) हमें इस बारे में कोई संकेत नहीं मिला है कि नेपाल भारत-नेपाल व्यापार में "प्राइस वार" की घोषणा करेगा।

स्थायी राष्ट्रीय आय, मजूरी और मूल्य आयोग की स्थापना करना

496. **श्री वसन्त साठे : क्या श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय और मजूरी प्रतिवेदनों में असंगतियों को समाप्त करने के लिए स्थायी राष्ट्रीय आय, मजूरी और वेतन आयोग की स्थापना करने के लिए इन्टक ने सरकार से सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इन्टक द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) इन्टक द्वारा दिसम्बर, 1974 में हुए उसके 20 वें अधिवेशन में पारित एक प्रस्ताव सरकार के ध्यान में लाया गया है, जिसमें राष्ट्रीय मजदूरियों, मूल्यों और आमदनियों सम्बन्धी नीति उद्भूत करने की आवश्यकता के बारे में सिफारिश की गई है। ऐसी नीति की आवश्यकता भली भांति अभिज्ञात है और इस दिशा में उपयुक्त उपाय अपनाने के सम्बन्ध में सरकार ध्यान दे रही है।

"जर्नेलिस्ट वेज बोर्ड इन पेनल्टीमेंट स्टेट" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

497. **श्री वसन्त साठे** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "जर्नेलिस्ट वेज बोर्ड इन पेनल्टीमेन्ट स्टेट" शीर्षक से 11 जनवरी, 1975 के एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) मजदूरी बोर्ड यथाशीघ्र नियुक्त करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

टन भार अधिग्रहण हेतु विशेष समिति

498. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टन भार अधिग्रहण हेतु प्रस्ताओं की स्वीकृति में एम० आर० टी० पी० सहित सरकार ने कितना समय लगाया है ;

(ख) क्या स्वीकृति देने से पूर्व विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा अलग-अलग इन प्रस्तावों पर जांच-पड़ताल की जाती है जिससे विलम्ब होता है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कार्य को शीघ्र निपटाने के लिए एक विशेष मशीनरी, जैसे टन भार अधिग्रहण समिति, गठित करने का है जिस में एस० आर० टी० पी० का प्रतिनिधि भी शामिल किया जा सकता है ; और

(घ) इस समय हो रहे विलम्ब को देखते हुए नौवहन के निश्चित लक्ष्य को सरकार किस प्रकार पूरा करने की आशा रखती है ?

नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क), (ख) और (घ) विदेशी शिपयार्डों या विदेशी स्वामी से जहाजों की अधिप्राप्ति की जांच नौवहन महानिदेशालय में तकनीकी दृष्टिकोण से और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय व वित्त मंत्रालय में इस बात की चांच की जायेगी कि यह आवश्यकता पर आधारित है, मूल्य उचित है और अधिप्राप्ति की वित्तिय शर्तें स्वीकार्य पाई गई हैं। इन उपायों को शीघ्र पूरा करने हेतु और उसे 4 सप्ताओं की अवधि में अनुमोदन देने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किये जाते हैं। परन्तु जहां तक एम० आर० टी० पी० की स्वीकृति का संबंध है, कानुनी आवश्यकता यह है कि संबंधित पक्ष और आपत्तिकर्ताओं, यदि हीं, की आवश्यक सुनाई की जाए। नौवहन कम्पनीयों ने हाल ही में एम० आर० टी०पी० दृष्टिकोण की स्वीकृति के लिए अपने बेड़े के विस्तार हेतु एक छोटा प्रस्ताव पेश किया है और जो कि स्वीकार होने पर प्रत्येक जहाज अधिप्राप्ति प्रस्ताव के लिये अनुमोदनार्थ, कम्पनी द्वारा परिवहन मंत्रालय से अनुरोध करने पर होगा। उपर्युक्त की दृष्टि में रखते हुए, नौवहन के लिए नियोजित लक्ष्यों की प्राप्ति पर, देरी के प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

व्यापारिक नौसैनिक अधिकारियों का भारत के स्थान पर विदेशी ध्वज वाले जहाजों में सेवा के लिये आकृष्ट होना

499. **श्री क्षितिराज सिंह चौधरी :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापारिक नौसैनिक अधिकारी भारत के स्थान पर विदेशी ध्वज वाले जहाजों में सेवा के लिए निरन्तर जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्यों और इसे रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी या उठा चुकी है, और

(ग) क्या सरकार 'राजेन्द्र' और डी० एम० ई० टी० के छात्र सैनिकों के लिए वर्तमान प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार करेंगी ?

नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) कुछ कनिष्ठ व्यापार पोत अधिकारी अवश्य ही विदेशी ध्वज पोतों में चले जाते हैं,

(ख) उनके चले जाने का मुख्य कारण विदेशी पोत स्वामियों द्वारा दी गई अच्छी परिलब्धियां और सेवा की शर्तें हैं। उनके चले जाने को निरूत्साहित करने के लिए किये गए उपाय निम्नलिखित हैं :

(1) प्रशिक्षित अधिकारियों की वार्षिक संख्या को बढ़ाव ;

(2) कनिष्ठ इन्जीनियरों तथा डेक प्रशिक्षुओं पर ऐसी रोक लगाना जो सम्भव हो, अर्थात उनको सक्षमता के प्रमाण-पत्र पाने के बाद कम से कम भारतीय कम्पनियों में पांच वर्ष कार्य करने का बाण्ड ;

(ग) जी हां।

बन्दरगाहों पर जहाजों द्वारा लिया जाने वाला समय

500. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे जहाजों को अपने समय का 60 प्रतिशत बन्दरगाहों पर बिताना पड़ता है और यह विलम्ब विदेशों की अपेक्षा हमारी बन्दरगाहों पर अधिक होता है ;

(ख) क्या जहाजी कम्पनियों के परिचालन व्यय का 60 प्रतिशत माल चढ़ाने-उतारने आदि पर व्यय होता है , और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस व्यय को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए है/उठाये जाएंगे ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) साधारणतया यह अनुमान लगाया गया है कि कार्गो लाइनर द्वारा पत्तनों में लगे समय का अनुपात एक वर्ष में लगभग 60% है। एक देश के पत्तनों की दूसरे देश के पत्तनों से तुलना करना कठिन है क्योंकि उनकी परिस्थितियां अलग-अलग होती है जो कि गहन श्रम ढांचे के साथ विकासशील देशों के पत्तनों तथा विकसित देशों के उन पत्तनों पर निर्भर है जो सभी आधुनिक यंत्रीकृत रखरखाव सुविधाओं से सुसज्जित हैं ।

(ख) पत्तनों पर माल धरा-उठाई के कारण एक जहाज की परिचालन लागत की बिल्कुल ठीक प्रतिशतता अनुपात बताना कठिन है । शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया के माल धरा-उठाई व्यय जो परिचालन व्यय की प्रतिशतता के रूप में दिखाये गए हैं, गत तीन वर्षों के दौरान निम्नप्रकार रहे :

1971—72	29.59%
1972—73	28.87%
1973—74	28.86%

(ग) पत्तन पर जहाज के विराम काल के कार्य में घाट पर लगने से पूर्व का प्रतीक्षा समय तथा माल उतारने चढ़ाने का समय भी शामिल है । आम तौर पर सभी पत्तनों को कभी न कभी पत्तन सुविधाओं की अपर्याप्तता का सामना करना पड़ता है। कारण यह है कि पत्तन सुविधाएं पैदा करने में काफी पूंजी लगानी पड़ती है और इस तरह वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक सुविधाएं पैदा करने की गुंजाइश नहीं होती । परन्तु, वित्तीय कठिनाइयों के अन्तर्गत अपने बड़े पत्तनों के विकास तथा आधुनिकीकरण के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं और कार्यान्विति के विभिन्न चरणों में है ।

डिएगो गार्सिया द्वीप में सैन्य सुविधाओं का विस्तार करने के कार्य में सहायता करने का ब्रिटिश निर्णय

501. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री श्रीकिशन मोदी :
श्री डी० डी० देसाई :
श्री पी० गंगादेव :
श्री अनादि चरण दास :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया द्वीप में सैन्य सुविधाओं का विस्तार करने के कार्य में ब्रिटेन ने सहायता करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो सभी तटवर्ती राष्ट्रों ने ब्रिटेन के उक्त निर्णय पर क्षोभ व्यक्त किया है ; और

(ग) इस बारे में उन राष्ट्रों ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) यूनायटेड किंगडम की सरकार डिएगो गार्सिया में सुविधाएं बढ़ाने के लिए अमरीकी सरकार के प्रस्तावों पर सहमत हो गई है ।

(ख) और (ग) तटीय राष्ट्रों का प्रचण्ड बहुमत हिन्दमहासागर में बड़े देशों की बढ़ती हुई सैनिक उपस्थिति और स्पर्धा के बराबर विरोध में रहा है और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य मंचों पर हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये बराबर प्रयास किया है ।

युवा डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आकर्षित करने की योजना

502. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री डी० डी० देसाई :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में युवा डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आकर्षित करने हेतु कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना के अन्तर्गत चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सहायकों के पदों का सृजन किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए०के० एम० इसहाक) : (क) से (ग) सरकार ने चिकित्सा-शिक्षा और सहायक जनशक्ति पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में एक दल गठित किया है । यह दल अन्य बातों के साथ साथ स्वास्थ्य सहायकों के एक काडर के प्रशिक्षण के लिए एक ऐसी उपयुक्त पाठ्यचर्या तैयार करेगा जिससे इन लोगों को बेसिक चिकित्सा, निवारण और पोषण सम्बन्धी सेवाओं, परिवार कल्याण, प्रसूति और शिशु कल्याण संबंधी बातों का ज्ञान हो जाए ताकि वे चिकित्सकों और बहुद्देशिय कार्यकर्ताओं के बीच की कड़ी का काम कर सकें और इस प्रकार लोगों को और विशेषकर देहाती क्षेत्रों में स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण सेवाएं प्रदान करने की एक प्रभावकारी योजना तैयार हो सके । इस दल ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है ।

दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता

503. श्री भोगेन्द्र झा :
श्री झारखंडे राय :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सरकार ने दक्षिण वियतनाम की स्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता देने सम्बन्धी अन्तिम निर्णय ले लिया है ;

(ख) क्या सरकार राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करेगी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) से (ग) सरकारने अस्थायी क्रांतिकारी सरकार से अधिक सीधा सम्बन्ध तथा औपचारिक सम्पर्क स्थापित करने का निश्चय किया है। अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के परामर्श से इसके लिए ब्यौरे तयार किए जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में टिन के निक्षेप

504. **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में किए गए भूविज्ञान सर्वेक्षणों से भारत में पहली बार बढ़िया किस्म की टिन के निक्षेपों का पता चला है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदव प्रसाद) : (क) और (ख) प्रारम्भिक जो पड़ताल से मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के गोविन्दपाल-मुडवाल एरिया में अब तक गुलाबी अभ्रक (लिपी डोलाइट) वाले दस पेगमेटाइट पिंडों का पता चला है, जिनमें से कुछ में टिन खनिज होने के संकेत मिले हैं। नियमित धारियां होने का अभी कोई पता नहां लगा है। भारत में टिन युक्त खनिज (कैसेटेराइट) होने की यह पहली सूचना नहो है, इससे पहले भी बिहार (गया, हजारीबाग और रांची जिलों); गुजरात के बनासकंठा, कर्नाटक के धारवाड तथा राजस्थान के भीलबाड़ा में भी छोट-पुट रूप से टिन होने की जानकारी मिली है। बस्तर जिले में पाए गए टिन के और अधिक पूर्वेक्षण और नमूनाकरण के लिए व्यापक योजना बनाई जा रही है ताकि टिन-खनिजीकरण की मात्रा और किस्म का निर्धारण किया जा सके।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बोनस की अदायगी

505. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रोनिकी विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों सहित अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को बोनस की अदायगी करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) बोनस भुगतान के विभिन्न पहलुओं पर बोनस पुनरिक्षा समिति की रिपोर्ट में को गई सिफारिशों और व्यक्त किये गए विचारों को, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के साथ सलाह करके जांच की जा रही है और निर्णय अभो तक लिए जाने हैं।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर में मालवाहक विमान बनाने का निर्णय

506. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर में भारतीय वायु सेना के लिये मालवाहक विमान बनाने का निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें एच० ए० एल० के कर्मचारियों के स्थानान्तरण और छंटनी नहीं होगी ; और

(ग) एच० ए० एल० में काम बढ़ाने के लिए और क्या क्या कदक उठाए गये ।

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमन ।

(ख) जी हां, श्रीमन ।

(ग) बसन्त कृषि विमान के उत्पादन का बंगलोर कम्पलैक्स से हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के कानपुर प्रभाग में स्थानान्तरण करने का भी निश्चय किया गया है ।

परम्परागत शस्त्रों के मामले में आत्मनिर्भर होना

507. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परम्परागत शस्त्रों के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त की जा चुकी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या यह स्थिति पांचवीं योजना में प्राप्त कर ली जाएगी ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) हम ने छोटे हथियारों, हल्के तोपखाने और उनके गोलाबारूद में आत्म निर्भरता प्राप्त कर ली है । फील्ड और मझोले तोपखाने के बारे में देश में स्वदेशी क्षमता भी उत्तरोत्तर स्थापित की जा रही है और पांचवीं योजना के दौरान इस क्षेत्र में सम्भव सीमा तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाएगा ।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा मासिक आलरूट पासों का बन्द किया जाना

508. **श्री हरी सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दिल्ली परिवहन निगम ने बस यात्रियों को मासिक आलरुट पास जारी करने की रियायत समाप्त करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां । दिल्ली परिवहन निगम बोर्ड ने 15 जनवरी 1975 से 30/- रुपये के आल रुट मासिक पासों की सुविधा को वापिस लेने का निर्णय किया परन्तु, सर्वसाधारण को 60 यात्राओं के लिए 45 एक तरफ के किरायों के मासिक रियायती पासों की सुविधा जारी की जा रही है ।

(ख) यह सुविधा निम्नलिखित कारणों से वापिस ली गई है :

(1) निगम की गाड़ियों की परिचालनात्मक लागत काफ़ी बढ़ गई है और इस के क्षेत्र में भी वृद्धि हो गई है । इस तरह पास की 30 रुपये की राशि मौजुदा परिचालनात्मक लागत तथा निगम के परिचालन क्षेत्र की तुलना में कुछ नहीं है । इस सुविधा को जारी रखना अलाभप्रद समझा गया ।

(2) दिल्ली परिवहन निगम अपने भाड़ा ढांचे को सुव्यवस्थित ढंग से पुनः संगठित कर रहा है । इस योजना के अन्तर्गत प्राइवेट बसों का प्रशासनिक तथा परिचालनात्मक नियंत्रण प्रभार योजना के अधीन प्रयोग करना पड़ेगा ताकि और शहर के बाहरी क्षेत्र में रिंग रोड पर स्थिती मिलन स्थलों के लिए पोषक सेवाएं उपलब्ध की जा सकें । चूंकि प्राइवेट बस परिचालक इन पासों को मान्यता नहीं देंगे अतः इस सुविधा के जारी रखने से सेवा के सुप्रवाही परिचालन में कठिनाई होगी ।

चूंकि इन पासों को समाप्त किये जाने के विरुद्ध कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, यह मामला पुनः विचार के लिए दिल्ली परिवहन निगम बोर्ड के सामने रखने का प्रस्ताव है ।

हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा के रूप में मान्यता

509. **श्री हरी सिंह :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की कार्यवाही की एक भाषा के रूप में हिन्दी को मान्यता दिलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में नये सिरे से प्रयास करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र की कार्यालयों और कामकाजी भाषाओं की सूची में किसी वृद्धि के लिए महासभा की नियमावली और प्रक्रिया में, संशोधन करना होगा जो कि उपस्थित तथा वोट देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा समर्थित होगा। सरकार हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की भाषाओं में एक भाषा के रूप में स्वीकृत किए जाने की सम्भावना का जायजा लेने की कार्यवाही कर रही है। न्यूयार्क में हमारे स्थायी प्रतिनिधि को अन्य प्रतिनिधि मण्डलों के साथ सलाह मशबिरा करने का आदेश दे दिया गया है। इस जायजे के आधार पर, जैसा भी आवश्यक होगा, आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

बिहार में चेचक के नये मामले

510. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में बिहार राज्य के कम से कम दस जिलों से अनेक नये चेचक के मामलों की सूचना मिली है;

(ख) क्या इस बात की आशंका है कि आगामी महामारी फैलने के मौसम के दौरान पिछली बार से भी बदतर स्थिति हो सकती है ; और

(ग) यदि हां, तो बड़े पैमाने पर मौतों को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या महामारी विरोधी उपाय पहले से करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) बिहार में चेचक की महामारी फैलने की सम्भावना को रोकने के लिए जो उपाय बरते जा रहे हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) चेचक रोधी तीव्र अभियान को 1975 में भी जारी रखा जा रहा है। फिलहाल बिहार में 20 राष्ट्रीय महामारी वैज्ञानिकों तथा 28 विश्व स्वास्थ्य संगठन के महामारी वैज्ञानिकों की देख रेख में 48 विशेष निगरानी दल काम कर रहे हैं। सक्रिय खोज और रोकथाम सम्बन्धी कार्यों को तेज करने के लिए सौ राज्य निगरानी दलों का गठन किया गया है जिनमें प्रत्येक में एक चिकित्सा अधिकारी, एक परा-चिकित्सा सहायक और गाड़ी के साथ एक ड्राइवर होता है ।

(2) यह रोग फैलने न पायें इसके लिए इसके सभी अज्ञान गढ़ों का पता लगाने के उद्देश्य से बिहार के सभी जिलों में खोज सम्बन्धी ठोस कार्य करने को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। राष्ट्रीय विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा राज्य महामारी वैज्ञानिकों के नेतृत्व में राज्य के ये दल

देख-रेख कार्य को मुस्तैदी से कर सकें इसके लिए उचित संख्या में गाडियां और पैट्रोल आदि देकर इनके इधर उधर आने जाने की ठोस व्यवस्था कर दी गई है।

(3) अब तक स्वास्थ्य अधिकारियों की जानकारी से बाहर चेचक के रोगी की प्रथम सूचना देने वाले व्यक्ति को 100 रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा कर दी गई है।

(4) अधिक से अधिक संख्या में लोग स्वेच्छा से टीका लगाएं और चेचक के किसी संदिग्ध रोगी के बारे में तुरन्त सूचना दें, इसके लिए काफी मात्रा में स्वास्थ्य शिक्षा और प्रचार सामग्री सप्लाई की जा रही है। चेचक के रोगी की सूचना देने वालों को 100 रूपये के नकद इनाम दिए जाने की घोषणा का पूरा पूरा प्रचार किया जा रहा है। आकाशवाणी (विविध भारती) से हर रोज एक संदेश प्रसारित किया जाता है जिसमें लोगों से चेचक के संदिग्ध रोगी की किसी नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्र में सूचना देने और टीका लगवाने का अनुरोध किया जाता है।

(5) राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों को नियमित रूप से अधिक संख्या में गुणकारी जमाकर सुखाई गई वैक्सीन और दुमही सुइयों की सप्लाई की जाती है।

(6) चेचक रोधी तीव्र अभियान के संचालन की नियमित रूप से हर महीने समीक्षा की जाती है ताकि उसकी कमियों का पता लग सके और उन्हें दूर करने के उपाय समय पर किए जा सकें।

राउरकेला इस्पात संयंत्र के अमोनिया संयंत्र में हुई दुर्घटना

511. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र के अमोनिया संयंत्र में, जो कोक भट्टियों का उप-उत्पाद संयंत्र है, दिसम्बर, 1974 के दौरान एक गम्भीर दुर्घटना हुई थी

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण हैं और इसकी मरम्मत में कितना समय लगा है तथा मशीनरी उत्पादन, मरम्मत कार्य तथा विदेशी मुद्रा की कुल कितनी हानि हुई; और

(ग) दुर्घटना के लिए जिम्मेदार संयंत्र अधिकारियों के विरुद्ध प्रबन्धकों ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) उपोत्पाद संयंत्र के एमोनिया संयंत्र में कोई दुर्घटना नहीं हुई थी लेकिन 2 दिसम्बर, 1974 को शाम को राउरकेला इस्पात कारखाने के नेफ्थेलीन संयंत्र के निकटवर्ती अहाते में डिफिनोलाइजड आयल टैंक तथा रिडिस्टिलड आयल टैंक के बीच मध्यवर्ती क्षेत्र में आग लगने की एक वारदात हुई थी। आग पर लगभग दो-ढाई घण्टों में काबू पा लिया गया था। पूरी तरह बुझने से पहले आग उस इमारत तक पहुंच गई थी जहां नेफ्थेलीन की बोरियां रखी हुई थी जिससे कुछ बोरियों को भी आग लग गई थी।

कारखाने की एक जांच समिति जिसने इस मामले की जांच की थी के निष्कर्षों के अनुसार आग, सम्भवतया सूत अथवा ऐसी ही किसी अन्य वस्तु के जो नेफ्थेलीन अथवा नेफ्थलीन तेल में भीगी थी, गर्म बाष्प पाइप अथवा गर्म बर्तनों के साथ लगने से लगी थी।

अनुमान है कि इस आग से कुल नुकसान लगभग 2.5 लाख रुपये का हुआ है। समिति का अनुमान था कि नेफ्थेलीन संयंत्र को पुनः चालू करने में 6 सप्ताह का समय लगेगा। समिति की राय में यह आग अचानक लगी थी जिसके लिए किसी व्यक्ति विशेष अथवा अभिकरण को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

न्यूयार्क में आतंकवादी यहूदियों द्वारा इण्डिया हाउस पर आक्रमण

512. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :**

श्री हरी सिंह :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिलस्तीनी मुक्ति आन्दोलन का समर्थन करने की भारत की नीति के विरोध में आतंकवादी यहूदियों ने न्यूयार्क स्थित इण्डिया हाऊस पर, जिसमें संयुक्त राष्ट्र से सम्बद्ध भारतीय मिशन के लोग रहते हैं, ग्रेनेड से आक्रमण किया था ; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए तथा विदेशों में भारतीय अधिकारियों के जान-माल की रक्षा के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां। लेकिन पता चला है कि ग्रेनेड नकली था।

(ख) हमारे मिशनों को इस प्रकार की घटनाओं को रोकने तथा उनके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए विस्तृत अनुदेश पहले ही दिये जा चुके हैं। ये अनुदेश फिर से दे दिए गये हैं। इसके अतिरिक्त हमारे मिशन और कार्मिक वर्ग की सुरक्षा की जिम्मेदारी अतिथी सरकार की है। उन्होंने सुरक्षा प्रबन्धों को सुदृढ़ करने के लिए समचित उपाय किये हैं। अपराधियों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की हड़ताल से हुआ घाटा

513. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :**

श्री एम० कत्तामुत्तु :

श्री महादीपक सिंह शाक्य :

श्री रानेन सेन :

श्रीमती रोज़ा विद्याधर देशपांडे :

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

श्री पी० वेंकटासुब्बया :

श्री नुरुल हुडा :

श्री राम सहाय पांडे :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 जनवरी, 1975 से पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण देश की सभी बन्दरगाहों में वास्तव में कितनी अवधि के लिए काम पूरी तरह बन्द रहा ;

(ख) परिचालन, विलम्ब-शुल्क और विदेशी मुद्रा के रूप में कितनी हानि हुई ; और

(ग) गोदी कर्मचारियों के साथ हुए समझौते की मुख्य बातें क्या हैं और इसे कहां तक लागू किया गया है ?

नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कोचीन, कांडला, मारमुगाओ तथा पारादीप बन्दरगाहों पर 16 जनवरी, 1975 के प्रातः को हड़ताल प्रारम्भ हुई। विशाखापत्तनम पर यह 17 जनवरी, 1975 को शुरू हुई। 20 जनवरी को हड़ताल समाप्त कर दी गई तथा कार्मिकों ने उस तिथि से विभिन्न पालियों पर काम प्रारम्भ कर दिया।

(ख) हड़ताल के कारण श्रम दिन तथा पोत दिन की क्षति का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

श्रम दिवस . . .	लगभग 4.5 लाख
पोत दिवस	636

पोत स्वामियों, आयातकर्ताओं और निर्यातकर्ताओं को विलम्ब शुल्क और विदेशी मुद्रा में हुई हानि की मात्रा बताना सम्भव नहीं है।

(ग) दिनांक 19-1-1975 के करार की प्रतिलिपि संलग्न है **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-8937/75]** (अनुबन्ध I)। करार के पैराग्राफ 2 (चार) के अनुसरण में गोदी प्रतिनिधियों के साथ और विमर्श हुआ था 18-2-1975 को दूसरा समझौता हुआ। प्रतिलिपि संलग्न (अनुबन्ध II)। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-8937/75]** पत्तन तथा गोदी अधिकरणों को निदेश दिए जा रहे हैं कि वह कार्मिकों को तदनुसार भुगतान करें।

हड़ताल के दौरान माल उतारने के लिये नौसेना और स्थल सेना की सेवाओं का उपयोग

514. **श्री एन० करतामुत्तु** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन और गोदी कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान सरकार ने माल उतारने में पत्तन अधिकारियों की सहायता के लिए नौसेना और स्थल सेना की सेवाओं का उपयोग किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है और इस प्रकार सरकार ने कितना अतिरिक्त व्यय किया ?

नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) तथा (ख) कुछ सीमित नौसेना तथा स्थल सेना के कार्मिकों को बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कोचीन, विशाखापत्तनम तथा पारादीप बन्दरगाहों पर गोदी अधिष्ठानों इत्यादि की सुरक्षा हेतु लगाया गया। उनको आवश्यक फुस कर्बनाओं, हाईड्रालिक दरवाजों, क्रैनों तथा महत्वपूर्ण सामग्रियों को लाने ले जाने वाली पोतों जैसे आवश्यक बन्दरगाह की सेवाओं पर लगाये गये, उनको माल की धरा उठायी पर उपयोग नहीं किया गया। टेरीटोरियल स्थल सेना की टुकडियों को कलकत्ता तथा बम्बई बन्दरगाहों पर काम में लगाया गया। उन्हें कुछ अनिवार्य सेवाओं की व्यवस्था तथा कुछ जहाजों से खाद्यान्न उतारने पर लगाया गया। इस कारण हुए पत्तन अधिग्रहण के अतिरिक्त व्यय का खाता अभी उपलब्ध नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के कारखानों के प्रबन्ध में श्रमिक प्रतिनिधियों का सहयोग लेना

515. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कारखानों में सभी स्तरों पर प्रबन्ध में श्रमिक प्रतिनिधियों को सम्बद्ध करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) प्रबन्ध के विभिन्न स्तरों पर श्रमिकों को शा‍मिल करने से सम्बन्धित उपबन्धों को व्यापक औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक में सम्मिलित करने पर विचार किया जा रहा है ।

भारत पर विस्तारवादी प्रवृत्ति अपनाने का आरोप लगाने सम्बन्धी पाकिस्तानी प्रधान मंत्री का कथित वक्तव्य

516. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
मौलाना इसहाक सम्भली :
श्री राम सहाय पांडे :
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :
श्री समर गुह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अमरीकी समाचारपत्र में प्रकाशित उस समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है, जिसमें भारत द्वारा विस्तारवादी प्रवृत्ति अपनाने के कथित आरोपों के बारे में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री जैड० ए० भुट्टो के अभी हाल के एक इन्टरव्यू को प्रकाशित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) जी हां। सरकार ने 22 जनवरी 1975 के न्यूयार्क टाइम्स में प्रधान मंत्री भुट्टो से भेंट के समाचार देखे हैं जिसमें उनके द्वारा इस आशय की टिप्पणी करने के समाचार छपे है।

(ख) ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं और अमरीका से अधिक हथियार प्राप्त करने के पाकिस्तान के इरादे से अभिप्रेत है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही शिमला करार के पक्षधर हैं जिसके अनुसार दोनों एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करने तथा एक दूसरे के अंदरुनी मामलों में दखल न देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत ने अपनी ओर से इन सिद्धान्तों को बहुत ही सावधानी से पालन किया है और पाकिस्तान को ऐसे आरोप लगाने का कोई अवसर नहीं दिया है

आयातित अनाज उतारने के कार्य पर हड़ताल का प्रभाव

517. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की हाल की हड़ताल का आयातित अनाज और उर्वरक उतारने के कार्य पर गम्भीर प्रभाव पड़ा था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां।

(ख)

पत्तन का नाम	खाद्यान्न			उर्वरक		
	प्रभावित जहाजों की सं०	जहाजों के दिन जो बेकार हुए	प्रभावित मात्रा (टनों में)	प्रभावित जहाजों की सं०	जहाजों के दिन जो बेकार हुए	प्रभावित मात्रा (टनों में)
1	2	3	4	5	6	7
बम्बई . .	4	22	46,000	5	29	33,000
कलकत्ता	6	24	13,000	2	8	4,000
मद्रास . .	2	8	10,400	3	11	9,200
विशाखापत्तनम .			..	2	6	4,000
काण्दला .	..	..	..	2	11	9,750
मारमुगाओ . .	1	4	3,200	..	..	..
कोचीन . .	..	..	..	..	..	..
पारादीप .	..	..	..	..	..	..

नकली दवाइयां बनाने वाले गिरोहों का पता लगाना

518. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान प्रत्येक राज्य में नकली दवाइयां बनाने वाले कितने गिरोहों का पता लगाया गया है ; और

(ख) ऐसे नकली दवाई निर्माताओं के विरुद्ध क्या आवश्यक कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कर्नाटक में खनिज पदार्थों का निकाला जाना

519. **श्री के० लकप्पा :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारने कर्नाटक में उपलब्ध खनिज पदार्थों को निकालने के लिए कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अब तक उसके क्या परिणाम निकले ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) कर्नाटक राज्य में निकाले जा रहे मुख्य खनिज सोना, लोहा अयस्क, मैंगनीज अयस्क, ताम्र अयस्क, बाक्साइट, क्रोमाइट, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, गेरू, सिलिका बालू, एस्बैस्टास, स्टैटाइट, कारुडम आदि है।

कर्नाटक में खनिज—आधारित उद्योगों में भद्रावती का इस्पात कारखाना, होसपेट एक का लोहे का कारखाना, भद्रावती तथा डांडेली में एक-एक लोह-मैंगनीज कारखाना, बेल्गागुला और नुनीराबाद में दो उर्वरक कारखाने; बागलकोट, अम्भासांद्रा, भद्रावती, साहाबाद, वाड़ी तथा कुरकुंटा स्थित 6 सीमेन्ट कारखाने है। इसके अलावा बंगलोर में एक इलैक्ट्रोपोर्सलीन संयंत्र, बोतल और पोली वस्तुओं के दो कारखाने तथा कांच व तामचीनी के दो कारखाने भी है।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम डोनीमलाई लौह अयस्क निक्षेप का विकास कर रहा है और कुदरेमुख लौह अयस्क के विकास की योजना भी बना रहा है। बाबाबूदन लोहअयस्क निक्षेपों के विकास के प्रस्तावो पर भी विचार किया जा रहा है। कुमारस्वामी या रमनदुर्ग के लौह अयस्क निक्षपों पर आधारित विजय नगर में एक इस्पात कारखाना लगाने का भी सरकार का विचार है। चित्रदुर्ग तांबा कम्पनी इंगलढ़ाल तांबा निक्षपों से व्यापारिक आधार पर तांबा सांद्रों का उत्पादन कर रही है और कल्याडी तांबा निक्षपों का भी विकास कर रही है। हट्टी गोल्ड माइन्स द्वारा रायचूर जिले के तित्यानी तांबा निक्षेपों का भी विकास किया जा रहा है। मैसूर मिनरल्स लिमिटेड ने योगी मलाई और कपाटगुडा मैंगनीज अयस्क, निक्षेपों के विकास की योजना बनाई है तथा विजय नगर के प्रस्तावित इस्पात कारखाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्बूढ़ी हाल चूना पत्थर के बारे में साध्यता रिपोर्ट तैयार कर रहा है। भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड और हुट्टी गोल्ड माइन्स लिमिटेड कम्पनी द्वारा राज्य के स्वर्ण-भण्डारों की खुदाई की जा रही है।

भारत में शिपयार्डों के लिये अग्रिम आर्डर

520. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में शिपयार्डों को पर्याप्त अग्रिम आर्डर नहीं मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० और गार्डन रीच वर्कशापस लि० को छोड़, बाकी सरकारी शिपयार्डों ने पोत निर्माण के अग्रिम आदेश काफी प्राप्त कर लिये हैं। हिन्दुस्तान शिप यार्ड के पास इस समय 10 जहाजों के पक्के आदेश हैं और पायनीयर टाइप के 11 और जहाजों के आदेशों की अभी पुष्टि की जानी है। ये 10 जहाज इस समय निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। परन्तु, प्रारम्भिक कार्यों के लिए अपेक्षित लम्बे अर्से की दृष्टि में रखते हुए कम से कम चार और जहाजों के पक्के आदशों को तत्काल आवश्यकता है। कुछ विदेशी फर्मों/अन्य देशों ने भी हिन्दुस्तान शिप यार्ड लि० को ज़हाजों के आर्डर देने में रुचि दिखाई है। ये प्रस्ताव विचाराधीन हैं। जहां तक गार्डन रीच वर्क शाप लि० का प्रश्न है उनके निर्माणाधीन अधिक जहाजों की सुपुर्दगी 1975 के अन्त तक की जानी है। शिपयार्ड नये जहाजों के निर्माण के लिए काफी पहले आर्डर प्राप्त नहीं कर सका। परन्तु, 26,000 डी० डब्लू० टी० के भारी मालवाहक जहाजों के निर्माण के लिए सरकारी नौवहन कम्पनियों के साथ बातचीत चल रही है।

इस्पात संयंत्रों में कोयले का स्टाक

521. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात संयंत्रों में कोयल का स्टाक अब गम्भीर संकटपूर्ण स्थिति में हैं ;

(ख) यदि हां, तो नवम्बर, 1974 से अब तक कोयले के स्टाक की वास्तविक स्थिति क्या है ;

(ग) क्या कोयले की सप्लाई की गम्भीर स्थिति को देखते हुए स्टील अथारिटी आफ इण्डिया कोकिंग कोयले के आयात के तरीके खोज रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी नहीं, । जनवरी, 1975 से इस्पात कारखानों के कोयले के स्टाक की स्थिति में सुधार हुआ है ।

(ख) नवम्बर, 1974 से (सभी इस्पात कारखानों को) स्टाक की वास्तविक स्थिति नीचे दी गई है :—

तारीख	कोयले का स्टाक (टन) हजार
1-11-74	181.9
1-12-74	172.8
1-1-75	171.4
1-2-75	206.0
12-2-75	242.8

(ग) इस्पात कारखानों के कोयल की स्टाक की स्थिति में सुधार हुआ है । कोककर कोयले का आयात करने का कोई विचार नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

अमरीकी आण्विक शक्ति युक्त विमान वाहक 'इन्टरप्राइज' का हिन्द महासागर में प्रवेश

522. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री नवल किशोर शर्मा :
श्री रानेन सेन :
श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि अमरीकी आण्विक शक्ति युक्त विमान वाहक "इन्टरप्राइज" इस समय हिन्दी महासागर में है ; और

(ख) यदि हां, तो उस बार में तथ्य क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी, हां ।

(ख) 'इन्टरप्राइज' नामक अमरीकी विमान वाहक जहाज ने कई अन्य जहाजों के साथ 12 जनवरी 1975 को हिन्द महासागर में प्रवेश किया । हिन्द महासागर में बड़ देशों की बढ़ती हुई सैनिक उपस्थिति और स्पर्धा के प्रति सरकार का विरोध सर्व विदित है और वह निरन्तर दोहराया जा चुका है ।

यमुना पार की बस्तियों में विस्थापित व्यक्तियों की सम्पत्ति का कथित हरण

523. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसा कि 6 जनवरी, 1975 के एक स्थानीय अंग्रेजी दैनिक में छापा है, क्या यमुना पार की बस्तियों में विस्थापित व्यक्तियों को सम्पत्ति के कथित हरण की फाइलें उनके मंत्रालय से गायब है ; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के; खाडिलकर) : (क) और (ख) यमुना पार की बस्तियों में निष्क्रान्त सम्पत्ति के रिकार्ड की विशिष्ट ब्यौरों के अभाव में सामान्य जांच की गई है और ऐसी कोई फाइलें गायब नहीं हैं जिनका समाचार पत्र में उल्लेख है ।

बच्चों का कुपोषण

524. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान 5 जनवरी, 1975 के एक स्थानीय दैनिक में इस शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित 'इंडिया टाप्स इन मालन्यूट्रीशन अमंग चिल्ड्रन' (भारत में बच्चों में सब से अधिक कुपोषण) समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर उनके विचार विस्तार में क्या हैं ; और

(ग) इस संबंध में यदि कोई उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं तो वे क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां ।

(ख) वह समाचार डा० पी० एन० सेन गुप्त के इण्डियन साइंस कांग्रेस में दिये गये अभिभाषण का सारांश है जिसमें उन्होंने ऐसा कहा बताते हैं कि एशिया भर में भारत में प्रोटीन कैलोरी की अत्यधिक या सामान्य कमी से ग्रस्त बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। अभिभाषण में बताई गई बातों की सरकार को पहले से ही जानकारी थी और पांचवी पंचवर्षीय योजना में उपलब्ध संसाधनों के भीतर पोषण कार्यक्रम तैयार करते समय इन बातों को ध्यान में रख गया है। एशिया में भारत की जनसंख्या दूसरे नम्बर पर आती है और 15 वर्ष तक के बच्चे देश की कुल जन-संख्या का 40 प्रतिशत है। हाल ही में, चिकित्सा अनुसंधान की भारतीय परिषद के तत्वावधान में पोषण के राष्ट्रीय संस्थान् हैदराबाद द्वारा समूचे देश में किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि शिशुओं और स्कूल पूर्व बच्चों में विशेषकर निम्न समाज-आर्थिक स्तर वाले व्यक्तियों में जिन्हें रोग आसानी से हो जाते हैं, कुपोषण व्यापक रूप में पाया जाता है। 1 से 5 वर्ष की आयु वाले ग्रुप के बच्चे लगभग 3 प्रतिशत प्रोटीन कैलोरी कुपोषण से, 4.2 प्रतिशत विटामिन ए की कमी से, 50 प्रतिशत रक्त की कमी से और 5.2 प्रतिशत बी० कम्पलैक्स की कमी से ग्रस्त हैं ।

(ग) जिन लोगों को रोग आसामी से हो जाता है उनके लिए भारत सरकार निम्नलिखित पोषण कार्यक्रमों को चलाती आ रही है :—

1. प्राइमरी स्कूली बच्चों के लिए दोपहर का भोजन।

2. स्कूलपूर्व वाले बच्चों और गर्भवती स्त्रियों तथा दूध पिलाने वाली माताओं के लिए विशेष पोषण कार्यक्रम ।

3. अधिकांशत: ग्रामीण क्षेत्रों वाले 19 लाख बच्चों के लिए बालवाडी भोजन कार्यक्रम।

4. ग्रामीण जनता के लिए व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम।

5. विटामिन ए की कमी के कारण बच्चों में होने वाली अन्धता की रोकथाम।

6. छोटे बच्चों में पोषण सम्बन्धी रक्तालपता को दूर करना।

इसके अतिरिक्त, सरकार स्कूलपूर्व बच्चों और गर्भवती स्त्रियों तथा दूध पिलाने वाली माताओं के लिए 'बच्चों की देखरेख की एक समन्वित सेवा" कार्यक्रम चलाने के बारे में विचार कर रही है जिसमें निम्नलिखित सेवाये होंगी :–

(1) पूरक भोजन,
(2) स्वास्थ्य की देखरेख,
(3) पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा,
(4) परिवार नियोजन,
(5) पीने के पानी की व्यवस्था।

इंडिया सीमेंट्स, संकारी तामिलनाडु के प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच विवाद

525. **श्री समर मुखर्जी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का ध्यान तमिलनाड के सेलम जिले में संकारी में इंडिया सीमेन्ट्स के प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच औद्योगिक विवाद की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त विवाद किन बातों पर है; और

(ग) सरकार ने विवाद को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) अनुमान है कि माननीय सदस्य, मैसर्स स्टार कंस्ट्रक्शन अन्ड ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, संकारी, जो मैसर्स इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड, संकारी, के खनन् ठेकेदार हैं, के प्रबन्ध और उनके कर्मकारों के बीच वर्ष 1973-74 के लिए 25% की दर से बोनस के भुगतान की मांग पर औद्योगिक विवाद की ओर संकेत कर रहे हैं। यह विवाद 17 दिसम्बर, 1974 को, मद्रास में स्थित एक औद्योगिक अधिकरण को, जो कि इस प्रयोजन के लिए गठित किया गया है, न्याय-निर्णय हेतु भेजा गया है।

रक्षा कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की मंजूरी के बारे में इच्छापुर आर्डिनेंस फैक्टरी मजदूर यूनियन इच्छापुर से प्राप्त ज्ञापन

526. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को इच्छापुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज मजदूर यूनियन, इच्छापुर (पश्चिम बंगाल) से कोई ज्ञापन मिला है जिसमें रक्षा कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता मंजूर करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन कर्मचारियों को यह भत्ता देने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां श्रीमन् ।

(ख) कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गों को उन्हें लागू नियमों के अनुसार समयोपरि भत्ता दिया जा रहा है ।

प्रूफ रीडरों तथा सम्पादकों का कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत लिया जाना

527. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि केरल उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि प्रूफ रीडर तथा सम्पादक कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ; और

(ग) क्या उक्त निर्णय को अन्य राज्यों पर भी लागू किया जायेगा ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्न लिखित सूचना भेजी है :–

(क) से (ग) निर्णय की एक प्रति प्राप्त करने और उसका अध्ययन करने के पश्चात्, सूचना सभा की मेज पर रखा दी जायेगी ।

बिहार क्षेत्र के कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी संघ

528. **श्री रामवातार शास्त्री** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार क्षेत्र के कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी संघ के उन पदाधिकारियों के वेतनों से जिन्होंने अक्तूबर, 1973 भूख हड़ताल की थी, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बिहार पटना ने एक दिन का वेतन काट लिया था जब कि विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों तथा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली ने स्वंय भी अपने कर्मचारियों के वेतन की कटौती नहीं की ; और

(ख) यदि हां, तो बिहार क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन से कटौती करने के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :–

(क) और (ख)) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वेतन कटौती, बिहार क्षेत्र के अलावा कुछ क्षेत्र में, जैसे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश , तमिलनाडू और पंजाब में अक्तूबर, 1973 के दौरान अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए लगाई गई थी ।

मैसर्स गया टैक्सटाइलस का कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत दोषी पाया जाना

529. **श्री रामवतार शास्त्री** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स गया टैक्सटाइल्स, गया ने जो कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत आते हैं, काफी समय से 3 लाख से अधिक रुपया नहीं दिया है तथा फरवरी, 1969 के बाद से क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त रकम की उगाही के लिए कोई अपराधिक मुकदमा नहीं किया है ;

(ख) उक्त फर्म के विरुद्ध पीछे दायर किए गए अपराधिक मामले, जनवरी, 1969 में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा प्रबन्धकों को प्रसन्न करने के लिए वापस ले लिए गए थे;

(ग) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने इस देय राशि को बट्टे खाते में डालने की सिफारिश की है; और

(झ) यदि हां, तो उक्त राशि को प्राप्त करने तथा दोषी अधिकारियों को दंडित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा की मेज पर रखा दी जायेगी।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में लेखा अधिकारी की प्रशासन प्रभारी के रूप में नियुक्ति

530. **श्री रामवतार शास्त्री** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे निर्देश है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अन्तर्गत प्रादेशिक कार्यालयों में जहां कि सहायक भविष्य निधि आयुक्त नियुक्त हैं, लेखा अधिकारी को प्रशासन का प्रभारी नहीं बनाया जाना चाहिए,

(ख) क्या इस निर्देश के उल्लंघन में बिहार क्षेत्र के एक प्रतिनियुक्त लेखा अधिकारी को सहायक भविष्य निधि आयुक्त (ग्रेड 1) के नियुक्त होते हुए भी प्रशासन का प्रभारी बनाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रादेशिक कार्यालयों में लेखा अधिकारी, प्रशासनिक कार्य से भारग्रस्त कि जाने के लिए अपेक्षित नहीं हैं;

(ख) और (ग) बिहार क्षेत्र में कुछ प्रशासनिक अत्यावशकताओं के कारण, प्रादेशिक आयुक्त ने अक्तूबर, 1974 से प्रशासन का कार्य लेखा अधिकारी को सौंपा था। तथापि, इस व्यवस्था को अब तक समाप्त कर दिया है।

सोवियत संघ के साथ नौवहन संधि (शिपिंग प्रोटोकोल)

31. **श्री रामवतार शास्त्री** :

श्री जी० वाई० कृष्णन् :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत् संघ के साथ एक शिपिंग प्रोटोकोल नौवहन संधि पर हस्ताक्षर किये गये हैं जिससे इन देशों के बीच जहाजों द्वारा भजे जाने वाले माल में वृद्धि की जा सके, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी मुख्य बातें क्या हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) भारतीय सोवियत नौवहन सेवा की सामान्यरुप से सरकारी स्तर पर तीन वर्षों में एक बार समीक्षा की जाती है। 1974 में होने वाली समीक्षा के लिय रुस सरकार के नौवहन प्रतिनिधि मंडलने जनवरी, 1975 में भारत का दौरा किया। बातचीत के बाद एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। समझौते की मुख्य मुख्य बाते निम्न प्रकार से हैं:--

(1) यह देखा गया कि 1074 के दौरान माल की लेवा - बेची 950,000 टन थी, जोकि 1973 के तदनुरुप आंकड़ों से 30 प्रतिशत अधिक है।

(2) यह अनुमान लगाया गया था कि 1975 के दौरान माल की लेवी-बेची 10,70,000 होगी और यह फैसला किया गया था कि जहाजों का समंजन तदनुसार किया जाए।

(3) 1974 से संबंधित 35,000 टन के पिछले माल सहित 1975 के दौरान 370,000 टन उर्वरकों के लाने ले जाने के लिये समुचित जहाजों का प्रबंध किया जायेगा।

(4) इस बात पर भी सहमति हुई कि भारतीय-सोवियत जहाज सेवा को माल की ढुलाई में हुये तकनीकी सुधार के साथ साथ प्रगति होनी चाहिये और ऐसे सुधारों को क्रमिक ढंग से शुरु करने के लिये आवश्यक उपाय करने चाहियें।

सोवियत नौवहन शिष्ट मंडल का दौरा

532. **श्री वेंकारिया :**

श्री डी० पी० जदजा :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सोवियत नौवहन सेवाओं के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिये हाल में एक दस सदस्यीय सोवियत नौवहन शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस वार्ता के क्या परिणाम रहे ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० ए म० त्रिवेदी) : (क) और (ख) भारत-सोवियत नौवहन सेवा को सामान्यत: तीन वर्षों में एक बार दोनों सरकारों द्वारा समीक्षा की जाती है। 1974 की समीक्षा के लिये जनवरी, 1975 में सोवियत सरकार का एक नौवहन शिष्टमंडल भारत आया था। बातचीत के अन्त में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। समझौते की मुख्य बाते निम्नप्रकार हैं :—

(1) यह देखा गया कि 1974 के दौरान माल की लेवा-वेची 950,000 टन थी, जोकि 1973 के तदनुरुपी आंकड़ों से 30 प्रतिशत अधिक है।

(2) यह अनुमान लगाया गया था कि 1975 के दौरान माल की लेवा बेची 10,70,000 होगी और यह फैसला किया गया था कि जहाजों का समंजन तदनुसार किया जाए।

(3) 1974 से संबंधित 35,000 टन के पिछले माल सहित 1975 के दौरान 370,000 टन उर्वरकों के लाने ले जाने के लिये समुचित जहाजों का प्रबंध किया जायगा।

(4) इस बात पर भी सहमति हुई कि भारतीय-सोवियत जहाज सेवा को माल को ढुलाई में हुए तकनीकी सुधार के साथ साथ प्रगति होनी चाहिये और एसे सुधारों को क्रमिक ढंग से शुरु करने के लिये आवश्यक उपाय करने चाहिये।

अहमदाबाद में प्रादेशिक पारपत्र कार्यालय

533. **श्री वेंकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अहमदाबाद के प्रादेशिक पारपत्र कार्यालय के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार किसी ऐसे वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करने का है जो गुजराती भाषा जानता हो ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) से (ग) अहमदाबाद के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का पुनर्गठन कर दिया गया है। कार्यालय पद्धतियों को सरल और कारगर बनाया गया है और तेजी से पासपोर्ट जारी करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ दिया गया है। वह कार्यालय अब सामान्य रूप से कार्य कर रहा है और आमतौर पासपोर्ट देरी किए बगैर जारी किए जा रहे हैं। सहायक पासपोर्ट अधिकारी के स्थान पर, जिस पर कार्यालय का भार था, 25 नवम्बर, 1974 से एक गुजराती जानने वाले अधिकारी को नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त गुजरात सरकार से, जन सम्पर्क अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए, एक अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर लेने की दृष्टी से विचार किया जा रहा है।

कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अधीन क्षतिपूर्ति की वृद्धि

534. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने निर्णय किया है कि कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत की जाने वाली क्षतिपूर्तियां की दर बढाई जाये;

(ख) क्या इस बारे में कोई विधेयक संसद में पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसे आगामी सत्र में लाया जा सकेगा ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) (क) से (ग) : कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 में संशोधन करने संबंधी प्रस्तावों को, जिनमें क्षतिपूर्ति की दरों में संशोधन करना भी शामिल है, अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

मजूरी नीति के संबंध में चक्रवर्ती समिति के प्रतिवेदन का क्रियान्वयन

535. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** :
श्री वी० मयाबन :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मजूरी नीति संबंधी चक्रवर्ती समिति की सिफारिश को लागू करने पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है ;

(ख) क्या कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है; और यदि हां, तो वे सिफारिशें कौन सी है और कब तक उनके लागू होने की संभावना है; और

(ग) क्या प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखा जायेगा।

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) मजदूरी नीति संबंधी चक्रवर्ती समिति की सिफारिशें मजदूरी सेल स्थापित करने से संबंधित सिफारिशों के अलावा अभी विचाराधिन है ।

भारत-अमरीकी संबंध

536. श्री प्रसन्न भाई मेहता :
श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :
श्री अण्णासाहेब गोटखिंडे :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जनवरी, 1975 को समाचार पत्रों में प्रकाशित अनाज के सौदे के लिये अमरीका की अपमानजनक शर्तों की ओर दिलाया गया है, यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या अमरीका के सेक्रेटरी आफ स्टेट महासचिव डा० किसिंजर की पिछले वर्ष भारत यात्रा के दौरान हुए समझोत को अभी तक अमरीकी सरकार द्वारा क्रियान्वित नहीं समझा गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसे क्रियान्वित न किय जाने के मुख्य कारण क्या है; और

(घ) दोनों देशों द्वारा सम्बन्ध सामान्य बनाने तथा अमरीकी खाद्य तथा विकास सहायता पुनः आरंभ करने के लिए क्या प्रयास किये गये है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) भारत सरकार ने इस आशय की कुछ अखबारी खबरें देखी है । अमरीकी खाद्यान्न प्राप्यता के प्रश्न पर चूंकि अभी विचार विमर्श हो रहा है अतः इस स्थिति में प्रस्तावित शर्तों पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी । लेकिन, मानहानिकर शर्तें स्वीकार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) भारत–अमरीका संयुक्त आयोग की स्थापना से संबंधित एक करार पर 28 अक्तूबर 1974 को दिल्ली में हस्ताक्षर हुए थे । तब से, इस संयुक्त आयोग के अधीन गठित तीन उप आयोगों की वाशिंगटन और दिल्ली में बैठकें हो चुकी है।

इस प्रकार अमरीका के विदेश मंत्री की पिछले वर्ष की यात्रा के दौरान अमरीका के साथ हुए करार का दोनों सरकारों द्वारा क्रियान्वयन हो रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) दोनों सरकारों ने हाल के महीनों में अपने संबंध सामान्य बनाने के लिए प्रयत्न किये है । जहां तक, पी० एल० 480 से इतर विकास सहायता का सवाल है, अमरीका सरकार से इस बारे में विशिष्ट विचार विमर्श अभी शुरू नहीं हुआ है ।

भारत की प्रधान मंत्री द्वारा सोवियत संघ की प्रस्तावित यात्रा

537. श्री प्रसन्न भाई मेहता :
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सोवियत संघ, दोनों देशों के बीच दो दशक पुरान आर्थिक सहयोग का पुनरीक्षण करने तथा ऐसे सहयोग के क्षेत्र का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा करने पर, विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के योजना निकायों की भारत सोवियत आर्थिक सहयोग के विस्तार और समेकन से संबद्ध समस्याओं पर चर्चा करने के लिए बैठक हुई थी यदि हां, तो चर्चा का क्या परिणाम रहा;

(ग) क्या आर्थिक सहयोग के विस्तार के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री की 1975 के दौरान सोवियत संघ की यात्रा की आशा थी;

(घ) यदि हां, तो यात्रा रद्द करने के क्या कारण है; और

(ङ) क्या सोवियत संघ ने अपने वचनानुसार 1974 के दौरान पर्याप्त सहायता नहीं दी ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए सितम्बर, 1972 में स्थापित अन्तसरकारी संयुक्त कमीशन के तत्वाधान में, भारत और सोवियत संघ के बीच आर्थिक सहयोग की समीक्षा नियमित आधार पर की जाती है । इस कमीशन की दो बैठकें हो चुकी है – एक नई दिल्ली में फरवरी 1973 में और दूसरी मास्को में सितम्बर 1974 में।

(ख) आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए भारत सोवियत संयुक्त कमीशन के ढांचे के अन्तर्गत स्थापित भारत सोवियत योजना दलों में, दोनों देशों की योजना संस्थाए आपसी आधार पर सहयोग करती है । संयुक्त योजना दल की पहली बैठक मास्को में सितम्बर 1974 में हुई। इस बैठक में 1975-76 के लिए दल का विधान जिसमें कार्यप्रणाली और कार्यसूची को अंतिम रूप में दिया गया और दोनों देशों में योजना की बृहत रूपरेखा पर सूचना एवं अनुभव का आदान प्रदान किया गया।

(ग) 1973 में अपनी यात्रा के दौरान सोवियत संघ के साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति के महासचिव, महामहिम श्री एल० आई० ब्रेझनेव ने प्रधान मंत्री को सोवियत संघ आने का निमंत्रण दिया । प्रधान मंत्री ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया । यात्रा की तारीख का अभी निश्चय नहीं किया गया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सोवियत संघ ने भारत को बहुत से क्रेडिट दिए है । सोवियत क्रैडिटों पर वार्षिक आधार पर समझोता नहीं किया जाता और पहले दिये गये क्रेडिट 1974 में भी उपलब्ध थे।

Laboratories for checking purity, standard and quality of Ayurvedic Medicines

538. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether there are any laboratories for checking the purity, standard and quality of the Ayurvedic medicines and if so, locations thereof;

(b) the medicines which were found to be below-standard in these laboratories during 1973-74; and

(c) whether Government have not so far set up an Ayurvedic Pharmacy and if so the reasons therefor?

The Deputy Minister of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque) : (a) & (b) The information is being collected and will be furnished to the Sabha as soon as it becomes available.

(c) Provision has been included in the Fifth Five Year Plan to establish a Central Ayurvedic Pharmacy. In the case of States, the information is being collected.

Steel stolen from stock-Yards and Steel Plants

539. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the value of steel stolen from stock-yards and steel plants during 1972, 1973 and 1974 respectively indicating the names of stock-yards or steel plants and the causes of these thefts; and

(b) whether the security staff are appointed at steel plants and stock yards and if so, the total monthly expenditure incurred on them?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) to (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Economy cut in expenditure of External Affairs Ministry

540. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the total expenditure of his Ministry for the year 1974-75 and the percentage increase which has occurred during last three years; and

(b) whether Government brought about a cut in the expenditure last year as well as this year in order to effect economy and, if so, the amount saved each year as also the areas in which economy was effected?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das): (a) The total expenditure for 1974-75 is expected to be about Rs. 101.37 crores. A decrease of 4.7% over the Budget Grant of Rs. 106.36 crores is anticipated.

(b) Yes, Sir. Statement is placed on the table of the House.

STATEMENT

1973-1974	Aid to to neighbouring countries e.g. Banglandesh etc.	Rs. 15.67	crores
1974-1975	Aid and Loan to neighbouring countries e.g. Bangladesh.	Rs. 4.99	crores

Airborne Geophysical Survey in States

541. **Shri M. C. Data :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) The time since the Airborne Geophysical Survey is going on, the amount spent so far on this survey and the names of States where this survey has been completed; and

(b) the new metals found in Rajasthan in this survey, the places where these metal have been found and the names of places where more metals are expected to be found?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) The airborne geophysical surveys were first started in July 1967 and an amount of Rs. 5.3 crores has so far been spent thereon. These surveys have been carried out over selected areas in Rajasthan, Bihar, West Bengal, Andhra Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Karnataka.

(b) As a result of these surveys in Rajsthan, sulphide deposits containing zinc, lead with silver association in Dewdas area, zinc deposit near Devpura, copper deposit near Banera and lead, zinc and copper mineralisation in Gurla, Rewara areas of Bhilwara district have been found. A parallel zone of sulphide mineralisation containing copper in

varying concentration has been located in Khetri area of Jhunjhunu district and copper mineralisation has been proved in Ajitsagar, Malwali, Tunda, Bokri and Chinchroli areas.

Follow up exploration is being continued to locate base-metal sulphide deposits in the Khetri belt of Jhunjhunu district and the Pur-Banera belt of Bhilwara district.

बहराइच जिलें में बसे हुए तत्कालीन शरणार्थियोंको सिंचाई सुविधायें को देनें व्यवस्था

542. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहराइच जिले (उत्तर प्रदेश) में बफेलाल के निकट काशीघाट कालोनी में बसे तत्कालीन शरणार्थियों को कोई सिंचाई सुविधाएं नहीं दी गई है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उस क्षेत्र में नलकूप लगाने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार से एकत्रित की जा रही है ।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

जोस्वाल शूगर मिल्स, बहराइच के श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि की अदायगी न करना

543. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहराइच जिले में स्थित जौस्वाल शूगर मिल्स के ऐसे श्रमिकों की संख्या कितनी है जिन्हें उनकी भविष्य निधि की राशि अदा नहीं की गई है यद्यपि मृत्यु के कारण या सेवा काल पूरा होने के कारण उनकी सेवायें समाप्त हो गई है; और

(ख) भविष्य निधि में प्रबन्धकों के योगदान के रूप में अनिवार्य कटौती की वह राशि क्या है और जिसको जोस्वाल शूगर मिल द्वारा कर्मचारियों के लेखे में नहीं जमा किया गया यद्यपि प्रबन्धकों द्वारा वर्ष 1967 से कर्मचारियों के वेतन में से यह राशि काटी जा रही है

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया :—

(क) मृत्यु/सेवानिवृत्ति के मामलों से संबंधित सोलह भविष्य निधि के दावे लंबित है इन में से, 5 मामलों पर निपटार के लिए कार्यवाही की जा रही है । शेष मामलों में निशाख्त के सम्बन्ध में संबंधित जिलाधिशों दावेदारों/भूतपूर्व नियोजकों से पत्र व्यवहार किया । जा रहा है ।

(ख) यह प्रतिष्ठान 29-7-1972 से प्रतिग्राहक के अधिन, जिन्हें जिला कलेक्टर ने नियुक्त किया है, चल रहा है । इसम दिसम्बर, 1974 तक भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि के अंशदानी को, श्रमिकों के हिस्से और नियोजकों के हिस्से की क्रमश: 2.69 लाख रुपये और 37.1लाख रुपये की राशिया जमा नही की गई है।

बर्मा द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र में सीमास्तम्भों का लगाया जाना

544. श्री मख्तियार सिंह मलिक :
श्री के० मालन्ना :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को पता लगा है कि बर्मा सरकार ने भारतीय राज्य क्षेत्र में तीन सीमा स्तंभ खडे कर लिये है और परिणामतः उसने भारत बर्मा सीमा पर मणिपूर के नाफालोंग ग्राम पर कब्जा कर लिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि नाफालोंग ग्राम अनादि काल से मणिपूर का अंग रहा है, और

(ग) क्या बर्मा सरकार से इस बारे में कोई विरोध प्रकट किया गया है और उस ग्राम को वापस लेने के लिए सरकार ने आगे क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) और (ख) : सरकार को नाफलांग नाम के किसी गांव की जानकारी नहीं है । इसी तरह के नाम एक गांव सीमा पर बर्मा की ओर है जिसे नफलाम कहते है । नानफलान पारंपरिक रूप से 1896 के सीमांकन के अनुसार भी बर्मा की हिस्सा रहा है । सभी सीमा स्तंभ 1967 के भारत बर्मा सीमा करार के अनुसाह संयुक्त रूप से बनाए गए है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

'डियागो गार्शिया' द्वीप में अमरीकी सैनिक अड्डे का विस्तार

545. श्री मुख्तार सिंह मलिक :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने डियागो गार्शिया में सैनिक अड्डा स्थापित करने के अपने निर्णय का अनुसरण करते हुए आगे कोई कार्यवाही की है;

(ख) क्या अमरीकी वायु सेना ने हिन्द महासागर में वायु सेना मिशनों की सहायता करने के लिए डियागो गार्शिया में अपेक्षित सुविधाओं का विकास किया है? और यदि हां तो इस बार में तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय म उप मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) अमरीकी कांग्रेस ने कुछ शर्तों के साथ दीएगो गार्सिया के अड्डे के विकास के लिए एक करोड इक्यांसी लाख अमरीकी डालर की राशि अनुमोदित की है । अमरीकी सरकार ने अड्डे की सुविधाओं के विकास के लिए यू० के० सरकार की भी सहमति प्राप्त कर ली है ।

(ख) हमारी सूचना के अनुसार अमरीकी प्रस्ताव में साथ साथ हवाई पट्टी को 8,000 फीट से 12,000 फीट लम्बा करने, विमान क्षेत्र के पार्किंग क्षेत्र के विस्तार, ईंधन भण्डार सुविधाओं में सुधार तथा वहां तैनात सैन्य दल को दूना कर देने का विचार है ।

(ग) भारत सरकार ने अड्डे के अस्तित्व और विस्तार का बराबर विरोध किया है और इस विषय पर सरकार के विचार सुविदित है तथा संबंधित सभी को बता दिया गया है।

एशिया की भलाई के लिये कार्य करने हेतु चीन का आमंत्रण

546. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल में चीन सरकार को एशिया की भलाई के लिये कार्य करने हेतु आमंत्रण दिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रुप रेखा क्या है, और

(ग) उस पर चीन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप- मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारत–चीन संबन्ध

547. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करगें कि :

(क) क्या भारत सरकार ने चीन सरकार के साथ अपने संबंध सुधारने के लिए अनेक बार संकेत दिये है;

(ख) क्या सरकार ने चीन से सम्बन्ध सुधारने की दृष्टि से चीन सरकार को अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए निमंत्रण दिये है,

(ग) क्या चीन सरकार की ओर से कोई आशाप्रद प्रतिक्रिया मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस बारे में उस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) जहां तक भारत सरकार का चीन के साथ संबंध सुधारने के प्रयत्नों का ताल्लुक है, चीन की सरकार ने इस पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है ।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा सफदरजंग उपरिपुल से यात्रा करने के लिये पांच पैसे किराया अधिक वसूल करना

548. **श्री वरके जार्ज** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम सफदरजंग उपरिपुल से यात्रा करने वाले यात्रियों से प्रति यात्री पांच पैसा किराया अधिक वसूल कर रही है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें ऐसा करने को कहा है,

(ग) क्या सरकार उक्त उपरिपुल के निर्माण कार्य के खर्च को पुरा करने के लिये जनता से धन वसूल करना चाहती है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार प्रत्येक यात्री से पांच पैसे किराया अधिक वसूल करना रोकने के लिये कब आदेश जारी करेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) दिल्ली परिवहन निगम की बसें जो रूट संख्या 8, 17ए, 17बी, 26, 27, 28, 51, 512 तथा 611 पर सरोजनी नगर को और वहां से चलती है, उनको सफदरजंग उपरिपुल से होकर जाने वाली बसों के परिचालन के कारण 1.1 कि०मी० की अतिरिक्त दूरी से होकर जाना पड़ता है । इस प्रकार वहां एक भाड़े की अतिरिक्त स्टेज है जिस के लिये उस प्रत्येक यात्री को निगम के वर्तमान भाड़ा ढ़ाचे के अंतर्गत 5 पैसे अधिक देने पड़ते है जो उपरोक्त भागों की सेवाओं का लाभ उठाते हैं ।

(ख) और (ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

फन्डामेन्टल रूल्स के अन्तर्गत न आने वाले कर्मचारियों का वर्ग

549. श्री वरके जार्ज : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविलियन कर्मचारियों का एक वर्ग पूरी तरह से फण्डामेन्टल रूल्स के अन्तर्गत नहीं आता है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) नव तूतीकोरिन पत्तन के कार्य प्रभारित कर्मचारी पूणतया मूल नियमों के अंतर्गत नहीं आते, क्यों कि उनका वेतन और भतेनियमित स्थापना के स्थान पर सीधे कार्य अनुमानों में प्रभार्य होते है ।

पटना स्थित अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय के 70 सफाई कर्मचारी मूल नियमों के अन्तर्गत नहीं आते । वे कार्य प्रभारित कर्मचारी है, नियत मासिक वेतन मिलने से वे किसी छुटटी, चिकित्सा संबंधी लाभों आदि के पात्र नहीं होते ।

सामान्य आरक्षण इंजीनियरी बल के सिविलियन कर्मचारी मूल नियमों के अंतर्गत नहीं आते । रक्षा मंत्रालय के सिविलियन कर्मचारियों की तरह वे भी सिविल सेवा विनियमों के अंतर्गत आते हैं ।

राष्ट्रीय मजूरी नीति के संबंध में केन्द्र तथा राज्यों में वार्ता

550. श्री वरके जार्ज : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल के मुख्य मंत्री द्वारा दिए गए इस सुझाव की ओर दिलाया गया है कि राष्ट्रीय मजूरी नीति बनाने के लिए, राष्ट्रीय विकास परिषद के बाहर केन्द्र तथा राज्यों के बीच एक उच्चस्तरीय अविलम्ब वार्ता प्रारंभ की जानी चाहिय । और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) इस प्रकार का कोई सुझाव इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय संसद् में सिक्किम के प्रतिनिधित्व के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ की अपील

551. **श्री के० मालन्ना** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम के चोग्याल के समर्थकों ने भारतीय संसद में सिक्किम के प्रतिनिधित्व के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई अपील की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस बारे में अपना मत स्पष्ट कर दिया है?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) सरकार ने ऐसी खबरे देखी है कि कुछ अनाम व्यक्तियों ने 'मानव अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय लीग' से 'अपील' की है जिसने इसे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को भेज दिया है।

(ख) संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि दवारा 2 अक्तूबर, 1974 को इस संबंध में सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया गया जब कि उन्होंने कहा कि "भारत सिक्किम संबंध" ऐसे विषय नहीं जिन पर संयुक्त राष्ट्र में ब्रहस हो।

हृदयरोग से ग्रस्त लोगों पर नयी आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग

552. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 जनवरी, 1975 के एक स्थानीय दैनिक में 'न्यू आयुर्वेदिक ड्रग फॉर हार्ट पेशेन्टस' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी औषधि के प्रयोग और उस के प्रयोग के परिणामस्वरूप प्राप्त सफलताओं सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) देश में ऐसी आयुर्वेदिक औषधि के प्रयोग को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्य-वाही की जा रही है ; और

(घ) यह आयुर्वेदिक औषधि एलौपैथिक औषधियों की तुलना में कितनी सस्ती और अधिक सुरक्षित सिद्ध होगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी अनुसंधान की केन्द्रीय परिषद ने आयुर्वेदिक औषधियों के अनुसंधान के लिए राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ में एक यूनिट खोला हुआ है। इसमें हृद्रोग जिसमें एलौपैथी में वर्णित कन्जेस्टिव कार्डियक फेल्योअर, हाइपर-टेन्सिव हार्ट फेल्योअर, और पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन सिन्ड्रोन जैसी रोग दशायें आ जाती है, के उपचार के लिए अन्य औषधियों के साथ साथ 'करवीर' या 'कनेर' नामक औषधि के चिकित्सीय प्रभाव जानने के लिए अध्ययन किये गये। यह काम एक स्थानीय मेडिकल कालेजों के डाक्टरों के एक टीम के सहयोग से किया गया था। यह औषधि टिंक्चर के रूप में प्रयुक्त की गई और यह टिंक्चर पहले तीन दिन, दिन में तीन बार एक मिलिलीटर की मात्रा के हिसाब से और बाद में विभक्त मात्राओं में प्रतिदिन 10 मिनिम्स की अनुरक्षक

खुराक के हिसाब से दी गई । 75 प्रतिशत से भी अधिक रोगियों में लगभग 8 से 10 सप्ताह के अन्दर रक्तसंकुल हृदपात का पूर्ण परावर्तन हुआ देखने में आया। जहां कम मात्रा मे देने पर रोगियों पर इसका यथेष्ट परिणाम नहीं हुआ वहां धीरे धीरे खुराक को बढाकर दिन मे तीन बार दो दो मि० लि० कर दिया गया।

यह औषधि लगभग 120 रोगियों पर परखी गई और इसे हृदय को एक ऐसी अवस्था में रखने में उपयोगी पाया गया जिसमें हृदय बेचैनी नहीं बढती। इससे यकृत वृद्धि घटी और निचले अंगों में सूजन भी कम हुई। पेशाब अधिक मात्रा में आने लगा । जिस एलोपैथिक टीम ने इन रोगियों का निरोक्षण किया था उनको भी अधिकांश मामलों में कोई प्रतिकूल प्रभाव देखने में नहीं आया।

(ग) देश में इसके प्रयोग को बढाने के कदम उठाने से पहले इस औषधि के प्रभावों का कुछ और रोगियों में अध्ययन करना पडेगा।

(घ) चूंकि यह औषधि देश के लगभग सभी भागों में आमतौर पर उपलब्ध है, अतः यह ऐसे रोगों में प्रयुक्त की जाने वाली एलोपैथिक दवाइयों की अपेक्षा सस्ती होगी । चिकित्सीय दृष्टि से इनमें किसी प्रकार के हानिकारक प्रभाव या विषाक्तता के लक्षण न होने की बात को ध्यान में रखते हुए यह भी प्रतीत होता है कि यह एलोपैथिक दवाइयों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित होगी ।

विदेशों में स्थित मिशनों में भारतीय उत्पादों को लोकप्रिय बनाना

553. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों में भारतीय उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ख) विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में आयोजित होने वाले किसी भी समारोह में स्क्वैश, शीतल पेय, बिस्कुट, मिर्च, पापड़, अचार, चिवड़ा आदि भारतीय मूल के उत्पादों को परोसा जाता है ; और

(ग) क्या संबंधित अधिकारियों को विदेशों में भारतीय उत्पादों को लोकप्रिय बनाने का अवसर न खोने के लिए अनुदेश जारी करने का है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ग) हमारे मिशनों को स्थायी आदेश है कि अपनी प्रतिनिधिक गतिविधियों में, भारत की तस्वीर प्रस्तुत करने की और देश में बने औद्योगिक और दस्तकारी की चीजों को लोकप्रिय बनाने का हर सम्भव प्रयत्न किया जाना चाहिए ।

(ख) मेहमाननवाजी के समय भारतीय राजनयिकों को भारत के सूखे मेवे और चाय, काफी, काजू, सिगरेट आदि जैसी खराब न होने वाली वस्तुओं का हर सम्भव प्रयोग करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है । लेकिन, कभी यातायात के खर्च की वजह से और कभी स्थानीय रूप से सुलभ न होने की वजह से हमारे सभी मिशनों में सभी समारोहों पर भारतीय उत्पादन मिल पाना मुश्किल हो जाता है ।

दुर्घटनाओं के कारण दिल्ली परिवहन निगम की हुई हानि

554. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 में 31 जनवरी, 1975 तक दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम की बसें अथवा दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चलने वाली कुल कितनी प्राइवेट बसें उलट गई थीं ;

(ख) इसी अवधि से दिल्ली में डी०टी०सी० की बसों अथवा डी०टी०सी के अन्तर्गत चलने वाली प्राइवेट बसों की कुल संख्या क्या है जो दुर्घटनाग्रस्त हुई ;

(ग) इस कारण दिल्ली परिवहन निगम को कुल कितनी हानि हुई ;

(घ) इन दोनों प्रकार की घटनाओं के परिणामस्वरूप कुल कितने व्यक्ति मारे गये अथवा हताहत हुए ; और

(ङ) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने इन दुर्घटनाओं में मारे गये अथवा हताहत हुए व्यक्तियों को कोई मुआवजा दिया है और यदि हां, तो उसकी राशि कितनी है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) संबंधित अवधि में दिल्ली परिवहन निगम की 6 बसें उलटी। निगम के पास दिल्ली परिवहन निगम के अधीन चल रही प्राइवेट बसों के बारे में ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि दिल्ली परिवहन निगम और प्राइवेट परिचालकों के बीच हुए करार के अनुसार प्राइवेट बसों की दुर्घटना से उत्पन्न सिविल देयताए उस बस के स्वामी तक ही सीमित होती है ।

(ख) 1-4-1974 से 31-1-1975 तक की अवधि में 1205 दिल्ली परिवहन निगम की बसों की सड़क दुर्घटनाएं हुई । दिल्ली परिवहन निगम के परिचालन के अन्तर्गत उन प्राइवेट बसों के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है जिनकी दुर्घटनाएं हुई थीं ।

(ग) 1974-75 (31-1-75) तक में अपनी बसों की सड़क दुर्घटनाओं के कारण दिल्ली परिवहन निगम को हुए घाटे का पूर्ण मूल्यांकन करना उस समय तक संभव नहीं है जब तक कि इन दुर्घटनाओं से उत्पन्न सभी प्रतिपूर्ति दावे तय नहीं हो जाते ।

(घ) दिल्ली परिवहन निगम की बसों की दुर्घटनाओं में 67 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 44 घायल हुए ।

(ङ) जी नहीं । मोटर एक्सीडेंट कलेमज ट्रिब्यूनल, दिल्ली में दर्ज दुर्घटनाओं के संबंध में जो उपरोक्त अवधि में हुई, प्रतिपूर्ति के लिये किसी भी दावे पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ है । अप्रैल, 1974 से पूर्व दर्ज दावों के लिये इस अवधि में 2.04 लाख रु० प्रतिपूर्ति के रूप में दिया गया ।

भारतीय तकनीशियन प्राप्त करने के लिये इरानी दल का भारत दौरा

555. **सरदार महेंन्द्र सिंह गिल :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एक ईरानी दल ने ईरान में काम करने के लिये भारत से तकनिशयन तथा अन्य प्रशिक्षित अधिकारियों को प्राप्त करने के लिये भारत का दौरा किया ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी परिणाम क्या हैं ; और

(ग) क्या लोगों को भरती करने तथा उनके लिये बेहतर सेवा शर्तें को सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां । भारतीय विशेषज्ञों और कुशल कार्मिकों को भरती की कार्यप्रणाली को अन्तिम रूप देने के उददेश्य से हाल में ईरान के दल ने भारत यात्रा की थी ।

(ख) इस बातचीत के परिणामस्वरूप एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किये गये जिसमें भरती को कार्यप्रणाली बताई गई ।

(ग) कार्मिकों को भरती के लिये ईरान से अलग-अलग दलों के भारत आने को ।

श्रीनगर-रावलपिंडी सड़क को पुनः खोलने का प्रस्ताव

556. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर-रावलपिन्डी सड़क को पुनः खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बीच इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और उस की वर्तमान स्थिति क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी का प्रयोग करने के लिये विदेशी सरकारों का समर्थन

557. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ और इस से संबंद्ध संस्थाओं में हिन्दी को प्रयोग में लाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या ऐसा करने को मांग का समर्थन कुछ विदेशी सरकारों ने भी किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) सरकार हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषाओं में एक भाषा स्वीकार किये जाने की संभावना का जायज़ा ले रही है ।

(ख) विदेशी सरकारों के विचार मालूम किये जा रहे हैं । न्यूयार्क में हमारे स्थायी प्रतिनिधि को अन्य प्रतिनिधि मंडलों से सलाह मशविरा करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

(ग) संयुक्त राष्ट्र को भाषाओं की सूची में कोई वृद्धि करने के लिये महासभा को नियमावली और प्रक्रिया में संशोधन अपेक्षित होगा जो कि उपस्थित तथा वोट देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा समर्थित होगा । जैसा कि ऊपर कहा गया है, कि जायजे के आधार पर, जैसा आवश्यक होगा, सरकार आगे कार्यवाही करेगी ।

खाद्य अपमिश्रण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में साहित्य का प्रकाशन और समाचार चित्र तैयार करना

558. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य अपमिश्रण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले सम्भावित दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए सरकार उक्त दुष्प्रभावों और उनके बारे में चेतावनी देने हेतु साहित्य प्रकाशित करने और सदाचार चित्र बनाने को वांछनीय समझती है ; और

(ख) क्या इस संदर्भ में सरकारी अधिकारियों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं की एक स्थानीय सलाहकार समिति गठित की जायेगी जो अपमिश्रण का पता लगाने और उसे रोकने का काम करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकारों को जो इस अधिनियम को लागू करवाती हैं परामर्श दिया गया है कि वे विभिन्न स्तरों पर ऐसी स्थानीय समितियां गठित करें ।

मिलावट रोकने के लिये और अधिक प्रयोगशालायें स्थापित करना

559. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिलावट का पता लगाने और उस के परीक्षण के लिए देश में केवल एक ही प्रयोगशाला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस व्यवस्था से व्यापारियों के साथ साथ राज्य को भी गम्भीर खतरा होता है ; और

(ग) क्या इस प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए सरकार का विचार देश के अन्य भागों में और अधिक प्रयोगशालाओं की स्थापना करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) देश में खादय नमूनों का विश्लेषण करने के लिए 72 प्रयोगशालायें हैं । इनके अतिरिक्त, कलकत्ता में एक केन्द्रीय खादय प्रयोगशाला भी है जो खादय अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत यथा निर्धारित नियमों के अनुसार एक अपीली प्रयोग-शाला के रूप में काम करती है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

कोचीन के निकट ईडायर में एक लघु इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव

560. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन के निकट ईडायर में 37,000 टन हाई ग्रेड स्टील की वार्षिक उत्पादन क्षमता का एक लघु इस्पात संयत्र लगाने का एक गैर-सरकारी पार्टी का प्रस्ताव है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के लघु इस्पात कारखानों को उत्तर प्रदेश से बाहर जाने के लिये कहा जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं और इन कारखानों को वहीं रखने हेतु केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकार की सहायता करने सम्बन्धी क्या प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भूमि तथा समुद्री सीमा के रेखांकन के बारे में भारत-बंगला देश वार्ता

561. **आर० एन० बर्मन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगला देश के बीच भूमि तथा समुद्री सीमा के रेखांकन के बारे में हाल में दोनों देशों के बीच वार्ता हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच कुल कितना क्षेत्र (भूमि तथा समुद्री) 'देने' 'लेने' पर समझौता हुआ है ; और

(ग) रेखांकन कार्य को कब तक अंतिम रुप दिया जायेगा ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) हाल ही में ढाका और दिल्ली में हुई सरकारी स्तर की बैठकों में विचार-विमर्श के समय समुद्री सीमा के परिसीमन तथा भूमि सीमा करार के क्रियान्वयन संबंधी प्रश्न उठे थे ।

(ख) समुद्री सीमा का परिसीमन अभी भी होना है । जहां तक भूमि सीमा करार का प्रश्न है निश्चित क्षेत्रों का, जिनका कि आदान-प्रदान अथवा समजन होना है और जिनमें भारत या बंगला देश के प्रतिकूल अधिकार में आने वाले क्षेत्र भी शामिल है पता तभी लगेगा जबकि परिसीमन कार्य पूरा हो जायगा ।

(ग) भूमि सीमा का परिसीमन कार्य की पूरा होगा, इसकी कोई निश्चित अवधि बताना संभव नहीं है ।

बंगला देश से विस्थापितों का आना

563. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश से विस्थापित अभी तक भारत आ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विस्थापितों की संख्या कितनी है जो वर्ष 1974 के दौरान तथा वर्ष 1975 में अब तक भारत आये हैं ;

(ग) उनमें से कितनों को अब तक बसाया जा चुका है ; और

(घ) स्थिति का सामना करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां ; जून 1974 के बाद बंगलादेश से कई व्यक्तियों ने भारत आने का प्रयास किया है और अभी भी कर रहे हैं ।

(ख) जून, 1974 से फरवरी, 1975 के प्रथम सप्ताह तक, लगभग 21,000 बंगला देश राष्ट्रकों को बंगला देश से भारत में प्रवेश करने से रोका गया है और लगभग 400 व्यक्तियों को भारत के अन्दर पकड़ा गया है ।

(ग) ऐसे व्यक्तियों को पुनर्वास सहायता प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि ये विदेशी राष्ट्रिक हैं और चोरी-छुपे भारत आ गये हैं ।

(घ) स्थिति का सामना करने के लिये राज्य सरकार को कोई विशेष वित्तीय सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता ।

दण्डकारण्य में शरणार्थी परिवारों को दी गयी सहायता

564. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बारे में कोई मूल्यांकन किया है कि दण्डकारण्य में कितने परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये सहायता दी गई है ;

(ख) यदि हां तो इस शिविर के कुल निवासियों की तुलना में इस प्रकार के परिवारों की प्रतिशतता क्या है ; और

(ग) कब तक शत प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त होने की सम्भावना है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) दण्डकारण्य परियोजना एक पुनर्वास परियोजना है, न कि एक शिविर ।

परियोजना में बसाए गए परिवारों की संख्या 17917 है । ऐसा बताया गया है कि वे आत्म-निर्भर है । इसके अतिरिक्त, 1373 ऐसे परिवार है, जो राहत अवस्था में हैं और पुनर्वास स्थलों को जाने की प्रतीक्षा में हैं । आशा है कि बाद के ये परिवार लगभग तीन वर्षों में आत्म-निर्भर हो जाएगें ।

भारत-पोलैंड संयुक्त आयोग

565. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक व्यापार, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के बारे में जनवरी, 1975 में नई दिल्ली में भारत-पौलैण्ड संयुक्त आयोग का दुसरा सत्र हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या पालैंड ने कोयला खानों तथा अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए भारत की सहायता करना स्वीकार कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो वे किस-किस क्षेत्र को सहायता देंगे ; और

(घ) हाल की बैठक में हुए समझौते की मुख्य बाते क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) जी हां ।

(ख), (ग) और (घ) भारत-पोलिश संयुक्त कमीशन की दूसरी बैठक की समाप्ति पर हस्ताक्षर किये गये प्रोतोकोल में व्यापार के आदान-प्रदान, खनन उद्योग एवं मशीनरी,

मत्स्यपालन एवं कृषि, जहाज़ निर्माण एवं नौपरिवहन, भारी एवं मशीन निर्माण उद्योग इलेक्ट्रानिक्स और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के दायरे में सहयोग के क्षेत्र तय किये गय है। इसके बारे में अलग से किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।

अमरीकी प्रेस द्वारा भारत विरोधी प्रचार

566. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि अमरीकी पत्र-पत्रिकाएं भारत के विरुद्ध कटु प्रचार कर रहे है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने अमरीकी सरकार कों इस बीच कोई विरोध पत्र भेजा है ; और

(ग) क्या अमरीका में भारतीय मिशन ने इस प्रकार के भारत विरोधी प्रचार का सामना करने के लिए आगे और कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) अमरीका की विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित ऐसे कुछ लेखे और रिपार्टें सरकार के देखने में आई हैं जिनमें भारत का हीन चित्र प्रस्तुत किया गया है।

(ख) जी, नहीं ; क्योंकि ये प्रकाशन अमरीकी सरकार के नहीं हैं।

(ग) वाशिंगटन डी० सी० स्थित हमारा राजदूतावास ऐसी पत्रिकाओं आदि से सम्पर्क रखने का पूरा प्रयास करता है और उनके सामने वास्तविक तथा भारत की सही तस्वीर रखता है। इसके अतिरिक्त राजदूत तथा अन्य अधिकारी अमरीका भर में व्याख्यान देने के विभिन्न आमंत्रणों कों स्वीकार करते हैं जिससे कि वे पत्रिकाओं द्वारा उत्पन्न भ्रान्तियों को दूर कर सकें।

देश में बेरोजगार व्यक्ति

568. **श्री दिनेश जोरदर :**

श्री सरोज मुखर्जी :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेराजगारो कार्यालयों के रिकार्ड के अनुसार 31 दिसम्बर, 1973 को देश में बेरोजगार व्यक्तियों की, राज्य-वार, संख्या कितनी है ;

(ख) 31 दिसम्बर, 1974 को यह आंकड़े क्या थे ; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) और (ख) 31 दिसम्बर 1973 और 31 दिसम्बर, 1974 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों की संख्या।

(आंकड़े लाखों में)

राज्य/संघशासित क्षेत्र	31-12-1973 को आंकड़े	31-12-1974 को आंकड़े
राज्य		
1. आंन्ध्र प्रदेश	4.8	5.7
2. असम	1.1	1.2
3. बिहार	11.4	9.9
4. गुजरात	2.4	3.0
5. हरियाणा	1.3	2.1
6. हिमाचल प्रदेश	0.7	0.7
7. जम्मू-कश्मीर . .	0.3	0.2
8. कर्नाटक .	3.1	3.4
9. केरल	5.2	5.9
10. मध्य प्रदेश	4.2	4.3
11. महाराष्ट्र . .	7.0	7.1
12. मनिपुर . .	0.4	0.2
13. मेघालय . .	0.1	0.1
14. नागालैंड* .	*	*
15. उड़ीसा . .	3.3	3.4
16. पंजाब . . .	2.1	2.5
17. राजस्थान	1.8	2.3
18. तमिलनाडु	5.9	6.0
19. त्रिपुरा	0.4	0.4
20. उत्तर प्रदेश . .	8.4	7.6
21. पश्चिम बंगाल .	15.7	16.7
संघशासित क्षेत्र		
1. अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह* .	*	*
2. अरुणाचल प्रदेश*	*	*
3. चंडीगढ़ . . .	0.3	0.3
4. दादरा व नागर हवेली* . .	*	*
5. दिल्ली	2.0	1.6

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	31-12-1973 को आंकड़े	31-12-1974 को आंकड़े
	(आंकड़े लाखों में)	
6. गोवा, दमन व दीउ	0.2	0.2
7. लक्षद्वीप	=	=
8. मिजोराम	=	=
9. पांडिचेरी . .	0.2	0.2
अखिल भारतीय योग	82.2	84.3

नोट :—2000 से कम आंकड़े।

1. रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वाले सभी व्यक्ति अनिवार्यतः बेरोज़गार नहीं हैं।
2. विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना और मार्गदर्शन केन्द्रों के आंकड़े सम्मिलित नहीं है।
3. *इन राज्य/संघशासित क्षेत्रों में कोई भी रोज़गार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।
4. पूर्णांकन के कारण आंकड़ों का जोड़ शायद योग के बराबर न हो।

(ग) सरकार विभिन्न पंचवार्षिय योजनाओं में सम्मिलित विभिन्न क्षेत्रय कार्यक्रमों द्वारा बेरोज़गार व्यक्तियों के लिए अधिकाधिक संख्या में रोज़गार अवसर जुटाने के हर प्रयास करती आ रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने हाल के वर्षों में सभी वर्गों के नौकरी चाहने वालों के लिए रोज़गार अवसर सृजित करने वाली अनेक विशिष्ट स्कीमें भी कार्यान्वित की हैं।

1971-72 के दौरान प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 1000 व्यक्तियों को काम दिलाने के लिए ग्रामीण रोज़गार संबंधी त्वरीत स्कीम आरंभ की गई। उसी वर्ष के दौरान, शिक्षित बेरोज़गार व्यक्तियों के लाभ के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित एक विशेष योजना भी शुरू की गई। 1972-73 में एक अन्य कार्यक्रम अर्थात राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों के लिए विशेष रोज़गार कार्यक्रम बनाया गया, जिसके लिए इस आशा से 27 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई कि राज्य भी समान राशि के अतिरिक्त साधनों की व्यवस्था करेंगे। इनके अलावा, 1973-74 में सरकार ने शिक्षित बेरोज़गार व्यक्तियों के लिए रोज़गार और स्व-रोज़गार अवसरों का सृजन करने की दृष्टि से पांच-लाख रोज़गार कार्यक्रम तयार किया।

पांचवीं योजना में क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के साथ उपयुक्त रूप से समेकित एवं संगत रोज़गार गहन स्कीमों का बनाते समय यह ध्यान दिया गया है कि समग्र नीति के अनुरूप अधिक सुव्यवस्थित तथा लगातार कार्य किया जा सके।

1974-75 में स्व-रोज़गार पर बल देने वाला रोज़गार वर्धन कार्यक्रम चलाया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण पर और सीड; पूंजी/सीमान्त धन आदि के लिए सरकार द्वारा कम से कम निवेश के साथ उत्पादक एवं स्व-सृजित रोज़गारों का सृजन करना है। जनवरी, 1975 के अंत तक, 40 करोड़ रुपए के कुल विनिधान में से 1,499.57 लाख रुपए की औपचारिक स्वीकृतियां जारी की गई हैं, जिनमें 68,159 रोज़गार की क्षमता है।

अतः इससे प्रतीत होगा कि सरकार नौकरी चाहने वालों के विभिन्न वर्गों के लिए रोज़गार/स्व-रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध स्रोतों के अनुरूप हर सम्भव कार्यवाही कर रही है।

औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक

569. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच औद्योगिक संबंध विधयक को अन्तिम रुप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे संसद् में कब पेश किया जायगा ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) विधयक को यथाशीघ्र संसद् में प्रस्तुत करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

बोनस पुनरीक्षण समिति की सिफारिश

570. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोनस पुनरीक्षण समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं ।

(ख) कौन-कौन से ऐसे केन्द्रीय उपक्रम हैं जिनके लिए बोनस के दिये जाने की सिफारिश की गई है और प्रत्येक मामले मे बोनस की कितनी राशि के दिए जाने की सिफारिश की गई है; और

(ग) ऐसे कौन-कौन से उपक्रम है जिनके कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया जायगा और इसके कारण क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : (क) से (ग) उन सिफारिशों को शामिल करते हुए जो बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के सीमा क्षेत्र से संबंधित है, बोनस पुनरीक्षा समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का अध्ययन किया जा रहा है और अभी तक उन पर निर्णय किए जाने है ।

कोचीन सुपर टैंकर बर्थ परियोजना का निर्माण पूरा होना

571. **श्री वयालार रवि** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन सुपर टैंकर बर्थ परियोजना ही केवल एक ऐसी परियोजना है जिसमें काफी विलम्ब हुआ है तथा जिसकी उपेक्षा की गई है जबकि चौथी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ की गई अन्य सभी मुख्य पत्तन परियोजनाएं एक अथवा दो वर्ष में पूरी हो जाएगी और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है तथा सरकार ने इस परियोजना को धन की तुरन्त मंजूरी देने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) एर्नाकुलम जलमार्ग में एक सुपर तेलपोत टर्मिनल बनाने की परियोजना अप्रैल, 1970 को स्वीकृत की गई और परामर्शदाताओं द्वारा तयार की गई परियोजना रिपोर्ट के आधार पर कुछ प्रारम्भिक कार्य भी चालू किये गये । परन्तु स्थानीय हितों के अभ्यावेदन पर टर्मिनल बोलघाट्टी जलमार्ग में लेजाने का फैसला किया गया और इसके फलस्वरूप एक नई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी पड़ी । अब इस रिपोर्ट पर संबंधित अधिकारियों के परामर्श से सक्रिय विचार किया जा रहा है ।

अन्य चौथी योजना परियोजना के बारे में, न्हावा शेवा की स्वीकृति और मंगलौर, तूतीकोरिन हल्दिया और मद्रास तथा विशाखापत्तनम में बाह्य बन्दरगाहों जैसी बड़ी पत्तन परियोजनाओं के पूरे होने में देरी हुई।

हिन्द महासागर के राष्ट्रों को बैठक के बारे में प्रस्ताव

572. **श्री वयालार रवि** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर में विदेशी नौसनिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं; और अधिकाधिक देश इस भाग में अपने नौसैनिक दल भेजते जा रही हैं

(ख) यदि हां तो इस प्रकार को कार्यवाहियों पर भारत सरकार का क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या भारत सरकार का विचार हिन्द महासागर के राष्ट्रों की बैठक बुलाकर अपने अस्तित्व के भारी खतरे पर विचार करने और उपयुक्त कार्यवाही करने का है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) समय-समय पर हिन्द महासागर अमें विदेशी नौसेनाओं के कार्यकलापों में वृद्धि हुई है।

(ख) सरकार हिन्द महासागर में बड़े-बड़े देशों को सैनिक उपस्थिति और स्पर्धा-की वृद्धि का बराबर विरोध करती है क्योंकि इससे हिन्द महासागर को शांतिक्षेत्र बनाए रखने के सिद्धान्त को ठेस पहुंचाती है।

(ग) सरकार हिन्द महासागर के तटीय राज्यों के साथ नियमित रुप से सम्पर्क बनाए है हुए ताकि हिन्द महासागर को शांती क्षेत्र बनाए रखने के लक्ष्य को प्राप्ति के लिए अत्याधिक कारगर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

अरब देशों के तेल क्षेत्रों पर कब्जा करने की अमरीका की कथित धमकी

573. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीका सरकार उच्चाधिकारियों द्वारा दी गई इस कथित धमकी की ओर दिलाया गया है कि यदि तेल संकट में और अधिक वृद्धि हुई तो वह अरब देशों के तेल क्षेत्र पर क़ब्जा कर लेगा ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में हमारी प्रधान मंत्री ने चिन्ता व्यक्त की है ; और

(ग) इस संकट को दूर करने के लिए सरकार ने अब तक क्या ठोस कदम उठाये हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) सरकार ने अखबारों की वे खबरें देखी हैं जो अमरीकी प्रशासन के उच्चाधिकारियों द्वारा दी गई बताई जाती हैं और जिनके अनुसार गंभीर संकट की कुछ परिस्थितियों में तेल के प्रश्न पर उनके लिए सैनिक कार्य-वाही वर्जित नहीं है।

(ख) और (ग) भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में बल प्रयोग के विरुद्ध है। हमारी प्रधान मंत्री तथा ईराकी क्रान्तिकारी कमान परिषद के उपाध्यक्ष के बीच हाल में ही हुए विचार-विमर्श के दौरान इस बात पर सहमति हुई कि खाड़ी का क्षेत्र किसी भी तनाव अथवा बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप से मुक्त रहे ताकि इस क्षेत्र के देश आर्थिक विकास के प्रयास में लग सकें। सरकार ऊर्जा तथा कच्चे माल के प्रश्न के समाधान के लिए समान विचार वाली सरकारों से सम्पर्क बनाए हुए है।

लंगर शुल्क को भाड़े के साथ मिलाने संबंधी अमरीकी नौवहन सम्मेलन का प्रस्ताव

574. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीकी नौवहन सम्मेलन ने लंगर शुल्क को भाड़े के साथ मिलाने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या मत है ; और

(ग) भारतीय नौवहन कम्पनियों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार बंकर अधिभार की लेवी या, इसके किसी हेरफेर के विरुद्ध नहीं है । परन्तु भाड़े की दरों में बंकर अधिभार के किसी भाग के किसी एक पक्षीय एकीकरण के विरुद्ध नहीं है ।

(ग) सम्बन्धित भारतीय नौवहन कम्पनियों ने बहुमत के आधार पर किये गये निर्णय में संशोधन करने के लिए कान्फ्रेन्स के साथ मामला उठाया है परन्तु यह ज्ञात हुआ है कि उनका प्रयास अभी तक सफल नहीं हुआ है ।

बर्नपुर इस्पात संयंत्र की पुनर्स्थापना

575. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बर्नपुर इस्पात संयंत्र की पुनः स्थापना करने का निर्णय किया है ;

(ख) सरकार इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के संयंत्र पर कितना व्यय करना चाहती है ;

(ग) सरकार को इस संयंत्र से क्या लाभ मिलने की आशा है ; और

(घ) सरकार ने इस संयंत्र पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (घ) सरकार इस कारखाने की प्रतिस्थापन योजना पर कोई खर्च नहीं कर रही है । इस कारखाने की प्रतिस्थापन योजना पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की अध्यक्षता में स्थापित की गई सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों की कंसार्शियम से ऋण लेकर धन लगाया जा रहा है । इस समय इस योजना की कुल अनुमानित लागत 48 करोड़ रुपये है । इस योजना पर दिसम्बर 1974 तक 21.71 करोड़ रुपये खर्च हुए है ।

(ग) संयंत्र प्रतिस्थापन योजना के वर्ष 1976-77 के अन्त तक समाप्त हो जाने के पश्चात आशा है कि इस इस्पात कारखाने में 10 लाख टन पिण्ड की निर्धारित क्षमता तक उत्पादन होने लगेगा ।

पत्तन और गोदी कर्मचारियों की हड़ताल टालने के लिये किये गये प्रयत्न

576. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री एम० कतामुतु :
श्री महादीपक सिंह शाक्य :
श्री रानेन सेन :
श्री वेंकटासुब्बया :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भारत के हर भाग में पत्तन और गोदी कर्मचारियों ने हड़ताल की थी ;

(ख) कर्मचारियों की क्या मांगे थी ;

(ग) बातचीत भंग होने के क्या कारण थे ; और

(घ) सरकार ने हड़ताल को टालने तथा बातचीत द्वारा समझौता करने के लिए क्या प्रयत्न किये ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी हां।

(ख) कर्मचारियों की मुख्य मांग यह थी कि सभी बड़े बड़े पत्तनों पर पत्तन और गोदी कर्मचारियों के सभी वर्गों के लिये 1-1-1974 से अन्तरिम सहायता के रूप में मंहगाई भत्ता दरों में प्रतिमास 100 रू० की वृद्धि की जाये।

(ग) और (घ) सरकार ने 11-12-1974 को पत्तन और गोदी कर्मचारियों के लिये वेतन संशोधन समिति की नियुक्ती की और जिसे यह हिदायत की गई कि वह तीन महीने के अन्दर अन्तरिम सहायता के बारे में सिफारिशें पेश करें।

परन्तु 16-1-1975 से हडताल करने की धमकी के कारण नौवहन और परिवहन मंत्री ने 28-12-1974, 8-1-1975 और 9-1-75 को पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के साथ बातचीत की। वेतन संशोधन समिति के साथ परामर्श कर अन्तरिम सहायता के बारे में सरकार के फैसले की घोषणा करने हेतु कुछ समय मांगा गया। मजदूर नेता इस पर सहमत न हुये। हडताल को रोकने के अन्तिम प्रयत्न के रूप में मंत्री जी ने 15-1-1975 को तीनों संघों के नेताओं से और आगे बातचीत की। अन्तरिम सहायता संबंधी मजदूरी संशोधन समिति की रिपोर्ट भी 15-1-1975 को प्राप्त हो गई। इसकी सिफारिशों के आधार पर मंत्री जी ने निम्नलिखित अन्तरिम सहायता देने की सिफारिश की :—

1-1-1974 से 5-7-1974 तक . .	120 रुपये की एकमुश्त रकम
6-7-1974 से 31-12-1974 तक .	180 रु० की एकमुश्त रकम
1-1-1975 से	50 रुपये प्रतिमास

मजदूर नेताओ को यह स्वीकार्य न था। उन्होंने 1974 के लिये 50 रुपये प्रतिमास और 1-1-1975 से 60 रु० प्रतिमास की अन्तरिम सहायता मांगी। इस प्रकार बातचीत टूट गई और कर्मचारियों ने 16-1-75 से हडताल कर दी।

चूंकि हडताल का जारी रहना राष्ट्रीय हित में नहीं था, अतएव नौवहन और परिवहन मंत्री 19-1-1975 को मजदूर नेताओं से और आगे बातचीत करने पर सहमत हो गये। इन विचार विमर्शों के परिणामस्वरुप समझौता हो गया और हडताल समाप्त कर दी गई।

समाचार भारती, नई दिल्ली के कर्मचारियों को तंग किये जाने का विरोध

577. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि समाचार भारती समाचार एजेन्सी, नई दिल्ली के कर्मचारियों को उनकी मजदूर संघ गतिविधियों के कारण तंग किया जा रहा है ;

(ख) क्या समाचार भारती कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष को पहले श्रीनगर स्थानान्तरित कर दिया गया था और बाद में अब कर्मचारियों द्वारा विरोध किये जाने पर उसे विशेष कार्य सौंप कर चंडीगढ़ भेज दिया गया ;

(ग) क्या सरकार को यूनियन से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उसकी मांगे क्या हैं; और

(घ) उनकी मांगों को पूरा करने तथा उन्हें परेशान न किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन, जो इससे मुख्यतया सम्बन्धित है, द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनानुसार समाचार भारती कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष श्री सूद को श्रीनगर स्थानान्तरित किया गया था, परन्तु व्यक्तिगत कठिनाइयों संबंधी उनके अभ्यावेदन के बाद, उपर्युक्त स्थानान्तरण प्रबन्ध द्वारा रोक दिया गया था। बताया गया है कि तत्पश्चात श्री सूद ने दिल्ली में तैनाती के लिए अनुरोध किया परन्तु यह प्रबन्ध द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और उन्हें चण्डीगढ़ में नियुक्ति के आदेश दिए गए जहां वे 6 जनवरी, 1975 से कार्य कर रहे हैं। समाचार भारती कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांगों या प्रबन्ध द्वारा उनके पदाधिकारियों को कथित रूप से सताये जाने के सम्बन्ध में कोई विवद नहीं उठाया है। परिवेदित कर्मचारी (कर्मचारियों) या उनकी यूनियन द्वारा इस सम्बन्ध में उपालंब शिकायतें दिल्ली प्रशासन के औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र के पास भेजी जा सकती है, ताकि वे मामले की जांच कर सकें।

समाचार भारती द्वारा भविष्य निधि की राशि जमा न करना

578. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि समाचार भारती समाचार एजेन्सी के प्रबन्धकों ने भविष्य निधि के सही लेखे तैयार नहीं किये हैं तथा पूरी राशि जमा नहीं कराई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरे तथ्य क्या है ;

(ग) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयोग, दिल्ली कार्यालय द्वारा इस बारे में कोई जांच की गई थी, यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) प्रबन्ध वर्ग के विरुद्ध आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) गैर-छूट-प्राप्त प्रतिष्ठान, समाचार भारतीय समाचार एजेन्सी के भविष्य निधि के लेखों का हिसाब ठीक रूप से क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली द्वारा रखा जाता है। मैसर्स समाचार भारती के प्रबन्ध ने दिसम्बर, 1974 तक के भविष्य निधि अंशदानों की पूरी राशि जमा की है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पश्चिम एशिया में हथियारों का आगमन

579. **श्री निम्बालकर :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि वर्ष 1974 में पश्चिम एशिया में भारी संख्या में हथियार आए थे ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार क्या विचार कर रही है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां।

(ख) सरकार शान्ति पूर्ण तरिकों से विवादों का समाधान करना पसंद करती है, तो भी सभी राष्ट्रों का अधिकार है कि वे अपनी सुरक्षा सम्बन्धी नीतियों को तय करें जिससे कि उनकी स्वतंत्रता, अखंडता और प्रभुसत्ता सुरक्षित हो सके ।

रायपुर (मध्य प्रदेश) के सोहागपुर-नवगांव शिविर में शरणार्थियों पर कथित अत्याचार

580. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनवरी, 1975 के दौरान रायपुर, मध्य प्रदेश में सोहागपुर-नवगांव शिविर में भूखे शरणार्थियों पर हुए अमानवीय अत्याचार के बारे में पता है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उस स्थिति से निपटने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या पुलिस अधिकारियों को कोई दण्ड दिया गया है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1975-76 के लिये इस्पात की प्रस्तावित कमी

581. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975–76 के लिए इस्पात की कितनी कमी होने की सम्भावना है ; और

(ख) इस कमी को किस प्रकार दूर किया जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) पिछले एक वर्ष में इस्पात की प्रदाय स्थिति में काफी सुधार हुआ है । अप्रैल, 1974–जनवरी, 1975 के 10 महीनों में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों का उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि के उत्पादन की तुलना में 3.569 लाख टन अधिक हुआ है और इस तरह उत्पादन में 10% की वृद्धि हुई है । माल सूचियों को सक्रिय बनाने के लिए किए गए विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप उपर्युक्त 10 महीनों की अवधि में इस्पात कारखानों से देश की अर्थव्यवस्था को 6,34,000 टन अधिक इस्पात मिला है जो पिछले वर्ष के 10 महीनों की सप्लाई की तुलना में 18% अधिक है । वर्ष 1975–76 में उत्पादन और भी अच्छा होने की सम्भावना है । फलस्वरूप वर्ष 1975–76 में इस्पात की प्रदाय स्थिति काफी अच्छी रहेगी और ऐसी आशा है कि इस्पात की कमी नहीं होगी । वास्तव में कुछ प्रकार के इस्पात का निर्यात किया जाएगा । आशा है कि अगले वर्ष इस्पात का आयात काफी कम होगा । केवल कुछ उन्हीं विशेष श्रेणियों का आयात किया जाएगा जिनका या तो हम उत्पादन नहीं करते हैं अथवा जिनका उत्पादन हमारी आवश्यकता से कम है जैसे बायलर बनाने वाली प्लेटें, पोत निर्माण में काम आने वाली प्लेटें, एक्स्ट्रा डीप ड्राईंग- क्वालीटी की ठंडी बेलित चादरें, ओ टी एस क्वालिटी की टीन प्लेटें आदि-आदि । आशा है कुल मिलाकर वर्ष 1975–76 में इस्पात की प्रदाय स्थिति पूर्णतया संतोषजनक रहेगी ।

बिहार में शीत लहर के कारण हुई मौतें

582. **श्री एन० ई० होरो :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में शीत लहर के कारण कुछ मौतें हुई हैं ?

(ख) यदि हां, तो उनकी जिले वार संख्या क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) से (ग) मौतों की सूचना नहीं दी जाती इसलिए शीत लहर के कारण कितने व्यक्तियों की मौत हुई इसके बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

बोकारो इस्पात कारखाने की बेकार पड़ी कोक भट्टी बैटरियां

583. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की कमी के कारण बोकारो इस्पात कारखाने की कुछ कोक भट्टी बेटरियां बेकार पड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो बोकारो इस्पात कारखाने को आवश्यक मात्रा में कोकिंग कोल सप्लाई करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ।

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नया मंगलौर बन्दरगाह न्यास

584. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) या नया मंगलौर बन्दरगाह न्यास का निर्माण करने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है, और

(ख) यदि हां, ता क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कोई निगरानी रखी जा रही है कि वर्तमान प्रबंधक प्रति नियुक्ति पर आए कर्मचारियों को भरती करके तथा उनको पदोन्नत करके अथवा उन्हें स्थाई रूप से खपा कर नई मंगलौर बन्दरगाह परियोजना के कर्मचारियों के हितों को हानि नहीं पहुंचाएंगे ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। परन्तु नये मंगलौर पत्तन के परिचालन और रखरखाव के लिये कार्मिकों की आवश्यकता निर्माण स्तर से कर्मिकों को मांग भिन्न होगी। सारे निर्माण कार्य पूरे हो जाने पर बड़े पत्तनों की आवश्यकता पर निर्भर करते हुए कर्मचारियों की संख्या पत्तन न्यास के बनने के समय पर निश्चित की जायेगी और बन्दरगाह परियोजना के कर्मचारियों के हितों पर विचार किया जायगा ।

इस्पात संयंत्रों में उच्च किस्म के ऊष्मसहों की कमी

585. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न इस्पात संयंत्रों में अपेक्षित उच्च किस्म के उष्मसहों की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो उष्मसहों का आयात करने के लिए वर्षों 1973 और 1974 में कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई है ;

(ग) भिलाई इस्पात संयंत्र और बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रथम तथा द्वितीय चरण के विस्तार कार्यक्रम को पूरा करने हेतु उष्मसहों की सप्लाई करने के लिए कुल कितनी रुपये आवश्यकता होगी और

9—1 LSS/75

(घ) देश में उष्मसहों के निर्माण को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1973–74 की अवधि में इस्पात कारखानों को उष्मसहों के आयात के लिये लगभग 269 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा दी गई थी तथा वर्ष 1974–75 में अबतक लगभग 369.4 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा दी गई है ।

(ग) भिलाई इस्पात कारखाने की विस्तार योजना के लिए तापसह ईंटों की कुल आवश्यकता लगभग 1912 करोड़ रुपए है बोकारो इस्पात कारखाने के प्रथम तथा द्वितीय चरण के लिये तापसह ईंटों की आवश्यकता का अनुमान क्रमश : 17.24 करोड़ रुपए तथा 20.48 करोड़ रुपए लगाया गया है ।

(घ) वर्तमान इकाइयों का उत्पादन अधिकाधिक करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे है । इसके लिए विभिन्न अड़चनों जैसे कच्चे माल की ढुलाई में परिवहन की कठिनाइयों भट्टी में इस्तेमाल किये जाने वाले तेल, बिजली और कोयले आदि जैसे आदानों की आपूर्ति की कठिनाइयों, को दूर किया जा रहा है । उत्पादन को अधिकाधिक करने तथा तापसह ईंटों की क्वालोटी में सुधार लाने के लिए, जहां कहीं आवश्यक हो, अनुपूरक सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है और परीक्षण उपकरण लगाने की मंजूरी दी जा रही है ।

इस्पात कारखानों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकारी क्षेत्र में भिलाई (मध्यप्रदेश) में 1,10,000 टन अच्छी किस्म की तापसह ईंटों की वार्षिक क्षमता का एक कारखाना लगाने का भी प्रस्ताव है ।

समुद्री तथा थल सीमाओं के बारे में बंगला देश के साथ करार

586. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगला देश की समुद्री तथा थल सीमाओं को निश्चित करने के लिए दोनों देशों के बीच कोई करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो बंगला देश को हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि अथवा उनसे बदले में ली जाने वाली भूमि के क्षेत्र का ब्यौरा क्या है और करार के अन्तर्गत समुद्री सीमा क्या निर्धारित की गई है; और

(ग) क्या इस समझौते से उस समुद्री तल में खुदाई कार्य करने के बारे में दोनों देशों के अपने अधिकारों के बारे में गलतफ़हमियां दूर हो जाती हैं जिनके लिए बंगला देश सरकार ने किसी विदेशी फर्म को पहले ही कुछ ठेके दे दिया हैं ।

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) भारत और बंगला देश के बीच भूमि सीमांकन के बारे में 16 मई 1974 को एक समझौता हो गया था । समुद्री सीमा के परिसीमन के प्रश्न पर दोनों सरकारों में विचार विमष चल रहा है ।

(ख) और (ग) इस समझौते के फलस्वरूप भारत और बंगलादेश के बीच कितनी भूमि की अदला बदली होगी इसका ठीक-ठीक पता सीमांकन कार्य पूरा होने पर ही लगेगा । जहां तक समुद्री सीमा का प्रश्न है, इसके बारे में करार अभी होना है ।

भारतीय वायुसेना के पुराने परिवहन बेड़े को बदलना

587. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबकि एक ओर भारतीय वायु सेना का परिवहन बेडा पुराना पड़ जाने के कारण धीरे-धीरे बेकार होता जा रहा है और दूसरी ओर स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से उसकी बदली करने के कार्यक्रम

में प्रगति नहीं हो रही हैं तो क्या इस प्रकार देश में इसका अभाव हो जाएगा जो कि देश की रक्षा के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है ;

(ख) क्या नेट विमान को सहायक विमान तथा एच एफ 24 को आधुनिक लड़ाकू विमान के रूप में विकसित करने के कार्यक्रम में काफी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जिसके कारण निकट भविष्य में किसी भी युद्ध में भारतीय वायु सेना की सापेक्षिक लड़ाकू विमानों की संख्या में और कमी हो जाएगी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने सीधे खरीद करने की वांछनीयता तथा उपरोक्त विमानों के उत्पादन कार्यक्रम को बढ़ाने के बारे में विचार किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) यह कहना ठीक नहीं होगा कि भारतीय वायु सेना का परिवहन बेड़ा पुराना पड़ जाने के कारण धीरे-धीरे बेकार होता जा रहा है। पुराने किस्म के विमानों के स्थान पर और अच्छी विमानों द्वारा भारतीय वायु सेना का अधुनिकीकरण एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न किए गए हैं और किए जा रहे हैं कि सीमित स्रोतों के होते हुए भारतीय वायू सेना की आवयकताओं को जहां सम्भव हो स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से और/अथवा जहां आवश्यक हो आयात द्वारा उपयुक्त समय के अन्दर पूरा किया जाए।

पुर्तगाल के विदेश मंत्री के साथ हुई बातचीत

588. **श्री मधु लिमये** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुर्तगाल के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान सरकारी प्रवक्ताओं के साथ किन-किन विषयों पर चर्चा की गई ;

(ख) किये गए समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या नागरिकता सम्बन्धी प्रश्न को भी हल कर लिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इन समझौते के विवरण क्या हैं ; और

(ङ) दानों देशों के बीच राजनयिक सम्बन्ध कब स्थापित किये जाएंगे ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) पुर्तगाल के विदेश मंत्री के साथ परस्पर हित के विभिन्न द्विपक्षीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ। 31 दिसम्बर 1974 को भारत और पुर्तगाल के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर हुए। संधि की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं। इसकी विशेष बातें हैं : गोआ, दमन, दिउ, दादरा तथा नागर हवली पर उन तारीखों से पुर्तगाल द्वारा भारत की प्रभुसत्ता को मान्यता देना जिन तारीखों से ये भारत के संविधान के अधीन भारत के अंग बने दोनों देशों के बीच तत्काल राजनयिक सम्बन्ध शुरू करना ; दोनों देशों के बीच सभी प्रश्नों को जिनमें सम्पत्ति, परिसम्पत्तियां तथा दावे शामिल हैं, द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा हल करने की सहमति तथा शीघ्र ही एक सांस्कृतिक समझौता सम्पन्न करना।

(ग) नागरिकता के प्रश्न को 1962 में भारत सरकार द्वारा जारी की गई विभिन्न अधिसूचनाओं (नागरिकता नियम, 1955 की धारा 7 के अधीन) तथा नागरिकता नियम 1956 के अन्य प्रावधानों द्वारा बहुत पहले ही हल कर लिया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ;

(ङ) पुर्तगाल के साथ 31 दिसम्बर, 1974 को राजनयिक सम्बन्ध स्थापित हुए। एक दूसरे की राजधानी में राजनयिक मिशन स्थापित होंगे।

अमरीका-भारत संयुक्त आयोग

589. **श्री मधु लिमये** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका-भारत संयुक्त आयोग की कोई बैठक हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई ; और

(ग) उसमें क्या-क्या निर्णय लिये गये ?

विदश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) :(क) भारत-अमरीकी संयुक्त आयोग की पहली बैठक 13 मार्च, 1975 को वाशिंगटन में होने वाली है। तथापि, आर्थिक एवं वाणिज्यिक मामलों, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय मामलों तथा शिक्षा एवं सांस्कृतिक मामलों से सम्बद्ध तीन उप-आयोगों में से पहले दो की बठके हाल ही में वाशिंगटन में हुई और तीसरे उप-आयोग की बठक दिल्ली में हुई।

(ख) इन बैठकों में उप-आयोगों ने जिन विशिष्ट कार्यों के क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा उन पर तथा इनसे सम्बन्धित कार्य के प्रोग्रामों पर विचार-विमर्श किया।

(ग) इन तीनों आयोगों की शिफारिशों को संयुक्त आयोग के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा। इसके बाद ही इनके निष्कर्षों को बताना सम्भव हा सकेगा।

पटसन कर्मचारियों की हड़ताल

590. **श्री मधू लिमये** :
श्री के० लकप्पा :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन कर्मचारियों की हड़ताल को पहले रोकने तथा बाद में उसको समाप्त करने के लिए उसके मंत्रालय ने कोई भूमिका निभायी है ;

(ख) कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ग) इस विवाद की वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्रम मंत्रालय म उपमंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) से (ग) यह मामला अनिवार्य रूप से राज्य के कार्य क्षेत्र में आता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल में जूट श्रमिक, अपनी मुख्य मांगों के समर्थन में, जो अन्य बातों के साथ साथ बोनस, गढ़े हुए महंगाई भत्ते, करारों की कार्यान्विती और लम्बित पड़े विवादों के निपटारें और जूट उद्योगों में बदली श्रमिकों की राहत की स्वीकृति के बारे में केन्द्रीय श्रम मंत्री जी के निर्णय की कार्यान्विति से सम्बन्धित है, 6 जनवरी, 1975 से हड़ताल पर चले गए हैं। राज्य सरकार इस मामले से अवगत है। विवाद को सुलझाने के प्रयास में राज्य श्रम मंत्री जी ने पहले ही कही श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ अनेक विचार-विमर्श किए हैं। राज्य औद्यागिक सम्पर्क तन्त्र हड़ताल को शीघ्र समाप्त करवाने के प्रयास जारी रखे हुए है।

पाकिस्तान के साथ सामान्य राजनयिक संबंधों का पुनः स्थापित किया जाना

591. **श्री मध लिमये** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापार और संचार सम्पर्कों के सम्बन्ध में पाकिस्तान और भारत की सरकारों के बीच हुए हाल के समझौतों की मुख्य बाते क्या हैं ?

(ख) क्या दानों देशों के बीच सामान्य राजनयिक सम्बन्धों के स्थापित किए जाने की दशा में कोई प्रगति हुई है ; और

(ग) यदि हां, ता तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जनवरी 1975 के सम्पूर्ण व्यापार करार पर हस्ताक्षर होने के बाद व्यापार पुनः शुरू करने के लिए नवम्बर 1974 में एक प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर हुए। साथ ही, दोनों देशों के बीच व्यापार कार्यों के लिए सीधी बैंकिंग सारणियों की पुर्नस्थापना के लिए आपसी समझ के एक ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुए। प्रोतोकोल तथा व्यापार करार में यह परिकल्पना की गई है कि दोनों देशों के बीच व्यापार शुरू करने का कार्य सरकार-नियंत्रित व्यापार निगमों के माध्यम से किया जाएगा। कुछ ऐसी जिन्सों को पहचाना गया है जिनमें किसी एक पक्ष ने रुचि दिखाई थी। दोनों में से किसी भी देश को भेजे जाने वाले माल को उठाने के लिए 15 फरवरी, 1975 से एक सीधी जहाजरानी सेवा पुनः आरम्भ करने के लिए भी जनवरी, 1975 में नई दिल्ली में एक प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर हुए।

(ख) और (ग) पाकिस्तान के साथ राजनयिक सम्बन्ध पुनः शुरू करने के प्रश्न पर सरकार की यह नीति है कि दोनों देशों के बीच सम्बन्ध सामान्य बनाने के लिए शिमला समझौते में परिकल्पित विभिन्न उपायों को कुछ महत्व पहले दिया जाए। शिमला समझौते में परिकल्पित ऊपर से उड़ाने तथा वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक विनिमयों सहित हवाई सम्पर्क की पुनः प्रतिष्ठा के लिए समझौते को अन्तिम रूप अभी दिया जाना है।

हल्दिया पोत-निर्माण कारखाना

592. श्री समर गुह : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में एक पोत-निर्माण कारखाना स्थापित करने के बारे में निर्णय लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ; और

(ग) आगामी योजना-अवधि के दौरान पोत-निर्माण कारखानों की स्थापना करने के बारे में क्या नीति सम्बन्धी निर्णय लिया गया है तथा उन्हें कहां-कहां स्थापित किया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चालू योजना काल में दो नये शिप बिल्डिंग यार्ड बनाने का प्रस्ताव है। परन्तु उनके स्थान के बारे में अभी निर्णय किया जाना है।

अगली योजना अर्थात छटी योजना में शिपयार्डों की स्थापना और स्थान के बारे में अभी तक कोई नीति निर्णय नहीं किया गया है।

फरक्का से गंगा नदी के पानी की निकासी

593. श्री समर गुह : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का से गंगा नदी के पानी की निकासी संबंधी अनिश्चितताओं के कारण हुगली से कलकत्ता और हाल्दिया पत्तनों पर पहुंचने वाले तथा इन पत्तनों से आने वाले जहाजों के नौवहन के लिये गम्भीर समस्याएं पैदा हो रही हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कठिनाइयां क्या है; और

(ग) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) से (ग) गंगा से स्थायी उच्च भूमि प्रवाह के अभाव में हुगली नदी में काफी अधिक गाद रही है और इस कारण गत

कई वर्ष नौचालन के लिये उपलब्ध डुबाव में क्रमिक कमी होती रही है । कुछ स्थानों, विशेषकर रोधकों पर गहराई में काफी कमी हुई है और जिससे जहाजों के आने जाने में बड़ी रुकावट पैदा होती रही है तथा डुबाओं में काफी कमी रही है । कलकत्ता के नीचे लगभग 30 मील के दुर्गम भाग में जलमार्ग तंग रहे हैं और कई बार जहाजों का दोनों ओर से जाना आना जारी नहीं रखा जा सकता । नदी के रुकने से, गाद समुद्र की ओर काफी बढ़ गई है और जिसके परिणामस्वरूप, ठीक हल्दिया के ऊपर और कलकत्ता के 50 मील नीचे बलारी बार में अस्थिरता आ गई है । पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न नदी साध उपाय और दुर्गम भागों में गहन निकर्षण किये गये हैं ।

अमरीकी खान व्यापार मिशन का भारत दौरा

594. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या इस्पात और खान मंत्री 19 दिसम्बर, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 550 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दल ने खनन उद्योगों, विशषतया अलौह धातु तथा कोयला का विकास करने के लिये धनराशि तथा उपकरण दोनों प्रकार का अमरीकी पूंजी निवेश करने की पेशकश की थी ; और

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर और क्या सरकार ने उनपर विचार किया है और इस सम्बन्ध उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री, (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जीं नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मैसर्स जे० बी० मेघराम एण्ड कम्पनी, मैसर्स जीवन फ़ूड्स, बाम्बे, मेसर्स मेघाराम एण्ड सन्स बाम्बे और मेंसर्स इंटरनेशनल फूडस बाम्बे के कर्मचारी

594. श्री हुकुम चन्द कछवाय : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स जे ० बी ० मेघाराम एण्ड कम्पनी, मैसर्स जीवन फूड्स बाम्बे (हैदराबाद में फैक्टरी) मैसर्स मेघाराम एण्ड सन्स, बाम्बे (बंगलोर में फैक्टरी) और मैसर्स इण्टरनेशनल फुड्स बाम्बे (हैदराबाद में फैक्टरी) में इस समय अस्थायी और स्थायी कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) उपरोक्त फर्मों द्वारा कर्मचारियों की भविष्य निधि, उपदान, बोनस आदि की कितनी राशि अलग अलग, देय है और उसका वर्ष 1972-73 और 1973-74 का अलग अलग ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है। यह यथा समय सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

Embezzlement of lakhs of rupees in Shahjahanpur Ordnance Factory

597. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints regarding sub-standard material purchased from the market for production of cloth in Shahjahanpur Ordnance Factory;

(b) whether the officials embezzled lakhs of rupees in this deal;

(c) the nature of the action taken by Government in this regard; and

(d) whether Government will conduct a high level enquiry in his matter?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (d) The Government have received complaints against certain officers of the Ordnance Factory, Shahjahanpur which are under investigation.

Facilities of Provident Fund Bonus and Housing to workers of Tea Plantations in Himachal Pradesh

598. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether the workers in tea plantation of Himachal Pradesh are not being provided with Provident Fund, Bonus, Housing and Medical Facilities; and

(b) if so, the names of such tea plantations and the action taken by the State Government to ensure these facilities to the workers and the action proposed to be taken by central Government in this matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a and (b) The required information is being collected and will be laid on the Table of th Sabha in due course.

Action against M/s. J. B. Mangharam and Co., Gwalior for Non-deposit of E.P.F.I.

599. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Labour** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 3318 on the 5th December, 1974 and state:

(a) the action taken so for by Government against M/s. J. B. Mangharam and Company Gwalior for not depositing the Provident fund of its employees;

(b) the dates on which and the amount of delayed deposits of the provident fund made during 1972-73 and 1973-74; and

(c) the action taken by Government against the said company?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) to (c) The Provident Fund authorities have reported that the information is being collected and will be laid on the Table of Sabha is due course.

कर्नाटक बिजली बोर्ड को ई० सी० ग्रेड एल्युमीनियम

600. **श्री के० लकप्पा :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछे हाल ही में कर्नाटक सरकार से कर्नाटक बिजली बोर्ड की ई० सी० ग्रेड एल्युमीनियम सप्लाई करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा आवंटित की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय म उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) जनवरी, 1975 में कर्नाटक सरकार ने 350 टन ई० सी० ग्रेड एल्यूमिनियम के विशष आबंटन के लिए अनुरोध किया था ताकि पम्पसेटों को शक्तिशाली बनाने के कार्यक्रम के संबंध में राज्य बिजली बोर्ड की अतिरिक्त जरूरतों को पूरा किया जा सके। कर्नाटक सरकार तथा अन्य राज्य सरकार के समान अनुरोधों पर अतिरिक्त धातु का आबंटन करना संभव नहीं है, क्योंकि वर्ष 1974-75 के लिए ई० सी० ग्रेड एल्यूमिनियम के समूचे अनुमानित उत्पादन को राज्य बिजली बोर्डों द्वारा प्रस्तुत आर्डरों पर केबुलों/कंडक्टरों आदि के निर्माण के लिए विभिन्न कारखानों को पहले ही आबंटित किया जा चुका है।

मैंगनीज अयस्क के जमा होने के बारे में 5-12-74 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3226 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

STATEMENT CORRECTING ANSWER TO U.S. Q. No. 3326 DATED 5-12-74 REGARDING ACCUMULATION OF MANGANESE ORE

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : 5-12-1974 को प्रश्न का उत्तर देते समय मैंगनीज ग्रौर इंडिया लिमिटेड से मैंगनीज खनिज की सप्लाई प्राप्त करने वाले इस्पात कारखाने का नाम बताने में भूल हो गई थी। प्रश्न के भाग (क) ग्रौर (ग) के उत्तर में अन्तिम वाक्य में कारखाने का नाम "बोकारो स्टील लि०" की बजाए 'भिलाई इस्पात कारखाना" पढ़ा जाए।

उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब के कारण

लोक सभा में दिनांक 5-12-1974 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3326 का उत्तर देने के पश्चात् यह पता चला कि मैंगनीज ग्रोर इंडिया लि० से मैंगनीज खनिज की सप्लाई प्राप्त करने वाले इस्पात कारखाने का नाम बताने में भूल हो गई है। इस भूल को ठीक करने के बारे में एक शुद्धिपत्र जारी करने का विचार था परन्तु इस्पात विभाग को पता चला कि इस प्रश्न का मुद्रित विवरण पहले ही दिया जा चुका है। चूंकि सत्र समाप्त होने वाला था ग्रौर उत्तर को सही करने के लिए सभा पटल पर विवरण रखने के लिए समय कम था, ईसलिए सत्र के दौरान ऐसा न किया जा सका।

सभा के कार्य के बारे में

RE : BUSINESS OF THE HOUSE

Shri Madhu Limaye (Banka) : I have a point of order in respect of list of business and arrangement of business.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : कार्यसूची में पटसन कार्मिकों के मामले में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा गया है। आपने आज के समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि आई०जे०एम०एम० के प्रभाव में कुछ एजेंसियां यह प्रयत्न कर रही हैं कि कर्मचारी बिना किसी समझोते के काम पर लौट आयें। इसीलिए हमने कल ग्रौर परसों स्थगन प्रस्ताव रखा था। ध्यानाकर्षण से सभी को अपनी अपनी राय प्रकट करने का अवसर नहीं मिल पायेगा।

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस ध्यानाकर्षण को 3-4 घंटे की चर्चा में बदल दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : हमने कल भी ऐसा किया था। यह कितने दिन जारी रहेगा ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : रेलवे बजट के प्रस्तुत किये जाने के बाद हम इसे ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय से बात करूंगा। जैसा कि आपको पता है प्रति दिन ऐसा हो रहा है।

संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : इस पर कार्य मंत्रणा समिति की 3 बजे होने वाली बैठक में विचार किया जाय।

श्री इंद्रजीत गुप्त : यदि सरकार कहती है कि वह चर्चा के लिय तैयार नहीं तो हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से भी वंचित हो जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ समय निकालने की चेष्टा करूंगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : उन्होंने गुंडों की मदद से मिल चालू करना शुरू कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : भविष्य में हम ऐसा नहीं करेंगे। आज रेल बजट के बाद इस पर चर्चा की जा सकती है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : क्योंकि कलकत्ता से प्रकाशित बंगला देश समाचार साप्ताहिक मुख्य मंत्री तथा पश्चिम बंगाल सरकार का आलोचक था, कांग्रेसी गुन्डों एवं समाज विरोधी तत्वों ने उसके छापेखाने को नष्ट कर दिया। उन्होंने स्थानीय सरकार से संरक्षण मांगा है। मैंने प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्र को लिखा है परन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ। देश में प्रेस की स्वतंत्रता पर आघात की यह सबसे बड़ी मिसाल है।

Shri Madhu Limaye : My question is regarding the arrangement of the Business.

I gave notice of a starred question for 28th February which reads :

"क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात और खान मंत्री श्री इन्द्रजीत यादव के विरूद्ध, एक संसद सदस्य द्वारा वाणिज्य मंत्री को तारीख 25 जनवरी, 1975 को लिखे गये पत्र में लगाये गये आरोपों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पैरा माउंन्ट इंजीनियरिंग वर्क्स के मामले में कानपुर के आयात नियंत्रण अधिकारी द्वारा लिखी गई टिप्पणी की मूल भाषा क्या है ;

(ग) लाइसेंसों का कुल मूल्य" आदि...

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा। मेरे कक्ष में आप मुझसे बात कर सकते हैं।

Shri Madhu Limaye : Sir, excuse me, I have been informed that part (a) and (b) have been removed.

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसे मामले सभा में नहीं उठा सकते।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप के पास कार्य अधिक हो गया है आप प्रश्नों का कार्य उपाध्यक्ष महोदय को क्यों नहीं दे देते। सरकार निरन्तर सचिवालय को दबा रही है, जो निन्दनीय बात है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : हमें ठंडे दिमाग से इस बात पर विचार करना है कि क्या लोक सभा सचिवालय किसी प्रश्न में कांट-छांट कर सकता है। सदस्यों का यह महत्वपूर्ण अधिकार है कि वह सरकार से प्रश्न पुछ सकें और उत्तर पा सकें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नों के बारे में प्रथा यह है कि यदि कोई सदस्य सन्तुष्ट नहीं है तो वह मुझे मेरे कक्ष म मिल सकता है अथवा पत्र लिख सकता है। इस मामले पर सदन में नहीं बल्कि मुझसे चर्चा की जा सकती है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : हम अध्यक्षपीठ को प्रश्नों के मामले में कक्ष में प्रभाव में नहीं लेना चाहते।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे मामलों में सदा ही यही प्रथा रही है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : दूसरे, समूचे सदन के लाभार्थ तथा सभी सदस्यों की सुचनार्थ कि किस प्रकार सचिवालय द्वारा प्रश्नों में फेर-बदल की जा रही है, मामले का यहां रखना आवश्यक है।

श्री मधु लिमये : मारुति के बारे में भी मेरे प्रश्न में फेर-बदल की गई थी।

अध्यक्ष महोदय : पहले से अर्थात् केवल मेरे समय में अपितु पहले अध्यक्ष की समय से ही प्रश्नों को अस्वीकार करने के स्थान पर स्वीकार्य स्थिति में लाया जाता रहा है।

श्री मधु लिमये : मैं जानना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न से किस नियम का उल्लंघन होता है।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे कक्ष में मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरे आप यह नहीं पूछ सकते कि किसी अधिकारी ने फाइल में क्या टिप्पणी लिखी।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : जब मेरे प्रश्नों में फेर बदल की गई है तब यह मामला यहां पर ही अर्थात सदन में ही निपटाया जाता रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मामला सचिवालय स्तर पर निपटाया जा सकता है। यदि कोई सदस्य इससे सन्तुष्ट नहीं है तो मामला महासचिव के अथवा मेरे पास लाया जा सकता है।

श्री पीलू मोदी : कई बार सभा में यह मामला उठाया गया और निपटाया गया।

अध्यक्ष महोदय : सचिवालय को इस प्रकार धमकाना उचित नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The question are examined by the secretariat. If there is anything objectionable it can be modified with the consent of the member concerned. It would have been better if the matter raised by Shri Madhu Limaye had been settled without taking it up in the House. It is correct that we should not as ask about a malings in a file.

Mr. Speaker : You are correct. We shall sit in the chamber. Secretary-General would also be there. We shall even call for the file.

Shri Madhu Limaye : Please put this matter before the leaders of the opposition.

श्री भागवत झा आझाद (भागलपुर) : विरोधी नेता हीं क्यों ?

श्री मधु लिमये : क्योंकि यह हमारे अधिकारों का प्रश्न है और आप को किन्हीं अधिकारों की आवश्यकता नहीं है।

श्री भागवत झा आजाद : सदस्यों का प्रश्न पूछने का अधिकार निर्धारित नियमों द्वारा संचालित होता है। जब प्रश्न स्वीकार नहीं किये जाते तो सदा यही समझा जाता है कि उन्हें अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार नहीं किया। प्रश्नों में जो कुछ भी कांट-छांट की जाती है वह निर्धारित नियमों के अनुसार की जाती है। लगभग बीस खण्ड हैं जिनमें स्पष्ट किया गया है कि इन बातों के होने पर प्रश्न को सीधे अस्वीकार कर दिया जाता है। न केवल श्री मधु लिमये अपितु हमारे पक्ष के सदस्यों के प्रश्नों में भी परिवर्तन किये जाते हैं। यह केवल प्रश्नों को स्वीकार्य बनाने के लिये किया जाता है।

यदि सभी सदस्य इस प्रकार प्रश्नों की कांट-छांट की चर्चा करने लगेंगे तो कार्य-संचालन कठिन हो जायेगा। नियमानुसार प्रश्नों में संशोधन आदि किया जाना सर्वथा उचित है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Let it be decided in a meeting with the leaders of the apposition parties. If congress members have any grievance they may also be called.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बैतुल) : प्रश्न पूछना सदस्यों का अधिकार है और इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। नियम संख्या 41(2) (10) में कहा गया है कि :

"उसमें व्यक्तिगत रूप से दोषारोपण नहीं किया जायेगा और न ऐसे दोषारोपण का संकेत होगा।"

Shri Madhu Limaye : There is no personal allegation in it. It is an issue of public interest.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : नियम 43 के अनुसार केवल नियमानुसार प्रश्न ही स्वीकार्य होते हैं। प्रश्न के मामले में भी नियमों की अवहेलना नहीं की जा सकती।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : क्या यह कार्यालय का कर्तव्य नहीं था कि प्रश्न के जिन अंशो को स्वीकार नहीं किया गया था उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य को यह बताया जाता कि उसे किस नियम के अनुसार अस्वीकार किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न हजारों की संख्या में आते हैं। यदि यह बताया जाये कि कौन सा भाग निकाल दिया गया, कौनसा बदल दिया गया है तो इस कार्य का कोई अन्त नहीं होगा। यह सारा कार्य अध्यक्ष के नाम से होता है। यदि कोई सदस्य सन्तुष्ट न हो तो वह मुझे लिख सकता है। मैं फाइल मंगा कर माननीय सदस्य को सन्तुष्ट कर दूंगा।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : आप नियम का उल्लेख क्यों नहीं करते ?

श्री भागवत झा आजाद : नियम 43(1) के अधीन प्रश्न अथवा उसके किसी भी भाग को अस्वीकार किया जा सकता है। सैंकड़ों प्रश्न प्रति दिन अस्वीकार किये जाते हैं अथवा संशोधित किये जाते हैं। यदि ऐसे मामले प्रति दिन सभा में आते रहेंगे तो सभा में यही कार्य हो सकेगा।

Shri Madhu Limaye : You said that you would discuss the matter with the opposition parties.

अध्यक्ष महोदय : इस पर सभा में और चर्चा न की जाये। मैं महासचिव को बुलाऊंगा और हम इस पर चर्चा करेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी : धनबाद में तीन श्रमिक नेताओं को गोली से मार दिया गया है। मैंने इस बारे में नियम 377 के अन्तर्गत तथा ध्यानाकर्षण नोटिस दिये थे। मेरा श्रम मंत्री से अनुरोध है कि इस पर वक्तव्य दें। यह एक केन्द्रीय विषय है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

व्यापार पोत (चालक-वृन्द आवास) संशोधन नियम 1974 और कोचीन शिपयार्ड लि० के वर्ष 1973–74 के कार्यकरण की समीक्षा और कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1972–73 के लेखों नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) :

मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) व्यापार पोत अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत व्यापार पोत (चालक-वृन्द आवास) संशोधन, नियम 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 28 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1390 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8926/75।**]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कोचीन शिपयार्ड लि० कोचीन के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन शिपयार्ड लि०, कोचीन का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(3) मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1972-73 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल० टी० 8927/75।]

खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) खनिज रियायत (चौथा संशोधन) नियम, 1974 जो दिनांक 14 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1331 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खनिज रियायत (तीसरा संशोधन) नियम, 1974 जो दिनांक 14 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1332 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 1974 जो दिनांक 14 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1333 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सा० आ० 125 जो दिनांक 11 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8928/75।]

भविष्य निधि (आठवां संशोधन) स्कीम, 1974 और औद्योगिक विवाद (गुजराती दूसरा संशोधन) नियम, 1974 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा विवरण

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हू :

(1) कोयला खान भविष्य निधि, कुटुम्ब पेंशन और बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 की धारा 7 क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1975 जो दिनांक 1 फरवरी 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 173 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1975 जो दिनांक 1 फरवरी 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 174 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) नेवेली कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1975 जो दिनांक 1 फरवरी 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 175 में प्रकाशित हुई थी।

(2) (एक) कर्मचारी भविष्य निधि तथा कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि ((8 वां सशोधन) स्कीम, 1974

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 2 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1184 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखें गये। देखिए संख्या एल० टी० 8929/75।]

(3) गुजरात राज्य के संबंध मे राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 9 फरवरी, 1974 को जारी की गई उद्घोषण के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 38 की उपधारा (4) के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद (गुजरात) (दूसरा संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 25 नवम्बर, 1974 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या के एच-एस एच-1454/आई डी ए-1173-55508-जे एच में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रथालय में रखें गये। देखिए संख्या एल० टी० 8930/75।]**

मातृ वंश परम्परा विधेयक

MOTHER'S LINEAGE BILL

विधेयक पर राय

Shri Madhu Limaye (Banka) : I here by lay on the Table a Paper containing opinions on the Bill to provide for the right to trace one's lineage from the side of one's mother which was circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the direction of the House on the 3rd May, 1974.

समिति के लिए निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

लाभ के पदों संबन्धी संयुक्त समिति

श्री पट्टाभिरामा राव (राजमुंद्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से लाभ के पदों संबधी संयुक्त समिति की शेष अवधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, श्री प्रताप सिंह के स्थान पर, जिनका निधन हो गया है, अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करते हैं।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से लाभ के पदों संबंधी संयुक्त की शेष अवधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, श्री प्रताप सिंह के स्थान पर, जिनका निधन हो गया है, अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करते हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

THE MOTION WAS ADOPTED.

सीमा शुल्क टेरिफ विधेयक
CUSTOMS TARIFF BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जानें का समय बढाना

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । क्या आपने उन्हें प्रस्तुत करने अनुमति दी है ?

अध्यक्ष महोदय : उनका नाम भी उसमें है ।

श्री एस० ए० शमीम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा सीमा शुल्कों संबंधी विधि के संमेकन तथा संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले वर्षाकालीन सत्र (1975) के दूसरे सप्ताह के प्रथम दिन तक और बढ़ाती है ?।"

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : आपने कैसे जाना कि अगला सत्र होगा ही और हम लोग उसमें होंगे ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा सदा समझ लिया जाता है ।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा सीमा शुल्कों संबंधी किसी विधि के समेकन तथा संशोधन करनेवाले विधेयक संबंधी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले वर्षाकालीन सत्र (1975) के दूसरे सप्ताह के प्रथम दिन तक और बढ़ाती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
THE MOTION WAS ADOPTED.

संविधान (बत्तीसवां संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION THIRTY SECOND AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जानें का समय बढाना

श्री मुल चन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले वर्षाकालीन सत्र (1975) के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधो संयुक्त समिति का प्रतिवदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले वर्षाकालीन सत्र (1975) के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
THE MOTION ADOPTED.

सभा के कार्य के बारे में

RE : BUSINESS OF THE HOUSE

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं कार्य सूची के बारे में स्पष्टिकरण चाहता हूं। अस्थाई कार्यसूची के अनुसार रेल बजट 3 बजे प्रस्तुत किया जाना है और 4-30 बजे कार्य यंत्रणा समिति की बैठक होनी निर्धारित की गई थी। परन्तु आज मैं देख रहा हूं कि कार्य यंत्रणा समिति की बैठक 3 बजे के लिये निर्धारित कर दी गई है। और रेल बजट 4 बजे प्रस्तुत किया जा रहा है। इस बात की आज चर्चा हो रही है कि ऐसा इसलिए किया गया है कि नये रेल मंत्री को ज्योतिषी द्वारा यह बताया गया था कि 3 बजे का समय बजट के लिए शुभ नहीं है। क्या इसमें कोई सच्चाई है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से तो रेल मंत्रालय को इसके साथ कुछ नहीं करना होता। सभा के कार्य का निर्धारण तो हमारे सचिवालय द्वारा किया जाता है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : My suggestion is that discussion on jute strike should be resumed at 2 p.m. because there is no business in between.

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : आपको मालूम है कि इस चर्चा में एक घंटे से अधिक समय लगेगा अतः इसीलिए इसे दिन के अंत में लिया जाना चाहिये। इसे 5 बजे से 7 बजे तक के लिए रखा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को छोड़कर रेल मंत्री के बजट भाषण को चर्चा रखी गई है। अब चूंकि अन्य कार्य समाप्त हो गया है अतः यदि श्री स्टीफन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री के० रघुरामैया : वह तैयार हैं उसे आप अब इसे आरम्भ कर सकते है और 5 बजे के बाद चर्चा हो सकती है।

नियम 377 के अधीन मामला

MATTER UNDER RULE 377

विश्व कप टूर्नामेंट के लिये भारतीय हाकी टीम के सदस्यों द्वारा दियें गयें नोटिस का समाचार

अनेक माननीय सदस्य उठ खड़े हुये।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक से अधिक सदस्य को अनुमति नहीं दे सकता। मेरे पास सर्वश्री वाजपेयी साठे और प्रियरंजन दास मुंशी से सूचनायें आई हैं। सदस्यों ने बताया है कि भारतीय हाकी दल ने क्वालालम्पूर में होने वाले विश्व हाकी कप में भाग लेने से इन्कार कर दिया है। पहला नाम श्री वाजपेयी का है। श्री वाजपेयी।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : On the 1st of March, the World Cup Hockey Tournament is going to start at Kuala Lumpur. In our country, high hopes have been raised about this tournament. The people of the country are expecting that our hockey players will re-establish India's supremacy in the field of hockey at Kaula Lumpur. But from the news, which have been received in this regard, it appears that politics have vitiated our games also. Now, there are two associations, one the Indian Olymphic Association and to other being Indian Hockey Federation. It has also been brought to light that even in the Hockey Federation, there are group politics. Shri Gajendragadkar, who was sent there to conduct the elections, refused to conduct elections after enquiring into the politics of the Hockey Federation. Later some official from the Ministry of Education was sent there, who was not acceptable to the concerned parties. The fact is that

[Shri Atal Bihari Vajpayee]

Hockey Federation people are fighting among themselves. This sort of affairs, has completely marred the spirits and zeal of the players. The players have been practising for more than seven hours a day for the last three months to bring back the last glory of the country.

Now, the players have appealed to the Prime Minister to intervene in the matter. The issue requires urgent attention. The Education Ministry has completely failed to take any effective measure. It is securelly the responsibility of Education Minister and he should be directed to make a statement in this regard.

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय से वक्तव्य देने को कहूंगा।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 17 फरवरी, 1975 को एक साथ समवेत संसद को दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

हमारा लोकतंत्र सदैव गतिशील रहता है और अगले वर्ष जब राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देंगे तो कहीं पुराने सदस्यों के स्थान पर नये सदस्य स्थान ग्रहण कर लेंगे। यही हमारे लोकतंत्र की विशेषता है।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में राष्ट्र की परिस्थितियों का व्यापक वर्णन प्रस्तुत किया है। उन्होंने गत चार वर्षों के दौरान देश में हुये प्रत्याशित परिवर्तनों से हमें अवगत करवाया तथा देश में घटने वाली अनेक घटनाओं का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। इसके साथ ही उन्होंने देश की राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का निरुपण भी किया है अतः देश की जिस वास्तविक परिस्थिति का चित्रण राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में किया है, उसके लिए यह सभा राष्ट्रपति की कृतज्ञ रहेगी।

आज से 4 वर्ष पूर्व, 1971 में हमारे समक्ष बहुत सी चुनौतियां थीं। पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई और उस लड़ाई में अनेक राष्ट्र हमारे विरोधी भी रहे। इतिहास इस बात का साक्षी है कि उस समय हमने धैर्य के साथ इन सभी चुनौतियों का सामना किया। इसके बाद भी हमारे सामने अनेक आर्थिक तथा राजनीतिक कठिनाईयां आईं और हम उनका सामना करते रहे।

आज हमारे राष्ट्र के समक्ष जो आर्थिक कठिनाईयां है, वह हमारी पैदा की हुई नहीं है। महंगाई का प्रश्न भारत के समक्ष ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व का प्रश्न है। मुद्रास्फीती की समस्या भी अन्तराष्ट्रीय ही है। वर्ष 1971 में डालर का अवमूल्यन हुआ। अब सोने के साथ इसका विनिमय समाप्त हो गया है। इसका परिणाम हमारे सामने यह आया है कि युरोपीय सोने के भण्डार समाप्त होने लगे हैं और प्रत्येक देश अपने डालरों को मुख्य उत्पादनों में परिवर्तित करने के प्रयास में लगा हुआ है। यही कारण है कि आज प्रत्येक देश में मूल्य तेजी से बढने लगे है तथा मुद्रा स्फीती हो रही है। महंगाई का एक अन्य कारण यह भी है कि पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के बाद हमें एक करोड़ के लगभग शरणार्थियों का भरणपोषण करना पड़ा जिससे हमारी आर्थिक स्थिति काफी अस्ताव्यस्त हो गई। गत तीन वर्षों के दौरान मौनसून की असफलता का भी हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। इन परिस्थितियों में हमें देश की सप्लाई की जाने वाली मुद्रा में वृद्धि करनी पड़ी। यह ठीक है कि अनेक विकसित तथा विकासशील देश, मुद्रास्फीती के दबाव से कुचले जा चुके हैं।

अब ज़रा देश की राजनीतिक परिस्थितियों पर दृष्टिपात कीजिये। हमारे अनेक पड़ोसी देशों ने लोकतन्त्र का त्याग कर दिया है। परन्तु हमारे समक्ष जो चुनौतियां थी, चाहे राष्ट्रीय थीं या अन्तर्राष्ट्रीय, हमने उनका साहस तथा धैर्य के साथ सामना किया है। हमें तेल के आयात के लिए 200 करोड़ रुपये के स्थान पर 1,002 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी परन्तु फिर भी हमने अपनी अर्थव्यवस्था, को सभालें रखा। यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ऐसी सभी प्रकार की कठिनाईयों मे सम्पूर्ण राष्ट्र ने एक जूट हो कर हमारा साथ दिया और हम साहस के साथ चुनौतियों का सामना करते गये।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में विरोधी दल के सदस्यों द्वारा जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है उन्हें मैंने पढा है। उन सब में से देकर एक ही बात कही गई है कि यह नहीं किया गया है या वह नहीं किया गया है। उनमें एक भी संशोधन ऐसा नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कुछ गलत कहा है। इस का तात्पर्य यही है कि अभिभाषण में वास्तविक स्थिति का उल्लेख किया गया है और उसके लिए सरकार का बधाई की पात्र है। यह बाकी सराहनीय बात है कि हमारे देश में लोकतंत्र की जड़े मजबूत हुई है और देश की कानून व्यवस्था भी सुदृढ हुई है। कोई अन्य देश ऐसा दावा नहीं कर सकता। लोग जो कुछ भी कहते रहेहैं, इन 27 वर्षों में लोकतंत्र को मज-बूत बनाया जाता रहा है। श्रीमानजी कहा जा रहा है कि बंगला देश की तरह भारत भी एक दलीय शासन करने जा रहा है। किन्तु ऐसी बात नहीं है यदि हम ऐसा करना चाहते तो 1947 में कर देते। बाद में भी चाहते तो ऐसा कर सकते थे। किन्तु श्रीमानजी हम लोकतांत्रिक ढांचे को बनाए हुए है। हमें इसमें विश्वास है और हम इसे और अधिक मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस कार्य को सच्ची लगन से करे और आने वाले वर्षों में लोकतंत्र को और सुदृढ़ करे।

अब तक की उपलब्धियों पर दृष्टिपात करके पता चलेगा कि विकास के इन चार वर्षों के दौरान भारत जैसा गरीब देश परमाणु शक्ति के रूप में उभरा है। यह शक्ति हम विनाश के लिए नहीं अपितु शांति और रचनात्मक कार्यों के लिए लगायेंगे। हमने तेल निकालने के क्षेत्र में भी बहुत प्रयास किए है। अपने अनुभवि वैज्ञानिकों की तकनीकी क्षमता का प्रयोग कर हम तेल स्रोतों का पता लगाने में सफल हुए है। हम इस कार्य का विस्तार करने जा रहे हैं। तेल की कमी को दूर करने के लिए हमें अपनी विद्युत सप्लाई बढ़ानी चाहिए।

एक समय था जब हम अपने आपको पृथक समझते थे। किन्तु आज हमारे सम्बन्ध अपने पड़ोसी देशों, जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका के साथ दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ भी सम्बन्ध सामान्य बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हम प्रत्येक देश के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाने तथा पारस्परिक सहयोग का वातावरण बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं।

हाल ही में म जब अफ्रीकी देशों के दौरे पर गया था तो मैंने कई अफ्रीकी देशों के नेताओं से इस स्थिति पर बातचीत की और मुझे ऐसा लगा कि वे लोग अन्य विकसित देशों की अपेक्षा भारत से ही तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। वे जानते हैं कि भारत इस मामले में किसी प्रकार का शोषण नहीं करेगा। इस तरह हमने इस अवधि के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना भी प्रमुख स्थान बनाया है।

पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के दौरान जिन देशों ने हमारे विरुद्ध षडयंत्र रचा था, वे आज स्वयं यह महसूस कर रहे हैं कि भारत की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हमने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली है।

हमने संकटों का सामना कैसे किया? इसका राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में स्पष्ट उल्लेख किया है। उन्होंने किसानों तथा समाज के अन्य वर्गों को कठिन परिश्रम तथा दृढ़ निश्चय के लिए बधाई दी।

हम देखते हैं कि इस संकट के दौरान देश में कई बातें हुई। इसके लिए कई उपाय किए गए और इसके लिए अतिरिक्त वेतन को रोकना पड़ा।

10—1 LSS (ND)/75

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : शर्म की बात है।

श्री सी० एम० स्टीफन : केवल आधा मंहगाई भत्ता जमा कर दिया जायेगा। श्री बनर्जी कहते हैं कि शर्म की बात है किन्तु मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह सब हमने मुद्रास्फीती रोकने आदि के लिये किया है। इसलिए हमने इस आशय का विधेयक पेश किया है। यद्यपि हम जानते हैं कि लोग से पसंद नहीं करेंगे। उस समय कहा गया था कि यह श्रमिकों पर कुठाराघात है किन्तु वास्तव में यह कुठाराघात उन लोगों पर है जो मुद्रास्फीती को बढ़ावा देते हैं। इसके पश्चात तस्करों तथा काला बाजारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। इसका अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पढ़ा। इसके बाद बंद राष्ट्रव्यापी हड़ताल की बातें की गई किन्तु श्रमिकों ने कहा कि हमारा सरकार में विश्वास है और सरकारने जो उपाय किए है वे हमारे ही लाभ के लिए हैं।

रेल हड़ताल समाप्त की गई। गोदी कर्मचारियों ने भी हड़ताल खत्म कर दी। उन लोगों ने यह महसूस किया कि राष्ट्र को आवश्यकता ज्यादा बड़ी है। आज स्थिति यह है कि श्रमिक वर्ग तथा समाज के अन्य वर्गों का समर्थन सरकार को प्राप्त है ताकि जो कार्य आरम्भ किए गए हैं वे पूरे हो सकें।

दूसरी ओर आप क्या देखते हैं? बिहार से आवाजें आ रही हैं कि कर नहीं दिए जायेंगे। कोई भी छात्र स्कूल अथवा कालेज नहीं जायेगा। किन्तु ये सारे आह्वान जनता ने अस्वीकार कर दिए हैं। क्योंकि जनता सरकार के पीछे है।

अध्यक्ष महोदय : आप और कितना समय लेंगे ?

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं थोड़ासा समय लूंगा। मैं मध्यान्ह भोजन के बाद अपना भाषण जारी रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप दस मिनट में अपना भाषण पूरा कीजिए।

श्री सी० एम० स्टीफन : राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि माननीय सदस्यगण जब कभी देश पर किसी प्रकार का भार पड़ता है या कोई संकट आता है तो कुछ वर्ग जनता की आकांक्षा को निर्बल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं।

जब देश ऐसी कठिन स्थिति से गुजर रहा हो तो आप क्या करते हैं? मैं यही प्रश्न विरोधी पक्ष से पूछना चाहता हूं। आपका क्या दृष्टिकोण रहता है तथा क्या अंशदान रहता है?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : हमे भूख लगी है अब हम आपके प्रश्न नहीं सुन सकते।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं अपना भाषण मध्यान्ह भोजन के बाद जारी करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मध्यान्ह भोजन के पश्चात मैं श्री ए० के० गोपालन को समय दूंगा।

निर्माण आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : प्रस्ताव के तुरन्त बाद समर्थक अपना भाषण देगा।

श्री सी० एम० स्टीफन : मुझे याद है कि जब राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण दिया तो क्या हुआ।

विरोधी पक्ष का आचरण राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उपेक्षापूर्ण है। जब राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण दिया तो कुछ दलों ने उसे नहीं सुना। इतना ही नहीं उन्होंने उनके अभिभाषण में बाधा भी पहुंचाई। उन्होंने यह नहीं बताया कि किन मामलों पर वे राष्ट्रपति के अभिभाषण को नहीं सुनना चाहते। उनका रवैया यह था कि राष्ट्रपति जो कुछ कहें या न कहें, हम उनके अभिभाषण का विरोध करेंगे। उनका तो देश की समस्याओं से कोई मतलब ही नहीं हो। यद्यपि उनकी संख्या अधिक नहीं थी फिर भी उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण में बाधा पहुंचाने का पूरा प्रयत्न किया। यद्यपि उन्होंने

अभिभाषण का बहिष्कार किया तथापि वे यह नहीं बता सकते कि उन्होंने किस आधार पर या किस मामले पर राष्ट्रपति के अभिभाषण को नहीं सुना। एक दल कहता है कि हमने इस कारण से अभिभाषण को नहीं सुना तो दूसरा दल कहता है कि हमने दूसरे कारण अभिभाषण का बहिष्कार किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहिष्कार करने का उनका कोई एक आधार नहीं था। विरोधी पक्ष को ऐसी स्थिति है।

विरोधी पक्ष देश की समस्याओं के प्रति उदासीन है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यह निर्वाचित सरकार द्वारा देश की समस्याओं को हल करने के प्रयासों में बाधा डालता है। और तीसरी विशेषता यह है कि जब वे किसी मामले के निर्णय पर पहुंचते हैं तो वे एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरु कर देते हैं। अतः उनमे कोई एकता नहीं है अपितु वे विभाजित हैं।

विरोधी पक्ष का क्या उद्देश्य होता है? इसका प्रमुख उद्देश्य सरकार के प्रति जनता की असहमति को सामने लाना है और दूसरा कार्य देश की किसी समस्या को हल करने के लिए सरकार की किसी प्रक्रिया के लिए अधिक सहज और उपयोगी विकल्प निकालना होता है।

वे वर्षों से जनता की असहमति को यहां व्यक्त करने की चेष्टा कर रहे हैं किन्तु हम जानते हैं कि वे और कुछ नहीं अपितु संसद के कार्य, सभा और विधान सभाओं के कार्य में बाधा डालते हैं। राज्यपालों तथा राष्ट्रपति के अभिभाषणों में रुकावट डालते हैं। और इस प्रकार उन्होंने संसद विधान सभाओं को एक हास्यास्पद वस्तु बना दिया है। उन्होंने किसी समस्या के समाधान के लिए कभी भी कोई रचनात्मक हल नहीं सुझाया। जनता की असहमति व्यक्त करने के लिए उन्होंने अब एक तथाकथित निर्दलीय व्यक्ति की खोज कर ली हैं जो कि इस कार्य मे उनका मार्ग दर्शन करता है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसका न कोई दल है और न कोई राजनीतिक विचारधारा ही। और आपने इस कार्य के लिए वे इस निर्दलीय व्यक्ति के चारों ओर घूमा रहे हैं।

इस प्रकार उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस कार्य में स्वयं असफल हो गए हैं और इसके लिए उन्होंने अब उस व्यक्ति का सहारा लिया है।

जब कभी आर्थिक स्थिति खराब हुई तो ऐसे अवसरों का फासिस्ट दलों ने सदैव लाभ उठाया है। जब कभी तथाकथित समाज के मध्यम वर्ग में असंतोष उत्पन्न हुआ है तो इन शक्तियों ने उसका लाभ उठाया। श्री जयप्रकाश नारायण अब निर्दलीय लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। मुझे इसकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। राजनीतिक दल प्रणाली का आविस्कार 19वी और 20 शताब्दी में हुआ था। भारत जैसे देश के लिए जहां विभिन्न जातियां, निहित स्वार्थ, एकाधिकार पूंजी आदि हैं, राजनीतिक दल आवश्यक है।

जब जनता राजनीतिक स्तर पर संगठित नहीं होती तब शक्तिशाली तत्व जैसे धनी वर्ग, एकाधिकारी से युक्त व्यक्ति, उचे लोग तथा उच्च जातियों के व्यक्ति, राजनीतिक पार्टियों के लगाव में सत्ता को सम्भाल लेते है।

प्रजातन्त्र की विभिन्न परिभाषाए की गई है। जब वयस्क मत्ताधिकार लागू किया गया तब उसका विरोध किया गया था कि देश कभी उसके लिये तैयार नहीं है। बाद में यह सिद्ध हो गया कि देश प्रजातंत्र के लिये सजग है। इस प्रकार देश में विद्यमान उचिक ढांचे की सीमाओं के बावजूद देश के आम जनता के प्रजातन्त्र का लाभ पहुंचने लगा।

भूमि सुधारों सरकारी उपक्रमों के विस्तार के बारे में आवाज बुलन्द की गई। इसके विरोध में इन्होंने महान गठबन्धन किया। परन्तु जनता उनकी चाले भाप गई और उक्त गठबन्धन को नीचा देखना पड़ा।

क्या मैं विरोधी पार्टियों से पूछ सकता हूं कि श्री जय प्रकाश नारायण की अपनी शक्ति क्या है? यदि आप अपनी शक्ति उन्हे दे रहे है तो आप अपनी शक्ति समाप्त कर रहे है।

[श्री० सी० एम० स्टीफन]

फासिस्ट आन्दोलन का एक और पक्ष है जिसे कि उन्होंने युद्ध सलग्न विरोध का नाम दिया है । मुझे स्मरण है महात्मा गान्धी की मत्यु पर श्री जय प्रकाश नारायण ने सरदार पटेल की हत्यारा बनाते हुए उनके त्यागपत्र की मांग की थी तथा उन्होंने राष्ट्रीय स्वय सेवक संघ को हत्यारों का गिरोह कहा था तोन दिन पूर्व उन्होंने उक्त संघ के कार्यों को भूरी भूरी प्रशंसा की है ।

श्री जय प्रकाश ने पिछले सप्ताह कहा "कि आपको युद्ध कारी रूप से विरोध करना होगा" विरोध अगर एक बार युद्धकारी हो जाता है तो उसकी हिंसात्मक होना अथवा न होना क्या जय प्रकाश के हाथ की बात होगी ? प्रश्न यह है कि क्या विरोधी पक्ष का प्रजातांत्रिक होना है अथवा युद्धकारी होना है?

फासिस्म का अन्य पहलु यह है कि वह दल प्रणाली के विरुद्ध होता है । यहां एक मसीहा ऐसे प्रजातंत्र की स्थापना करना चाहते है, जिसमे कोई राजनातिक दल न हो और जो इस बात को नहीं छुपाता की वह दलीय प्रणाली के विरुद्ध है । उनका संसदीय संस्थाओं के प्रति अवहेलना के दष्टिकोण में कोई सन्देह नहीं है । वे लोग युवा शक्ति को बात करते हैं । फासिस्त आन्दोलन सदा ही तथा कथित युवा शक्ति का बात करते हैं ।

लेकिन यह आंदोलन प्रभावशाली नहीं होगा क्योंकि इस देश की परिस्थितियां फासिस्ट विचार धाराओं के लिये उपयोगी नहीं है । हमारा प्रजातंत्र मजबूत है और हमारे लोग अपने राजनैतिक अधिकारों के लिये सजग हैं । ऐसा प्रजातन्त्र फासिस्ट प्रहारों का मुकाबला करने में समर्थ है ।

इसलिए मेरा निवेदन है कि इस अन्दोलन ने विश्व के सभी फासिस्ट आन्दोलनों से उधार लिया है । इसके प्रभावी न होने का कारण यह नहीं कि यह नकल किया गया है अपितु यह है कि इस देश की परिस्थितियां फासिस्म के अनुकूल नहीं है । प्रजातंत्र दृढ़ होने और जनता के सजग होने के कारण यह आन्दोलन हमारे देश में नहीं होगा ।

कुछ लोग राजनीतिक पार्टियों, विरोधियों के साल बातचीत की बात करते है । राजनीतिक पार्टियों से बातचीत तो समझ में आती है परन्तु एक आन्दोलन के साथ बातचीत करने जिसका कोई दर्शन समझ में नहीं आता ।

बातचीत किस बारे में की जायें वे कहते है कि भ्रष्टाचार और निर्वासियो में सुधार के बारे में बातचोत की जाये । क्या इस बारे में बातचीत कि जाये कि क्या भ्रष्टाचार होना चाहिए अथवा नहीं ? वे लोग समझते है हम लोग भ्रष्टाचार के पक्ष में हैं और वे इसके विरोध में । चुनाव सुधारों की भी बहुत चर्चा की जाती है परन्तु यह नहीं बताया जाता कि चुनाव सुधार कैसे लाये जाये ? चुनाव प्रणाली में क्या परिवर्तन किये जाये ?

देश की वर्तमान राजनीतिक व आर्थिक स्थिति से किसी को लाभ नहीं उठाना चाहिए । किसी व्यति की देशभक्ति की परीक्षा ऐसी स्थिति में उसके आचरण से की जाती है । पिछले चार वर्ष के विरोधी पक्ष के रवैये से यह प्रकट हो जाता है कि उन्हे किसी भी विकट स्थिति को देख कर हर्ष होता है । वे इससे राजनीतिक लाभ उठाना चाहते है । देश की अर्थ-व्यवस्था को सुदढ़ बनाने के लिये सरकारी नीति की घोषणा जिन शब्दों में राष्ट्रपति जी ने की है, मैं उसके लिये उनका आभारी हूं ।

सरकारी प्रतिष्ठानों की इन शब्दों में निन्दा की जाती थी कि ये कभी भी आत्म निर्भर नहीं हो सकेंगे परन्तु प्रसन्नता का विषय है कि अब एक के बाद एक सरकरी प्रतिष्ठान अपनी होनि, ज्ञान, क्षमता एवं गतिशीलता का परिचय देने लगे हैं । इस उन्नति के लिये मैं सरकारी प्रतिष्ठानों के कर्णधारों की प्रशंसा करता हूं ।

राष्ट्रपति ने सचेत किया है कि बेशक इस समय आर्थिक तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति विषय है और अमरीका पाकिस्तान को सशस्त्र कर रहा है और हमारे देश के पास नौसैनकि अड्डा बना रहा है हमे इन विषमताओं का सामना करना है । हम जनता को साथ देतेहुए विरोधी पक्ष का मुकाबला करेंगे और उन्हें परास्त कर देंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं यह प्रस्ताव सभा में पारित करने के लिये रखता हूं ।

Shri Sat Pal Kapur (Patiala) **:** I second the motion which has been moved by Shri Stephen.

(इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए ढाई बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई)

The Lok Sabha then adjourned for lunch till thirty minutes past Fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा दो बजे कर 33 मिनट म० पू० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after lunch at thirty-three minutes past Fourteen of the clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये
Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सतपाल कपूर अपना भाषण जारी रखेंगे ।

श्री एस० एम० बनर्जी: (कानपुर) : भारतीय खाद्य नियम के 800 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है और वह हड़ताल पर है । पश्चिम बंगाल तथा अन्य अनेक राज्यों में बड़ी बेरहमी से उनका दमन किया जा रहा है । क्योंकि यह मामला सीधे खाद्य मंत्रालय से सम्बन्धित है, अत: मेरा निवेदन है कि खाद्य मंत्री को इसके बारे में वक्तव्य देने के लिए कहा जाये ।

Shri Satpal Kapur : I second the motion moved by my friend Shri C. M. Stephen. Deep concern has been empressed by the President in his Address on America's recent decision of lifting of embargo on supply of arms to Pakistan. It is the old policy of U.S.A. to create embalances in the sub-continent, so as to force India and Pakistan to exhaust their resources on defence preparations. It has always been the sincere effort of India to normalise its relations with Pakistan. But America is always active to create tension in the sub-continent. The recent lifting of embargo by America, should be opposed by all the Members of the Parliament.

It has been the general feeling that prices are incerasing day by day. But we have recently observed that price rise has been checked to some extent as a result of some measures taken by the Government. In various sections, prices have started falling and the prices of steel, iron, coarse cloth and other essential commedities have gone down in recent days. The policy adopted in this regard, should be followed more vigourously.

A mention about the public distribution system has also been made by the President in his Address. It is the need of the hour that it should be made more effective and successful. A significant raise in the production of public sector enterprises has been noted in this Financial year. It has been stated by the President that steel production is going up in the country and public sector undertakings are doing well. But at the same time an attempt should be made to reduce the dependence on private sector.

Certain traditions have been established in our country under the leadership of Mahatama Gandhi and Jawahar Lal Nehru. We are committed for democratic system and socialistic pattern of society for our country. But in recent days some anti-democratic and anti-social people have come up in our country and they are posing danger to our democracy. The fasicst forces are bent upon destroying the democratic values. According to their claim, their object is that of total social resolution. It appears that their only object is to spread, anti-congressism with a view to dislodge the present Government. With this object in mind, the people with all together different ideologies and objects, have joined with each other. Now-a-day's the only role of the opposition is to reject any measure introduced by the Government. My friends from opposition, have never come out with positive plan or policy. At one moment, they speak of strengthening decomcray but on the other they pleed for the dissolution of Assembly. They talk much about reforms in

[**Shri Satpal Kapur**]

electrol system but if asked what sort of reforms should be there, they hardly answer this question. Sometime they talk of partyless democracy while at the other occasions they pleed for non-party democracy. What I want to stress is that they themselves are not clear about what they speak. Their only object is to disrupt the existing system which would altimately endanger the stability and the progress of the country. That way they are the enemies of our democracy and we must give them a lifting reply.

I am thankful to you for providing me an apportunity to second the Motion.

उपाध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदस्यों से संशोधनों की कई सूचनाएं प्राप्त हुई है ।

जो माननीय सदस्य अपने संशोधन पेश करना चाहते हैं वे अपने संशोधनों का क्रमांक दर्शाने वाली सूची सभा पटल पर रख दें । अब श्री ए० के० गोपालन बोलेंगे । शारीरिक रूप से ।

श्री ए० के० गोपलन (पालघाट) : मैं 1952 से राष्ट्रपति के अभिभाषणों को सुनता आया हूं लेकिन दुख की बात है कि इस वर्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण वास्तविकता से कोसों दूर है । देश की वास्तविकताओं का इसमे कोई उलेख नहो है । देश के लोगोंकी समस्याओं का उनकी कठिनाइयों का इसमे कोई उल्लेख नही है । कहा गया है कि हमें अविदित समस्याओं तथा अन्य चुनौतियों का सामना करने के लिए दृढ़ निश्चय वाला होना है । मैं कहना चाहता हूं कि वह कौन सी समस्या है जो हमें विदित नहीं है ? हम गत चार वर्षों से जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उन्हे हम अनदेखी और अज्ञात कैसे कह सकते हैं । मैं एक-एक करके उनका उल्लेख करता हूं ।

खाद्य स्थिति का बंगला देश या तेल संकट से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह तो केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की लापरवाही है कि वे किसानों को अधिक उत्पादन के लिए अच्छी तथा सस्ती खाद नहीं दे रहे हैं । इस सम्बन्ध में मैंने गत वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन पेश किया था । ज्ञापन में मैंने खाद्यान्नों के थोक व्यापार के बारे में मुख्यमंत्रियों द्वारा लिए गए निणय के एक दिन पहले पेश किया था ।

मैंने कहा था कि इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। किन्तु सरकार ने उसमें परिवर्तन करके 50 प्रतिशत व्यापारियों के हाथों में दे दिया । इसी कारण से खाद्य स्थिति खराब होती जा रही है । कई स्थानों पर लोग भुखमरा के शिकार हो रहे हैं । गत एक वर्ष से पश्चिम बंगाल में भुखमरा से लगभग 5,000 लोगों को मत्यु हुई है । गांवों से इस प्रकार के कई समाचार आ रहे है जहां माताओं ने रोटी के टुकड़ों या कुछ पैसों के लिए अपने बच्चे बेचे हैं । आसाम के गोलपारा जिले में भुखमरी से हजारों की मौतें हुई है । केरल में भी खाद्य स्थिति बड़ी गंभीर है । गरीबी हटाओ का नारा 1971 में दिया गया था । किन्तु सरकार आर्थिक मोर्चे पर सर्वथा असफल रही है । सरकार इस असफलता के लिए बंगलादेश और तेल संकट को बहाना बना रही है । गत चार वर्षों से अपनाई गई गलत नीति के कारणों मूल्यों मे अभूतपूव वृद्धि बड़े पैमाने पर भुखभरी से हुई मौतें, बढ़ती हुई बेरोजगारी, ग्रामीण भाग में कमी, गरीबी मे वृद्धि आई हुई हैं । इन सब बातों का कारण यह है कि सरकार ने बड़े-बड़े जमीदारों, व्यापारियों तथा एकाधिकारियों के आगे घुटने टेक दिए हैं ।

बेरोजगारी की समस्या भी अपनी चरम सीमा पर है । एक जोरदार कार्यक्रम भी बनाया गया । किन्तु कुछ नहीं हुआ । गत वर्ष मार्च में शहरों में रहने वाले बेरोजगार लोगों की संख्या 73 लाख थी । इनमें से 35 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं । सरकार का दावा है कि हाल ही में संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं । किन्तु यह सत्य नहीं है । क्योंकि बड़े पैमाने पर औद्योगकि एकक बन्द हुए ह जिसे लाखो लोग बेरोजगार हो गए हैं । 11 नवम्बर के "इकोनोमिक टाइम्स" के अनुसार अकेले ही उत्तर प्रदेश के वारानसी जिले में 1,520 छोटे पैमाने के एकक बिजली न मिलने के कारण बन्द हो गए । सूती वस्त्र उद्योग मे लगभग 40 प्रतिशत श्रमिकों को छंटनी हुई है । इस प्रकार हम देखते हैं कि हाल ही मे बिजली और कच्चा माल न मिलने के कारण बड़ी संख्या में औद्योगीक एकक बन्द हुए हैं जिसके कारण कई लोग बेरोजगार हो गए ।

केरल में कोई बड़ा उद्योग नहीं है। वहां केवल कुछ परम्परागत उद्योग हैं जहां लाखों लोग काम कर रहे हैं। नारियल जटा उद्योग में वहां पांच लाख श्रमिक कार्य कर रहे हैं। केरल सरकार ने इस उद्योग को बढ़ाने के लिए सरकार से 5 करोड़ रुपय की मांग की है किन्तू सब निष्फल। मलबार क्षेत्रों में कई हथकरघा फैक्टरियां बंद हो गई हैं।

काजू उद्योग में भी हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। काजू निगम ने फैक्टरियां बंद कर दी हैं क्योंक गिरी के लिए हमें बाहरी स्त्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। चूंकि काजू की खती करने के लिए हमारे पास देश में काफी भूमि है किन्तु वहां काजू की खेती नहीं की जा रही है। यदि केरल के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी इसकी खेती की जाती तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न न होती। काजू से विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि परम्परागत उद्योगों को बन्द किया जा रहा है।

तत्पश्चात केरल जसे पिछड़े राज्यों में उन परियोजनाओं को पूरा नहीं किया गया है जिनके लिए सरकार ने वचन दिया है। केरल में कुट्टीयारी, सैलियन्ट वैली तथा साबिरीगिरी जैसी तीन बड़ी विद्युत योजनाओं के प्रारम्भिक कार्यों पर 75 लाख रुपये व्यय करने के पश्चात भी घनाभाव के कारण उन पर कार्य बंद कर दिया गया है। आज के समाचार पत्र में कहा गया है कि इदिक्की परियोजना को बंद करना पड़गा।

राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा है कि देश में पर्याप्त बिजली पैदा की जायेगी। किन्तु ऐसी स्थिति में यह संभव नहीं है। जब धन नहीं होता तो इतनी योजनाएं क्यों बनाई जाती हैं।

त्रिवेन्द्रम-एरणाकुलम रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य भी पूरा नहीं हुआ। उस पर काफी धन व्यय हो चुका है किन्तु अब धनाभाव के कारण उस पर कार्य रोक दिया गया है।

चूंकि केरल में पर्याप्त मात्रा में कच्चा लोहा उपलब्ध है किन्तु वहां इस्पात कारखाना स्थापित नहीं किया जा रहा है। इस तरह के उद्योग स्थापित करने से बेरोजगारी की समस्या कुछ हद तक हल हो सकती है। जब कभी किसी उद्योग या योजना की मांग की जाती है तो सीधा कह दिया जाता है कि धन नहीं है। जब सरकार योजना भी नहीं दे सकती, उद्योग भी स्थापित नहीं कर सकती तो फिर लोगों के पास केवल यही चारा रह जाता है कि वे मिलकर अपनी मांगों के लिए लड़े।

मंत्री लोग वक्तव्य देकर लोगों की आशाएं बंधा देते हैं किन्तु करते कुछ भी नहीं है। कहा गया है कि सुपर टैंकर वर्ष का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है किन्तु वास्तविकता यह है कि उसपर अभी कार्य आरम्भ भी नही हुआ है।

लोकतांत्रिक और नागरिक स्वतंत्राओं का दमन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री प्रतिदिन फासिज्म की बात की बातें करती हैं। यह क्या बला होती है? जब देश में हर प्रकार का संकट हो तो जनता सरकार की जन-विरोधी नीतियों के विरुद्ध क्रांति करती ही है। सत्तारूढ़ दल सत्ता में रहने के लिए डझनकारी उपायों को काम में ला रहा है। 1972 से पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने भारतीय साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के कम से कम 103 सदस्यों की हत्या कर दी है।

लोगों पर घोर अत्याचार किए जा रहे हैं। जब इस बारे में कहा जाता है तो कोई सुनवाई नहीं की जाती।

अत: एसोशियेशन बनाने, वाक् स्वतंत्रता और इधर उधर जाने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। पुलिस अपनी मनमानी करती रहती है। कोई पूछने वाला नहीं है। यदि लोग कहीं क्रोधित होकर पुलिस के विरुद्ध कुछ कर भी लेते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

जहां कहीं विरोधी पक्ष अधिक मजबूत नजर आता है, वहां उसे दबाने के लिए बड़े अनुचित हथकंडे अपनाए जाते हैं। चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है।

[श्री ए० के० गोपालन]

कई रेल कर्मचारियों को अभी तक नौकरी पर वापस नहीं लिया गया है। कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को दबाने के लिए आंसुका, भारत रक्षा नियम तथा अन्य कानूनों का सहारा लिया गया है। कई उच्च न्यायालयों ने अपने-अपने निर्णय दे दिए हैं किन्तु कर्मचारियों पर चलाये जा रहे मुकदमे को वापस नहीं लिया गया है। गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने विनिर्णय में कहा है कि कर्मचारी देश के वास्तविक संपति होते हैं। उनसे भी गलती हो जाती है। अतः उन्हें क्षमा किया जाना चाहिए और सभी कर्मचारियों की बहाली की जानी चाहिए।

सरकार की इस विनिर्णय के प्रति क्या प्रक्रिया है। सरकार तो उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायलय का सहारा ले सकती है किन्तु कर्मचारी किस तरह वहां पहुंच सकेंगे। सरकार अपने कर्मचारियों के प्रति शत्रुता का व्यवहार कर रही है।

इतना ही नहीं, इस मामले में सरकार ने राष्ट्रपति की सलाह को भी ठुकरा दिया। राष्ट्रपति ने कुछ समय पूर्व कर्मचारियों की बहाली के मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए कहा था।

पटसन श्रमिकों की हड़ताल को 45 दिन हो गए हैं। क्या सरकार ने इस हड़ताल को समाप्त करवाने के लिए प्रबन्धन तथा श्रमिकों के बीच बातचीत करवाने का प्रयत्न किया है। सरकार हड़ताल के लिए विरोधी पक्ष को दोषी नहीं ठहरा सकती। इससे देश को प्रतिदिन करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है।

अब मूल्यों के बारे में बात करें। एक ही वर्ष में थोक मूल्य के सूचकांक में 64.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह भी कम ही है क्योंकि ये सारे आंकड़े सरकार द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। मांस, अंडों, सरसों का तेल, वनस्पति, बिस्कुटों तथा मखन के मूल्य में 32 से 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

राष्ट्रपति ने आपने अभिभाषण में कहा है कि सरकार संसाधन बढ़ाने और गैर-योजना व्यय को कम करने के लिए प्रयत्न करेगी। ये सब झूठे दावे हैं। देखा गया है कि विकास व्यय कम किया गया है और गैर-योजना व्यय बढ़ाया गया है।

केन्द्रीय आरक्षित पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल पर व्यय तीन करोड़ से बढ़कर 137 करोड़ रुपये हो गया है।

सरकार ने परोक्ष करों द्वारा लोगों पर भारी बोझ डाल रखा है। कुल कर राजस्व में 83 प्रतिशत भाग परोक्ष करों का है। भगवान जाने अगले बजट में क्या कुछ होता है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में तस्करी जमाखोरी, करापबंचन आदि जैसे आर्थिक अपराधों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की बात की गई है। किन्तु सरकार ने कितने तस्करों करापवंचकों को पकड़ा है? केवल एक दो तस्करों और करापवंचकों को पकड़ने से कुछ नहीं बनता। जिस पैमाने पर उनकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी, नहीं की गई।

एक माननीय सदस्य : उनके साथ जेलों में वैसा ही व्यवहार किया जाता है, जैसा कि महत्व पूर्ण व्यक्तियों के साथ।

श्री ए० के० गोपालन : एकाधिकारियों की सम्पत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 1963-64 में उनकी सम्पत्ति 46.9 प्रतिशत थी जो 1970 में 50 प्रतिशत हो गई। एकधिकारियों की संख्या भी 75 से बढ़कर 93 हो गई है।

भाषायी अल्पसंख्यकों तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ अत्याचार हो रहे हैं, जामा मस्जिद की घटना उसका ज्वलंत उदाहरण है। यह सब बदले की भावना से किया गया। आसाम में बोडी आदिवासियों के साथ क्या हुआ, सभी जानते हैं, आसाम में शांति पूर्ण बोडी आन्दोलनकारियों को गोलियों से उडाया जा रहा है।

त्रिपुरा में कोक बोरोक भाषा को क्षेत्रीय भाषा नहीं माना गया है। सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे के नागरिक समझती है।

पंजाब में भी अकालियों और गुरुद्वारा की धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप किया जा रहा है।

प्रेस की स्वतंत्रता पर भी ठेस पहुंचाई जा रही है। प्रेस को सरकार के विरुद्ध बोलने का उसकी आलोचना करने की अनुमति नहीं है। सर्चलाइट की क्या दशा हुई, यह सभी जानते हैं। "हिन्दुस्तान टाइम्स" के सम्पादक श्री वर्गीज को क्यों निकाला गया। यह भी सभी जानते हैं। न केवल केन्द्रीय मंत्रियों, संसद-सदस्यों, बल्कि स्वयं प्रधान मंत्री ने दबाव डाला।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोनिक्स मंत्री, अंतरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : मुझे बताया गया है कि श्री वर्गीज ने स्वयं कहा था कि मैंने दबाव नहीं डाला है।

Shri Maneshwar Mishra (Allahabad) : He has also been threatened.

Shrimati Indira Gandhi : If people are so petty-minded what can be done.

श्री ए० के० गोपालन : जब "केरल कौमुडी" पत्र ने एक मंत्री के विरुद्ध एक कांड का पडोफास किया तो उस पर मुकदमा चलाया गया। किन्तु यह समझकर वापस ले लिया गया कि यह मामला ठिक नहीं लगेगा।

काश्मीर में सरकार ने किसी समुचित बातचीत की बजाय वहां की बागडोर शेख अब्दुला को सौप दी है। किन्तु सरकार को याद रखना चाहिए कि काश्मीर की समस्या केवल कांग्रेस दल की ही नहीं है। यदि समझौते से जमता की आकांक्षा पूरी नहीं होंगी तो इसके दुष्परिणाम होंगे।

दक्षिणी वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता देने के लिए कदम उठाने चाहिए। चीन के साथ भी सम्बन्ध अच्छे बनाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव (महेंद्रगढ) : मैं प्रस्ताव करता हूं, कि प्रस्ताव के अन्त में निम्न-लिखित जोडा जायें, अर्थात :–

> "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में, चन्डीगढ पर पंजाब और हरियाणा के बीच के विवाद पर चंडीगढ और फाजिलका पंचाट संबंधी केन्द्रीय सरकार के निर्णय को लागू करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (59)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोडा जाये, अर्थात :–

> "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में व्यास और रावी के जल में हरियाणा और पंजाब का भाग निर्धारित करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (60)

[श्री वीरेन्द्र सिंहराव]

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोडा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में फाजिलका और अबोहर क्षेत्रों को तुरंत एक संघ राज्य क्षेत्र बनाने की वहां के लोगों की मांग के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (61)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोडा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में 28 जनवरी, 1970 के प्रधान मंत्री के पंचाट के अनुसार एक सीमा आयोग कठित करने में सरकार की असफलता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (62)

श्री बी० एस० भौरा (भटिन्डा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोडा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (63)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जा अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आंसुका के अन्तर्गत गिरफ्तार बड़े तस्करों की सम्पत्ति जब्त करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (64)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिपतियों के अत्याचार और दमन से हरिजनों की रक्षा करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (65)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोडा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमिहीन कृषि श्रमिकों को फालतू भूमि अलाट करने और समाज क भूमिहीन तथा गृहहीन कमजोर वर्गों को आवासीन भूखण्ड देने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (66)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोडा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पंजाब में थीन बांध के निर्माण की स्वीकृति देने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (67)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोडा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पंजाब मे अणु विदयुत संयत्र लगाये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।" (68)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोडा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पजाब को चंढीगढ़ देने और पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवाद हल करन के लिए भाषायी विशेषज्ञों का एक आयोग नियुक्त करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (69)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत में राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध सी० आई० ए० की गतिविधियों और उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए उठाये जा रह कदमों के बा में कोई उल्लेख नहीं कया गया है।" (70)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और आनन्द मार्ग जैसे अर्ध-सैनिक संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (71)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में चीनी उद्योग, औषधि उद्योग और वनस्पति घी उद्योग के राष्ट्रीयकरण करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (72)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुरु नानक थरमल प्लांट, भटिंडा के कार्यकरण को सुधारने के लिए उठाय जा रहे कदमों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (73)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पंजाबी भाषा को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की दूसरी भाषा घोषित करने और इस संबंध में उचित विधान बनाने के संबंध में कोई उल्लख नहीं किया गया है।" (74)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उन रल कर्मचारियों जिनकी सेवायें गत वर्ष रेल हड़ताल में समाप्त कर दी गई थीं, को वापस लेने के बार में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (75)

[श्री बी० एस० भौरा]

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बेरोजगारी समस्या को हल करने में सरकार की असफलता क बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।" (76)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने के बारे में कोई उल्लख नहीं किया गया है।" (77)

श्री सी० एच० मोहोम्मद कोया (मंजेरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि स्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खद है कि अभिभाषण में आसुका का भारी दुरुपयोग करके दिल्ली जामा मस्जिद के ईमाम को गिरफ्तार किये जा के बारे में कोई उल्लेख नही है।" (78)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पुलिस द्वारा जामा मस्जिद क्षेत्र दिल्ली में बिना चेतावनी दिये अन्धाधुन्द गोली चलाये जाने के बारे में, जिसमें 10 से अधिक लोग मारे गये, का कोई उल्लेख नहीं है ।" (79)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में जामा मस्जिद गोलीकाण्ड की एक निष्पक्ष न्यायिक जांच कराने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (80)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह ज़ोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उर्दू आयोग के प्रतिवेदन को प्रकाशित करने में हुए विलम्ब के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (81)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सेवाओं मे मुसलमानों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व की कमी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (82)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कालीकट हवाई अड्डे का निर्माण कार्य आरंभ करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (83)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषणों में मेला लाथुर फेरोक़ रेलवे का सर्वेक्षण कराने में रेल मंत्रालय की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (84)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में 12 औंस राशन देने के लिये केरल को पर्याप्त चावल सप्लाई करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (85)

श्री सरजू पाण्डेय (गाजीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :–

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में निर्धन लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए कोई व्यावहारिक योजना के बनायें जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (86)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में व्याप्त भ्रष्टाचार और भाईभतीजावाद को दूर करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (87)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में सांप्रदायिक दंगों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (88)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के अराष्ट्रीयकृत बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (89)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात्:

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गन्ना उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (90)

[श्री सरजू पांडे]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (91)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उर्दू भाषा को बढावा देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (92)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूर्वी उत्तर प्रदेश में और देश के अन्य पिछडे भागों के लिए विशेष विकास बोर्ड बनाय जाने के बारे में कोई उल्लख नहीं है।" (93)

श्री के० एस० चावडा (पाटन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोडा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि को रोकने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।" (94)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को, जो नोकरी में है, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां रोके जाने के बारे में, जो गत शैक्षणिक वर्ष में दी गई थीं, कोई उल्लेख नहीं है।" (95)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में लोगों को जीवनं उपयोगी वस्तुए उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है ।" (96)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य को कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बेंकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या निर्धारित प्रतिशत से बहुत कम है और निर्धारित कोटे को भरने के लिए विशेष कदम उठाने की आवश्यकता का भी उल्लेख नहीं है ।" (97)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोडा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोयले की कमी के कारण विभिन्न सेक्शनों तथा जोनों में रद्द की गई अनेकों यात्री गाडियों को पुन: चलाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (98)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि सरकार गरीबी के स्तर से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का स्तर ऊंचा करने में असफल रही है ।" (99)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात जैसे सूखे अथवा अकाल से पीडित राज्यों को केन्द्रीय सहायता की मात्रा तथा राहत कार्यों के लिए पर्याप्त केन्द्रीय सहायता देने सम्बन्धी छठे वित्त आयोग की सिफारिश को निलम्बित किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (100)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोडा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात के अभाव ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों की कठिनाइयों को दूर किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (101)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोडा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद की है कि अभिभाषण में देश से अस्पृश्यता को पूर्णतः दूर करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है ।" (102)

श्री पी० के० देव (कालहाडी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :–

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् –

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पांडिचेरी और मांहे के विशेष सन्दभ में, आयात लायसेंसों के जारी किये जाने के मामले में अवैध लेन देन की जांच करने के लिए एक संसदीय समिति बनाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।" (156)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में एक केन्द्रीय केबिनेट मंत्री के जीवन की, जो समस्तीपुर में अपना शासकीय कर्तव्य निभा रहे थे, रक्षा करने में सरकार की असफलता की भर्त्सना नहीं की गई है।" (157)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बोलनगीर नगर की मुख्य गली में एक पत्रकार और भारतीय लोक दल के नेता की कांग्रेस दल की जीप का प्रयोग करके दिन दहाड़े राजनीतिक हत्या की भर्त्सना नहीं की गई है।" (158)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आर्थिक अपराधों के विरुद्ध कार्यवाही का उल्लेख करते हुए आंसुका का राजनीतिक प्रयोजनों और ब्लेकमेल करने के उद्देश्य से दुरुपयोग किये जाने का बिल्कुल जिक्र नहीं किया गया है।" (159)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आपात स्थिति को समाप्त करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (160)

[श्री पी० के० देव]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग करके और मौलिक अधिकारों की अवहेलना करके लोगों की स्वतंत्रता के अतिक्रमण के कारण बढ रही तानाशाही प्रवृत्ति के बारे में कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है।" (161)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह ज़ोडा जाय, अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, जिसके कारण प्रशासन में नैतिकता का ऱ्हास हो गया है, कोई कारगर कदम नहीं बताये गये हैं।" (162)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में निर्वाचन सुधारों के बारे में केवल अस्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है जब कि इस समस्या के लिय तुरन्त और क्रांतिकारी सुधार करने की आवश्यकता है और तत्प्रयोजनार्थ एक बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग का, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति और प्रमुख विरोधी दल के नेता के परामर्श से नियुक्त किया जाना आवश्यक है।" (163)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिगडती हुई आर्थिक स्थिती, मुद्रास्फिति और बढती हुई बरोजगारी की रोकथाम के लिये की जाने वाली कार्यवाही के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (164)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा, जाये, अर्थात् :-

"परन्तु खद है कि अभिभाषण में आंतरराज्यीय जल विवादों के अधिनिर्णयन में अनुचित विलम्ब के कारण मुख्य सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं को विशेषरूप से अपर इन्द्रावती परियोजना को चालू करन के बारे में किये जाने वाले उपायों का कोई सुझाव नहीं दिया गया है।" (165)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के कुछ भागों में और विशेष रूपसे उडीसा, पूर्वी मध्य प्रदश और आन्ध्र प्रदश मे व्याप्त भयंकर सूखे की स्थिति और उसके परिणाम स्वरूप भुखमरी के कारण होने वाली मौतों का कोई उल्लेख नहीं है।" (166)

प्रो० मधु दंडवत (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :-

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोडा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में वर्तमान एकाधिकार प्रधान मिश्रित अर्थ व्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (178)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोडा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अर्थव्यवस्था में काले धन का पता लगाने के लिए विमुद्रीकरण जैसे उपायों को लागू करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (179)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आदिवासी तथा हरिजन जैसे कमजोर वर्गों पर बढ़ते हुए अत्याचारों का उल्लेख नहीं किया गया है।" (180)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में वर्तमान मजदूरी नीति में उचित तथा युक्तियुक्त संशोधन करने के लिए ठोस कदम उठाने का सुझाव नहीं दिया गया है।" (181)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में विशेष रूप से समाज के निर्बल वर्गों को पर्याप्त माला में खाद्य की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का उल्लेख नहीं है।" (182)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मई, 1974 की रेल हडताल के दौरान उत्पीडित रेल कर्मचारियों को बहाल करने के सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। (183)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उपभोक्ताओं श्रमिकों तथा गन्ना उत्पादकों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण का आश्वासन नहीं दिया गया है।" (184)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेदहै कि अभिभाषण में संघीय ढांचे के अन्तर्गत स्वायत्तता के लिए राज्यों की उचित आकांक्षाओं को पूरा करन के लिए ठोस कदम उठाने का उल्लख नही किया गया है।" (185)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाय, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पांडिचरी तथा माहे लाइसेंस कांड की संसदीय जांच करवाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (186)

कि प्रस्ताव क अंत में यह जोड़ा जाय, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अतिरिक्त परिलब्धियों तथा अतिरिक्त महंगाई भत्ते का 50 प्रतिशत अनिवार्य रूप से जमा करने के उपबन्धों को समाप्त करन की कर्मचारियों की बढ़ती हुई मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।" (187)

11—1 L. S. S./75

[प्रो० मधु दंडवते]

कि प्रस्ताव के अंत मे यह जोड़ा जाय, अर्थात् :-

"परन्तु खद है कि अभिभाषण में नकद भुगतान द्वारा कपास उन्पादकों से उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में कपास की खरीद सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (188)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि अभिभाषणों में एलिम्युनियम परियोजना, पश्चिम तट रेल तथा अन्य रेल परियोजनाओं जैसी योजनाओं के कार्यान्वियन में, जिनसे पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए आधारपूभूत ढांचा उपलब्ध होता है, सरकार के अस्थिर रवैये को समाप्त करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (189)

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :-

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को उचित स्तर पर लाने में सरकार की पूर्ण असफलता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (190)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मई 1974 की हड़ताल में भाग लेने वाले सभी रेलवे कर्मचारियों को काम पर वापिस लेने के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है।" (191)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढती हुई बेरोजगारी तथा इसे दूर करने के लिए किए जाने वाले उपायों का उल्लेख नहीं किया गया है।" (192)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्रीय कर्मचारियों तथा विभागीय उपक्रमों के कर्मचारियों को बोनस देने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (193)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उर्दू भाषा को सही दर्जा देने के तथा उर्दू आयोग के प्रतिवदन को प्रकाशित करने में विलम्ब का उल्लेख नहीं किया गया है।" (194)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण मे सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों मे काम करने वाले मजदूरों के लिए आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है।" (195)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण मे आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अंधाधुंद प्रयोग के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है।" (196)

श्री पी० के० डेव : मैं प्रस्ताव करता हूं :-

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की धार्मिक संस्थाओं के कार्यकारण में सरकारी, हस्तक्षेप विशेष कर जामा मस्जिद, दिल्ली के वक्फ बोर्ड की गोलमाल के बारे में जिसके कारण अनावश्यक उपद्रव हुए तथा भोले भाले लोगों पर गोली चलाई गई, चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है।" (197)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में चुनावों में बडे पैमाने पर धन व्यय करने और इस प्रकार स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव में विघ्न डालने के बारे में चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है तथा राजनीतिक दलों के लिए सार्वजनिक जांच हेतु अपनी आस्तियों तथा वार्षिक आय व्यय की घोषणा को तुरन्त अनिवार्य बनाने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (198)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार की सांठगांठ से अनुसचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों तथा समुदाय के अन्य कमजोर वर्गों का घोर दमन करने के बारे में उल्लेख नहीं है।" (199)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार की जन विरोधी नीतियों पर, जो जनता द्वारा अस्वीकार कर दी गई है और जैसा कि हाल के उप चुनावों से स्पष्ट हो गया है, ध्यान नहीं दिया गया है।" (200)

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं :-

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में 1971 के आरम्भ में प्रख्यापित राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा को समाप्त करने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।" (207)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोडा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आदिम जाति क्षेत्रों में जहां आदिम जाति लोगों की जनसंख्या अधिक है, विकास कार्य करने के लिए सुविधाएं प्रदान करने हेतु उन्हें स्वायत्तता देने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (208)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण मे सवर्ण हिंदुओं के निहित स्वार्थी वर्गो द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के दमन, शोषण तथा उत्पीडन को रोकने मे सरकार को असफलता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (209)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु खद है कि अभिभाषण मे 27 वर्षों के शासन के पश्चात भी देश से अस्पृश्यता को समाप्त करने में सरकार की असफलता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (210)

[श्री दशरथ देब]

कि प्रस्ताव के अंत मे यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आदि जाति की समस्याओं को लोग तांत्रिक ढंग से हल करने में सरकार की असफलता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (211)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण मे उत्तर पूर्वी क्षेत्र की आदिम जातियों को अपने आपको विकसित करने की उनकी आकांक्षाओं को उचित सम्मान देने की बजाय सैन्य बल द्वारा उनका दमन करने की सरकार की नीति को त्यागने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (212)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में त्रिपुरा के आदिम जातियों से भरे क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने और वयस्क मत्ताधिकार के आधार पर आदिम जातियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की आदिम जाति क्षेत्रों के लिए स्वायत्तशासी जिला परिषद बनाने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (213)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाय, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कम से कम प्रारम्भिक चरण में विभिन्न आदिम जाति वर्गों के लडकों तथा लडकियों को मातृ भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (214)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में त्रिपुरा के प्रत्येक आदिम जाति परिवार को, जो इस समय विकट अकाल की स्थिति में है, कमी की अवधि समाप्त होने तक मासिक नकद अनुदान जो कि त्रिपुरा में रह रहे शरणार्थियों को काफी समय से दिया जा रहा है, देने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।" (215)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार का फासिस्टवाद की ओर अग्रसर होने का उल्लेख नहीं है।" (216)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में धर्मनगर से अग्रतला (त्रिपुरा) तक रेलवे लाइन बनाने में सरकार की विफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (217)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कलकत्ता से और त्रिपुरा में खोदाई, कमालपुर और कैलासहर तक इंडियन एयरलाइन्स की सेवाओं को पुनः तुरन्त चालू करने का उल्लेख नहीं है।" (218)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि सरकार त्रिपुरा के बंगला देश और मिजोरम के साथ लगते क्षेत्रों के जहां पर मिजो विद्रोहियों के छापे प्रायः होते रहते है, लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है।" (219)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हिमाचल प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव को, जिसमें राज्य के तीन आदिवासी क्षेत्रों जैसे लाहौल और स्पिति को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की बात है, समुचित सम्मान देने में सरकार की असफलता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (220)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि रोकनेमें सरकार की असफलता का उल्लेख नहीं है।" (222)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के बेरोजगार युवकों को जब तक उन्हें रोजगार मुहैया नहीं कीया जाता तब तक जीवन निर्वाह भत्ता और नकद सहायता देने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।" (223)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खद है कि त्रिपुरा राज्य के रायमा सरमा क्षेत्र से निष्कासित किये गये आदिवासियों को, जिन्हें केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत गुमाती पन बिजली परियोजना के निर्माण के कारण निष्कासित किया गया है, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करने में सरकार की असफलता का उल्लेख नहीं है।" (224)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि भूमि जोतने वालों के भूमि पर अधिकार सुनिश्चित करने के लिय एक क्रान्तिकारी भूमि विधान जो कि भारत के सभी राज्यों के लिये एक आदर्श विधान हो, बनाने में सरकार की असफलता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (225)

श्री के० एस० चावडा : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में लाभांशों, तकनीकी जानकारी फीस, मुख्यालय व्यय आदि के रूप में देश के विदेशी क्षेत्रों में दवा उदयोग, सिग्रेट उदयोग और कोका कोला निगम द्वारा विदेशों को भेजे जाने वाले धन के लस्वरूप देश को दुर्लभ विदेशी मुद्रा की हुई तथा हो रही भारी हानि और विदेशी क्षेत्र के कदाचारों को रोकने के लिये किये जाने वाले उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (226)

[श्री के० एस० चावडा]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात राज्य की विधान सभा के लिये निर्वाचन कराने के लिये सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (227)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों की घटनाओं में हो रही वृद्धि और उनकी जान तथा सम्पत्ति की रक्षा के लिये कठोर और समुचित उपाय न किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (228)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि वर्ष 1971–1972 और 1973 के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों को प्रत्येक वर्ष लोक सभा पटल पर रखने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख अभिभाषण में नहीं है।" (229)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा है जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में वर्ष 1969 से 1973 के लिये अनुसचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (230)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शैक्षिक सामाजिक और आर्थिक रूप से देश की अन्य जनसंख्या के बराबर स्तर पर लाने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (231)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक 1972 को संसद के इस सत्र के दौरान पास करने के लिये संसद सिफारिश नहीं की गई है।" (232)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने स सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (233)

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :–

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण आकाशवाणी को एक स्वायत्त लोक निगम में परिवर्तित करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (563)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात में अहमदाबाद में एक पूर्ण टेलीविजन केंद्र स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (564)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये अधिक बिजली पैदा करने को अविलम्ब योजना की आवश्यकता पर जोर नहीं दिया गया है।" (565)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात राज्य के अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिये तुरन्त बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (566)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात में तथा देश के अन्य भागों में शैक्षिक कैम्पसों में बढते हुए असंतोष का कोई उल्लेख नहीं है।" (567)

श्री नुरुल हुडा (कंच्छार) : मैं प्रस्ताव करता हूं :–

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि बिहार सरकार के डाक्टरों को हडताल तोडने के लिए सेना के डाक्टरों को सेवाए लेने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (265)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मई, 1974 में रेल कर्मचारियों को हडताल तोडने के लिए प्रादेशिक सेना को सेवाएं लेने का कोई उल्लेख नहीं है।" (266)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी कर्मचारियों की पुलिस जांच के विरुद्ध आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय का कोई उल्लेख नहीं है।" (267)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आंसुका, भारत रक्षा नियम तथा अन्य निरोधात्मक उपायों को वापस देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (268)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनिवार्य निक्षेप स्कीम के प्रति मजदूरों और कर्मचारियों के देशव्यापी विरोध का कोई उल्लेख नहीं है।" (269)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :––

"परन्तु खेद है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ? ।" (270)

[श्री नुरुल हुडा]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि पश्चिम बंगाल में सत्तारुढ दल द्वारा चुनावों मे हेराफेरी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (271)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि देश के विभिन्न भागों में भीषण सूखे की स्थिति के, जिसके परिणामस्वरूप करोडों लोग भुखमरी का शिकार हुए है, बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (272)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि देश में बेरोजगार व्यक्तियों को बेकारी अनुदान देने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (273)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि सूखे से पीडित व्यक्तियों को राहत देने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (274)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये" अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि सत्तारुढ दल के राजनोतिक विरोधियों के विरुद्ध आसु का और भारत रक्षा का नियमों के दुरूपयोग का कोई उल्लेख नहीं है।" (275)

श्री दशरथ देव : मैं प्रस्ताव करता हूं :–

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि प्रभावकारी और वास्तविक भूमि सुधार लाने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (276)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि मिल मालिकों द्वारा मिल कपडे के मूल्यों में 15 प्रतिशत की वृद्धि और वृद्धि को रोकने में सरकार को असफलता के बारे में कोई उल्लेख नही है।" (277)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि सत्तारूढ दल और सरकार दवारा प्रेस की स्वतंत्रता पर आघात के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (278)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि सत्तारुढ दल के समर्थकों द्वारा राजनीतिक असंतोष (लोकतांत्रिक विरोध) की आवाज को दबाने के लिये कलकत्ता में समाचारपत्र कार्यालयों पर आक्रमण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (279)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :-

"परन्तु खेद है कि पुलिस को मिलीभगत से सत्तारूढ दल के समर्थको द्वारा पश्चिम बंगाल में वामपंक्षी राजनीतिक दलों को बैठकों में आड़चन डालने के बार में कोई उल्लेख नहीं है।" (280)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :-

परन्तु खेद है कि राज्य सरकार की मिलीभगत से सत्तारूढ़ दल के समर्थको द्वारा पश्चिम बंगाल में ट्रेड यूनियन आंदोलन पर कुठाराघात और सी० आई० टी० यू० स सम्बन्धित मजदूर नेताओं पर हमले के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (281)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :-

"परन्तु खद है कि संयुक्त राज्य अमरीका से पी० एल० 480 का तीन लाख टन गेंहू लेने के लिये वियतनाम लोकतांत्रिय गणराज्य के साथ व्यापार न करने को अमरीका को शर्त की सरकार द्वारा अपमानजनक स्वीकृति का कोई उल्लेख नहीं है।"(282)

कि प्रस्ताव क अन्त में यह जोड़ा जाय, अर्थात :-

"परन्तु खेद है कि लोकतांत्रिक और ट्रेड यूनियन आंदोलन को दबान के लिय कई एक राज्यों में सेना सी० आर० पी० सीमा सुरक्षा दल सी आई० एस० एफ० को तैनात करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (283)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि औद्योगिक उत्पादन की निर्धारित क्षमता प्राप्त करने मे सरकार की असफल्ता को बारे मे कोई उल्लेख नहीं है।" (284)

कि प्रस्ताव के अंत मे यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि कपडा मिल मालिकों द्वारा कंट्रोल के घटियां क़पडे के उत्पादन को रोकने मे सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (285)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि कुपोषण के कारण देश में बच्चों में बढते हुए अन्धेपन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (286)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आदिम जाति के लोगों को, जहां भी संभव हों प्रादेशिक़ स्वायत्तता देने के बारे में सरकार की विफलता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (287)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह ज़ोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत में निर्वाचन पद्धति में क्रांतिकारी सुधार करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (288)

[श्री दशरथ देव]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में त्रिपुरा में बंगला देश के नागरिकों के अनधिकृत प्रवेश को जिससे भूमि तथा रोजगार की गम्भीर समस्यायें पैदा हो गई है, रोकन में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (289)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में त्रिपुरा को बंगला देश रेलवे व्यवस्था के माध्यम से भारत के अन्य भागों के साथ जोडने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया गया है।" (301)

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा–पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए सहायता देने की आवश्यकता और आदिवासी लोगों के लिए स्वायत्तशासी चुनाव परिषद की मंजूरी देने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (302)

श्री दशरथ देव : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में त्रिपुरा में स्थाई उच्च न्यायलय पीठ की व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (303)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि सुधार उपायों को असफलता के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है।" (304)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के बेरोजगार युवकों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था हेतु उठाये गये कदमों का उल्लेख नहीं किया गया है।" (305)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आपातकालीन स्थिति को समाप्त करने तथा आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम और अन्य इसी प्रकार के गैर लोकतांत्रिक अधिनियमों को वापिस लेने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (306)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के अनुरूप परिस्थितियां उत्पन्न करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (307)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में त्रिपुरा को जहांकि आदिवासी जनसंख्या का बाहुल्य है पूर्णतया आदिवासियों हेतु, आदिवासी क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (308)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में त्रिपुरा के आदिमजाति क्षेत्रों के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित आदिमजाति प्रतिनिधियों के स्वायत्तशासी जिला परिषद स्थापित करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (309)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आदिमजातियों के लडकों तथा लडकियों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से कम से कम प्राथमिक स्तर की शिक्षा देने की अविलम्ब आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (310)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आदिम जातियों के उन असली भू स्वामियों को जिनकी भमि गैर आदिमजातियों के लोगों द्वारा अवैध रूप से हस्तांतरित करा ली गई थी, को वापिस लोटाने में सरकार की असफलता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (311)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में झूमियां लोगों तथा भूमिहीन श्रमिकों को सहायता अनुदान देकर उन्हें पुन: बसाने में सरकार को असफलता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (312)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में निहित स्वार्थों वाले स्वर्ण हिन्दुओं द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर बार बार किये जाने वाले आक्रमणों से, उनके जान-माल की असफलता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (313)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के बारे में, जो देश की समस्त अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावीत कर रही है, कोई उल्लेख नहीं है।" (314)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में विद्यमान बेरोजगारी की भयंकर स्थिति का कोई उल्लेख नहीं है।" (315)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में समस्त देश में सत्तरूढ़ दल द्वारा मौलिक तथा लोकतंत्रीय अधिकारों के अतिलंघन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (316)

[श्री दशरथ देव]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सत्तारूढ़ दल की बढ़ती हुई तानाशाही का, जिसका उद्देश्य समस्त देश में एक दलीय शासन स्थापित करना है, कोई उल्लेख नहीं है।" (317)

कि प्रस्तावों के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सत्तारूढ दल की तानाशाही प्रवृत्ति का, जिसके परिणाम स्वरूप लोकतंत्रीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है और देश में संसदीय लोक तंत्र के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है, कोई उल्लेख नहीं है।" (318)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में 1972-73 में उससे पहले के वर्ष की तुलना में राष्ट्रीय आय में गिरावट का कोई उल्लेख नहीं है।" (319)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में 1972 में प्रति व्यक्ति आय में 3.2 प्रतिशत गिरावट होने का कोई उल्लेख नहीं है।" (320)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की निर्वाचन प्रणाली मे क्रान्तिकारी सुधार और परिवर्तन में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (321)

कि प्रस्ताव के अन्त मे यह जोड़ जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण मे मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि और मुद्रा स्फीति की स्थिति के बारे मे जिसके कारण कर्मकारों की वास्तविक मजदूरी कम होती जा रही है, कोई उलेख नही है।" (322)

कि प्रास्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है अभिभाषण मे पश्चिम बगल मे आकपूर्ण स्थिति के बारे मे, जहाँ पुलिस की मदद से सत्तारूढ़ दल के समर्थकों की गुण्डागर्दी के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव असंभव हो गये है, कोई उल्लेख नहीं है।" (323)

कि प्रस्माव के अन्त मे यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा मजदूरों, कर्मचारियों और जनसाधारण के शोषण दमन का कोई उल्लेख नहीं है।" (324)

कि प्रस्ताव अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ कल द्वारा लोकतंत्रीय जनता पर और सी० पी० ई० (मार्क्सवादी) तथा अन्य राजनेतिक दलों पर की गई हिंसा का कोई उल्लेख नहीं है।" (325)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :--

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में और विशेष रूप से पश्चिम बगाल, त्रिपुरा, राजस्थान, बिहार और आसाम में भुखमरी के कारण हुई मौतों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (326)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर किये गये हमले के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (327)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि महाराष्ट्र में भू–स्वामियों द्वारा दो हरिजन भाइयों की आंखे निकाल लिये जाने और अपराधियों पर मुकदमा चलाने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (328)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा, जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि हाल के महीनों में बढ रहे अपराधों के बारे में काई उल्लेख नहीं है।" (329)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि प्रमुख नगरों में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों की दयनीय दशा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (330)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि सरकार द्वारा चीनी एकाधिकारियों को अधिकाधिक रियायतें देने जैसे खुले बाजार म बिकने वाली चीनी के कोटे को 30 प्रतिशत से बढाकर 35 प्रतिशत करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (331)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि देश के कई भागों में भाषायी अल्पसख्याकों पर किये गये हमलों के बारे मे कोई उल्लेख नहीं है।" (332)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि उर्दू भाषा को उचित दर्जा दिये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (333)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अल्पसंख्याक समुदायों पर हुए हमलों और उनकी रक्षा करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (334)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में हजारों राजनीतिक कैदियों को नजरबन्द किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (335)

श्री दशरथ देव

कि प्रस्ताव किये अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि चीन के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने के बारे म कोई उल्लेख नहीं है।" (336)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि सत्तारूढ दल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर परिसीमन की प्रक्रिया को तथा अन्य प्रारम्भिक कार्यों को शीघ्र निपटाने में निर्वाचन आयोग की जलदबाजी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (337)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि विगत रेल हडताल में भाग लेने वाले रेल कर्मचारियों के–उत्पीडन सेवा से हटाये जान और निलम्बन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (338)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि कच्चे माल और बिजली के उपलब्ध न होने के कारण कई औद्योगिक एककों के बन्द किये जाने और उनमें जबरन छुटटी किये जाने का कोई उल्लख नहीं है।" (339)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि पश्चिम बंगाल में अधिकारियों की मिलीभगत के सत्तारूढ दल के समर्थकों द्वारा कार्मिक संघ कार्यालयों को जबरन कब्जे मे लिये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (340)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश और अन्य स्थानों में हुई राजनीतिक हत्याओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (341)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में केरल, पश्चिम बंगाल, और गुजरात उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णय दिये जाने के पश्चात भी सभी उत्पीडित रेल कर्मचारियों की बहाली करने में सरकार की असफलता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (342)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पटसन मिल मालिकों के दुराग्रही रवैये तथा इस सम्बन्ध में कोई मान्य समझोता करने में सरकार की असफलता के कारण पश्चिम बंगाल में $2\frac{1}{2}$ लाख पटसन मजदूरों की अनिश्चित हडताल का उल्लेख नहीं है।" (343)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में परमाणु हथियारों वाले अमरीकी नौसैनिक पोतों की हलचल से हिन्द महासागर के तटीय देशों को बढते हुए खतरे का उल्लेख नहीं किया गया है।" (344)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में आपात स्थिति समाप्त करने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (345)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल, केरल तथा दिल्ली मे राशनिंग प्रणाली ठप होने का उल्लख नहीं किया गया है।" (346)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में खाद्यान्नों के आयात के लिए अमरीका पर बढती हुई निर्भरता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (347)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूस्वामियों से गांवों में अतिरिक्त भूमि को अधिगृहीत करन में सरकार की असफलता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (348)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में चुनाव आयोग द्वारा त्रिवेन्द्रम चुनाव क्षेत्र के मध्यावधि चुनाव क मनमाने ढंग से अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करने का उल्लेख नहीं है।" (349)

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात राज्य के सूखाग्रस्त लोगों में खाद्यानों और चारे की कमी तथा अपर्याप्त राहत कार्यों तथा कम मजदूरी से उत्पन्न अत्यधिक कठिनाइयों और कष्टों का उल्लेख नहीं है।" (464)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु अभिभाषण में श्री जयप्रकाश नारायण के जन आन्दोलन की अप्रत्यक्ष रूप से पक्षपातपूर्ण आलोचना की गयी है।" (465)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात राज्य में विधान सभा के चुनाव करने का उल्लेख नहीं है।" (466)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगार व्यक्तियों – शिक्षित और अशिक्षित जिनकी संख्या प्रति दिन बढ रही है – को रोजगार उपलब्ध कराने सम्बन्धी उपचारात्मक उपायों का उल्लेख नहीं है।" (467)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण म ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि विद्यार्थी समुदाय में व्याप्त असन्तोष को समाप्त किया जायेगा।" (468)

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत संघ की वास्तविक दशा प्रामाणिक रूप से तथा पूर्णतः प्रतिबिम्बित नहीं होता।" (477)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों तथा सार्वजनिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में सभी व्यवसायों के लोगों की कतिपय अधिक गंभीर कठिनाइयों और दिक्कतों का उल्लेख नहीं है।" (478)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि देश में सार्वजनिक जीवन के तेजी से गिरते स्तर का कोई उल्लेख नहीं है।" (479)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारे विकासशील लोकतंत्र की गम्भीर त्रुटियों और कमियों का पता लगाने, उनका उल्लेख करने तथा उन्हें दूर करने का प्रयास नहीं किया गया है, जिसके कारण हमारे राजतंत्र में और गिरावट आ रही है। (480)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में विभिन्न क्षेत्रों में बढ रहे भ्रष्टाचार और फासिस्टवाद की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट नहीं किया गया है।" (481)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाष में दश की आन्तरिक स्थिति का पर्याप्त वर्णन नहीं किया गया है जब कि अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं और विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तियों की भारत यात्राओं का वर्णन आवश्यकता से भी अधिक किया गया है।" (482)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अजीब बात यह है कि इस में केवल सत्तारूढ दल के पक्ष में ही बात कहीं गई है।" (483)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाय, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार कें वर्ष भर के कार्यक्रम की कोई स्पष्ट रूप-रेखा नहीं दी गई है।" (484)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार की उन नीतियों और कार्यक्रमों का उल्लेख नहीं है जो सत्तारूढ दल के चुनावों के दौरान दिये गये वचनों और आश्वासनों के अनुरूप हों।" (485)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात बिहार, और देश के कई अन्य भागों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोगों की तीव्र भावनाओं का कोई उल्लेख नहीं है।" (486)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भ्रष्ट सरकारों और केन्द्र में और कई अन्य राज्यों में कुशासन के विरुद्ध श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में तेजी से बढ़ रहे आन्दोलन का कोई उल्लेख नहीं है।" (487)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की जनता को परेशान करने वाले अनेकों दु:खों का सही मूल्यांकन करने का प्रयास नहीं किया गया है।" (488)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में तस्करी और देश में समाज विरोधी और लोकतंत्र विरोधी लोगों और बलों द्वारा की जा रही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का कोई उल्लेख नहीं है।" (489)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फिति के सतत दुष्प्रभाव का कोई उल्लेख नहीं है।" (490)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षा के क्षेत्र में आमूल सुधार के लिये की जाने वाली कार्यवाही के बारे में कोई संकेत नहीं है।" (491)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्र के दो बहुसंख्यक वर्गों, एक गरीबी के स्तर से नीचे जीवनयापन करने वाले और दूसरे स्वतंत्रता के पश्चात जन्में लोगों की विशेष समस्याओं की ओर ध्यान देने और उन्हें हल करने के लिये किसी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।" (492)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हरिजनों और आदिवासियों की जिन्हें सभी प्रकार से लगातार परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, स्थिति पर चिन्ता प्रकट नहीं की गई है।" (493)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात में नये चुनाव कराने की तिथि के बारे में कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया गया है।" (494)

12—1 LSS/75

[श्री पी० जी० मावलंकर]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात में लगातार राष्ट्रपति शासन बनाये रखने के बारे में जिससे उस राज्य के लोगों को लोकप्रिय और लोकतांत्रिक शासन से इंकार किये जाने पर चिन्ता बढ़ रही है, कोई उल्लेख नहीं है।" (495)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के अनेक क्षेत्रों, विशेषकर गुजरात, उडीसा और राजस्थान में भयंकर सूखा और अभाव को स्थिति का कोई उल्लेख नहीं है।" (496)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात जैसे सूखा प्रभावित राज्यों के बारे में छटे वित्त आयोग की सिफारिशों को स्थगित रखने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (497)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में, उन राज्यों में जहां 6 मास से अधिक राष्ट्रपति शासन लागू है बढ़ती हुई अफसरशाही और नोकरशाही के विरुद्ध जनता में बढ़ रहे असन्तोष का कोई उल्लेख नहीं है।" (498)

श्री दशरथ देव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि प्रत्येक राज्य में जनजातियों के विकास कार्य में वहां के लोगों का सहयोग लेने का भी सरकार प्रबन्ध करेगी।" (510)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि केन्द्रीय सरकार इस बात के लिये राज्य सरकारों पर जोर देगी कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति के अनुकरण पर वे भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी विधान सभा की समितियां गठित करें।" (511)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हाल ही के वर्षों में संयुक्त समिति द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार अस्पृश्यता अपराध (संशोधन) विधेयक को पास करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (512)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सेवाओं में पदों के आरक्षण सम्बन्धी भारत सरकार के आदेशों को गैर सरकारी क्षेत्र पर भी लागू कराने में सरकार को असफलता का कोई उल्लेख नहीं है। (513)

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि समूचे देश में आपात स्थिति कब समाप्त की जायेगी।" (514)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में शिक्षित तथा अशिक्षित वर्ग की तेजी से बढ़ रही बेरोजगारी का कोई उल्लेख नहीं है।" (515)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में जनसंख्या की तेजी से हो रही वृद्धि और जनसंख्या नियंत्रण के लिये युद्ध स्तर पर किये जाने वाले अनिवार्य उपायों तथा स्वास्थ्य परिवार नियोजन का कोई उल्लेख नहीं है।" (516)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि क्षेत्र में अर्थव्यवस्था स्वावलंबी और आत्म-निर्भर पर पर्याप्त जोर दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (517)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खद है कि अभिभाषण में जनवरी, 1975 में समस्तीपूर में हुई भयावह दुर्घटना का जिसमें रेल मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र तथा अन्य व्यक्तियों को घातक चोटें आई, कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (518)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्र व्यापी रेल हड़ताल और तत्संबंधी मामलों तथा समस्याओं का कोई उल्लेख नहीं है।" (519)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई स्पष्ट और सुनिश्चित उल्लेख नहीं है कि निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराने के लिये सरकार क्या प्रयत्न करने जा रही है।" (520)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में न्यायाधिकरण द्वारा नर्मदा जल के मामले को सुझाये जाने की तारीख का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (521)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद को अन्तिम तथा न्यायसंगत रूप से सुलझाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (522)

श्री एन० ई० होरो (खुन्टी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में छोटा नागपुर डिवीजन, बिहार के संथाल परगना जिला और उडोसा, पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश के निकटस्थ जिलों को मिला कर एक नया राज्य झारखंड बनाने के, जो उस क्षेत्र तथा वहां के लोगों के आर्थिक और लोकतांत्रिक विकास के लिये राजनीतिक एवं आर्थिक आवश्यकता है, सरकार के इरादे का कोई उल्लेख नहीं है।" (523)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया गया है कि आयोजन की दो दशाब्दियां के बाद भी झारखण्ड क्षेत्र में सड़कों, संचार तथा विद्युत साधनों के रूप में मूलभूत ढांचा तैयार नहीं किया गया है जिसके अभाव में गत चौथी पांच वर्षीय योजना के दौरान विकास पर व्यय किया गया धन बेकार हो गया है।" (524)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र की जनजातियों की महत्वाकांक्षाओं का आदर न किये जाने के फलस्वरूप वहां की जनता में भारी असंतोष व्याप्त है।" (525)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में रांची में पटना उच्च न्यायालय को पूरी न्याय पीठ स्थापित करने की अनिवार्यता सम्बन्धी कोई उल्लेख नहीं है।" (526)

श्री एम० कतामुतु (नागापट्टिनम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि कर्मकारों के लिए व्यापक कानून बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (527)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों में हरिजनों पर होने वाले अमानुषिक अत्याचारों के सम्बन्ध में कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है।" (528)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि कर्मकारों के लिये पर्याप्त मजदूरी सुनिश्चित करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (529)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमिहीनों को आवास-स्थान देने और उनके लिये आवासों का निर्माण करने की योजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये सरकार से आग्रह नहीं किया गया है।" (530)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि को अधिकतम सोमा को प्रभावी ढंग से लागू करने में सरकार को भूलों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (531)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि कर्मकारों के लिये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिये समुचित प्रशासन तंत्र का प्रबन्ध करने में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को असफता का कोई उल्लेख नहीं है।" (532)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कर्मकार प्रतिपूर्ति अधिनियम के लाभों को कृषि कर्मकारों को भी देन की आवश्यकता का कोई उल्लेख दहीं किया गया है।" (533)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उन हरिजन कृषि कर्मकारों की दयनीय स्थिति का उल्लेख नहीं है, जिनका अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय भूस्वामियों और अन्य ग्रामीण निहित स्वार्थों द्वारा बहिष्कार किया जाता है।" (534)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण म अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में राज्य सरकारों की असफलता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (535)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता को कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (536)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खद है कि अभिभाषण में अनाज के थोक व्यापार को सरकारी अधिकार में लेने के लिये तुरन्त उपाय करने का सरकार स आग्रह नहीं किया गया है।" (537)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में रेल हडताल के बाद हजारों उत्पीडीत रेल कर्मचारियों के लिये कोई सहानुभूति नहीं दिखाई गई और रेल कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डनीय उपायों को रद्द करने, उनके विरुद्ध चलाये गये मामलों को वापस लेने, सभी उत्पीडित कर्मचारियों की सेवा बहाल करने और हडताल पूर्व की कार्य तथा सेवा की स्थिति पुन: पैदा करने के लिये सरकार से आग्रह नहीं किया गया है।" (538)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में समानान्तर अर्थव्यवस्था अर्थात काले धन की बढ रही बुराई के प्रति जागरूकता नहीं दिखाई गई है और दुष्कृत्यों से प्राप्त ऐसे छिपे धन को बाहर निकालने के लिये अनिवार्य उपाय किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (539)

[श्री एम० कत्ताभुतु]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पाकिस्तान के विरुद्ध शस्त्रास्त्र पर कथित प्रतिबन्ध को हटाने की अमरीका की कार्यवाही की निन्दा नहीं की गई है।" (540)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हिन्दी महासागर दिआगो गार्सिया तथा अन्य स्थानों पर अमरीकी साम्राज्यवादीयों द्वारा अड्डे स्थापित करने का विरोध करने हेतु सभी प्रकार के अविलम्ब कदम उठाने के लिए सरकार से आग्रह नहीं किया किया गया है।" (541)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में तामिलनाडु में विशेषकर रामनाथपुरम, पुडुकोट्टि, धर्मपुरी तिरुनेलबेलि और कोयम्बतूर के कुछ भागों, त्रिचुरापल्लि और तंजावुर जिलों में व्यापक सूखे और अकाल की स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।" (542)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढते मूल्यों को रोकने की सरकार की भाषा का कोई संकेत नहीं दिया गया है।" (543)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाय, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में दैनिक उपयोग की सभी आवश्यक वस्तुओं के लिये कारगर सरकारी वितरण पद्धति स्थापित करने के लिये सरकार को नहीं कहा कहा गया है।" (544)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार के कमजोर वर्गों का विशेषकर उचित मूल्यों पर खाद्य सप्लाई नियमित रूप से सुनिश्चित करने के लिये कारगर कदमों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (545)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि राष्ट्रीय हित में कावेरी जल विवाद को शीघ्र सुलझाने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (546)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद की है कि अभिभाषण में कावरी घाटी प्राधिकरण की स्थापना में पांडिचेरी को भी एक पक्ष के रूप में सम्मिलित करने में केन्द्रीय सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (547)

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में काले धन जो प्रत्येक क्षेत्र में समाज के जीवन को चूस रहा है, पनपने और उसकी वृद्धि को रोकने के लिये सरकार के दृढ निश्चय का कोई उल्लेख नहीं है।" (548)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में चुनावों में धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई दृढ आश्वासन नहीं दिया गया है।" (549)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि जिस गलत ढंग से देश भर में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जा रहा है और हजारों नये मतदाताओं को उन सूचियों में शामिल नहीं किया जा रहा है, उससे नवयुवकों और मतदाता बनने वाले लोगों में बहुत असंतोष व्याप्त हो रहा है।" (550)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में संघ और राज्य "ओमवडसमैन" के उपयुक्त तंत्र के माध्यम से जनता के अधिकारों के संरक्षण एवं वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है।" (551)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश भर में शहरीकरण से उत्पन्न हुई गंभीर समस्याओं को हल करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (568)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में दल हीन आधार पर पंचायती राज्य स्थापित करने के आधारभूत महत्व का कोई उल्लेख नहीं है। (569)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक मामलों में उद्देश्य पूर्ण भाग लेने के लिए देश के युवकों तथा नागरिकों का प्रेरक मार्गदर्शन नहीं किया गया है।" (570)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन को खोखला बना रहे विभिन्न गोलमालों के बारे में जनता में व्याप्त आक्रोश का आभाष नहीं मिलता।" (571)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के साधारण करोडों लोगों में राजनीतिक दलों और गुटों की गिरती साख का कोई उल्लेख नहीं है।" (572)

[श्री पी० जी० मावलंकर]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस समय लोक जीवन में ईमानदारी, स्वातंत्र्य और सत्यनिष्ठा के मूल्यों तथा गुणों की आवश्यकता पर जोर नहीं दिया गया है ।" (573)

श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे (बम्बई मध्य) : मैं प्रस्ताव करती हूं :–

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में "अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष" का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।" (574)

श्री नूरूल हूडा (मिदनापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों में विशेषकर आसाम के गोआलपाडा धुबरी सब डिवीजन पश्चिम बंगाल के कूचबिहार तथा अन्य भागों और गुजरात में हजारों लोगों की भुखमरी के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है ।" (575)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी आवश्यक वस्तुओं के ऊंचे मूल्य और उसके परिणामस्वरुप देश के कई भागों में चल रही अभाव की स्थिति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (576)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आपातकालीन स्थिति को अनिश्चित काल तक जारी रखना और विरोधी राजनीतिक दलों विशेषकर सी० पी० आई० (एम०) के कार्यकर्ताओं और उनकी गतिविधियों के विरुद्ध आसुका और भारत रक्षा नियमों के प्रयोग का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (577)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में समूचे देश में गंभीर और बढ़ रही बेरोजगारी की स्थिति विशेष कर 86 लाख पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों के होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।" (578)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मई, 1974 में गत अखिल भारतीय हडताल के दौरान सशस्त्र पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा रेल क्वार्टरों में रेल कर्मचारियों और उनके परिवारों पर अनसुनी और अनकहे अत्याचार के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।" (579)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल के अनेक भागों में आतंक और भय के वातावरण जिसके कारण सी० पी० आई० (एम०) सी० आई० पी० यू०, किसान सभा, यूथ फडरेशन के हजारों सदस्य और कार्यकर्ता अपने घरों में लौट नहीं पाते है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (580)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि यद्यपि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र सांविधिक निकाय है तथापि इस सत्ताधारी दल और सरकार के इशारे पर काम करना पडता है।" (581)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आसाम में कोकराझार में बोदो कबीले के युवकों को निर्दयता से गोली का निशाना बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (582)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भाषायी अल्पसंख्यकों पर उनकी इच्छा तथा सहमति के विरुद्ध बहुसंख्यकों की भाषा थोपे जाने तथा भाषायी अल्पसंख्यकों के आन्दोलन को दबाये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (583)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देशव्यापी निरक्षरता को मिटाने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (584)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमिहीनों तथा गरीब किसानों के हित में समुचित एवम् प्रभावशाली भूमि सुधार लागू करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (585)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार की जमींदारों तथा बडे व्यापारियों की हित साधक नीति के कारण देश भर में धनी तथा निर्धनों के बीच बढती हुई विषमता का कोई उल्लेख नहीं है।" (586)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के निर्धन श्रमिकों तथा किसानों की कीमतपर बड़े एकाधिकारियों द्वारा मचाई जा रही भारी लूट का कोई उल्लेख नहीं है।" (587)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रधान मंत्री के संकेत पर और सत्ताधारीयों के दल हित में निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिवेंद्रम, बिहार और गुजरात राज्यों में निर्वाचन स्थगित कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (588)

[श्री नुरूल हुडा]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के पिछडे क्षेत्रों का औद्योगिकरण न किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है ।" (589)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सांप्रदायिक और भाषायी दंगों से अल्पसंख्याकों के संरक्षण में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है ।" (590)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में नागालैंड और मिजोराम में शान्ति और सामान्यस्थिती स्थापित करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है ।" (591)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात :–

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सत्ताधारी दल और सरकार में बढ रही तानाशाही प्रवृत्ति का कोई उल्लेख नहीं है ।" (592)

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : I beg to move :

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not show any concern about the non-implemention of the recommendations particularly the unanimous recommendations of Parliamentary Committee on Election Reforms". (1)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about lifting of emergency in the country," (2)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to give any assurance of eradication within a specified time of the evil effects of black money on the political and economic life of the country." (3)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of censuring Government re: inordinate delay in conducting elections to the Gujarat Assembly and providing a popular Government to the people of that State." (4)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about door-to-door intensive revision of electoral rolls by the Election Commission after the 1971 census and thus depriving crores of youths from their right to vote and their strong resentment thereon." (5)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of welcoming the nation-wide mass-movement against corruption launched by Lok Nayak, Shri Jayaprakash Narayan." (6)

That at the end of the motion the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of increasing danger to democracy in the country as a result of dictatorial tendencies of the ruling party." (7)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to express any concern about the failure in bringing about basic reforms in the election system for keeping the elections above castism, parochialism and black money and misuse of Government machinery." (17)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to announce the convening of a Round Table Conference of the representatives of all sections of society for chalking out a National Policy regarding employment, price, production and income which is of great economic importance." (18)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about repealing Article 370 of the Constitution for ensuring complete merger of Jammu and Kashmir with India." (19)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address makes no mention of the failure of the Government in supplying fertilizers, water and seeds to farmers in time and at cheaper rates and about the concrete measures to be taken in this regard." (20)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to mention of any concrete steps to be taken for cent petcent utilisation of industrial capacity of the country within a specific time-limit." (21)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to give a specific assurance for implementation of land reforms within a specified time-limit necessary to achieve maximum production through intensive cultivation." (22)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not mention about the continuing failure of Government in providing any relief from the back-breaking price spiral and scarcity of essential commodities." (23)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not express any concern that Government has not so far implemented the resolution passed by Parliament in 1967 that all the languages and English mentioned in the 8th Schedule of the Constitution will be recognised as optional languages for purposes of all examinations for all India and Higher Central services and fails to mention any specific period for implementation of the said resolution." (24)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to give a solid assurance that equal pay for equal work will be given to all employees of the Central Government, State Governments autonomous institutions and Government undertakings." (25)

[Shri Jagannathrao Joshi]

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address about an effective and fruitful utilisation of the entire man power of the country within a specific time-limit." (26)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not contain any assurance of making drinking water available in every village of the country within a specified period." (27)

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the announcement of a definite time-limit for permanent, proper and adequate rehabilitation of and compensation to displaced persons of Chamb-Jaurian region during 1971 Indo-Pak war." (28)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not contain any assurance that necessary financial assistance will be provided to the States for providing electricity, pacca roads, drinking water, health centres, agricultural implements centres and implements of small-scale and cottage industries and educational facilities to each village of the country within a specified period." (29)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address that cow-slaughter will be banned throughout the country within a stipulated time." (30)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to highlight any immediate concrete steps to be taken within a stipulated period for making education an important and successful medium for social uplift and economic development and making of an ideal citizen." (31)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address that a high level commission will be appointed to look into all the difficulties of pensioners and to provide adequate help and other facilities to them without delay." (32)

That at the end of the motion, the following be added, naemly :—

"but regret that the Address fails to provide any assurance for making free and expeditious justice available to the poor within a specified time limit." (33)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address makes no mention of the assurance given in respect of returning that land to the scheduled caste people within a specified period, which was acquired from them by other people through unfair means." (34)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to give any assurance that the Election Commission will be constituted into a multi-member organisation within a specified period." (35)

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address of any categorical assurance for appointing a permanent Finance Commission with a view to maintaining cordial relations between the Centre and States and meeting their just demands." (48)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about doing away with Government interference in the matter of appointment and promotion of Supreme Court and High Court Judges without any delay." (49)

Dr. Laxminarayan Pandeya (Mandsaur) **:** I beg to move :

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about paying tributes to the brave people of Bihar and especially to those martyrs who fought bravely against the corrupt and inefficient Government there." (8)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not censure the Government for its failure to inquire into concrete charges of corruption brought out against the top leaders and officers". (9)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to give any assurance for the formation of a Committee of the Members of Parliament to look into the allegations made against the Maruti Limited inside and outside the Parliament." (10)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to announce any effective and time bound plan to eradicate the black money." (11)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to mention the serious threat posed to Indian democracy due to collusion between the Ruling Party and the C.P.I." (12)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to specify any concrete and effective remedy for the increasing poverty, declining production and the resultant public discontent in the country during the last four years." (13)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to mention any effective steps for providing immediate relief to the unemployed and weaker sections of the community in the poverty striken and remote areas suffering from the price rise and shortages." (14)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"the Address fails to announce the need-based minimum wage for employees and workers within a specified time-limit." (15)

[Dr. Laximinarayan Padeya]

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Aiddress fails to make any mention about the time-limit within which the decisions n respect of each river water dispute will be finally and compulsorily made applicable to all parties concerned." (16)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about ensuring workers' participation in management in all Government undertakings within a stipulated period." (36)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about the assurance on the implementation of a national policy under which farmers, labourers and other weaker classes who are living below poverty line may be got rid of all types of debts within a specified period." (37)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not contain any announcement of a time-bound programme for removing the deep resentment prevalent on a large scale in the younger generation of the country on account of the growing unemployment and aimless educational system." (38)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not contain any assurance of inculcating in the emerging younger generation the feelings of participation in the nation-building programme by reducing the voting age to 18 years." (39)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not contain any announcement of providing residential accommodation and other bare necessities of life to every family in India within a stipulated period." (40)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to mention any categorical assurance regarding removal of disparity in status and emoluments of general and technical officers and employees in Government services." (41)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to mention the failure of the Government to bring about early settlement of Karnataka-Maharashtra boundary dispute." (42)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not contain any assurance for simplifying the taxation laws." (43)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that in the Address there is no mention of the urgency of including the right to work in the Fundamental Rights enshrined in the Constitution." (44)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not contain any assurance for the insurance of the meagre property, live-stock and crops of the poor farmers." (45)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not contain any assurance of getting vacated Indian territory of Chhamb-Jaurian that was allowed to remain in Pakistan occupation, notwithstanding India's victory in the 1971 conflict." (46)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not contain any announcement of granting Indian citizenship without delay to the Sindhi displaced persons who came to India, following the 1971 conflict and for their permanent rehabilitation." (47)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no satisfactory assurance in the Address about checking the increasing Government interference in the administration and management of Central Universities." (51)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about the assurance on the implementation of a national policy under which farmers, labourers and other weaker classes, who are living below poverty line, may be got rid of all types of debts within a specified period." (443)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of any categorical assurance for appointing a permanent Finance Commission with a view to maintaning cordial relations between the Centre and States and meeting their just demands. (444)

Shri B. S. Chowhan (Dhar) : I beg to move :

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to mention the delay in settling Narmada—Nawagaon dam dispute resulting in widespread resentment among the lakhs of farmers of Madhya Pradesh." (50)

Shri G. P. Yadav (Katihar) : I beg to move :

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not contain any declaration to give right of vote to those youngmen in the country who have attained the age of 18 years." (103)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to make any declaration regarding rehabilitation and employment of lakhs of farmers and agricultural labourers who are uprooted every year by erosion of lakhs of acres of fertile land by the Ganga and other rivers in various parts of the country. (104)

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : I beg to move :

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to specify any effective meausres for bringing down the prices of foodgrains and other essential commodities and eliminating the artificial scarcity." (105)

[Shri Ramavtar Shastri]

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to mention the taking over of the wholesale trade in wheat, rice, coarse grains, pulses, sugar, coarse cloth, kerosene, match-box, fertiliser, medicines, Dalda etc. and of distribution of same through ration shops at fair prices in adequate quantity." (106)

That at the end of the motion, the following be added, namely :-

"but regret that there is no mention in the Address of dehoarding of foodgrains and other essential commodities by conducting raids on profiteers, black-marketeers, hoarders, speculators, adultrators, landlords and capitalists and taking stern action against them." (107)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of allocation of more food-grains to Bihar and other scarcity States." (108)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of expeditious completion of major irrigation schemes of the country." (109)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of enforcing land ceiling laws and of free distribution of surplus land among the agricultural labour and the poor farmers in various States." (110)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of checking tax evasion, un-earthing black-money, confiscating the property of smugglers and taking stern action against them and demonetising the currency notes of the denomination of Rupees one hundred and above for curbing inflation." (111)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to spell out the sternest possible action against traders manufacturing spurious goods." (112)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of providing maximum assistance to the famine hit, drought-stricken and scarcity areas of the country." (113)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address for enlisting the co-operation of farmers and workers for increasing the foodgrain and industrial production." (114)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of abandoning forthwith the anti-labour policy of wage-freeze and impounding of dearness allowance." (115)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of dropping immediately the cases of dismissal, suspension, removal from service, break in service, arrest and prosecution etc. of the railway employees who were punished for taking part in the strike of May last". (116)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of fulfilling the assurances given by the former Railway Minister, late Shri L. N. Mishra and earlier to that in connection with revoking the penalties imposed on the railway employees for taking part in the May strike." (117)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the hand of fascist and reactionary forces in the heinous murder of Railway Minister, late Shri L. N. Mishra." (118)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of finalization and implementation of the Fifth Five Year Plan." (119)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of abandoning the capitalistic way and following the non-capitalistic way in the development programmes." (120)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of nationalisation of the industries of 175 monopoly capitalist houses of the country with a view to taking the country out of the economic and political crises and putting an end to corruption." (121)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of nationalisation of basic industries in the private hands in the country." (122)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of nationalisation of sugar, textile and drug industries." (123)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of opening separate ration shops for supplying essential commodities to the workers and employees in public and private industries, Railway, Post and Telegraphs and other Government Departments." (124)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of immediate appointment of a Third Wage Board for working journalists and non-journalist workers of newspapers." (125)

13—1 LSS/75

[Ramavatar Shastri]

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to condemn the bureaucracy for its policy of obstructing coal production." (126)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of any concrete steps to be taken to make the country self-sufficient in foodgrains." (127)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of setting up an atomic power station in Bihar and thermal power stations at Katihar and Mazaffarpur with a view to augmenting the power generation." (128)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of ending the month old strike of the jute workers of West Bengal on the basis of acceptance of their just demands." (129)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to condemn the anti-labour policy of Jute Mill owners of West Bengal resulting in loss of foreign exchange." (130)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to condemn the sabotage by the bureaucracy in the public undertakings." (131)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about putting restrictions on the profit earned by the foreign capitalists and its remittance abroad by them." (132)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of nationalisation of private railway wagon industries." (133)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of any concrete measures for making the country self-sufficient in the matter of oil." (134)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of a nationalisation of foreign oil companies." (135)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of fixing the price of sugar cane at Rs. 15.50 per quintal." (136)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of reducing the price of fertilizers. (137)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of supplying fertilizers, to the farmers in adequate quantity and at reasonable prices." (138)

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address of dealing strongly with the acts of atrocities committed on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes." (139)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of giving immediate recognition to the Revolutionary Provisional Government of South Vietnam." (140)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of giving a call for fight against the fascist and reactionary forces in the country." (141)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the need to ban the organisation such as Rashtriya Swayam Sewak Sangh, Jamate Islami, Anand Margi, Shiv Sena etc. which indulge in propaganda aiming at communal hatred and subversion of the unity of the country so as to save the independence, integration, secularism and democracy in the country." (142)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of mobilising public opinion against the setting up of military bases in the Indian Ocean by the American Imperialists." (143)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of releasing the Naxalites from the jails and giving them humane treatment there." (144)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of refraining from the use of MISA, Defence of India Act and similar other repressive measures against the workers connected with kisan-mazdoor agitations." (145)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of laying stress on the unity of all leftist and democratic forces for facing the fascist and reactionary movement being carried on under the leadership of Shri Jai Prakash Narain in the various parts in the country." (146)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not deplore the harmful policy of Governments of U.S.A. and Great Britain of creating imminent danger to the security of India by establishing a nuclear military base at Diego Garcia in the Indian Ocean." (367)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of economic boycott of the imperialist powers of Britain and U.S.A. as a protest against the establishment of a military base by these powers at Diego Garcia in the Indian Ocean." (368)

[Ramavatar Shashtri

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of convening a conference of, the representatives of the littoral States for forging a strategy of action against the establishment of a military base in Diego Garcia in the Indian Ocean by the imperialist powers of the U.S.A. and U.K." (369)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about giving support to the policy of Asian Security Plan mooted out with the aim of making Asia a zone of peace." (370)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention of deploring the U.S. Government's policy of interfering in the internal affairs of the country through C.I.A." (371)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to condemn the U.S. policy of supplying arms to Pakistan." (372)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to criticise in strong terms the policy of Smith regime in South Africa in regard to colonialism, apartheid and cruel repression of the people of Africa." (373)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that in the Address the elements engaged in spoiling Indo-Nepal relations have not been exposed". (374)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to emphasize the necessity of making the present education system job-oriented." (375)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to spell out measures for rapid industrialisation of the country with a view to solve the fast increasing problem of unemployment." (376)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address for lowering down the voting age to 18 years." (377)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of introducing the principle of proportional representation in Elections." (378)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about accepting the principle of recall of the elected representatives when necessary." (379)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about adopting the policy of discontinuing the practice of spending unlimited sums of money on elections." (380)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of necessity to fix need based minimum wage of Rs. 314-/for the Central Government employees." (381)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of granting all the gazetted holidays to the railway employees like other Government employees, instead of only three national holidays being given to them, or to grant them overtime allowance in lieu thereof." (382)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about condemning the American interference in various fields, especially in the field of education. in the country." (383)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about the necessity of setting up atleast one Central University in each State." (384)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the necessity to prescribe a uniform syllabus for all the schools in the country." (385)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about the necessity of nationalisation of education in the country." (386)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about implementing Government decisions on the recommendations of the University Grants Commission for college and University teachers." (387)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about need of converting Patna University into a Central University." (388)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the failure of the Government to unearth the black money in the country." (389)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the failure of Government to check the accumulation of the black money." (390)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government in imposing heavier taxation on black money hoarders and monopolistic capitalists." (391)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about taking specific steps to fulfil the assurances given on the occasion of 1971 elections." (392)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to censure communalism, parochialism, secessionism and casteism." (393)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about any steps for curbing the R.S.S. activities in Universities, particularly in Banaras Hindu University." (394)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address that the American and other foreign monopolists would not be allowed to invest money in India." (395)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to condemn the police atrocities committed on February, 2, 1975 on the issue of the Imam of Jama Masjid, Delhi, leading to the death of a person and makes no mention about conducting an enquiry in this regard." (396)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to censure in strong words the arson that took place on February 2, near Jama Masjid and makes no mention about conducting an enquiry in this regard." (397)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to mention the release of Imam arrested under MISA." (398)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to mention the construction of Freedom Fighter Houses similar to that in Delhi in other States also." (399)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about provisions of other facilities for freedom fighters in addition to pension" (400)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about stopping the pensions being given to bogus freedom fighters." (401)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about the publication of biographies of freedom fighters in each State." (402)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about the construction of a Freedom Fighters' Colony in the Capital of each State in their memory." (403)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of taking over by the Central Government the construction work of the Road Bridge being constructed on Ganga river at Patna." (404)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about the construction of a Railway bridge on Ganga river at Patna." (405)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of giving over all Central aid in the construction of Kosi, Gandak, Punpun, Fatuha-Mokamah, Badatia Tal and other major irrigation projects in Bihar." (406)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention of non-imposition of taxes on the poor people. (407)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about the deficit budget economy." (408)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about the non-acceptance of any American aid under any kind of pressure." (409)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of ending that state of Emergency." (410)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to make any mention about taking stringent action against the elements indulging in communal riots." (411)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address makes no mention about adequate representation of Muslim minority in public services (including the public sector undertakings)." (412)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address makes no mention of granting special status to Urdu for certain purposes in Bihar, U.P., Madhya Pradesh, Rajasthan and Delhi under article 345 of the Constitution." (413)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of bringing the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Amendment Bill before the Parliament during the current session." (552)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of bringing the Industrial Disputes Amendment Bill before the Parliament during the current session." (553)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of declaring medical and sales representatives, university employees and the employees of the hospitals as 'workmen' under the Industrial Disputes Act." (554)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about enacting a legislation providing for uniform wages for all the bidi workers in the country." (555)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about fixing a minimum wage of Rs. 6/-for rolling one thousand bidis for the bidi workers." (556)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of any special assistance to be provided by the Government of India for the successful implementation of the slums clearance scheme in Patna, the capital of Bihar." (557)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about amending the Cantonments Act, 1924." (558)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about removing the complaint of open acceptance of illegal gratification at the time of recruitment to the regular Army under Danapur Cantonment Board." (559)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to outline a policy of fixing a uniform rate of commission for the Government foodgrain dealers in various States by removing the disparities existing in the rates of commission paid to them." (560)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about appointing a Special Commissioner at the Centre for ascertaining the problems and grievances of the Muslim minority and for suggesting remedial measures therefor." (561)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to outline any policy for constructing residential flats on a large scale for Harijans and Adivasis." (562)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of getting elections conducted in Gujarat at the earliest." (593)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of getting elections conducted in Pondicherry at an early date." (594)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to outline any policy for awarding punishment to and imposing fine on those Government officers who abet in, conceal or connive at the nefarious activities of black marketeers, profiteers, hoarders, smugglers and tax-evaders." (595)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not specify any policy for the verification of the assets of the Ministers of the Government of India and of the States and also of Government officers including the officers in the public undertakings before they took charge of their respective offices and thereafter." (596)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of taking any action against the political patrons of the smugglers." (597)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of imposing a ceiling on the profits earned by the capitalists." (598)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of doing away with the practice of indebtedness." (599)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about formulating any special scheme for the rapid development of the backward States." (600)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of introducing a slab system for the imposition of income-tax on the land-owners by abolishing land revenue system." (601)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not specify any proposal for removing the acute shortage of drinking water in the villages of various States of the country, particularly of Bihar." (602)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address neither condemns the murders of farmers and labourers by zamindars in the wake of land-grab movement launched in the districts of Bihar such as Madhubani, Darbhanga, Samastipur, Muzaffarpur, Saharsa, Purnea, Monghyr, Bhagalpur, Patna, Gaya, Ranchi, Bhojpur and Rohtas nor does it specify stern action against the zamindars." (603)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the necessity of eradicating, bribery and bureaucratic mentality rampant in the nationalised banks." (604)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of revising the old credit policy of the naionalised banks so that it may cater to the needs of the farmers, workers and common people." (605)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of any special assistance being provided by the Government of India for removing the crisis of drinking water in Patna, the capital of Bihar." (606)

SHRI JANESHWAR MISRA (Allahabad) : I beg to move : That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the failure of the Government in averting the riots which took place near Jama Masjid as a result of interference by the Government in the wakf Board affairs, thereby creating a situation leading to clashes between the police and the Muslims." (350)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the failure of the Government in saving the life of a member of Cabinet, Shri Lalit Narain Mishra, due to negligence in taking necessary precautionery measures and the refusal of the Government to appoint an All Party Parliamentary Committee for probing into the incident." (351)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of the failure of the Government to fix a clear cut price policy to check the rising prices in the country under which the factory produced goods would be sold at not more than one and half times their costs, the agricultural products within the prescribed limits during the period between the two crops and a balance in the prices of agricultural and industrial products would be maintained on the basis of the labour and time involved therein and the cost thereof." (352)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about the unnecessary victimization of the Central Government employees, especially the railway employees and the employees of Auditor General and Pension departments." (353)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about the arrests of peaceful students, political leaders and common people in the country under the Maintenance of Internal Security Act." (354)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to mention about immediate discontinuance of the use of English language in the official work." (355)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of the contention o the foreign delegates to the Word Hind Convention that Hindi should be given its due place in the country itself and only then it will be honoured in other countries." (356)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of corruption which is at present rampant in the country at higher levels and not at lower levels." (357)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of the enquiry into Maruti Company which is the product of alliance between politics and trade." (358)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address to check extravagant expenditure where it is imperative not to permit any Central Minister to spend more than Rs. 100 per day." (359)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of amending the fundamental rights enshrined in the Constitution to make it obligatory for the Government to provide employment to all youths who have attained adulthood." (360)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of lowering the minimum voting age to 18 years and preparing the voters lists accordingly." (361)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of checking activities of those who are disgracing Lord Rama by enacting Ravanlila in the different parts of the country and thus hurting the feelings of the people." (362)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of checking the increasing authoritarian trends whereby the judicial and legislative powers are concentrating in the hands of Government." (363)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of the onslaught on the freedom of the Press by the Government and the capitalists." (364)

That at the end of the motion, the following be added namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address of the starvation deaths in the country." (365)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address mentions that the peaceful agitation launched in the country is spreading voilence and hatred in the country but fails to mention the violence and corruption indulged in by the Government." (368)

Shri R. V. BADE (Khargone) : I beg to move : That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not express any concern that Government has not so far implemented the resolution passed by Parliament in 1967 that al the languages and English mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution

[**Shri R. V. Bade**]

will be recognised as optional languages for purposes of all examinations for All India and Higher Central services and fails to mention any specific period for implementation of the said resolution." (414)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about lifting of Emergency in the country." (415)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about repelaing Article 370 of the Constitution for ensuring complete merger of Jammu and Kashmir with India." (416)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of censuring Government regarding inordinate delay in conducting elections to the Gujarat Assembly and providing a popular Government to the people of that State." (417)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about door-to-door intensive revision of electoral rools by the Election Commission after the 1971 census and thus depriving crores of youths from their right to vote and their strong resentment thereon." (418)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of welcoming the nation-wide mass-movement against corruption launched by Lok Nayak Shri Jayprakash Narayan." (419)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address of increasing danger to democracy in the country as a result of dictatorial tendencies of the ruling party." (420)

That at the end of the motion, the following be added namely :—

"but regret that the Address fails to give any assurance that the Election Commission will be constituted into a multi-member organisation within a specified period." (421)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not show any concern about the non-implementation of the recommendations particularly the unanimous recommendations of Parliamentary Committee on Election Reforms." (422)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to express any concern about the failure in bringing about basic reforms in the election system for keeping the elections above castism, parochialism and black money and misuse of Government machinery." (423)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Addres fails to give any assurance of eradication within specified time of the evil effects of black money on the political and economic life of the country." (424)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address makes no mention of the assurance given in respect of returning that land to the scheduled caste people within a specified period which was acquired form them by other people through unfair means." (425)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to announce the convening of a Round Table Conference of the representatives of all sections of society for chalking out a National Policy regarding employment, price, production and income which is of great economic importance. (426)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to provide any assurance for making free and expeditious justice available to the poor within a specified time-limit." (427)

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not contain any announcement of granting Indian citizenship without delay to the Sindhi displaced persons who came to India, following the 1971 conflict and for their permanent rehabilitation." (428)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about doing away with Government interference in the matter of appointment and promotion of Supreme Court and High Court Judges without any delay." (429)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about the announcement of a definite time-limit for permanent, proper and adequate rehabilitation of and compensation to displaced persons of Chhamb-Jaurian region during 1971 Indo-Pak war." (430)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no satisfactory assurance in the Address about checking increasing Government interference in the administration and management of Central Universities.". (431)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address that a high level commission will be appointed to look into all the difficulties of pensioners and to provide adequate help and other facilities to them without delay." (432)

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address that cow slaughter will be banned throughout the country within a stipulated time." (433)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to give a solid assurance that equal pay for equal work will be given to all employees of the Central Government, State Governments, autonomous institutions and Government undertakings." (434)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to give a specific assurance for implementation of land reforms within a specified time-limit necessary to achieve maximum production through intensive cultivation." (435)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that no mention has been made in the Address about an effective and fruitful utilisation of the entire man power of the country within a specified time-limit." (436)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to highlight any immediate concrete steps to be taken within a stipulated period for making education an important and successful medium for social uplift and economic development and making of an ideal citizen." (437)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to mention of any concrete steps to be taken for cent. per cent. utilisation of industrial capacity of the country within a specified time-limit." (438)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address makes no mention of the failure of the Government in supplying fertilizers, water and seeds to farmers in time and at cheaper rates and about the concrete measures to be taken in this regard." (439)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not mention about the continuing failure of Government in providing any relief from the back-breaking price spiral and scarcity of essential commodities." (440)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not contain any assurance of making drinking water available in every village of the country within a specified period." (441)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not contain any assurance that necessary financial assistance will be provided to the States for providing electricity, pacca roads, drinking water, health centres, agricultural implements, centres and implements of small-scale and cottage industries and educational facilities to each village of the country within a specified period." (442)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no mention in the Address about paying tributes to the brave people of Bihar and especially to those martyrs who fought bravely against the corrupt and inefficient Government there." (445)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to mention the serious threat posed to Indian democracy due to collusion between the Ruling Party and the C.P.I." (446)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to specify any concrete and effective remedy for the increasing poverty, declining production and the resultant public discontentment in the country during the last four years." (477)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not censure the Government for its failure to inquire into concrete charges of corruption brought out against the top leaders and officers." (448)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to give any assurance for the formation of a Committee of the Members of Parliament to look into the allegations made against the Maruti Limited inside and outside the Parliament." (449)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to announce any effective and time bound plan to eradicate the black money." (450)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to make any mention about the time-limit with in which the decisions in respect of each river water dispute will be finally and compulsorily made applicable to all parties concerned." (451)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"the Address fails to announce the need-based minimum wage for employees and workers within a specified time-limit." (452)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to mention any effective steps for providing immediate relief to the unemployed and weaker sections of the community in the poverty striken and remote areas suffering from the price rise and shortages.' (453)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not contain any announcement of a time-bound programme for removing the deep resentment prevalent on a large scale in the younger generation of the country on account of the growing unemployment and aimless educational system." (454)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that in the Address there is no mention of the urgency of including the 'right to work' in the Fundamental Rights enshrined in the Constitution." (455)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not contain any assurance of inculcating in the emerging younger genration the feelings of participation in the nation-building programme by reducing the voting age to 18 years." (456)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not contain any assurance for simplifying the taxation laws." (457)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not contain any assurance for the insurance of the meagre property, live-stock and crops of the poor farmers." (458)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not contain any announcement of providing residential accommodation and other bare necesseities of life to every family in India within a stipulated period." (459)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address doe snot contain any assurance of getting vacated Indian territory of Chhamb-Jaurian that was allowed to remain in Pakistan occupation, notwithstanding India's victory in the 1971 conflict." (460)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no assurance in the Address about ensuring workers' participation in management in all Government undertakings within a stipulated period." (461)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to mention the failure of the Government to bring about early settlement of Karnataka-Maharashtra boundary dispute.' (462)

That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address fails to mention any categorical assurance regarding removal of disparity in status and emoluments of general and technical officers and employees in Government service." (463)

उपाध्यक्ष महोदय : उपर्युक्त संशोधन भी सभा के समक्ष हैं ।

Dr. Kailas (Bombay South) : Mr. Deputy Speaker, before I express something about the President's address, I would like to throw light on what the previous speaker has said. Mr. Gopalan has said that there is no civil liberty in the country these days. I would like to remind him of the state of affairs when C.P.I.(M) was in power in West Bengal. Everything whatever he said was rampaet their during their regim in West Bengal. The effects of what they had done at that time could be seen there even now. So his citicism is totally baseless.

Nobody can deny that the country has made progress . The production of food-grains has increased. At the same time power generation has also gone up. We have done progress in every field. So, I think whatever Shri Gopalan has said is quite wrong and he has said so, to tarnish our image (*interruptions*). Mr. Mishra says that they are defenders of Indian culture. But where was their culture at that time when they created disturbances during the President's address (*interruptions*).

Shri Janeshwar Misra (Allahabad) : Mr. Deputy Speaker, I want to raise a point of order (*interruptions*).

Dr. Kailas : I will not sit till Mr. Deputy Speaker orders me to do so.

Shri Janeshwar Misra : We are being accused of disturbing President during his address. But may I ask you why our President visited Assam for the bye-election going to be held there shortly ? So, I want to raise a point of order.

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था के प्रश्न की कोई बात ही नहीं है।

Dr. Kailas : Mr. Deputy Speaker, Hon. President came here to address both the houses of Parliament under the provisions in constitution, but these people showed disrespecn to him. They should not have behaved like this *(interruptions)* I agree that opposition should try to remove ruling party but they should not resort to such mean methods. They lack maturity. *(interruptions)*.

I request the Prime Minister that the practice to use a carriage of horses for the President should be done away with. These should not be pomp and show. This will be a step towards socialism.

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : हम इस का समर्थन करते हैं।

Shri Janeshwar Misra : We support this suggestion.

Dr. Kailas : Last year there was large scale inflation in our economy. Our Finance Minister prepared a package plan to deal with increasing inflation and spiraling prices. That plan proved successful and today the good results are before us Dalda, Soap, wheat, rice etc. are easily available in market. We have checked price rise. This can not be denied.

We took stern action against smugglers. The C.P.(M) leader has said that Government have arrested some smugglers and let them off. He should have told the names of those smugglers otherwise this criticism is meaningless. We took action against hoarders, black marketeers and spurious articles producers, It is our aim to remove the difficulties of people. We want that every thing should be available to the people at reasonable rates.

Now I will give some suggestions; First is this that the non-plan expenditure should be drastically curtailed. Secondly, Lokayukta bill should be passed immediately. It is necessary for removing corruption from the administration. Thirdly, I want that election law amendment bill should be introduced during this session. So, that it is passed before the next elections are held. Fourthly, some more powers should be given to the administrative office, so that decisions are taken in time. Fifthly, the urban ceiling Bill should be passed as early as possible. Something should be done in regard to vocational training. To check untouchability in the country, it is necessary that the bill pending in this regard should be passed early.

There are inadequate transport facilities in Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Himachal Pradesh etc. There are no industries in these hilly areas. It is not proper to suggest that industries in Assam, Mizoram and other hill states should be set up by their respective Governments. It is the Central Government's responsibility to come forward in this respect in these areas. Proper attention should be paid towards mid-day means for the children.

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री जगन्नाथराव जोशी बोलेंगें।

श्री जगन्नाथराव जोशी (रजापुर) : मैंने सोचा कि मेरी बारी कल आयेगी। मैं अपना भाषण कल दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदयः सदस्यों के लिए यह उचित नहीं है कि वे सभा में रहते हुए भी कह देते है किए वें अपन भाषण जल देंगे। आप आज आरम्भकरके अपना भाषण कल जारी रख सकते थे।

Shri Rudra Pratap Singh (Bara Banki) : Mr. Deputy Speaker, when Prime Minister , Mrs. Indira Gandhi wanted to implement ten point programme , then some congress leaders betrayed the party and ultimately the party split. After the division of the party, the leader of our party sought people's verdict and people gave us full support and we got overwhelming majority in Lok Sabha.

After obtaining full support from the public our party started to take step after step for the all round development of the country. Our first step for removing economic imbalances was nationalization of banks. Our second step in this direction was abolition of privy purses. By passing the 24th Constitution amendment bill we paved the way for Socialism in the country. We are going to bring a bill regarding ceiling on urban property shortly. We will pass a bill regarding nationalization of sugar mills at the earliest possible.

We are determined to provide all facilities to the Harijans, minorities and exploited sections of the Society. Our Government is taking stern action against black marketeers, hoarders, profiteers and smugglers.

Atomic explosion for peaceful and development purposes is a great achievement The credit goes to our leader, Smt. Indira Gandhi.

Shri Janeshwar Misra : Not to the Scientists ?

Shri Rudra Pratap Singh : Our policy of non-alignment proved successful. Our relations with our neighbouring countries and developing countries are strenghening day by day. We hope that China will also take initiative far re-establishing friendly relations with our country. During the last four years the Government have done everything for the development of the country bu some rightist organisations have combined themselves to sabotage and put obstacles t in the way of this developmen.

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखना ।

रेल मंत्री अपना बजट पेश करेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हाबर) : नौकरी से निकाले गए रेल कर्मचारियों के बारे में रेल मंत्री को क्या कहना है ? रेल मंत्री निकाले गए रेल कर्मचारियों की बहाली के बारे में क्या कर रहे हैं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

अध्यक्ष महोदय : इस समय रेल मंत्री को रेल बजट पेश करने दीजिए । जब इस पर चर्चा होगी तब आप अपना सुझाव रखना। मेरा आप से निवेदन है कि आप बैठ जाइये और उन्हें बजट पेश करने दीजिए ।

रेल बजट 1975-76

"Railway Badget 1975-76"

रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : अध्यक्ष महोदय, मैं 1974-75 के संशोधित अनुमान और 1975-76 के बजट अनुमान प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं ।

प्रस्तावना : इन अनुमानों की चर्चा करने से पहले, मैं कहना चाहूंगा कि मेरे सुयोग्य पूर्ववर्ती, श्री ललित नारायण मिश्र ने रेलों के इतिहास के घोर संकट काल में, उनकी नीति और भविष्य के निर्धारण में जो बहुमूल्य योगदान किया है, वह अविस्मरणीय है। पिछले दो वर्षों में रेलों को न केवल औद्योगिक सम्बन्धों में बल्कि वित्तीय सामर्थ्य के मामले में भी बड़ी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है।

सदन को ज्ञात है कि रेलों की डगमगाती हुई वित्तीय व्यवस्था को सम्हालने के लिए पिछले बजटों में तरह तरह के उपाय किये गये हैं।

वित्तीय परिणाम : 1973-74

पिछले बजट में राष्ट्र की आर्थिक स्थिति, कर्मचारियों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता और, सरकार द्वारा स्वीकृत और उदारीकृत, वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रभाव का उल्लेख किया गया था। इन तोन बातों की वजह से 1973-74 में रेलों की वित्तीय स्थिति में व्यापक हेर-फेर हुए। संशोधित अनुमान में यह अन्दाजा लगाया गया था कि रेल उद्योग को यातायात से प्राप्त होने वाली कुल राशि अनुमानित राशि से 93.20 करोड़ रुपये कम रहेगी। इसी तरह, यह प्रत्याशित था कि 17 करोड़ रुपये की किफायत के बावजूद, संचालन व्यय, जिस पर कि बहुत दबाव पड़ा है, मूल बजट अनुमान की तुलना में 34.77 करोड़ रुपये अधिक रहेगा। लेकिन, सामान्य राजस्व को देय लाभांश में लगभग 4 करोड़ रुपये की कमी होने का अनुमान था। निष्कर्ष यह निकला था कि 23.86 करोड़ रुपये की बचत के बजाये, रेलों को 99.75 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा।

दुर्भाग्यवश, वर्ष की अन्तिम तिमाही अनुमान से भी बदतर रही और माल यातायात का 1920 लाख मीटरिक टन का संशोधित लक्ष्य भी पूरा नहीं हो सका। विभागीय यातायात सहित, कुल माल यातायात घटकर 1850 लाख मीटरिक टन रह गया। कुछ गाड़ियों को स्थगित कर देने से यात्री यातायात भी कम हुआ। अत: जब वर्ष भर के लेखे को अन्तिम रूप से संकलित किया गया तो पता चला कि यातायात से प्राप्त कुल राशि संशोधित अनुमान से 32.11 करोड़ रुपये कम है। आशा की एक किरण बस यही थी कि संचालन व्यय भी लगभग 18 करोड़ रुपये कम रहा। मूल्यह्रास आरक्षित निधि और पेंशन निधि में विनियोग की राशि क्रमश: 115 करोड़ रूपये और 16 करोड़ रुपये ही रही, लेकिन वास्तविक हिसाब लगाने पर सामान्य राजस्व को देय लाभांश 170.92 करोड़ रुपये निकला, जबकि इसका संशोधित अनुमान 168.60 करोड़ रुपये था। संशोधित अनुमान में घाटे की जो राशि 99.75 करोड़ रुपये आंकी गयी थी, वह वर्ष के अन्त में बढ़कर 115.51 करोड़ रुपये हो गयी। रेलें लाभांश की दायिता का पूर्णत: निर्वाह नहीं कर पायीं क्योंकि, सामान्य राजस्व से उधार लेने के बाद, राजस्व आरक्षित निधि में जो राशि शेष रही, वह वास्तविक आवश्यकताओं से 15.79 करोड़ रुपये कम थी। इस दायिता को चुकाने का भार 1974-75 पर डाल दिया गया। 15.79 करोड़ रुपये की इस राशि को छोड़कर, 31 मार्च, 1974 को रेलों का कुल ऋणभार बढ़कर 208.02 करोड़ रुपये हो गया। वास्तव में, 1973-74 का वर्ष रेलों के वित्तीय इतिहास में हर तरह से एक निराशा का वर्ष रहा है।

1974-75 के शोधित संअनुमान

शुरू से ही यह दिखायी देने लगा था कि 1974-75 का वर्ष बड़ी खींच-तान का वर्ष होगा। 1974-75 के बजट अनुमान में 52.79 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया था। माननीय सदस्यों को पूर्णत: ज्ञात है कि पिछले वर्ष का बढ़ता हुआ गुबार विगत मई में फूट पड़ा और उसकी परिणति रेलवे की देशव्यापी हड़ताल के रूप में हुई। वर्ष की पहली तिमाही में हमारी परिवहन क्षमता को इस आन्दोलन से बहुत हानि पहुंची। इसे रोकने के लिए प्रशासन ने जो गम्भीर प्रयास किये, उनकी जानकारी सदन को बराबर दी जाती रही।

मध्यवर्षीय मूल्यांकन : हड़ताल बन्द होने के कुछ दिन बाद शीघ्र ही पुनरीक्षा की गयी जिससे पता चला कि अप्रैल से जून तक के तीन महीनों में 118 लाख मीटरिक टन माल यातायात की हानि हुई है। यह महसूस किया गया कि इस वर्ष प्रारम्भिक यातायात 1970 लाख मीटरिक टन से अधिक नहीं होगा। इसमें से 1730 लाख मीटरिक टन राजस्व उपार्जक यातायात होगा और 238 लाख मीटरिक टन विभागीय यातायात होगा। यात्री यातायात में भी गिरावट आयी क्योंकि, पिछले वर्ष की इसी अवधि की

[कमलापति त्रिपाठी]

तुलना में, इस वर्ष ढोये गये यात्रियों की संख्या लगभग 1500 लाख कम रही। "अन्य कोचिंग" से होने वाली आमदनी पर भी बुरा असर पड़ा। परिणामत: बजट अनुमात की तुलना में पहली तिमाही में रेलवे की आमदनी 92.45 करोड़ रुपये कम रही। आमदनी का जो रुख था, उससे ऐसा लगा था कि इस वर्ष इसमें लगभग 140 करोड़ रुपये की कमी होगी। ऐसी स्थिति में, आमदनी में 140 करोड़ रुपये की प्रत्याशित कमी को पूरा करने के लिए किराये-भाड़े की दरों में वृद्धि करनी पड़ी। मान ीय सदस्यों को याद होगा कि संशोधित दर-सूची को लागू करने का निश्चय एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया था ताकि संसद् उन प्रस्तावों पर विचार कर सके। इस स्थगन के कारण चालू वर्ष में लगभग 5 करोड़ रुपये कम मिले।

इसके साथ ही, संचालन-व्यय तेज़ी से बढ़ता जा रहा था। रेलवे एक श्रम-प्रधान संगठन है और इसके चालन-व्यय में से अधिकांश राशि इसके 15 लाख कर्मचारियों को वतन के रूप में दी जाती है। पूर्वोक्त कारणों से, 1973–74 में कर्मचारियों पर खर्च तेज़ी से बढ़ा था। 1974–75 में भी इस रुख में कोई कमी दिखाई नहीं दी क्योंकि महंगाई भत्ते की दरों में पूर्व-व्याप्ति सहित कियेगये तीन संशोधनों के कारण, 56.44 करोड़ रुपये का बोझ और आ पड़ा। इसके अलावा, श्रमाअधिकरण के निर्णय के फलस्वरूप, 50.37 करोड़ रुपये की अतिरिक्त दायिता और श्रम संगठनों को दी जाने वाली अन्य रियायतों (28.50 करोड़ रुपये) और कोयले की कीमत में वृद्धि (9.70 करोड़ रूपये) को भी लेखे में लेना पड़ा बजट व्यवस्था से बाहर की इन सभी मदों पर कुल खर्च 105.81 करोड़ रुपये बैठता था। लेकिन पिछले सितम्बर में केवल 56.44 करोड़ रुपये का पूरक अनुदान प्राप्त किया गया जो महंगाई भत्ते की तीन वृद्धियों के लिए ही पर्याप्त था। लगभग 50 करोड़ रूपये की शेष राशि के बारे में यह वायदा किया गया कि इसके लिए संचालन व्यय में और अधिक किफायत करके बचत की जायेगी।

यातायात का पुनरुत्थान : हड़ताल के बाद, कार्य कुशलता सुधारने के लिए अनेक उपाय किये गये। चल-स्टाक को फिर से दुरुस्त करने; दो वर्षों के श्रमिक असन्तोष के कारण अनुरक्षण का जो काम इकट्ठा हो गया था, उसे निपटाने; ब्लाक-रेकों का संचलन बढ़ाकर परिचालन में तेजी लाने और परिसम्पत्तियों का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए विशेष कदम उठाये गय। बेहतर पर्यवक्षण और प्रशासनिक मार्ग-दर्शन द्वारा उत्पादन बढ़ाने और प्रबन्ध की तकनीक द्वारा भण्डार और ईंधन की खपत में किफायत करने के लिए एक साथ प्रयास किया गया। रद्दी सामान के शीघ्र निस्तारण और बची हुई छीजन का उपयोग करने के प्रयास भी किये गये। यह माना गया कि चालू वर्ष में यातायात का संशोधित लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब शेष महीनों में ढोया जाने वाला यातायात प्रति मास लगभग 150 लाख मीटरिक टन रहे और यह मात्रा बढ़कर 160 लाख मीटरिक टन तक पहुंचा जाये। हमारा परिवहन कार्य उल्लेखनीय रूप से सफल रहा है, क्योंकि रेलों ने नवम्बर और दिसम्बर में हर महीने 150 लाख मीटरिक टन से अधिक माल की ढुलाई की है। अनाज, उर्वरक, पेट्रोल, तेल, स्नेहक पदार्थ और सीमेंट का जो यातायात आया, उसकी पूरी ढुलाई हुई है। इस्पात कारखानों के लिए कच्चे माल की आवश्यकतानुसार ढुलाई हुई है और इस्पात के तैयार माल का परिवहन तेज कर दिया गया है ताकि उनके जमा हुए स्टाक की मात्रा कम हो जाये। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि कोयले की ढुलाई में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। खान मंत्रालय के निकट सहयोग से, पिछले कुछ महीनों में लदान में, खास तौर से बाहरी कोयला क्षेत्रों से होने वाले लदान में, रिकार्ड कायम किये गये हैं। नवम्बर 1974 में कोयले का दैनिक औसत लदान 8,516 डिब्बे रहा जबकि छ: महीने पहले केवल 7,300 माल डिब्बे था। पिछले दिसम्बर में यह काम और आग बढ़ा और प्रतिदिन का औसत 8,638 माल डिब्बे हो गया। जनवरी, 1975 में यह रिकार्ड भी टूटा और प्रतिदिन का लदान 8,901 माल डिब्बे तक पहुंच गया। तेल संकट के सन्दर्भ में यह सफलता विशेष महत्व की है क्योंकि इस संकट के कारण कोयले की उपलब्धता पर देश-व्यापी निर्भरता पहले से अधिक हो गयी है। योजना परिव्यय में कमी होने से विभागीय यातायात की मात्रा में कुछ कमी हुई है। इसके परिणामस्वरुप, हड़ताल की अवधि में 118 लाख मीटरिक टन की हानि के बावजूद, अब

चालू वर्ष में कुल प्रारम्भिक माल यातायात लगभग 1920 लाख मीटरिक टन होने की आशा है। अनुमान है कि राजस्व उपार्जक यतायात की मात्रा लगभग उतनी ही रहेगी जितनी कि पिछले अगस्त में आंकी गयी थी। यह मात्रा पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 70 लाख मीटरिक टन अधिक है। यदि विभागीय यातायात को अलग रखा जाये और केवल राजस्व उपार्जक यातायात को लिया जाये तो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 100 लाख मीटरिक टन अधिक यातायात होगा।

माल की ढुलाई के सम्बन्ध में यथाशक्ति जोरदार प्रयास किये गये हैं और बड़ी लाइन पर उसके अच्छ परिणाम निकले हैं। यांत्रिक शब्दावलि में हम कह सकते हैं कि बड़ी लाइन प्रणाली अब सभी सिलिंडरों पर काम कर रहा है। दूसरी तरफ, मीटर लाइन पर ढुलाई का काम कुछ शिथिल है और उसमें गति भी नहीं आयी है। मीटर लाइन पर परिचालन को फिर से गतिशील बनाना है ताकि उस क्षेत्र में होने वाला और खासकर देश के उत्तर-पूर्वी भाग के स्टेशनों को आने-जाने वाला, यातायात अबाध गति से होने लगे। इस क्षेत्र में यातायात के विकास में बाधा डालने वाली समस्याओं का अध्ययन किया गया है और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक उपाय किये गये हैं। मुझे विश्वास है कि इसके परिणाम लाभदायक होंगे।

यात्री यातायात के मामले में अनुमान गलत निकले हैं। रेलों ने इस वर्ष के पहले आठ महीनों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2200 लाख कम यात्रियों की ढुलाई की। इसमें से आधी कमी मई की हड़ताल के कारण है और आधी कमी इसलिए कि कोयले की कमी के कारण बहुत-सी यात्री गाड़ियों को विवश होकर बन्द करना पड़ा।

इन परिस्थितियों में, यात्री यातायात से आमदनी का संशोधित अनुमान 405.85 करोड़ रुपये रखा गया है जो बजट अनुमान से 15 करोड़ रुपये कम है। यात्री गाड़ियों को रद्द करने पर, सम्बद्ध कोचिंग यातायात में भी कमी हुई है। "अन्य कोचिंग" यातायात का संशोधित अनुमान कम करके 68.58 करोड़ रुपये करना पड़ा है। माल यातायात से होने वाली आमदनी 899.82 करोड़ रुपये ही रही जैसा कि बजट में प्रत्याशित था। फुटकर आमदनी यथा अनुमानित होने की संभावना है। फलतः, अब अनुमान है कि माल यातायात से 1413.15 करोड़ रुपये की, अर्थात् बजट के आंकड़ों से 20 करोड रुपये कम की, आमदनी होगी।

एक असंतोषजनक स्थिति

हमने अनुमान लगाया था कि नकद वसुली हमारे वास्तविक कार्य के मूल्य से 6 करोड़ रुपये कम होगी। यह रकम बढ़कर 12 करोड़ रुपये हो जाने की संभावना है क्योंकि हमारे पावने का भगतान उतनी तेजी से नहीं हो रहा है। फिर भी, इस बात का विशेष प्रयास किया जा रहा है कि हमारी बकाया रकम वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले वसूल हो जाये।

इस प्रकार, सब मिलाकर, यातायात से कुल 1401.15 करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा है, जो 1427.15 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 26 करोड़ रुपये कम हैं।

मैं यह जानता हूं कि खर्च में किफायत करना बहुत जरूरी है ताकि कर्मचारियों के बढ़ते हुए खर्च और चढ़ती हुई कीमतों का बोझ कुछ कम हो सके। जैसाकि मैंने पहले कहा, रेलों ने संचालन व्यय में 50 करोड़ रुपये की किफायत का लक्ष्य रखा था। सदन को यह सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही

संचालन व्यय में किफायत

है कि 50 करोड़ रुपये की बचत का जो वायदा किया गया था, वह पूरा हो गया है। यह बचत हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हुई है क्योंकि संचालन व्यय का हमारा बजट अब, सरकार द्वारा हाल में मंजूर की गयी, मंहगाई भत्ते की तीन किस्तों के बोझ को वहन कर सकता है। इन पर चालू वर्ष में 39 करोड़ रुपये खर्च आयेगा। अतः संचालन व्यय का संशोधित अनुमान 1191.55 करोड रुपये रखा गया है जो वर्तमान अनुदानों से 13.26

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

करोड़ रुपये कम है। मूल्यह्रास आरक्षित निधि में 115 करोड़ रुपये और पेंशन निधि में 16 करोड़ रुपये के विनियोग की जो व्यवस्था मूल बजट में की गयी थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। चालू वर्ष में सामान्य राजस्व को देय लाभांश 189.33 करोड़ रुपये होने की संभावना है। यातायात से प्राप्त होने वाली कुल राशि में कमी, बढ़े हुए मंहगाई भत्ते के भुगतान और सामान्य राजस्व को देय लाभांश की रकम में कमी-बेशी के कारण वर्ष के अन्त में वित्तीय परिणाम बदल गये हैं। मध्य-वर्षीय मूल्यांकन से मालूम हुआ था कि बजट में अनुमानित 52.79 करोड़ रुपये का घाटा बढ़कर 109 करोड़ रुपये हो जायेगा। किराये-भाड़े की संशोधित दरों को देर से लागू करने के कारण 5 करोड़ रुपये की कमी, यातायात से कुल प्राप्तियों में 26 करोड़ रुपये की कमी और मंहगाई भत्ते की मद में 39 करोड़ रुपये के भुगतान को मिलाकर यह घाटा 179 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता। लेकिन संचालन व्यय में 50 करोड़ रुपये से अधिक की जिस बचत का उल्लेख मैंने किया, उससे इस घाटे को 128.19 करोड़ रुपये पर उतार लाने में सहायता मिलेगी।

1974-75 का योजना परिव्यय

पिछले वर्ष अगस्त में योजना के साधनों की फिर से समीक्षा करने के बाद, हमसे कहा गया था कि रेलों पर निवेश के लिए निर्धारित राशि में कटौती करनी पड़ेगी। अत: तुरन्त ही भण्डार में शेष सामान की और मिलने वाले सामान की समीक्षा शुरु कर दी गयी। जिन सामानों का आर्डर दिया गया था—लेकिन जिनकी तुरन्त आवश्यकता नहीं थी—उनकी सुपुर्दगी को, यथासंभव, सप्लाई करने वालों के परामर्श से संयमित कर दिया गया। आगे की जाने वाली खरीद की मात्रा भी घटाकर इतनी कम कर दी गयी जितनी कि अनुरक्षण और परिचालन के लिए आवश्यक थी। उत्पादन बढ़ाकर और जल्दी से वित्तीय समायोजन करके, कारखानों में बनते हुए सामान के मूल्य को कम किया गया। इन उपायों से विशेषकर खरीद पर लगाये गये प्रतिबंध से, भण्डार के खर्च में 0.94 करोड़ रुपये की कमी हुई जबकि इसके लिए बजट में 7 करोड़ रुपये की वृद्धि की व्यवस्था की गयी थी। चूंकि चालू वर्ष के योजना परिव्यय में कुल लगभग 25 करोड़ रुपये की बचत करनी थी, इसलिए स्वीकृत परियोजनाओं पर किये जाने वाले खर्च की भी पुनरीक्षा की गयी। बदली हुई परिस्थिति में निर्माण कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता को फिर से निश्चित किया गया और तदनुसार खर्च का नियमन किया गया। लेकिन इस बात का ध्यान रखा गया कि किसी स्वीकृत योजना पर कुप्रभाव न पड़े।

1975-76 में योजना के साधन-स्रोत

1975-76 में योजना के परिव्यय के लिए रेलों को 308 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। इसमें, रेलवे योजना से बाहर की महानगर परिवहन परियोजनाओं के 10 करोड़ रुपये तथा राज्य सड़क परिवहन में निवेश के 10 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं। यह आबंटन चालू वर्ष के घटे हुए आबंटन से भी कम है। सामान की कीमतें तथा वेतन की दरें बहुत अधिक बढ़ जाने से विकास योजना का आकार-प्रकार स्वभावत: संकुचित हो जायेगा।

ऐसी स्थिति में, यह ठीक ही होगा कि, उपलब्ध राशि का बंटवारा करते समय, वर्तमान परिसम्पत्तियों के समुचित अनुरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय। मेरे पूर्ववर्ती रेल मंत्री ने सदन को बताया था कि अनुरक्षण और मरम्मत का काम पिछड़ गया है और, उसे शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर, रेल कारखानों में मरम्मत और ओवरहाल की सुविधाएं बढ़ाने की पूर्व-स्वीकृत योजनाओं पर तेजी से अमल किया जा रहा है। कुछ नये इंजन शेड बनाने तथा वर्तमान शेडों का विस्तार करने का भी प्रस्ताव है। उत्पादन कारखानों को बहुमुखी बनाकर उनमें क्षतिग्रस्त चल-स्टाक की मरम्मत और उसे फिर से उपयोगी बनाने की संभावनाओं का पता लगाया जायेगा। देखने में आया है कि देश की उष्ण जलवायु के कारण सवारी डिब्बों के इस्पाती ढांचों में बहुत ज्यादा जंग लगता है जिससे उनकी भारी मरम्मत की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार के काम के लिए सुविधाएं जुटाने का भी प्रस्ताव है।

लाईट रेलें

माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि भूतपूर्व शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे वाले क्षेत्र में बड़ी लाइन का निर्माण इस आधार पर मंजूर किया गया था कि रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार उसके निर्माण और परिचालन के खर्च में बराबर की भागीदार होंगी। इसके लिए एक संयुक्त निगम की स्थापना की जानी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो राशि दी है और रेलवे जो धन आबंटित कर सकी हैं, उसी के अनुसार निर्माण-कार्य किया जा रहा है।

हवड़ा-आमता लाइन, जिसमें बड़गछिया-चम्पाडांगा शाखा भी शामिल है, तथा हवड़ा-शियाखला लाइट रेलवे के क्षेत्रों में नयी बड़ी लाइनों के निर्माण और परिचालन के लिए संसद की मंजूरी ली गयी थी। आशा थी कि पश्चिम बंगाल सरकार इन लाइनों के निर्माण और परिचालन में बराबर की भागीदार होगी। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने अब यह सूचित किया है कि वित्तीय संकट के कारण वह इस बोझ को उठाने की स्थिति में नहीं है और हवड़ा-आमता बड़ी लाइन के लिए वह केवल भूमि मुफ्त दे सकेगी। चूंकि राज्य सरकार की यह असमर्थता कठिन वित्तीय स्थिति के कारण है, इसलिए मैं वित्तीय प्रबंध में हुए इस परिवर्तन को सदन के ध्यान में ला रहा हूं।

रेलवे कन्वेंशन समिति

रेलवे कन्वेंशन समिति ने दिसम्बर, 1974 में अपनी नवीनतम रिपोर्ट में सिफारिश की है, और संसद् ने भी इसकी स्वीकृति दी है, कि पहले जो-जो रियायतें दी गयी हैं वे जारी रहें और, साथ ही, पूंजी से किये जाने वाले चालू निर्माण कार्यों पर देय लाभांश में छूट की सीमा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी जाये। यह अतिरिक्त राहत फिलहाल 1974–75 और 1975–76 के लिए दी गयी है और इसकी राशि क्रमशः 1.40 करोड़ रुपये तथा 3.91 करोड़ रुपये है। मैं इस लाभ के लिए तथा रेलों की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्ण विचार के लिए समिति के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कृतज्ञ हूं।

महानगर परिवहन परियोजनाएं

मद्रास, बम्बई और दिल्ली में महानगर परिवहन परियोजना संगठनों का तकनीकी-आर्थिक-व्यावहारिकता के अध्ययन का काम आगे बढ़ा है। इन संगठनों के लिए जब तक कोई पृथक् प्राधिकरण नहीं बन जाता तब तक ये अस्थायी रूप से रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करते रहेंगे। कलकत्ता क्षेत्र में वास्तविक निर्माण शुरू हो गया है। 1972 में 140 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दमदम-टालीगंज द्रुत पारवहन लाइन के निर्माण की मंजूरी दी गयी थी। यह भारत में सबसे पहली भू-गत रेलवे होगी। मजदूरी की लागत और सामान की कीमतों में हाल में जो वृद्धि हुई है उसे ध्यान में रखकर फिर से हिसाब लगाया गया है और अब इसकी लागत का अनुमान बढ़कर 250 करोड़ रुपये हो गया है। इसमें, निर्माण की अवधि के दौरान कीमतों में होने वाली वृद्धि और ब्याज की रकम शामिल नहीं है। बढ़ी हुई लागतों को पूरा करने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि इस लाइन के निर्माण कार्यक्रम की पुनरीक्षा की जाये।

बम्बई क्षेत्र में गलियारा नं० 7 के लिए व्यावहारिकता अध्ययन और गलियारा नं० 6 के लिए विस्तृत अभिकल्प तैयार करने का काम हाथ में है। इसी प्रकार, दिल्ली और मद्रास में द्रुत परिवहन गलियारों के विस्तृत अभिकल्प तैयार करने का काम 1975–76 में शुरू किया जायेगा। योजना आयोग के परामर्श से ही इनकी योजना बनायी गयी है।

नये माडलों की खोज

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में यातायात के विकास तथा 15 वर्ष के भीतर उसमें और अधिक वृद्धि की संभावना से यह संकेत मिलता है कि भविष्य में हमारी गाड़ियों को वर्तमान की अपेक्षा बहुत अधिक

[श्री कमलापति त्रिपाठि]

भार खींचना पड़ेगा, विषेषकर घाट खंडों पर तथा कोयला और लोह अयस्क की ढुलाई के लिए। हम समझते हैं कि यदि लाइन क्षमता पर रेलों के निवेश को लाभदायक बनाना है तो 4500 मीटरिक टन से 7200 मीटरिक टन तक की और कहीं-कहीं तो संभवत: 9000 मीटरिक टन तक की गाड़ियां चलानी पड़गी। मौजूदा रेल इंजनों और माल डिब्बों के लिए यह संभव नहीं है कि वे इतना भार लेकर लाइन पर चल सकें। अत: हमने पहले ही भविष्य के लिए उपयोगी माडलों की खोज शुरू कर दी है। इसके लिए अधिक क्षमता वाले माल डिब्बों के अभिकल्प तैयार करने होंगे और देश में ही उनका निर्माण करना होगा। भारी काम वाले रेल इंजनों का निर्माण भी देश में करना होगा या उन्हें विदेशों से मंगाना होगा। चेकोस्लो -वाकिया से ऋण के लिए जो तीसरा करार हुआ है उसमें, जरूरत पड़ने पर इस तरह के भारी काम वाले बिजली रेल इंजनों के आयात की व्यवस्था की गयी है। इस करार पर दिसम्बर, 1973 में हस्ताक्षर किये गये थे। अधिक वहन क्षमता वाले नये किस्म के सवारी डिब्बों की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है ताकि सवारी गाड़ियों से होने वाली आय बढ़ायी जा सके और प्रति गाड़ी अधिक यात्री ढोये जा सकें। लाइन पर प्रयोग. के लिए, वाणिज्यिक पैमाने पर इन सब जरूरी चीजों का उत्पादन करने से पहले, दीर्घकालिक अध्ययन और विस्तृत अभिकल्पन, नमूने के तौर पर उत्पादन और सफल परीक्षण करने की आवश्यकता है। लखनऊ स्थित हमारा अनुसंधान, अभिकल्प, मानक संगठन आजकल इस महत्वपूर्ण दीर्घकालिक काम में लगा हुआ है।

श्रमिक संबंध

गत मई की दुखद घटनाओं के बाद श्रमिक संबंधों में काफी सुधार हुआ है। पिछले कुछ महीनों में, रेल कर्मचारियों में उत्तरदायित्व की भावना और कर्तव्यनिष्ठा बढ़ी है। इधर हाल में उत्पादन-कार्य में जो चौमुखी प्रगति हुई है उसे देखते हुए, मैंने यह फैसला किया है कि जिन कर्मचारियों के विरूद्ध हिंसा या तोड़-फोड़ के आरोप हैं उनके सिवाय, सभी कर्मचारियों के सेवा-भंग को माफ कर दिया जाये। मेरा पक्का विश्वास है कि जब प्रबंधक प्रबुद्ध होते हैं तो उनके कर्मचारी मन लगाकर काम करते हैं। कार्मिक संवर्गों के विस्तार के अलावा, मैं वरिष्ठ रेल अधिकारियों से आशा करता हूं कि वे अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के साथ सीधा सम्पर्क रखेंगे ताकि औद्योगिक संबंध अच्छे बने रहें। आपसी सद्भावना और विश्वास के द्वारा ही आंदोलनों का परिहार किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य सभी रेल कर्मचारियों को यह अनुभव कराना है कि उनके और प्रबंधकों के हित एक-समान हैं और दोनों एक ही राष्ट्रीय और सामुहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं। कर्मचारियों का कल्याण ही इस नीति का मुलाधार है।

मैंने क्षेत्रीय रेल प्रशासनों को निदेश दिया है कि जिन कर्मचारियों के विरुद्ध हिंसा या तोड़-फोड़ के आरोप नहीं हैं, उनके सेवा संबंधी सभी मामलों को सहानुभूति के साथ और शीघ्र निबटाया जाये। रेलवे बोर्ड अराजपत्रित संवर्गों में सभी स्तरों पर बहुत से पदों का ग्रेड बढ़ाने की एक बृहद् योजना को अंतिम रूप दे रहा है। इससे कर्मचारियों की उन्नति की संभावनाएं बढ़ेंगी और उन्हें अपने काम से और अधिक संतोष प्राप्त होगा।

1975–76 से, कर्मचारी हित निधि में सरकारी अंशदान भी दुगुना कर दिया गया है। अब प्रति कर्मचारी 4.50 रुपये की बजाय 9.00 रुपये का अंशदान किया जायेगा ताकि कल्याण कार्यों में और कष्ट के समय कर्मचारियों की राहत के लिए किये जाने वाले उपायों में धन का अभाव बाधक न बने।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपूर) : कर्मचारियों को बहाल कीजिये।

श्री नूरूल हुडा (कछार) : सभी कर्मचारियों को वापिस लीजिये।

1975-76 के बजट अनुमान

चालू वर्ष के पूर्वार्ध में और पिछले वर्ष में, उद्योगों की अवरुद्ध-प्राय: आर्थिक स्थिति, लागतों में वृद्धि कर्मचारी-संबंधों में विक्षोभ, नये वेतन-मान तथा मंहगाई भत्ते की दरों के प्रभाव के कारण, कार्य और वित्त की दृष्टि से रेलों की स्थिति लड़खड़ाती रही। कर्मचारी संबंधों में अब एक सुखद स्थायित्व आ गया है और वेतन आयोग ने जिन वेतन-मानों की सिफारिश की थी, उन्हें पूर्णत: लागू कर दिया गया है। इसलिए आगामी वर्ष की संभावनाएं उद्योग और कृषि से संबंधित आर्थिक स्थिति पर और जीवननिर्वाह के खर्च के सूचकांक पर निर्भर हैं। आर्थिक विश्लेषकों को आमतौर पर यह आशंका है कि मंदी एवं मूल्य वृद्धि की हालत और गंभीर होगी और 1975–76 में हालत सुधरने से पहले अति विकसित देशों की अर्थ व्यवस्था बदतर हो जायेगी। दूसरी ओर, हमारा आर्थिक भविष्य यदि निश्चित रूप से बेहतर नहीं तो कम निराशापूर्ण अवश्य है। इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं कि मूल्य वृद्धि को रोकने और औद्योगिक तथा कृषि संबंधी गतिविधि को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने जो उपाय किये हैं वे फलीभूत होने लगे हैं। जाड़ों में समय पर पर्याप्त वर्षा हुई है, इसलिए आशा है कि रबी की फसल अच्छी होगी। हम आशा करते हैं कि प्रकृति मानसून के महीनों में भी इसी तरह उदार रहेगी। खनन के क्षेत्र में, लोह अयस्क के उत्पादन में वृद्धि के लक्षण दिखायी दे रहे हैं। कोयले का उत्पादन भी बढ़ा दिया गया है और 1975–76 में इसे और आगे बढ़ाने की योजना बनायी गयी है। इस बार जाड़े में भारी हिमपात हुआ है। इससे बिजली पैदा करने के लिए पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध होगा। बिजली की सप्लाई बेहतर होने से औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ना अवश्यंभावी है। कृषि और उद्योग की इस पृष्ठभूमि में, यह आशा करना उचित ही है कि रेलों को और अधिक यातायात मिलेगा। चूंकि रेलें भी अधिक कुशलता के साथ काम कर रही हैं इसलिए प्रारंभिक माल यातायात का 2100 लाख मीटरिक टन का लक्ष्य वास्तविक और हमारी पहुंच के भीतर प्रतीत होता है। इस लक्ष्य में 200 लाख मीटरिक टन का विभागीय अनुपार्जक यातायात शामिल है जिसे चालू वर्ष के बराबर ही रखा गया है। आशा है, रेलें 1900 लाख मीटरिक टन राजस्व उपार्जक यातायात की ढुलाई कर सकेंगी, जो चालू वर्ष की तुलना में 180 लाख मीटरिक टन अधिक होगा।

यात्री यातायात का रुख, इधर कुछ समय से मिला-जुला दिखायी पड़ रहा है। 1973–74 में ढोये गये यात्रियों की कुल संख्या लगभग उतनी ही रही जितनी कि पिछले साल थी। उपनगरीय यातायात बढ़ता रहा, लेकिन अनुपनगरीय यातायात में 510 लाख यात्रियों की कमी हुई। चालू वर्ष में इस रुख में फिर तेजी आयी है। हड़ताल से पहले और हड़ताल के बाद की अवधि में अनुपनगरीय यात्री यातायात में गिरावट मुख्यत: गाड़ियों के रद्द किये जाने के कारण हुई है। माननीय सदस्य जानते हैं कि रेल इंजनों के लिए कोयले की कमी होने से रेल प्रशासन को शाखा लाइन की कुछ सवारी गाड़ियां रद्द करनी पड़ीं। अब कोयले के उत्पादन में तेजी आने लगी है इसलिए हम अपना स्टाक जमा कर सकेंगे। इस अनिश्चित स्थिति के अधीन, रद्द की हुई गाड़ियों का चालन पहली मार्च से पुन: शुरू किया जायेगा और अगले कुछ महीनों में उनकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ायी जायेगी।

माल और यात्री यातायात की इन संभावनाओं को ध्यान में रखकर, यह अनुमान लगाया गया है कि किराये और भाड़े की वर्तमान दरों पर यातायात से प्राप्त होने वाली कुल राशि 1631.86 करोड़ रुपये होगी। माल यातायात से 1045.50 करोड़ रुपये की आमदनी होने का अनुमान है जबकि चालू वर्ष में 899.82 करोड़ रुपये की आमदनी की संभावना है। यात्री यातायात से आमदनी के बारे में हमारा अनुमान 477.06 करोड़ रुपये का है जो संशोधित अनुमान से 71.21 करोड़ रुपये अधिक है। यात्रियों से होने वाली आमदनी के साथ-साथ, "अन्य कोचिंग" की आमदनी में भी वृद्धि की संभावना है। यह आमदनी 1974–75 के 68.58 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 76.10 करोड़ रुपये आंकी गयी है। फुटकर आमदनी, चालू वर्ष के 38.90 करोड़ रुपये से कुछ बढ़ाकर अगले वर्ष के लिए 39.20 करोड़ रुपये रखी गयी है।

यातायात से प्राप्त होनेवाली कुल राशि

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

संचालन व्यय

अनुमान है कि 1975–76 में संचालन व्यय 1298-28 करोड़ रुपये रहेगा। इसमें, अभी हाल में मंजूर की गयी, महंगाई भत्ते की तीन किस्तों की पूरे वर्ष की लागत के 54 करोड़ रुपये भी है शामिल हैं। शेडों और कारखानों में विविध परिसम्पत्तियों की मरम्मत और उनके अनुरक्षण पर होने वाले अतिरिक्त खर्च के लिए भी 42.74 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। अगले वर्ष अधिक यातायात का जो अनुमान लगाया गया है, उस पर अधिक ईंधन के खर्च के लिए लगभग 23 करोड़ रुपये भी इन अनुमानों में शामिल हैं।

रेलवे कन्वेंशन समिति की इच्छा के अनुसार, मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग के लिए 115 करोड़ रुपये ही रखे गये हैं, लेकिन पेंशन निधि में अंशदान की रकम एक करोड़ बढाकर 17 करोड़ रुपये कर दी गयी है। चालू लाइन निर्माण राजस्व और अन्य विविध मदों पर खर्च की रकम लगभग 2 करोड़ रुपये अधिक बैठेगी। रेलवे कन्वेंशन समिति द्वारा अपनी पिछली अन्तरिम रिपोर्ट में दी गयी राहत का लाभ उठाने के बाद देय लाभांश का अनुमान 197.88 करोड़ रुपये लगाया गया है। प्रत्याशित राजस्व और खर्च की इन सभी मदों का आकलन करने पर, इस वर्ष 15.97 करोड़ रुपये का घाटा रहने की संभावना है।

बजट प्रस्ताव

माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि 1 अप्रैल, 1974 से रेल दर सूची में व्यापक समायोजन किये गये थे। 15 सितम्बर, 1974 से पूरक प्रभार लागू किये गये। मैं समझता हूं कि अगले वर्ष यात्री और माल, दोनों तरह के, रेल यातायात की दरें स्थिर रहेंगी। मैं चाहता हूं कि रेलें अपना व्यापार बढाकर और सेवा को अधिक उत्कृष्ट बनाकर अपनी वित्तीय स्थिति सुधारें और अधिक लोकप्रिय बनें। सदन को और रेल उपयोगकर्ताओं को यह जानकर हर्ष होगा कि मैं किसी भी दर्जे की रेल यात्रा के संबंध में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं रख रहा हूं। इसी प्रकार, पहले से लागू भाड़ा दरें भी ज्यों की त्यों रहेंगी; केवल अनाज, जिसमें दालें भी शामिल हैं, और निर्यात वाले लोह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क की भाड़ा दरों में मामूली सा युक्तिसंगत हेर-फेर करना पड़ेगा। माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि अनाज और दालों की ढुलाई परिचालन की लागत से भी नीची दरों पर की जाती है। इस तरह का लगभग आधा माल जनता में वितरण के लिए सरकारी खाते में ढोया जाता है और शेष प्राइवट पार्टियों द्वारा बुक कराया जाता है। चालू वर्ष में, इस तरह के 145 लाख मीटरिक टन माल की ढुलाई पर रेलों को 34.5 करोड़ रुपये की हानि होगी। 1975–76 में, 155 लाख मीटरिक टन की ढुलाई पर यह हानि बढकर 35 करोड़ रुपये हो जाने की संभावना है। यह प्रस्ताव है कि सामान्यत: अनाज के नाम से ढोयी जाने वाली वस्तुओं को मानक दर-सूची में शामिल कर लिया जाये और उनमें से गेहूं, चावल और ज्वार को सबसे निचले वर्ग से ऊपर के वर्ग में रख दिया जाये। इस प्रस्ताव से 35.5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा जिससे घाटा लगभग पूरा हो जायेगा। औसतन, इस प्रस्ताव का प्रभाव मूल्यों पर केवल 2.5 पैसे प्रति किलोग्राम पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि रबी की अच्छी फसल इस मामूली खर्च को आसानी से सह सकेगी।

घरेलू खपत वाले लोह अयस्क और मैंगनीज अयस्क पर निर्यात वाले अयस्क से भिन्न दरों पर भाड़ा लगता है। रेलों के परिवहन प्रयास की दृष्टि से, इस भेदपूर्ण भाड़ा-दर का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। अत: मेरा प्रस्ताव है कि दोनों को एक जैसा माना जाय और उन्हें एक ही वर्ग में रखा जाये। इस युक्ति करण के फलस्वरूप रेलों को 3.5 करोड़ रुपये की आमदनी होगी।

माननीय सदस्यों को एक ज्ञापन दिया जा रहा है जिसमें इन प्रस्तावों का ब्यौरा दिया गया है। ये दो संशोधन 1–4–1975 से लागू होंगे और इनसे 1975–76 में 39 करोड़ रुपये की आय होगी। इस अतिरिक्त राजस्व से 15.97 करोड़ रुपये का घाटा 23.03 करोड़ रुपये की बचत में बदल जायेगा। इसमें से 18 करोड़ रुपये का उपयोग विकास निधि से होने वाले खर्च की पूर्ति के लिए किया जायेगा और शेष 5.03 करोड़ रुपये राजस्व आरक्षित निधि में जमा किये जायगे।

मेरी कोशिश होगी कि रेलों की कार्य-कुशलता हर दृष्टि से बढ़े ताकि जनता की बेहतर सेवा और रेल उद्योग के लिए वित्तीय सुदृढ़ता का दोहरा लक्ष्य पूरा हो सके। समय की पाबंदी पर गहरी निगाह रखी जायेगी क्योंकि उसके बिना यात्रियों को बहुत असुविधा होती है। यात्रा और माल परिवहन दोनों के संबंध में रेल उपयोगकर्ताओं को अधिक संतोषजनक सेवा प्रदान करने की कोशिश की जायेगी। नयी रेलवे लाइने बिछाने या गेज में परिवर्तन करने का फैसला करते समय, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा जायेगा। इसी प्रकार, सरकार की वर्तमान नीति है कि भर्ती और पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाये। इस नीति का पालन उत्साहपूर्वक जारी रखा जायेगा। बोर्ड का कार्यालय बाकायदा इस बात पर निगाह रखेगा कि आरक्षित कोटे भरे जायें। अब समय आ गया है कि देश के इस सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्योग के लिए शिक्षित नौजवानों का और घनिष्ट सहयोग प्राप्त किया जाये। मण्डलीय और क्षेत्रीय परामर्श समितियों में शिक्षा संस्थाओं को प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव है। छुट्टियां शुरू होने से पहले विश्वविद्यालय के क्षेत्र में आरक्षण की सुविधाएं प्रदान करने की व्यावहारिकता पर भी विचार किया जायेगा। शिक्षित और बेरोजगार नौजवानों की सहकारी संस्थाओं और समूहों को बुकस्टाल, खान-पान और खोमचे के ठेके साइकिल स्टैंड, बुकिंग एजेंसी आदि देने की नीति पर अधिक तेजी से अमल किया जायेगा।

अगली तैयारी

महोदय, मुझे संसद के सामने अनुमानित आयव्यय का वार्षिक विवरण पेश करना था और अब मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। लेकिन समाप्त करने से पहले मैं चाहूंगा कि भारतीय रेलों के जिन तीन वर्षों का लेखाजोखा मैंने आज दिया है, उनके बारे में साररूप में कुछ कह दूं। 1973–74 का वर्ष प्रधानत: कर्मचारियों में असंतोष का वर्ष था। 1974–75 का वर्ष सचमुच युगान्तरकारी सिद्ध हुआ जिसमें ऊर्जा के सस्ते स्रोत समाप्त हो गये और कर्मचारियों पर होने वाला खर्च बढ गया। 1975–76 को मैं सभी प्रकार से आशा, स्थिरता और निरन्तर उन्नति का वर्ष मानता हूं। ऐसा लगता है कि रेलों के दुर्दिन समाप्त हो रहे हैं। मुझे विश्वास है कि नये सिरे से उत्तरदायित्व स्वीकार करते हुए, रेल कर्मचारी अधिक कार्य-सम्पादन और बेहतर वित्तीय परिणामों की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेंगे।

विश्व कप हाकी टूर्नामेंट के लिये भारतीय हाकी टीम के सदस्यों द्वारा दी गई नोटीस के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: NOTICE BY THE MEMBERS OF INDIAN HOCKEY TEAM FOR WORLD HOCKEY TOURNAMENT

Mr. Speaker : Some Hon. Members raised the issue of Hockey team. The Hon. Minister would like to reply.

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम): अखिल भारतीय हाकी संघ की प्रार्थना पर तथा अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् की सिफारिशों पर सरकार ने हाकी टीम को 1 मार्च से क्वालालम्पूर में विश्व कप हाकी टूर्नामेंट में भाग लेने की स्वीकृति दे दी है तथा उसके लिये आवश्यक वित्तीय मंजूरी भी दे दी गई है। भारतीय हाकी संघ के प्रधान ने टीम के प्रबन्धक और प्रशिक्षक और उन्हीं खिलाडियों की सिफारिश की है जिनका चयन भारतीय ओलम्पिक संघ चण्डीगढ़ के तत्वाधान में हुआ है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : क्या रेल मंत्री बतायेंगे कि कितने कर्मचारियों को वापस लिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : आपको चर्चा का पर्याप्त अवसर दिया जायेगा और मंत्री महोदय अंत में उत्तर देंगे।

पश्चिम बंगाल में पटसन मजदूरों की हड़ताल के संबंध में चर्चा
DESCUSSION RE. JUTE WORKERS' STRIKE IN WEST BENGAL

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : पिछले 46 दिन से चल रही हड़ताल एक औद्योगिक विवाद है। यह विवाद मालिकों और मजदूरों के बीच है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय यह कहकर मामले को टाल नहीं देंगे कि यह राज्य का मामला है और पश्चिम बंगाल सरकार इस बारे में कदम उठा रही है इस कारण सरकार कुछ नहीं कर सकती। सदन को पता होगा कि 1969 और 1970 में भी जूट उद्योग में ऐसी ही हड़ताल हुई थी। समझौते के लिये दोनो वार्ताएं कलकत्ता में न हो कर दिल्ली में हुई थी तथा करार पर हस्ताक्षर भी दिल्ली में हुए थे।

इस बीच में ऐसी क्या बात हो गई है कि सरकार विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले इस उद्योग के प्रति उदासीनता से बातें कर रही है कि और कह रही है कि यह मामला राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है।

मेरा केन्द्र सरकार पर आरोप है कि किसी दबाव के कारण उन्होंने अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाया है।

मंत्री महोदय के विस्तृत वक्तव्य में इस बात को स्वीकार किया गया है कि हड़ताल से प्रति दिन एक करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है। यदि कमचारियों की उचित मांगों के लिए 5-7 करोड़ रुपया दे दिया जाता तो 46 करोड़ से अधिक की विदेशी मद्रा की हानि उठाने की बजाय अच्छा होता।

[श्री वसन्त साठे पीठासीन हुए।
SHRI VASANT SATHE *in the Chair*.]

पिछले वर्ष जनवरी 1974 की हड़ताल के दौरान उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में मध्य अवधि चुनाव होने थे और इस वर्ष निर्वाचन निकट आ रहे हैं। इस मामले में जो आरोप लगाये जा रहे हैं उसके लिये कौन उत्तरदायी हैं। 1969-70 में सरकार ने तुरन्त कार्यवाही की थी।

हम सबको विदित है कि पश्चिम बंगाल के जूट उद्योग में नौ बड़े बड़े एकाधिकार गृह हैं जिनके नाम हैं। एंड्रू, यूले, बांगूर, बर्डस, बिड़ला बन्धु, गोयेन्का, जे० के०, मफतलाल, साहु जैन, और सूरज मल नागर मल हैं। उनमें से सबसे बड़ी जूट मिल नैशनल जूट मिल्स के मालक श्री गोयेन्का है।

हड़ताल की सूचना नवम्बर, 1974 में दी गई थी। हड़ताल शुरू करने की तारीख 6 जनवरी रखी गई थी। हड़ताल शुरू होने के 12 दिन बाद राज्य के श्रम मंत्री ने पहली बैठक बुलाई और हड़ताल के 46 दिन व्यतीत हो जाने के बाद बताया गया है कि समझौता नहीं हो सका। उन्होंने सरकार की ओर से कुछ सिफारिशें पेश की हैं। जूट मिल मालिक इससे प्रसन्न हैं। आज 46 दिन के पश्चात् भी मंत्री महोदय यह नहीं कह सकते कि थोड़े भी लोग काम पर लौटे हैं। उन्होंने कहा है 62 में से केवल 12 मिलों में कार्य आरम्भ हुआ है। तथा 40 प्रतिशत मजदूर ही कार्य कर रहें हैं। अधिकतर मजदूर अभी भी हड़ताल पर हैं और मजदूर संघों के निर्णय के अनुसार हड़ताल पर ही रहेंगे।

कुछ समय पूर्व अर्थात् पिछले वर्ष श्री रघुनाथ रेड्डी के सामने जूट विवाद सम्बन्धी लम्बे समय से चले आ रहे एक मामले को रखा गया था। यही विवाद इस हड़ताल का मुख्य कारण था।

यही विवाद बदली कर्मचारियों से सम्बन्धित था। श्री रेड्डीने इसकी जांच करके अपना लिखित निर्णय दिया। जिसे भारतीय जूट मिल संघ ने मानने से और लागू करने से मना कर दिया। हुआ यह कि बिड़ला बन्धुओं की मिल, हुकम चन्द जूट मिल को मामला न्यायालय में ले जाने को कहा गया और अब कहा जा रहा है क्योंकि मामला न्यायालय के समक्ष है इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया जा सकता। इस प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार की क्या भूमिका है। सरकार को इस मामले को न्यायालय से वापिस लेने और समझौता कराने की कार्यवाही करनी चाहिये। राज्य सरकार ने मामले का अध्ययन करने के लिये भट्टाचार्य आयोग की नियुक्ति की थी जिसमें मजदूरों का कोई प्रतिनिधि नहीं था। आयोग ने इस बात की जांच की है कि जीवन निर्वाह लागत सम्बन्धी आंकड़ों का आकलन सही तौर पर हुआ है कि नहीं। उन्होंने सरकार से अपनी सिफारिशों में कहा है कि विभिन्न आकड़ों के संकलन में काफी दोष है। उन्होंने उन दोशों को दूर करने के उपाय भी बताये हैं। आयोग के कथन से दोषों को दूर करने से प्रत्येक जूट कर्मचारी प्रति माह 61 रुपये पाने का अधिकारी बनता है। जबकि राज्य सरकार ने भारत रक्षा नियम के अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी को 16 रुपए महंगाई भत्ते की मंजूरी प्रदान की है। वास्तव में उन्हें 61 रुपये मिलने चाहिये थे। हम राज्य के श्रम मंत्री से इसे बदलने के लिये कहते रहें हैं और वह इसे अस्वीकार करते है। वह यह कहते रहे कि केन्द्रीय सरकार के आदेशों के कारण वह स्विकार नहीं कर सकते।

समाचार पत्रों में कुछ समाचार छपे हैं। उनमें से एक का संक्षिप्त उद्धरण इस प्रकार है।

"पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री ने केन्द्रीय श्रम मंत्रालय की सलाह पर श्रम ब्यूरो के निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया है। किन्तु केन्द्रीय श्रम मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने इसे अस्वीकार किया है। केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने बाद में एक पत्र में लिखा है कि यदि आवश्यकता होगी तो मंत्रालय अपनी राय देगा ......। फिर बताया गया है कि भारतीय पटसन मिल ऐसोसिएशन श्रमिकों को आधार वर्ष को बदलने के पश्चात 16 रुपये अतिरिक्त भत्ता देने के निर्णय पर पहुंची है।"

ये सारी बाते मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि इनसे सरकार का सम्बन्ध है किन्तु सरकार ने इस हड़ताल को समाप्त कराने के लिए अभी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया है। आज हड़ताल को 46 दिन हो गए हैं। इससे बहुत अधिक विदेशी मुद्रा की हानि हुई है।

कहा जाता रहा है कि यह राज्य का मामला है और इसे राज्य सरकार को ही निपटाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगी।

वक्तव्य में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि श्रम मंत्री ने दोनों पक्षों के बीच समझौता करने के लिए हर समय प्रयास किया है।

हम बोनस के बदले अनुग्रह पूर्वक अदायगी के सम्बन्ध में दिए गए मौलिक प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार है। सरकार का प्रस्ताव है कि इस वर्ष 120 रुपये तथा आगले वर्ष 130 रुपये को दो बार एक मुस्त अदायगी की जाये। लेकिन अंतिम प्रस्तावों में अगले वर्ष के लिए रखी गई 130 रुपये की राशि काट दी गई है। हमने उनस इसका कारण पूछा। भारतीय पटसन निर्माता संगठन इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।

मुख्य प्रारुप में यह कहा गया है कि कार्य दर कर्मचारियों को 2 रुपये प्रतिमाह की वेतन वृद्धि दी जायेगी और अब संशोधित प्रारुप में, जिसे कि संघो ने अस्वीकार कर दिया है, उन सभी कार्यदर कर्मचारियों को जो दो से अधिक मशीनों पर काम करते हैं इसमें परिवर्तन करके 2 रुपया वेतन वृद्धि देना स्वीकार किया है।

अंतिम प्रारुप के अन्त में राज्य के श्रम मंत्री ने एक छोटा सा वाक्यांश जोड़ा है जिसमें कहा गया है कि संघ मिल मालिकों द्वारा किए गए युक्ति संगत उपायों पर आपत्ति नहीं करेंगी। हम जानते हैं कि उत्पादिता के नाम पर वह बहुत से कर्मचारियों की छंटनी करने की सोच रहे हैं। हमें इस संघर्ष में घाटा हो सकता है। किन्तु यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। 46 दिनों की हड़ताल के पश्चात कोई भी इन निर्धन कर्मचारियों से यह आशा नहीं रखी जा सकती है कि वे लड़ते ही जायेंगे। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। वे भूखे मर रहे हैं। वे लोग काम पर वापस आ जायेंगे। संघ भी उन्हें ऐसा करने के लिए आजकल में कह सकती है। किन्तु हम ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं है। हम भारती पटसन निर्माता संगठन के आगे सिर नहीं झुकायेंगे जिस सामने सरकार ने घुटने टेक दिये हैं।

मंत्री महोदय रियायत देते चले जा रहे है। पता नहीं इस से हमारी व्यापार को कुछ मदद कभी मिलेगी या नहीं। उन्होंने कार्पेट बैकिंग पर निर्यात शुल्क 500 रुपये घटा दिया है। वे इससे संतुष्ट नहीं है। उन्हें पटसन बहुत कम मूल्य पर उपलब्ध है। हमारे लिए विदेशी मुद्रा कमानी आवश्यक है परन्तु जब पटसन खरीदने की बात आती है तो कहा जाता है की इसके लिए पैसा नहीं हैं। हड़ताल को लगभग $1\frac{1}{2}$ महीना हो जाने के कारण पटसन की लगभग नौ लाख गांठों का उपयोग नहीं किया गया है।

मैंने सुझाव दिया है कि कच्चा पटसन पटसन निगम द्वारा खरीदकर निर्यात किया जाये। यदि ऐसा किया जायेगा तो मिल मालिकों की साजिश असफल हो जायेगी।

हड़ताल को निपटाने में सबसे अधिक प्रतिरोधात्मिक रवैया उन मिल मालिकों ने अपनाया है जिन्होंने कि सबसे अधिक मात्रा में "कार्पेट बैकिंग" का निर्यात किया है। टाट बनाने वाली अन्य मिलें हड़ताल के संबंध में समझौता करने की इच्छुक है। सरकार का इस मामले में क्या दायित्व है? हमारी मांगों को तो छोड़िये किन्तु भारतीय पटसन मिल संघ को सरकार ने भी जो कुछ कहा है उसे भी न मानने का अवसर क्यों दिया जाता है?

अब जबकि राज्य सरकार तथा श्रम विभाग कुछ करने में असमर्थ है तो क्या केन्द्रीय सरकार पटसन उद्योग में व्याप्त इस दुर्व्यवस्था को ठीक करने के लिए कर्मचारियों की उचित मांगों के सम्बन्ध में कोई समझौता करेगी?

श्री दिनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : भारतीय पटसन मिल संघ के दुराग्रह तथा केन्द्रीय सरकार के प्रत्यक्ष प्रोत्साहन के कारण सभी आशाओं के बावजूद हड़ताल लम्बे समय तक चलती रही। केन्द्रीय सरकार प्रारम्भ से ही यह कहती आयी है कि इसका हमसे कोई सम्बन्ध नहीं क्योंकि यह राज्य का मामला है और इसका समाधान राज्य मंत्री ही करेंगे।

भट्टाचार्य समिति की सिफारिशों में दिए गए आंकड़ों के मामले में भारतीय रक्षा नियम लागू किए गए हैं। वे शायद इस बात को नहीं समझते कि सरकार भारतीय रक्षा नियम कैसे लागू करेगी। सरकार द्वारा की गई आपनी गणना का उद्देश्य क्या श्रमिकों को उनके न्यायोचित अधिकारों से वंचित करना है? क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? केन्द्रीय सरकार ने ऐसा जानबूझकर किया है? वह चाहती है कि वेतन पर पूर्ण रोक लगा दी जाये। जो कि पहले ही 50 प्रतिशत है।

यह बात स्पष्ट है कि केन्द्रीय और राज्य सरकार के बीच भारतीय पटसन मिल संगठन को अत्याधिक लाभ कमाने को छूट देनेकी साठगांठ चल रही है और पटसन उद्योग में लगे श्रमिकों के हितों की कोई परवाह नहीं की जा रही है।

गत चार दिनों से हम सरकार का ध्यान इस हड़ताल की होर आर्कषित करते आ रहे हैं। सत्र के पहले ही दिन हमने यह मामला उठाया था। इस हड़ताल से लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। कहा जा रहा है कि विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है। यह सच है। किन्तु इसके लिए जिम्मेदार कौन है?

इस हड़ताल के कारण विदेशी मुद्रा की जो हानि हो रही है इसके लिए केन्द्रीय सरकार ही जिम्मेदार है।

अब सरकार यह दिखाने की चेष्टा कर रही है कि वह पटसन श्रमिकों की कठिनाइयों के प्रति चिंतित है। जब हमने पटसन का मूल्य 100 रुपये प्रति मन निर्धारित करने के लिए कहा तो सरकार ने केवल समर्थन मूल्य निर्धारित किया।

माननीय मंत्री महोदय को श्रमिकों को उनके न्यायोचित अधिकारों से वंचित नहीं करना चाहिए। श्रम मंत्री श्री रेड्डी ने अस्थायी श्रमिकों के बारे में अपना निर्णय दिया था किन्तु राज्य सरकारों ने उसे कार्यान्वित नहीं किया। सरकार का कहना है कि एक पटसन नियोजक ने न्यायालय में मामला उठाया है। जो निर्णयाधीन है। यदि श्री रेड्डी जोर दें तो पटसन मिल मालिकों की हिम्मत नहीं है कि वे मामले को न्यायालय में जारी रखे। किन्तु वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकी उनकी भारतीय पटसन मिल संगठन के साथ सांठ गांठ है। इन पटसन मिलों पर बड़े बड़े एकाधिकारीयों का नियंत्रण है जिनको सरकार छूने का भी साहस नहीं कर सकती। श्रमिकों ने इन एकाधिकारियों के विरूद्ध एक हो कर संघर्ष किया।

कहा गया है कि कई मिलोने कार्य आरम्भ कर दिया है किन्तु यह सब झूठ है। हम तो सभी संघों से अपील करेंगे कि वे राज्य श्रम मंत्रीको श्रम विरोधी सिफारिशों को स्वीकार न करे। इस हड़ताल के लिए सरकार ही जिम्मेदार है और सरकार भारतीय पटसन मिल संगठन के हाथ में कठपुतली है। भारत रक्षा नियम देश-विरोधी लोगों के लिए लागू करने के लिए पारित किया गया था। क्या ये 2,50,000 श्रमिक देश विरोधी हैं? मैं तो कहता हूं कि सरकार भारत रक्षा नियम भारतीय पटसन मिल संगठन के हितों की रक्षा के लिये प्रयोग में ला रही है?

शर्म की बात है कि हड़ताल को आज 46 दिन हो गये हैं किन्तु अभीतक कोई समझौता नहीं किया गया है। जिस ढंग से यह सरकार श्रमिकों की हड़ताल को समाप्त करने के लिए कार्यवाही कर रही है ऐसी हमने कभी भी नहीं देखी। पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के पटसन श्रमिकों की कठिनाइयों के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। एक ओर सरकार कहती है कि प्रतिदिन एक करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है तो इसकी ओर हड़ताल को समाप्त करने के लिए कोई समुचित समझौता नहीं किया जा रहा है।

भट्टाचार्य समिति के अनुसार अतिरिक्त महंगाई भत्ते पर लगाया गया भारत रक्षा नियम हटाया जाना चाहिए। भारतीय पटसन मिल संगठन को अस्थायी कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालय में उठाये गए मामले को वापस लेने के लिए क्यों नहीं कहा जा रहा है?

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हम इस वर्ष को "विश्व महिला वर्ष" मानने जा रहे हैं। किन्तु आज स्थिति यह है कि पटसन उद्योग में जहां पहले 30,000 महिलाएं काम करती थी वहां आज केवल 2000 महिलाएं ही रह गई है। और अभी उत्पादन बढ़ाने के नाम पर डा० गोपाल दास नाग राज्य के मंत्री केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों के अनुसरार श्रमिकों की संख्या को और कम करने का प्रयास कर रहे हैं।

अतः मेरा श्री चट्टोपाध्याय तथा श्री रघुनाथ रेड्डी से अनुरोध है कि वे इस सम्बन्ध में कोई उचित समझौता करवायें। श्रमिकों के प्रतिनिधियों को बुलाकर कोई मान्य समझौता किया जाये। श्रमिकों की मांग है कि उन्हें 20 प्रतिशत बोनस दिया जाये। यदि ढंग से बातचीत हो तो हम इस राशि को कम भी कर सकते हैं। ये पटसन मिल मालिक करोड़ों रुपय का लाभ कमा रहे हैं। जब वे इतना लाभ कमा रहें हैं तो फिर मिल मालिकों पर इस बात के लिए दबाव क्यों नहीं डाला जा रहा है कि वे श्रमिकों को बोनस दें। आप जनता के वास्तविक प्रतिनिधी तभी कहलाओगे जब आप श्रमिकों की न्यायोचित मांगों को स्वीकार करोगे।

सभापति महोदय : अब आप लोग कितनी देर बैठना चाहते है। दो सदस्यों ने 50 मिनट ले लिए हैं। अभी 8 सदस्यों ने बोलना है। मैं अब प्रत्येक सदस्य को कितना समय दूं?

श्री के० रघुरामैया : प्रत्येक को पांच मिनट दीजिए।

सभापति महोदय : उन्हीं बातों को दोहरीन का कोई लाभ नहीं है। क्या मैं पांच पांच मिनट दूं।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री अटल बिहारी बाजपेई (ग्वालीयर) : सात मिनट।

सभापति महोदय : ठीक है।

Shri Hari Singh (Khurja) : The Jute Workers' Strike has been continuing since long. We are losing foreign exchange worth crores of rupees. The Government should try to act firmly, so that a settlement is reached . It has to be ensured that workers are not exploited and they get their due.

The jute industry is very important industry. It gives to the country valuable foreign exchange and a large number of workers are engaged in this industry. It should therefore, be nationalized. A bill for this purpose should be brought forward in this very session.

An assessment should be made by the Central Government of the diffierence between the allowances received by the workers of public undertakings and those recived by the workers in jute industry. The Government should set up a Board to make an assessment of the service conditions of workers in private sectorsent erprises.

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : पटसन श्रमिकों की हड़ताल इतनी लम्बी चलने से ऐसा लगाता है कि केन्द्रीय सरकार श्रमिकों के हितों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। श्रमिकों की मांग है कि उन्हें 20 प्रतिशत बोनस और अधिक महंगाई भत्ता दिया जाये। साथ ही पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाये और बदली श्रमिकों के बारे में केन्द्रीय श्रम मंत्री द्वारा दिए गए निर्णय को कार्यान्वित किया जये। उनकी यह भी मांग है कि प्रति मन पटसन का न्यूनतम मूल्य 100 रुपये निर्धारित्त किया जाये।

राज्य सरकार श्रमिकों की मांगों को स्वीकार करने तथा हड़ताल को समाप्त करने में असामान्य विलम्ब कर रही है। इस हड़ताल के परिणाम स्वरूप हमें प्रतिदिन 1 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है। कार्मिक संघ की मांग है कि जीवन निर्वाह सूचकांक की लागत में वृद्धि हो जाने के कारण बोनस बढ़ाया जायें।

इस मामले पर परामर्शदात्री समिति ने ध्यान दिया था और उस समय मंत्री महोदय ने कहा था कि यह राज्य का मामला है और राज्य सरकार को ही इस पर चर्चा और निर्णय करना चाहिए। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह उद्योग, जिसम 2.50 लाख मजदूर काम कर रहे हैं और आजीविका के मामले में इसी उद्योग पर निर्भर हैं, श्रम प्रधान कार्यक्रम पर आधारित है। यह कहना ठीक नहीं है कि केन्द्रीय सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ऐसी परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार को निष्क्रिय होकर नही बैठना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न न केवल पश्चिमी बंगाल की आर्थिक स्थिति से सम्बन्धित है बल्कि देश की आर्थिक स्थिरता से सम्बन्धित है। इस मामले में मिल मालिक हस्तक्षेप कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि हड़ताल जारी रहे क्योंकि मजदूरों की आजीविका से खिलवाड़ करने का यही एक अवसर है।

हजारों श्रमिक शोचनीय स्थिति में है। लघु उत्पादकों को कच्चे पटसन का सही मूल्य नहीं मिल रहा, इसलिए वे पटसन की जगह धान उगा रहे ह। कच्चे पटसन का मूल्य 65 रुपये प्रति मन है जबकि धान का मूल्य 115 रुपये है।

[श्री इसहाक सम्भली पीठासीन हुए।]

[Shri Ishaque Sambhali *in the Chair*]

गरीब मजदूर इस उद्योग में काम कर रहे हैं और उनकी आजीविका इसी उद्योग पर निर्भर है। अब ये मजदूर अपना व्यवसाय बदलने के लिए विवश हो गए। सरकार को इन मजदूरों के भविष्य पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए।

इन मजदूरों पर भारत रक्षा नियम का प्रयोग किया जा रहा है। यह उचित नहीं है। मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। उत्पादन में कमी होने के वास्तविक जिम्मेदार मिल मालिक ह। उनके विरूद्ध भारत रक्षा नियम का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि वे ही मनमाने लाभ कमा रहे हैं और सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं।

इण्डियन जूट मिल्स ऐसोसिएशन ने सूचना दी है कि वे हड़ताल जारी रहने की बात से अप्रसन्न है। यदि हड़ताल अधिक देर चली तो इसका उद्योग पर बुरा असर पड़ेगा और विदेशी मुद्रा के अर्जन में भी कमी आएगी। श्री गोपालदास नाग ने फरवरी, 1975 में कुछ सिफारिशें की थी। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने क्या सिफारिशें की थी और श्रम मंत्रालय ने कौनसी सिफारिशें स्वीकार की है। ऐसा लगता है कि आश्वासनों को पूरा नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप उद्योग हानि हुई। हड़ताल के कारण उत्पादन में 1.5 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है जिसमें 60.1 घाटा विदेशी मुद्रा का है। मजदूरों को प्रतिदिन 50 लाख रुपये की हानि हो रही है, पटसन का मूल्य भी कम होता जा रहा है। इसके रेशे के मूल्य में मन्दी आने से उत्पादन हतोत्साहित हो गए है।

हड़ताल के कारण रेलवे में पटसन से लदे वैगन जमा हो गए हैं जिसके कारण देश के सम्पूर्ण रेल यातायात में कठिनाई हो रही है। यदि हड़ताल के बारे में कोई समझौता नहीं हुआ तो सारी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। सरकार इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार नहीं कर रही। मैं पूछना चाहता हूं कि मिल मालिकों के विरुद्ध भारत रक्षा नियम का प्रयोग क्यों नहीं किया जा रहा? क्या मिल मालिकों द्वारा कमाए जा रहे मनमाने लाभों के बारे में कोई जांच की गई है और क्या कोई कार्यवाही की गई है? मेरे विचार में न केवल पटसन के निर्यात का बल्कि पटसन मिलों का भी राष्ट्रीकरण कर देना चाहिए।

सरकार को चाहिए कि वह ऐसा कोई काम न करे जिससे लोगों के मन में यह संदेह पैदा हो कि सरकार श्रम विरोधी नीति अपना रही है। मै चाहता हूं कि सरकार मजदूरों की उचित मांगों को मानकर एक अच्छा वातावरण तैयार करे। ऐसा करना न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि सम्पूर्ण देश के हित में होगा।

श्रीमती पार्वती कृष्ण (कोयम्बतूर) : यह मामला हमने संसद में इसलिए उठाया है क्योंकि यह उद्योग अन्यन्त महत्वपूर्ण है और ढाई लाख मजदूर गत 40 दिनों से हड़ताल पर हैं। हम यह आशा कर रहे थे कि मंत्री महोदय इस बारे में की गई ठोस कार्यवाही के सम्बन्ध में सदन को अवगत कराएंगे परन्तु विवरण में केवल राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का उल्लेख है। केन्द्रीय सरकार का यह कर्तव्य है कि वह औद्योगिक शांति को बनाए रख और मिलों में शीघ्र से शीघ्र उत्पादन शुरु करवाने के लिए कार्यवाही करे।

जब इस मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा की जा रही थी तो हमने सदन में बताया था कि बड़े बड़े पटसन उद्योगपति पटसन उद्योग को बरबाद कर रहे और करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा का गोलमाल कर रहे है तथा काला धन जमा करने में लगे हुए है। क्या कारण है कि सरकार ने उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं की है ? यदि मजदूरों को हड़ताल पर रहने के लिए विवश किया जाता है तो उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

सरकार को चाहिए कि वह पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करे तथा उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए प्रयत्न करे। इस हड़ताल से राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। सरकार को यह आश्वासन देना चाहिए कि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।

पश्चिम बंगाल के पटसन मजदूरों ने हाल ही में इण्डियन जूट मिल्स ऐसोसिएशन को चुनौती दी थी। केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह इस चुनौती का सामना करे। सरकार में समझौता करने की भावना होनी चाहिए।

श्री समरगुह (कन्टाई) : पटसन पर न केवल पश्चिम बंगाल की बल्कि केन्द्र की अर्थव्यवस्था आधारित है क्योंकि पटसन सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने का साधन है।

सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 46 दिन की हड़ताल में सरकार को 40 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। यदि हम पटसन उद्योग के इतिहास पर दृष्टि डालें तो हमें पता चलेगा कि विभाजन से पूर्व पटसन उगाने वाले सभी क्षेत्र पूर्वी बंगाल में तथा सभी पटसन मिलें पश्चिम बंगाल में थीं। विभाजन के बाद जिस 12 प्रतिशत भूमि पर धान उगाया जाता था। उस पर पटसन उगाया जाने लगा है। इसके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल में खाद्यान्न का अभाव हो गया है। इससे लोगों के कष्ट बढे है और लाभ केवल केन्द्रीय सरकार को हुआ है।

मंत्री महोदय अच्छी तरह जानते है कि पटसन उद्योग पर ढाई लाख मजदूर निर्भर हैं और आज उनकी स्थिति शोचनीय है। इसके बावजूद भी मंत्री महोदय ने कुछ नहीं किया।

सरकार एकाधिकारियों के दबाव में आकर बनावटी स्थिति उत्पन्न कर रहीं है। यदि सरकार के पास धन है तो वह पटसन निगम को क्यों नहीं देती जबकि यह धन लाभसहित वापिस मिल जाना है। यदि सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो पटसन निगम को समाप्त ही क्यों नहीं कर देती।

मंत्री महोदय रुई उद्योगपतियों के दबाव में आकर यह कहने का साहस नहीं कर रहे कि रुई की कीमतें बढ़ी हैं। एक ओर तो रुई की कीमतें बढ़ी हैं, दूसरी ओर पटसन उत्पादकों को लागत मूल्य भी प्राप्त नहीं हो रहा।

आज हड़ताल का 46 वां दिन है। सत्ताधारी दल द्वारा नियन्त्रित मजदूर संघ भी विपक्षी दलों द्वारा नियंत्रित मजदूर संघों के साथ मिल गए हैं क्योंकि वे भी महसूस कर रहे हैं कि मजदूरों की मांगें उचित हैं। दूसरे, वे यह भी महसूस करते हैं कि ढाई लाख मजदूरों का भविष्य खतरे में है।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नियुक्त भट्टाचार्य समिति ने मूल्य सूचकांक को ध्य.न में रखते हुए कहा था कि मंहगाई भत्ता 63 रुपये होना चाहिए ..... (व्यवधान) अब अचानक ही यह मामला शिमला के श्रम ब्यूरो में तकनीकी अधिकारी को सौंप दिया गया है। उसने बताया है कि मंहगाई भत्ता 16 रुपये होना चाहिए। इण्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन ने भी यही कहा था। इसका अर्थ यह हुआ कि इस अधिकारी की एकाधिकारियों के साथ सांठगांठ है।

सरकार ने मिल मालिकों को कई रियायतें दी है। सबसे पहले तो निर्यात शुल्क को कम कर दिया गया है। दूसरे, गोयन्का बन्धुओं, बिड़ला बन्धुओं तथा अन्य उद्योगपतियों के बम्बई और अहमदाबाद में कारखाने हैं और वे पश्चिम बंगाल से धन कमाकर टैरालीन उत्पादन में लगाकर लाभ कमा रहे है।

उत्पादकों के पास काफी पटसन है। बिक्री में कमी होने के कारण उन्हें कम दाम में पटसन बेचना पड़ रहा है और मील मालिकों को लाभ हो रहा हैं। 'हिन्दुस्तान स्टेण्डर्ड' में यह खबर छपी है कि पटसन निर्यात विशेषज्ञों ने सरकार को पेश की गई रिपोर्ट में कहा है कि पटसन से बनी 60 किस्म की मदें निर्यात की जा सकती हैं। परन्तु सरकार इस ओर ध्यान नहीं है दे रही। हड़ताल समाप्त होने के बाद मिल मालिक ये 60 मदें निर्यात करके काफी लाभ कमाएंगे।

हड़ताल से प्रभावित होने वाले 75 प्रतिशत श्रमिक उड़ीसा, बिहार तथा उत्तर प्रदेश से हैं। अत: यह पूर्वी क्षेत्र के श्रमिकों का प्रश्न है। सरकार चुप हो कर क्यों बैठी हुई है? मिल मालिक अखबारों में खबरें छपवा रहे हैं कि उन्होंने हड़ताल समाप्त करवा दी है और 12 मिलें खोल दी है और मजदूरों ने पश्चिम बंगाल सरकार की सिफारिशें मान ली है।

सरकार मिल मालिकों को नाराज नहीं करना चाहती क्योंकि चुनाव निकट है और सरकार को उनसे चंदा वसूल करना है। सरकार यदि सौहार्दपूर्ण ढंग से मामला नहीं सुलझा सकती तो कम से कम इस मामल को स्वतन्त्र न्यायाधिकरण को तो सौंप सकती है।

Shri Ram Singh Bhai (Indore) : I am very pained to say that basic facts about the strike have not been stated before the House. For 44 days strike is continuing. Yesterday, it was announced by the State Labour Minister on A.I.R. that millowners have accepted the recommendations of the Government, whereas Trade Unions have not accepted the same and therefore strike will continue.

We have a National policy in regard to trade, industry and labour. If the State Government does not succeed, it is the duty of the Centre to intervene and settle the dispute. Jute stands second in the matter of foreign exchange earnings. But we see that the industry has lost maximum manhours. The industry should have been given maximum attention. It is not proper to say that it is not a central subject. It is surprising that although Government, are aware of the loss of production, Custom and Octroi, yet they are not interfering in the matter.

It is the intention of the millowners that strike may continue, because as a result of this prices of raw jute would fall.

Mill owners also want rationalisation which would result retrenchment of shift workers. This is creating discontentment among the workers.

The working conditions of workers in jute mills are also not good. While the workers in jute mills get bonus only after the Bonus Act was passed, workers in other industries have been getting bonus since 1920. Bonus should be given in accordance with the provisions of the Bonus Act.

[Shri Ram Singh Bhai]

The dearness allowance is linked with cost of living index. The cost of living index prepared by the Simla Bureau is not properly calculated. The dearness allowance given to workers in Calcutta is less than the allowance given to the workers of Bombay, Ahmedabad, Kanpur, Delhi and Indore, because cost of living index of West Bengal is said to be less than that of other industrial centres.

Government should go in depth of the question of working of jute mills. Since some workers have joined duty it should not be taken as if the situation is normal The problem would again come up. It is high time to solve the problem.

Shri Hukum Chand Kachwai (Morena) : For 46 days the strike is continuing. The strike has caused loss of production as well as loss of foreign exchange. Workers have raised certain demands in regard to dearness allowance, bonus, education, housing etc. The Government of West Bengal have failed to end the Jute Workers' Strike. The Labour Bureau at Simla was asked to give its recommendation in regard to dearness allowance. But the recommendation was not implemented by the Millowners. It is evident that the reason for strike is that the Government is in collusion with millowners. A bargain between the Government and the millowners is in the offing. I want that Government should take courageous step by settling the dispute.

Bonus should be given in accordance with the rules.

Not even a single mill out of all the 62 mills is running at a loss. Therefore bonus should be ensured to the labour accordingly.

Government should not act merely as a postman. They should consider the demands and labour bureau reports objectively and solve the problem.

Government should also stop exploitation of workers by jute mill owners and ensure justice for them. The Prime Minister should not only give a slogan but act effectively to stop retrenchment of 28,000 women workers out of a total of 30,000 women workers in jute industry.

In the end, I appeal to Government to not only feather their own nest but also to ensure the welfare of the industry and the workers by entrusting the management to jute mills to workers and by ensuring adequate financial backing so that the industry and country's economy leaps ahead.

श्री प्रियरन्जन दास मुन्शी (कलकत्ता-दक्षिण) : सभापति महोदय पश्चिम बंगाल में जूट हड़ताल इसी वर्ष ही नहीं हुई है अपितु गत 4–5 वर्षों से होती रही है। केन्द्रीय सरकार शायद यह समझती है कि यह हड़ताल राज्य सरकार का सिरदर्द है——मैं इसकी निन्दा करता हूं क्योंकि इस उद्योग का महत्व पूरे देश के लिए है क्योंकि यह विदेशीमुद्रा कमाने वाला और हजारों लोगों को रोजगार देने वाला उद्योग है। खेद है कि हड़ताल और उसकी सूचना में काफी अन्तराल होने पर भी केन्द्रीय/राज्य सरकार ने इसे रोकने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की और 46 दिन से यह हड़ताल अब भी जारी है।

अतः मेरा यह पहला सुझाव है कि इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये और शोषण समाप्त करने हेतु सरकार अपनी मूल नीति की घोषणा करे क्योंकि अन्यथा भारतीय पटसन निगम की स्थापना निरुद्देश्य सिद्ध होगी क्योंकि बोर्ड में भारतीय पटसन मिल एसोसिएशन की बात मानी जाएगी न कि सरकार की—क्योंकि जैसाकि हम देख चुके हैं कि पटसन के एकाधिकारियों के मुकाबले में पटसन निगम बिलकुल नहीं टिक पाया क्योंकि उक्त एकाधिकारियों ने मुंहमांगे दामों पर अपने काले धन के ज़ोर पर सारा पटसन किसानों से खरीद लिया भले ही किसानों को लाभप्रद मूल्य न मिले हों।

अतः मैं महसूस करता हूं और श्रम मंत्री महोदय भी सहमत होंगे कि विद्यमान नियमानुसार सरकार इन एकाधिकारियों पर काबू नहीं पा सकती।1971 के चुनावों के बाद हमारी सरकार ने बैंक राष्ट्रीयकरण और कोककर कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण करके महत्वपूर्ण कदम उठाया है और मुझे आशा है कि अगले चुनावों से पूर्व अर्थात 1975 में इन एकाधिकारी-ग्रहों के विरुद्ध कदम उठाकर सरकार पटसन उद्योग का भी उद्धार करेगी ताकि कोयला-खानों की तरह इस उद्योग में भी अधिक उत्पादन और बेहतर श्रमिक मालिक संबंध सुनिश्चित किए जा सके। अतः मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि इस समस्या के अंतीम हल स्वरुप सरकार पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करके निर्यात व्यापार को अपने हाथ में ले लेगी।

हमारी राजनीति में इस समय पूर्व में पटसन लाबी, पश्चिम में कपास लाबी, उत्तर में चीनी लाबी और दक्षिण में शायद बागान लाबी कार्यरत हैं और आप देखेंगे कि इन सभी में वही लोग सक्रिय हैं, अतः मैं इस उद्योग के श्रमिकों की सभी मांगों का पूर्ण समर्थन करता हूं जिनमें राष्ट्रीयकरण की मांग भी शामिल हैं।

मैंने स्वयं देखा है कि मेरे राज्य, पश्चिम बगाल के मुख्य मंत्री ने किस प्रकार मिल प्रबन्धकों को भारत रक्षा नियमों का भय दिखा कर उन्हें श्रमिकों की उचित मांगें मान लेने पर बाध्य कर दिया था। अतः यह कहना है कि राज्य सरकार निष्क्रय है और केन्द्रीय सरकार स्वयं असहाय है— बहुत अनुचित है। यह तो राष्ट्रीय जिम्मेदारी है और केन्द्रीय सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिये। पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री भी प्रबन्ध में श्रमिकों के योगदान और प्रबन्धकों के साथ उनके संबंधों की आधुनिक विचारधारा के कर्णधारों में से हैं। अतः उन्हें मिल-मालिकों का दलाल या उनकी कठपुतली नहीं कहा जा सकता।

आशा है कि श्रम मंत्री महोदय को विदित होगा कि साहू-जैन की ओर से कहा जा रहा है कि यदि यह हड़ताल लम्बी चली तो वे गुंडों और धन आदि की सहायता से बिहार-उड़ीसा आदि से श्रमिक लाकर अपने कारखाने चालू कर देंगे अतः श्रम मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये। इस सबके बावजूद मैं समझता हूं कि यह हड़ताल काफी जोरदार आंदोलन है और "ऐटक तथा इंटक" सहित सभी पक्ष इसका समर्थन कर रही हैं। अतः सरकार को पटसन के मामले में अपनी नीति तय कर देनी चाहिये।

मंत्री महोदय जानते होंगे कि उत्पादकों को पटसन के लाभप्रद मूल्य न मिलने के कारण वे उत्पादन-क्षेत्र घटाते जा रहे हैं और अन्ततः इस उद्योग को काफी धक्का लगेगा। अतः उपस्थित मंत्री महोदयों से निवेदन है कि बिना तकनीकि कठिनाईयों की परवाह किए उन्हें शीघ्र ठोस निणय लेना चाहिये।

मैं सरकार से निम्नलिखित तीन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर चाहता हूं:

(1) क्या पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण आवश्यक नहीं है या क्या ऐसा करना सरकारी नीति में शामिल नहीं है;

(2) क्या मंत्री महोदय शिमला ब्यूरो के मूल्य सूचकांक को सही समझते है या नहीं? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कोई समीक्षा की जा सकती हैं या नहीं; और

(3) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भारतीय पटसन मिल एसोसियेशन को कोई संरक्षण न मिले?

अन्तिम प्रश्न की पृष्टभूमि यह है कि उक्त एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री सिंघानिया के विरुद्ध कदाचार के आरोप में वारंट निकला था परन्तु बाद में इसे वापस ले लिया गया। मैं जानना चाहता हूं क्यों ?

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : सभापति महोदय आज से 10–12 दिन पूर्व मैं ने प्रो० चट्टोपाध्याय से बात की थी और लगता था कि केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप करके शीघ्र कोई समझौता करा देगी परन्तु अब केन्द्र ने पता नहीं क्यों अपना हाथ खींच लिया है ? शायद उन्हें यह अनुमान नहीं है कि देश को कितनी भारी हानि हो रही है। उत्पादन के रुप में 1.5 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा, 53 लाख रुपये मजूरी के रुप में और 3 लाख रुपये विक्रय-कर चुंगी आदि के रुप में हानि हो चुकी है।

मैं पटसन मिल-श्रमिकों को बधाई देता हूं कि उनमे प्रांतवाद के आधार पर फूट डालने के प्रयासों के बावजूद उन्होंने एकता दिखाई है और उनकी हड़ताल सफल हैं। मैं चहता हूं कि श्रम मंत्री और प्रा० चट्टोपाध्याय भी श्री त्रिपाठी की भांति इस हड़ताल का फैसला करायें। मैं चाहता हूं कि सरकार भारतीय जूट मिल ऐसोसिएशन के प्रभाव में न आए। चाहे इसका कारण 1976 के चुनाव ही क्यों न हो।

श्री मुंशी के साथ मैं भी इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण कराने का समर्थन करता हूं और मंत्री महोदय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं। श्रमिकों को बदले की भावना से दण्ड न दिया जाये और उनकी मांगें यदि उचित हों, तो उन्हें मान लिया जाये और उक्त एसोसिएशन के मन से यह भावना हटाई जाये कि वह मनमानी कर सकती है।

वाणिज्य मंत्री (प्रो डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं पहले ही काफी लम्बा भाषण दे चुका हूं परन्तु अब मैं केवल सदस्यों द्वारा उठाई गई बातों का ही उत्तर दूंगा।

एक बात यह कही गई है कि समझौता दिल्ली में न करके कलकत्ता में क्यों किया गया ? इसके उत्तर में मैं यही कहूंगा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन कोई भी समझौता राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अंदर ही किया जा सकता है और वास्तव में राज्य सरकार का समझौते करने का रिकार्ड काफी प्रशासनीय रहा है। 1972 में राज्य सरकार के अनुरोध पर ही भारतीय जूट मिल एसोसिएशन के न चाहने पर भी सरकारी सुझाव मान लिया था।

उस समय यह निश्चय किया गया था कि आगामी तीन वर्षों तक हड़ताल नहीं होगी। परन्तु दो वर्षों में ही एक और हड़ताल हो गई। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें कर्मचारियों की मांगों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण हैं। आगामी निर्वाचनों को ध्यान में रखते हुए विरोधी दल मिथ्या आरोप लगा रहें है। यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है।

बदली कर्मचारियों के बारे में केन्द्रीय श्रम विभाग का विचार नैमित्तिक कर्मचारियों को स्थायी रुप से रखने का है। यदि इसे लागू किया जाता है तो बहुत अच्छा होगा परन्तु एक पार्टी मामला न्यायालय में ले गई है। इस लिए सरकार हस्ताक्षेप नहीं कर सकती।

जीवन निर्वाह सूचकांक के अंकलन के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। इस मामले में मत-भेद होना स्वाभाविक है। इस प्रकार काल्पनिक बातों को ले कर तनाव पैदा हो गया है। जैसा कि हमने पहले भी सभा में कहा है कि देश में उद्योगों की स्थिति संतोषजनक नहीं है प्रतिवर्ष उत्पादन में और कमी हो रही है।

वर्ष 1971–72 में उत्पादन 12,73,000 टन था जो कि 1972–73 में 12,11,000 टन रह गया तथा 1973–74 में तो 10,74,000 ही रह गया। यदि इस वर्ष यह और भी कम हो जाता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्तः क्या यह बिजली की कमी के कारण हुआ है ?

प्रो० डी०पी० चटोपाध्याय : बिजली की कमी को दूर करने के लिए कुछ कार्य किया गया है। जिन कर्मचारियों को बिना कारण केवल बिजली की कमी के कारण हानि उठानी पड़ी है उनके लिये विशेष व्यवस्था की गई है।

अधिकांश जूट निर्माता इस समय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी नहीं रहे हैं। मैंने कई बार कहा है कि यह सरकार का तथा श्रमिक संघों का कर्त्तव्य है कि जूट निर्माता प्रतिस्पर्धा बनाये रखें। जैसा कि 1972 और 1974 में देखा गया था हम श्रमिकों के मांगों के प्रति सहानुभूति रखते हैं सरकार का उदासीन होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। 65% माल का निर्यात करना होता है। क्या वहां के बाजार इतना मूल्य देने की स्थिति में हैं। जूट उत्पादकों को अपना भाग नहीं मिल रहा। जबकि औद्योगिक कर्मचारियों को यह मिल रहा है। यदि हम प्रबन्ध को अधिकार में लें लें तो भी क्या हम ऊंचा मूल्य दे सकते हैं। राष्ट्रीय वस्त्र निगम के माध्यम से हमने 1.3 मिलों को अधिकार में लिया था। हमें प्रतिस्पर्धा बनाये रखने में कठिनाई हो रही है। राष्ट्रीयकरण से सभी मुश्किलें समाप्त नहीं हो जाती।

विशेष रुप से इस समय हम और राष्ट्रीयकरण का निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं।

जूट उत्पादकों को उत्पादन में बढ़ावा देने के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। यदि जमा जूट के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो समस्या पैदा हो जाएगी। धन की कमी के कारण हम भारतीय जूट निगम के विक्री के कार्यक्रम के लिये धन नहीं दे पाये। यदि सम्भव हुआ तो हमें कच्चे जूट का निर्यात करना पड़ेगा।

भारत का जूट निगम जूट मिल मालिकों के दबाव में आकर निर्णय नहीं करता, बल्कि वह स्वतन्त्र रुप से उद्योग के हित में निर्णय करता है।

श्रम मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : बदली कर्मचारियों के बारे में माननीय सदस्यों को विदित है कि यह मामला 40 वर्ष से निलम्बित पड़ा है। हमने इसका समाधान करना चाहा। श्रमिक नेता शायद मेरे निर्णय से सन्तुष्ट नहीं हुए। दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय में चल रहे मामले में केन्द्रीय सरकार भी एक पार्टी है। इस लिये मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिसका गलत अर्थ निकाला जा सके।

भट्टाचार्य समिति की नियुक्ति के बारे में सदस्यों में कुछ गलतफहमी है जिसे मैं दूर कर देना चाहता हूं। उक्त समिति की नियुक्ति पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा की गई थी। इसने मूल्य सूचकांक के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिससे श्रम ब्यूरों शिमला के निदेशक की टिप्पणी सहित पश्चिम बंगाल सरकार को भेज दिया गया था। उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यह विचार श्रम ब्यूरों के हैं और केन्द्रीय सरकार के नहीं।

पश्चिम बंगाल सरकार मामले के हर पहलु पर विचार करने के पश्चात कुछ निष्कर्षों पर पहुंची। यहां मुझे उनके निर्णय के औचित्य पर कुछ नहीं कहना। यह समिति राज्य सरकार ने नियुक्त की थी।

जहां तक श्रम मंत्रालय का जूट हड़ताल के समाप्त कराने के लिये प्रयत्नों का प्रश्न है मेरा निवेदन है कि हड़ताल पश्चिम बंगाल सरकार के क्षेत्राधिकार का मामला है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह खोज 1969–70 के बाद की गई है?

श्री रघुनाथ रेड्डी : औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन यह मामला राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार का है। तो भी मैं ने राज्य के मुख्य मंत्री को दो पत्र लिखे थे कि वह मेरी सहायता ले सकते हैं। ताकि मामले को निपटाया जा सके परन्तु उन्होंने विश्वास प्रकट किया है कि राज्य का श्रम विभाग संकट से निपटने के लिये सक्षम है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सहायता का प्रस्ताव हड़ताल से पूर्व दिया गया था अथवा हड़ताल के दौरान ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : हड़ताल के दौरान किया गया था। हम औद्योगिक विवाद अधिनियम के द्वारा निर्धारित क्षेत्राधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहते।

मैं समझता हूं सभा में एकमत्य से व्यक्त भावनाओं का भारतीय जूट निर्माता संघ पर अपेक्षित. प्रभाव पड़ेगा। यदि वे श्रमिक वर्ग की शक्ति को अनुभव नहीं करते तो उन्हें हानि उठानी पड़ेगी।

कार्य मन्त्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

51 वां प्रतिवेदन

निर्माण, आवास और संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 51 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

इसके पश्चात लोक सभा शुक्रवार 21 फरवरी, 1975/2 फाल्गुन 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

THE LOK SABHA THEN ADJOURNED TILL ELEVEN OF THE CLOCK ON FRIDAY, THE 21ST FEBRUARY, 1975/PHALGUNA 2, 1891 (SAKA)

भा०स०मु०ना०—वि० 8–1 लोकसभा/75–12-5-75–000.